खण्ड-342, अंक-5
सोमवार, 12 भाद्रपद, शक संवत् 1901
(3 सितम्बर, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 342 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	197–201
प्रश्नोत्तर	201–247
सदन में पत्रकार दीर्घा खाली होने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण ..	247
अवध विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं में व्यापक रूप से नकल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	247–248
इटौंजा, जिला लखनऊ में जनता पार्टी के कार्य-कर्ताओं की मड़ियाँव थाने में पुलिस द्वारा पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	248–249
शिकोहाबाद (मैनपुरी) नगरपालिका के कार्यालय पर एकत्र प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	249–250
आगरा के थाना भटसेना के ग्राम नगला डैंक, मौजा विजयपुर के निवासी श्री वासुदेव के यहाँ पड़ी डकैती के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	250
बाँदा जिले में कमासिन थाना के अन्तर्गत ग्राम वीरघुमाई सुर्की के हरिजनों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	250–251
नौकरी के लिए सेवा योजन कार्यालय द्वारा नाम भेजने की प्रथा समाप्ति की घोषणा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	251
उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	252
मथुरा जनपद की पुलिस के विरुद्ध अन्याय व अत्याचार की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	252
मेरठ में राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय जवाहर क्वार्टर के भवन का कुछ भाग सील किए जाने से छात्राओं तथा अध्यापिकाओं में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	252–253
जनपद कानपुर की शिक्षण संस्थाओं में हरिजन छात्रों को प्रवेश में कठिनाई होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	253–254
विधान सभा सदस्य, श्री रवीन्द्र सिंह की हत्या के सम्बन्ध में प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव को नियम निलम्बित करके पहले लिए जाने की माँग	254–268
स्वर्गीय श्री रवीन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा पर हुए प्राणघातक हमले के उपरान्त चिकित्सा हेतु दिल्ली ले जाए जाने हेतु विमान उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा	268–296
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	296
विधान परिषद् के सभापति, सचिव तथा सदस्य श्री नेकराम शर्मा, के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	296
मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	297
मन्त्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर हुए मत विभाजन की मतगणना में संशोधन की सूचना	297
दिनाँक 23 मार्च, 1975 को पूछे गए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का संशोधन वक्तव्य	298
जनता पार्टी के विभाजित दलों में सदस्यों के नामों के संशोधन की सूचना	298
कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	299–300

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1979 (पुरःस्थापित किया गया)	300
1979–80 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान–अनुदान संख्या 4––न्याय विभाग (स्वीकृत)	300–301
अनुदान संख्या 5––निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	302
अनुदान संख्या 6––संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति-कर एवं बिक्री-कर) (स्वीकृत)	302
अनुदान संख्या 9––स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग (स्वीकृत) ..	302
अनुदान संख्या 12––परिवहन विभाग (स्वीकृत)	302–303
अनुदान संख्या 14––वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय, (स्वीकृत)	303
अनुदान संख्या 18––सचिवालय (स्वीकृत)	303
अनुदान संख्या 26––गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	303
अनुदान संख्या 27––गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	304
अनुदान संख्या 28––उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत)	304
अनुदान संख्या 29––सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत)	304
अनुदान संख्या 34––शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	304
अनुदान संख्या 37––सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत)	305
अनुदान संख्या 39––चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) (स्वीकृत) ..	305
अनुदान संख्या 40––चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ..	305
अनुदान संख्या 41––चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	305
अनुदान संख्या 43––सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत)	305–306
अनुदान संख्या 45––सूचना विभाग (स्वीकृत)	306
अनुदान संख्या 48––हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग (स्वीकृत)	306
अनुदान संख्या 52––सहकारिता विभाग (स्वीकृत)	306
अनुदान संख्या 53––विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र (स्वीकृत)	306
अनुदान सख्या 54––नियोजन विभाग (स्वीकृत)	307
अनुदान संख्या 55––कृषि विभाग (कृषि) (स्वीकृत)	307
अनुदान संख्या 58––ग्राम्य विकास विभाग (स्वीकृत)	307
अनुदान संख्या 59––पंचायती राज विभाग (स्वीकृत)	307
अनुदान संख्या 61––क्षेत्रीय विकास विभाग (स्वीकृत)	307–308
अनुदान संख्या 63––पशुधन विभाग (स्वीकृत)	308
अनुदान संख्या 65––मत्स्य विभाग (स्वीकृत)	308
अनुदान संख्या 66––वन विभाग (स्वीकृत)	308
अनुदान संख्या 68––उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ..	308
अनुदान संख्या 69––उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत) ..	309
अनुदान संख्या 72––सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा) (स्वीकृत)	309
अनुदान संख्या 75––सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)	309
अनुदान संख्या 76––सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत)	309
अनुदान संख्या 78––सार्वजनिक निर्माण विभाग (सहायक अनुदान) (स्वीकृत)	310

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 82--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	310
अनुदान संख्या 83--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	310
अनुदान संख्या 87--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	310–311
अनुदान संख्या 88–क--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण–पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	311
अनुदान संख्या 89--सहकारिता विभाग--पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	311
अनुदान संख्या 90--विशष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	311
अनुदान संख्या 91--उद्योग विभाग–पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	311–312
अनुदान संख्या 97--कृषि विभाग--पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	312
अनुदान संख्या 98--ग्राम्य विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	312
अनुदान संख्या 99--क्षेत्रीय विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	312
अनुदान संख्या 103--मत्स्य विभाग–पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	312–313
अनुदान संख्या 107--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	313
अनुदान संख्या 108--परिवहन विभाग–पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	313
अनुदान संख्या 114--आवास विभाग--ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	313
अनुदान संख्या 117--उद्योग विभाग–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	313–314
अनुदान संख्या 118--विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	314
अनुदान संख्या 121--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	314
अनुदान संख्या 122--सहकारिता विभाग–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	314
अनुदान संख्या 123--कृषि विभाग–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	314
अनुदान संख्या 124--क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	315
अनुदान संख्या 125--पशुधन विभाग–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	315
उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1979 (पारित)	315–328
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	329
प्रदेश में सूखे तथा अन्य दैवी आपदाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन	329
नत्थियाँ	330–343

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 3 सितम्बर, 1979

. विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---354

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरूण कुमार, श्री
अवधेश नरायन श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री

चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
चौधरी नौनिहाल सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल "निर्भय", श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला विजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री

नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह गैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
प्रेमवती, श्रीमती
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुल बारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चान्दना, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बाँके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज" श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)

बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान पाल सिंह एडवोकेट, श्री
भान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मोहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र ठाकुर, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खाँ, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम जनम, श्री

राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम पति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्री चन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री

हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुकम चन्द्र तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री

नोट—श्रम मन्त्री, श्री क्रान्ति कुमार, हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती, नियोजन राज्य मन्त्री, श्री महिपाल सिंह शास्त्री तथा स्वायत्त शासन मन्त्री श्री रामाधार पाण्डेय भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 3 सितम्बर, 1979

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

नगर महापालिकाओं एवं स्थानीय निकायों के चुनाव की मांग

**1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश के नगरपालिकाओं समेत सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं का चुनाव तुरन्त कराने में शासन के सामने क्या कोई कठिनाई है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामाधार पाण्डेय)—

महापालिकाओं के नगर प्रमुखों तथा अन्य स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के सीधे चुनाव का प्राविधान इस समय है। इस सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्राप्त हुए कि ये चुनाव सीधे न कराकर पहले की भांति अप्रत्यक्ष रूप से कराये जायं। इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और उस पर निर्णय होने के उपरान्त स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन कराने की कायवाही की जायेगी।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मैं जानना चाहता हूं कि किस-किस के प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और क्या सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने का निर्णय कर लिया है ? यदि हाँ, तो नियमों आदि के परिवर्तन में अभी कितना समय और लग जायेगा ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जहाँ तक प्रतिवेदन का सवाल है वह माननीय विधायकों से भी मिले हैं, दोनों सदनों के। इसके अलावा तत्कालीन लोक सभा के माननीय सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों से भी मिले हैं। जन प्रतिनिधियों के भी सैकड़ों पत्र आए हैं, कठिनाइयों को व्यक्त करते हुए। इसलिए मामला न्याय विभाग के विचाराधीन है क्योंकि इमरजेंसी के दौरान जो फैसला चुनाव के सम्बन्ध में हुआ था, उसी पर उनकी टिप्पणी माँगी गयी है ? जैसे ही न्याय विभाग की राय प्राप्त हो जायेगी आगे की कार्यवाही होगी।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

सन् 76 में जब यह निर्णय चुनाव के सम्बन्ध में हुआ था उस समय यहाँ का मुख्य मन्त्री कौन था ? क्या उन्होंने ही अब चुनाव इंडायरेक्ट कराने की सिफारिश की है ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

मैं ठीक नहीं बता सकता, शायद उस समय माननीय नारायण दत्त तिवारी मुख्य मन्त्री थे, जो आज भी माननीय सदन के सदस्य हैं

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

जिन भूतपूर्व संसद सदस्यों ने अपने प्रतिवेदन भेजे हैं, क्या उनमें श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा भी हैं ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

उनका कोई ऐसा प्रतिवेदन या पत्र नहीं आया है ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)-

क्या यह सही है कि इस अप्रत्यक्ष चुनाव के सम्बन्ध में प्रश्न विचाराधीन है, उसमें सरकार जानबूझ कर विलम्ब कर रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आक्षेप है ।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

किसी प्रतिवेदन में ऐसी बात मिली है, मान्यवर, कि कारपोरेशन्स को छोड़कर बाकी सभी नगरपालिकाओं के चुनाव सीधे कराये जायं, तो क्या माननीय मन्त्री जी नगरपालिकाओं के चुनाव सीधे करायेंगे ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

मान्यवर, सुझाव तो ऐसे भी आए हैं कि टाउन एरियाज के ही चुनाव प्रत्यक्ष कराए जायं ।

श्री डी० पी० बोरा--

माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों अखबारों में यह बात छपी थी कि स्थानीय लोक सभा के सदस्य, भूतपूर्व सदस्य और भूतपूर्व मन्त्री और मौजूदा मन्त्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने इस बात की सिफारिश की है कि कारपोरेशन्स के चुनाव डायरेक्ट न करा कर इण्डायरेक्ट कराए जायं ?

नम्बर 2--क्या इन्हीं मन्त्री ने महमूद बट के प्रत्याशी बनने के कारण इस प्रकार के चुनाव डायरेक्ट न होने देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह भी आक्षेप है ।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, कानून के संशोधन का प्रश्न जो विचाराधीन है उसे न्याय विभाग में किस लिए भेजा गया है और यदि भेजा गया है, तो उसका रिफरेंस क्या है ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

मान्यवर, दो-तीन किस्म के सुझाव हैं। एक तो यह भी सुझाव है कि चुनाव की प्रक्रिया जैसे पहले होती थी, उसी को कह दिया गया है और जो संशोधन 76 में हुआ, उसे हटा दिया जाय। एक दूसरा भी सुझाव है कि 673 लोकल बाडीज हैं, उनके प्रत्यक्ष चुनाव तथा छोटी-छोटी टाउन एरियाज के चुनाव प्रत्यक्ष करा लिए जायं। इसीलिए न्याय विभाग को भेजा गया है कि सभी इसकी सक्षमता को देखकर उचित निर्णय ले लें।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि 1976 में यह स्वायत्त शासी संस्थाओं के चुनाव के लिए एक प्रवर समिति सदन की बनी हुई थी, उस प्रवर समिति ने एक वर्ष में रिपोर्ट दी थी कि डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए। कृपया यह मन्त्री जी बतायें कि इनडायरेक्ट चुनाव

करने की जो संस्तुति की है, उसका क्या कारण है और न्याय विभाग से आप क्या पूछ रहे हैं ? क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसे पुनः प्रवर समिति को भेज सकते हैं और डायरेक्ट चुनाव कराने पर वह समिति विचार कर सके ।

श्री रामाधार पाण्डेय—

मान्यवर, पिछली बार जो संशोधन हुए वह मामला सदन से ही प्रवर समिति को भेजा गया था और विचार करने के बाद ही वह संशोधन इमरजेंसी में किए गए थे। जहाँ तक शासन का सवाल है, आज भी सदन ही उसको, उस प्रक्रिया को बदलेगा। जो सुझाव आयेंगे अमेंडमेंट के लिए तो वह सदन के सामने आयेंग और सदन यह उचित समझता है, उस वक्त तो सदन उसको पास कर देगा या यह समझता है कि प्रवर समिति को फिर आख्या करा लेगा। मान्यवर, यह सदन सक्षम है, हम तो सिर्फ सुझाव दे सकते हैं ।

परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

**2—श्री रामआसरे वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण कर्मचारियों के स्थायीकरण का मामला कब से शासन के विचाराधीन है ? तथा उसमें कितनी प्रगति हुई और उसमें कितना समय और लगेगा ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण कर्मचारियों के स्थायीकरण का मसला काफी समय से शासन के विचाराधीन है। चूंकि परिवार कल्याण योजना केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना है और इस योजना का समस्त व्यय-भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है अतः जब तक इस योजना का शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है तब तक के लिए इन पदों को स्थायी किए जाने के फलस्वरूप पेंशन तथा ग्रेच्युटी आदि पर होने वाले व्यय-भार को वहन करने के लिए भारत सरकार को लिखा गया है। इस सम्बन्ध में अभी तक भारत सरकार का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है जिसके प्राप्त होने पर इस मामले में आगे कार्यवाही की जायेगी। राज्य सरकार के स्वास्थ्य बजट पर भारित मातृ एवं शिशु कल्याण कर्मचारियों के 2781 अस्थायी पदों को स्थायी किए जाने के आदेश दिनांक 25 जुलाई, 1979 को पारित कर दिए गए हैं ।

श्री रामनाथ टण्डन, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नलकूप के विरुद्ध शिकायती पत्र

**3—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या मुख्य अभियन्ता नलकूप पूर्व 7 के विरुद्ध सतर्कता विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच हो रही है तथा सतर्कता विभाग ने खुली जाँच के लिए शासन से आज्ञा माँगी है ? क्या यह भी सच है कि उनके विरुद्ध एक आरोप यह है कि इनके पुत्र जो अजीत एसोसिएट्स मेरठ के नाम से दूकान चलाते हैं, को बिजली मोटर, स्टार्टर्स पम्पिंग सेट बनाने वाले कम्पनियों की एजेन्सी इनके मुख्य अभियन्ता नलकूप होने के बाद मिली, जिनका माल वे सिंचाई विभाग को सप्लाई करते हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

श्री रामनाथ टंडन, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नलकूप के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों पर छानबीन कराई गयी थी और उसका निष्कर्ष शासन के विचाराधीन है ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मन्त्री जी ने नहीं दिया। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मुख्य अभियन्ता नलकूप पूर्व 7 के विरुद्ध सतर्कता विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच हो रही है तथा सतर्कता विभाग ने खुली जाँच के लिए शासन से आज्ञा माँगी है ? इसका उत्तर नहीं मिला

दूसरा यह था कि क्या यह भी सच है कि उनके विरुद्ध एक आरोप यह है कि इनके पुत्र जो अजीत एसोसियेटस मेरठ के नाम से दूकान चलाते हैं, को बिजली, मोटर, स्टार्टर्स, पम्पिग सेट बनाने वाले कम्पनियों की एजेन्सी इनके मुख्य अभियन्ता नलकूप होने के बाद मिली, जिनका माल वे सिंचाई विभाग को सप्लाई करते हैं, लेकिन जो उत्तर दिया है वह इससे बिल्कुल भिन्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, इन्होंने तो यह लिखा है कि यह जो दोनों प्रश्न है, जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन पर विचार हो रहा है ।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर--

मान्यवर, सवाल यह है कि क्या सतर्कता विभाग ने शासन से उनकी खुली जाँच करने की आज्ञा माँगी है, इसमें "हाँ" या "न" में जबाव आना चाहिए । दूसरी बात निष्कर्ष पर विचार कभी नहीं होता । निष्कर्ष को तो लागू करने पर विचार होता है कि उन निष्कर्षों के आधार पर पनिश्मेन्ट क्या दिया जाय, इस पर विचार करना है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न करिये ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

जो प्रश्न किया है उसका ही उत्तर नहीं आया । पहला प्रश्न खुली जाँच करने के लिए आज्ञा के संबंध में और दूसरा क्या इनका लड़का जो अजीत एसोसियेट्स मेरठ के नाम से दूकान चलाता है, को बिजली, मोटर, स्टार्टर्स, पम्पिग सेट बनाने वाले कम्पनियों की एजेन्सी इनके मुख्य अभियन्ता नलकूप होने के बाद मिली जिनका माल वे सिंचाई विभाग को सप्लाई करते हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

जो सम्पूर्ण प्रश्न है, उसके उत्तर में यह दिया गया है कि उनके विरुद्ध यह सब जाँच की है और ये सब जाँच सतर्कता विभाग द्वारा की गई ? डाइरेक्टर आफ सतर्कता विभाग है, उनसे जाँच सतर्कता अनुभाग की आ चुकी है । अभी हमारे पास तक नहीं आयी है । उसकी जाँच हो रही है । इसमें जिले का कोई सवाल नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं यह प्रश्न स्थगित करता हूं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, इसमें बहुत सवाल है । इसको आप स्थगित न करें, मंत्री जी इससे रोशनी प्राप्त कर सकेंगे । इसको स्थगित करने से कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

विभाग इसमें जाँच कर रहा है.....

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । तोमर जी के प्रश्न के संबंध में । जो प्रश्न है उसका मूल जवाब आना चाहिए पहले हाँ या न में । उसके बाद सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन्स, जो माननीय सदस्य करेंगे, उसमें क्या कमी है, वह सब चीजें आती हैं । आप पहले मंत्री जी से यह जबाव दिलवा दीजिये कि क्या खुली जाँच करने की परमिशन माँगी है ? इसका जबाव हाँ या न में है । और क्या उनका लड़का एजेन्ट है ? इसका जबाव होना चाहिए हाँ या ना । उसके बाद आप स्थगित कीजिये ।

(व्यवधान)

जाँच के अन्दर, श्रीमन्, समय लग सकता है लेकिन 2 फैक्ट्स जो हैं जिनका हाँ या न में जबाव आना चाहिए, इसमें समय लगने वाला नहीं है । इसलिए इसको स्थगित तो आप करें लेकिन इसका जबाव तो हाँ या न में दिलवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं स्थगित इसलिए कर रहा था कि 27 अगस्त को उनके पास गया था....

(व्यवधान)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

जिस दिन मैं एम0 एल0 ए0 बन कर आया था, उस दिन सबसे पहले यही प्रश्न पूछा था.....

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्थिति स्पष्ट कर दें ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, माननीय तोमर जी ने बहुत पहले प्रश्न पूछा था, टंडन साहब के लड़के के बारे में, उसका जो उत्तर आया था, वह भ्रामक था। दूसरी बार भी सदन में प्रश्न उठाया गया। इसके बाद 13 जून को मैंने माननीय सदस्य को अपने कक्ष में बुलाया। उनसे विचार-विमर्श हुआ। मैंने सभी कागजात एवं फाइलें उन्हें दिखाई, उनसे विचार-विमर्श किया। जो कुछ कार्यवाही की जा रही थी, उससे वह सन्तुष्ट थे। इसके बाद गत सप्ताह भी प्रश्न संख्या 22 इस सम्बन्ध में आ चुका है, इस सदन के अन्दर। दूसरा प्रश्न जो एसोसियेट ट्रेडर्स का है वह भी इस जाँच के अन्तर्गत है । जाँच आख्या आ चुकी है । उसे फाइनल होकर आना है, और उसका निर्णय हो जायेगा।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा प्रश्न बहुत साफ है, मान्यवर। माननीय मंत्री जी ने जो तोमर साहब को बुलाया, फाइलें दिखाई, उस समय तक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श हुआ। यह उनके बीच की बात हो सकती है। जब यह सदन में आ गया, तो सदन का प्रश्न हो गया। कोई भी सदस्य प्रश्न कर सकता है, उसका उत्तर आना चाहिये। तो तथ्य इसमें है। पहला कि क्या यह सही है कि विजलेन्स जो इन्क्वायरी कर रहा था उसमें उसने शासन से अपनी इन्क्वायरी के लिये खुली जाँच की परमीशन माँगी है या नहीं। दूसरे यह कि अजीत ट्रेडर्स जो है, उसका संबंध अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के लड़के से है या नहीं और अगर है, तो क्या यह परमीशन उनके मुख्य अभियन्ता होने के बाद प्राप्त हुई है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैंने जैसा कहा कि अजीत ट्रेडर्स के बारे में जो-जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी जो जबाव दे रहे हैं उसको सुन तो लीजिये ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

उत्तर यह आया था कि राम नाथ टंडन के लड़के का अजीत ट्रेडर्स है। यह भी साफ हो गया इसका उत्तर विधान सभा में आ चुका है। दूसरी बात जो पूछना चाहते हैं कि क्या कोई खुली जाँच की परमीशन ली गयी है ? मेरा खयाल है कि अभी कोई ऐसी फाइल नहीं आई है जिसमें खुली जाँच की परमीशन की बात हो। मैं यह कह सकता हूं कि मैं अतिशीघ्र वह निर्णय जो माननीय सदस्य की भावनाओं के अनुकूल होगा हम लेंगे जैसा मेरा विचार है ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

अभी माननीय सिंचाई मंत्री ने स्वीकार किया है कि निर्णय करने जा रहे हैं । यह जो प्रश्न है उसका हाँ या न में उत्तर दें। कि क्या ...

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह---

जब आप जानते ही नहीं है तो पढ़ाना पड़ेगा।

श्री नेम सिंह चौहान---

जब पढ़ेंगे तो दोनों ही भर्ती हो जायेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के बारे में क्या-क्या शिकायतें मिली हैं और उन शिकायतों के किन-किन मुद्दों पर जाँच होकर उनका निष्कर्ष मंत्री जी के विचाराधीन है?

श्री राजेन्द्र सिंह---

श्रीमन्, जैसा मैंने कहा यह सभी शिकायतें मेरे सामने तो नहीं आई हैं। बहुत पहले से सतर्कता विभाग में इसकी जांच चल रही है। सतर्कता विभाग की जाँच का निष्कर्ष सतर्कता अनुभाग में आ चुका है। मैं इसलिये कह रहा हूं कि फाइल मेरे सामने नहीं आई है। मैंने टेलीफोन से पूछा था, पता लगाने की कोशिश की थी। सतर्कता अनुभाग का कहना है कि अभी इसका उत्तर देना जन-हित में उचित नहीं है। फिर भी मैंने जानना चाहा कि जाँच आख्या आ चुकी है यह नहीं पता चला कि वह आज शाम को या कल मुझसे फाइल लेकर डिस्कस करना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

आज मैं इस प्रश्न को स्थगित किये देता हूं।

श्री श्याम धर मिश्र---

श्रीमन्, फिर अगली बार यह तो सन् 80 में आयेगा।

इनफैन्ट मिल्क फूड पाउडर फैक्ट्री, दलपतपुर, जिला मुरादाबाद की बन्दी

**4---श्री रियासत हुसैन---

क्या पशुधन मन्त्री को यह ज्ञात है कि इनफैन्ट मिल्क फूड पाउडर फैक्ट्री, दलपतपुर, मुरादाबाद अप्रैल, 1979 से बन्द पड़ी है? यदि हाँ, तो क्यों? अप्रैल, 1979 से अब तक उसके बन्द रहने के कारण कितना नुकसान हुआ है? क्या यह सही है कि उक्त फैक्ट्री के बन्द होने के बावजूद भी कुछ सीनियर अधिकारियों की नियुक्ति अब भी की जा रही है? तथा उसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर के लखनऊ स्थानान्तरित कर दिया गया है, जहाँ मैनेजर रहते है? यदि हाँ, तो इस हेडक्वार्टर के शिफ्ट करने की क्या आवश्यकता थी?

पशुधन मन्त्री (श्री अब्दुल हलीम खां)---

जी हाँ।

इनफैन्ट मिल्क फूड पाउडर फैक्ट्री, दलपतपुर, मुरादाबाद 18 अप्रैल, 1979 से बन्द है। फैक्ट्री की पूर्ण मरम्मत एवं नवीनीकरण के उद्देश्य से इसको बन्द करना पड़ा था।

चूंकि वर्ष 1978-79 का वार्षिक लेखा अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, अतः नुकसान के संबंध में बताना सम्भव नहीं है।

माह अप्रैल, 1979 से अब तक दो प्रबन्धक दुग्ध अभियन्ताओं के पदों पर नियुक्तियाँ की गयी हैं जो दलपतपुर में ही कार्यरत हैं।

श्री रियासत हुसैन---

जैसा श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बताया कि फैक्ट्री 18 अप्रैल, 1979 से बन्द है, तो जिन आधार पर फैक्ट्री बंद की गयी है, रिपेयर, मार्डनाइजेशन वगैरह करने में आज तक कितना खर्च हो चुका है और कितना स्टीमेट था और यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा?

श्री अब्दुल हलीम खां—

यह हमारे लिये बताना संभव नहीं है कि अब तक कितना खर्च हो चुका है । लेकिन जहाँ तक काम मुकम्मिल होने का प्रश्न है 7, 8 सितम्बर तक हम चलाने का इरादा रखते हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

खच का अन्दाजा तो होगा कि कितना खर्च हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष—

पत्रावली में क्या कोई इस तरह का जिक्र नहीं है कि कितना धन व्यय हो चुका है ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

मुझ को बताने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एस्टीमेट मेरे पास नहीं है कि कितना खर्च हुआ है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस फैक्ट्री में कौन सी त्रुटियाँ उत्पन्न हो गयीं, क्या फैक्ट्री का काम चलते हुये मरम्मत का काम नहीं हो सकता था ? ज्यादातर यह होता है कि फैक्ट्री चलती रहती है और मरम्मत का काम होता रहता है। क्या कारण है जिसकी वजह से बन्द करना पड़ा ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसमें जो पाउडर बनाने का प्लान्ट है, उसमें एक मर्तबा गड़बड़ी के कारण नुकसान हुआ था। चलती हालत में मरम्मत कराना मुश्किल था, इसलिये इसको बन्द करके ओवरहालिंग करायी जा रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

प्रश्न से मान्यवर, साफ है कि फैक्ट्री बन्द है घाटा हो रहा है। 2, 3 अधिकारियों की भर्ती की गयी है, तो यह बरोजगार अधिकारियों की भर्ती के लिये कोई इम्पलायमेंट सेंटर नहीं है। फैक्ट्री मुरादाबाद में है और मैनेजर को शिफ्ट किया गया है लखनऊ में, ऐसा क्यों ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

2 डेरी इंजीनियर्स का एप्वायन्टमेंट इस बुनियाद पर किया गया है चूंकि इस कारखाने की मरम्मत हो रही है उसमें उनकी आवश्यकता है ? उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में किया गया है उस सिलसिले में स्थिति यह है कि जी0एम0 को बीमारी के कारण एक महीने तक लखनऊ में इलाज कराने की इजाजत दी गयी है ।

श्री रियासत हुसैन—

इस फैक्ट्री को लगभग 80 लाख रुपये का लास हो चुका है और जो खर्च में अनियमितायें हुयी हैं, उसकी मिल्क कमिश्नर जाँच कर रहे हैं, काफी हद तक इन्क्वायरी आग बढ़ चुकी है, इनका लास हो चुका है उसके बावजूद भी 2 इंजीनियर्स को रखा गया है। क्या सबब है जो उनको सेवा में रखा गया है ? इसके ऊपर वहाँ असंतोष फैल रहा है। टर्मिनेशन का नोटिस लोगों को दिया जा रहा है, दूसरी तरफ नये अधिकारिवों का एसाइनमेंट किया जा रहा है, क्यों ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

मान्यवर, दो बातें एक साथ नहीं चल सकती है । यदि फैक्ट्री में नुकसान हो रहा है और स्टाफ ज्यादा है तो उसको टरमिनेट किया जा सकता है । जो उस पद पर रख गये हैं वह इसलिये कि वहाँ कोई कर्मचारी नहीं था और टेक्नीशियन को इंजीनियर की हैसियत से मरम्मत के लिये रखना ही होगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, जिला बस्ती के अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति

*1—श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग जनपद बस्ती के तीन वर्ष से कम सेवा काल के अस्थायी अवर अभियन्ताओं के लिए शासनादेश संख्या 50-17/38/5-2037/71, ग्राम विकास अनुभाग-5, दिनाँक 8 मार्च, 1977 के निर्णय के अनुसार साधारण सेवा समाप्ति आदेश दण्डात्मक होने के कारण बिना विभागीय कार्यवाही के अवैध सिद्ध किया है ? यदि हाँ, तो आज तक उन अवर अभियन्ताओं को क्यों नहीं पुनःस्थानापन्न किया गया ?

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)—

प्रश्न में उल्लिखित शासकीय पत्र शासनादेश न होकर परम गोपनीय अर्धशासकीय पत्र था जिसमें शासन को विधि परामर्शी की राय मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को भेजी गयी थी ।

अवर अभियन्ताओं की सेवायें शासन के नियुक्ति (ख) विभाग के शासनादेश संख्या 230/2-बी-1953, दिनाँक 30-1-1953 में विज्ञापित सामान्य नियमों के अन्तर्गत की गई हैं, अतः उन्हें पुनः नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सचिव, सूखा सहायता समिति का प्रत्यावर्तन

*2—श्री पदमाकर लाल श्रीवास्तव, श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी, श्री उदयनारायण सिंह (जिला वाराणसी) तथा श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सूखा सहायता समिति के सचिव श्री जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी (खण्ड विकास अधिकारी) को उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित करने हेतु आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास ने दिनाँक 3 मार्च, 1979 को तथा माननीय मुख्य मंत्री ने दिनाँक 11 अप्रैल, 1979 को निश्चित आदेश दिए थे ? यदि हाँ, तो इन आदेशों का कार्यान्वयन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिनाँक 11-4-79 को श्री जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सचिव, सूखा सहायता समिति को मूल विभाग में प्रत्यावर्तित किये जाने के आदेश दिये थे, जिसके अनुपालन में श्री त्रिपाठी की खंड विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति के आदेश दिनाँक 25-5-79 को जारी किये गये ।

श्री पदमाकर लाल श्रीवास्तव—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि श्री जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति जिस स्थान पर की गयी है तो क्या उन्होंने अपन नये स्थान पर पद ग्रहण कर लिया है ? यदि हाँ, तो कब से ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, श्री त्रिपाठी की नियुक्ति लखनऊ जनपद के बख्शी तालाब विकास खंड में की गयी थी, लेकिन अभी उन्हें उत्तर प्रदेश सूखा सहायता समिति से रिलीव नहीं किया गया ।

श्री पदमा कर लाल श्रीवास्तव—

क्या यह सही है कि ए0पी0सी0ने इसके पूर्व 3 मार्च, 1979 को ही श्री त्रिपाठी के स्थानान्तरण का आदेश किया था और उस आदेश के अन्तर्गत 5 मार्च, 1979 को ही श्री त्रिपाठी उत्तर प्रदेश सूखा सहायता समिति से मुक्त हो चुके हैं जिसकी सूचना मंत्री जी के यहाँ भेज दी गयी है ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार श्री त्रिपाठी को वहाँ से रिलीव नहीं किया है ।

श्री पदमाकर लाल श्रीवास्तव—

क्या यह सही है कि श्री त्रिपाठी की जगह पर 9 जुलाई, 1979 को एक दूसरे सचिव की नियुक्ति शासन ने कर दिया है और वह हैं श्री टी0 एन0 सिन्हा और श्री सिन्हा ने 10 जुलाई को उस समिति का कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जिसकी सूचना वहाँ से शासन को आ गयी है ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, ऐसी सूचना आयी होती तो मैं उत्तर दे देता ।

श्री पदमाकर लाल श्रीवास्तव—

मान्यवर, मेरे पास शासनादेश है। अब मंत्री जी को ही अपने विभाग के बारे में जानकारी नहीं है या तथ्य छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। यह शासनादेश 9 जुलाई का है जिसकी संख्या 2554/स्थ/1/102-1963, दिनाँक 9 जुलाई, 1979 के आदेश के अन्तर्गत 25 मई आदेश का हवाला दिया गया है जिसके अन्तर्गत श्री त्रिपाठी का स्थानान्तरण किया गया है। उसमें श्री टी0 एन0 सिन्हा को सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है जिसके तहत 19 जुलाई को श्री सिन्हा ने उत्तर प्रदेश सूखा सहायता समिति का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसकी सूचना शासन को आ गयी है ?

श्री उपाध्यक्ष—

पत्र के अनुसार मंत्री जी स्थिति स्पष्ट कर दें ।

श्री जमुना प्रसाद—

मैंने यह कहा कि श्री त्रिपाठी को 25–5–79 को उत्तर प्रदेश सूखा सहायता समिति से स्थानान्तरण कर दिया गया था और जिनका स्थानान्तरण बख्शी तालाब, लखनऊ में हुआ। हमने जब यह पूछा कि उनको बख्शी का तालाब क्यों नहीं जाने दिया गया तो उत्तर आया कि जो सूखा सहायता समिति है, उसने उनको रिलीव नहीं किया।

[× × ×]

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, आपने दे दिया उनको। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह जो त्रिपाठी जी है इनका स्थानान्तरण बख्शी का तालाब विकास खंड कर दिया और सूखा सहायता समिति ने उनको रिलीव नहीं किया । मैं माननीय मंत्री जी स यह जानना चाहूंगा कि सूखा समिति ने जो इनको रिलीव नहीं किया, तो क्या सरकार उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, वहाँ पर दो सूखा सहायता समितियाँ चल रही हैं। एक समिति ने उनको रिलीव कर दिया और दूसरी ने रिलीव नहीं किया।

(श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि क्या सरकार समिति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह पूछ रहे हैं कि कोई कार्यवाही न करने के कारण, क्या आप समिति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की सोच रहे हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, मैंने बताया कि दो समितियाँ वहां पर चल रही हैं एक ने रिलीव कर दिया और दूसरी ने नहीं किया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, सरकार ने आदेश कर दिया उनके ट्रांसफर के। माननीय पदमाकर लाल जी ने दो पत्रों का हवाला दिया है। आदेश को उन्होंने पढ़ दिया। मंत्री जी कह रहे हैं कि दो सूखा समितियाँ चल रही हैं एक ने रिलीव कर दिया और दूसरी ने नहीं किया। सूखा सहायता समिति में भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं। तो जिन लोगों ने श्रीमन्, मंत्री जी को गुमराह किया है, जैसी कि जानकारी पदमाकर लाल जी ने पत्रों के हवाले से दी है, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि जो सूचना वाँछित थी, वह इसमें नहीं है जैसी कि माननीय सदस्य के पास है, तो निश्चित कार्यवाही की जायेगी।

सहारनपुर जिले के बी० डी० ओ० तथा ए० डी० ओ० पंचायत का कार्यकाल

*3—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला सहारनपुर में कितने बी० डी० ओ० तथा ए० डी० ओ० पंचायत ऐसे हैं जो अपने निर्धारित समय से अधिक समय से सहारनपुर में नियुक्त चले आ रहे हैं ? उनके स्थानान्तरण जिले तथा मण्डल से बाहर न करने का क्या कारण है ?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्रित की जा रही है। सूचना समय पर न भेजने पर निदेशक, पंचायतराज से स्पष्टीकरण माँगा जा रहा है।

हाथरस से बस्ती जिले को भेजी गयी खाद एवं ढुलाई के बिल का भुगतान

*4—श्री गोविन्द चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह नवम्बर, 1978 में हाथरस से बस्ती जनपद को खाद का कल कितना स्टाक प्राप्त हुआ तथा कितनी खाद नौगढ़, तहसील को आवंटित की गयी ? क्या यह सही है कि नौगढ़ तहसील को आवंटित खाद सबसे कम दूरी के मार्ग बस्ती-बांसी-नौगढ़ से न भेजकर 100 मील से भी अधिक दूरी के मार्ग बस्ती-गोरखपुर-नौगढ़ द्वारा भेजना दिखाकर 32,000 रु० का घोटाला किया गया है ? जब कि टोल टैक्स की रसीद कम दूरी के मार्ग बस्ती-बांसी-नौगढ़ की है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त घोटाले से सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)--

माह नवम्बर, 1978 में हाथरस से बस्ती जनपद को 709-500-000 मै0 टन खाद यूरिया प्राप्त हुई तथा 190 मै0 टन नौगढ़ तहसील को आवंटित की गयी। यूरिया सबसे कम दूरी के मार्ग बस्ती-बाँसी-नौगढ़ से भेजी गई, लेकिन ठेकेदार ने अधिक दूरी दिखा कर बिल कार्यालय में प्रस्तुत किया जिसके कारण 3059.23 रु0 का अधिक भुगतान हो गया। बिल में मार्ग का कोई विवरण नहीं था। ठेकेदार ने टोल टेक्स की रसीदें बस्ती-बाँसी-नौगढ़ मार्ग की प्रस्तुत की। विभागद्वारा निर्धारित नियम के अनुसार स्टाक भेजने वाले कर्मचारी द्वारा बिल के सत्यापन, बजट लिपिक तथा जिलांकिक की चैकिंग एवं अतिरिक्त जिला कृषिअधिकारी के भुगतान हेतु अग्रसारण के पश्चात् बिल का भुगतान किया गया। अधिक दूरी दिखाये जाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान की जानकारी होने पर 3059.23 रु0 ठेकेदार से वसूल करके 12 जनवरी, 1979 को स्टेट बैंक, बस्ती में जमा कर दिये गये।

जाँच की जा रही है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने इस भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का स्पष्ट प्रयास किया है कि यह बात उन्होंने अपने उत्तर में कह दी कि 3059.23 रुपए का अधिक भुगतान हो गया। स्टाक भेजने वाले कर्मचारी द्वारा बिल के सत्यापन, बजट लिपिक तथा जिलांकिक की चेकिंग एवं अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी के भुगतान हेतु अग्रसारण के पश्चात् बिल का भुगतान किया गया। यह भी नहीं है कि परियोजना अधिकारी, ड्राइंग आफिसर के अग्रसारण के बाद भुगतान किया गया। जब यह स्पष्ट हो गया कि ड्राइंग आफिसर के अग्रसारण के बाद भुगतान किया गया, तो माननीय मन्त्री जी ने दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्यों कार्यवाही नहीं की। क्या माननीय मन्त्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि दोषी अधिकारी के खिलाफ जिनके कारण यह अधिक भुगतान हुआ, कार्यवाही करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, जिन कर्मचारियों से यह सम्बन्धित है इनमें श्री राम नरेश पाण्डेय मुअत्तल चल रहे हैं। शेष जो दो-तीन अधिकारी हैं, उनको चेतावनी दी गयी है। इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन कर दूं कि सतर्कता विभाग की जाँच चल रही है और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायगा, उसको दंडित किया जायेगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 3059 रु0 स्टेट बैंक में 12 जनवरी, 1979 को जमा किया गया, उस रुपए का जब आपस में बंटवारा नहीं हुआ, इसलिए वह रुपया जमा करवाया गया और दूसरे यह कि चूंकि प्रायोजना अधिकारी, बलिया में रह चुके हैं, इसलिए मन्त्री जी की सिफारिश पर उनको मुअत्तल नहीं किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न के दूसरे भाग की इजाजत नहीं देता। पहले भाग का उत्तर मन्त्री जी दे दें।

श्री शिव मंगल सिंह--

जैसे ही सूचना प्राप्त हुई रुपया जमा करवा दिया गया। बंटवारे की जहाँ तक बात है, वह मुझे नहीं मालूम।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मन्त्री जी ने कहा कि जाँच करवा रहे हैं, तो यह चले जायेंगे और जाँच चलती रहेगी। मैं जानना चाहता हूं कि उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इस प्रकार की इजाजत नहीं देता।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

माननीय मन्त्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि यह अधिकारी भ्रष्ट है। इसने बलिया में गबन किया। जब बनारस में था तब भी इनके खिलाफ इंक्वायरी हुई। यह आरोप सिद्ध हो गया कि ज्यादा भुगतान किया गया। मन्त्री जी ने विजिलेंस इन्क्वायरी की बात कही, तो यह दूसरे कई आरोपों में चल रही है। 25-30 विधायकों ने आरोप दिए हैं, उन पर सतर्कता विभाग को जाँच चल रही है। भुगतान ज्यादा किया गया, तो मात्र वापस करा देने से उसका समाधान नहीं होता। क्या मन्त्री जी इस भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल सस्पेंड करने का आश्वासन देंगे। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा है कि बिल में मार्ग का कोई विवरण नहीं था। ठेकेदार ने बस्ती बाँसी नौगढ़ मार्ग की टोल टैक्स की रसीद प्रस्तुत की। दूसरी तरफ कहते हैं कि मार्ग का कोई विवरण नहीं था। इनका सारा उत्तर भ्रामक है। क्या मन्त्री स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो वह पहले ही बतला चुके।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

जब आरोप सिद्ध हो गया, तो कार्यवाही करने के बारे में मन्त्री जी क्या आश्वासन दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

जाँच चल रही है। अभी यह अपने आप से तो कार्यवाही कर नहीं सकते।

श्री रामदत्त जोशी--

जिस व्यक्ति ने गलत बिल बना कर अधिक भुगतान ले लिया, तो उससे रुपया वापस कराने के अलावा क्या उसके विरुद्ध जान्ता फौजदारी का मुकदमा कायम कराने का प्रयास किया गया ?

श्री शिव मंगल सिंह--

इस मामले में कई व्यक्ति सम्बन्धित हैं, इसलिए यह जाँच सतर्कता विभाग को दी गई है, कौन से आरोप सिद्ध होते हैं और जब आरोप सिद्ध हो जायेंगे, तो उनके अनुसार कार्यवाही आगे की जायगी।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

जो बिल प्रस्तुत हुआ है बाँसी, नौगढ़ बस्ती का वह क्या प्रमाणिक मार्ग का न दे कर अधिक दूरी का दिया गया है।

श्री शिव मंगल सिंह--

बस्ती-बाँसी-नौगढ़ यह सबसे छोटा रास्ता है 79 किलोमीटर का और दूसरा रास्ता बस्ती-नौगढ़-गोरखपुर हो कर जाता है वह रास्ता 153 किलोमीटर का होता है, तो टोल टैक्स दिखा कर लम्बी दूरी वाला रास्ता दिखाया गया और उसी का भुगतान कराया गया। यह चीज बाद में पकड़ में आई, तो उसकी जाँच हुई तो पैसा वापस करा कर स्टेट बैंक में जमा करा दिया गया। इससे सम्बन्धित जो जो कर्मचारी थे और उनके ऊपर क्या आरोप आयद होते हैं, इस सम्बन्ध में जब सतर्कता विभाग से जाँच रिपोर्ट आ जायगी तो कार्यवाही की जायगी।

(प्रश्न संख्या 6 पुकारे जाने पर।)

श्री सुखपाल पाण्डेय--

[× × × × ×]

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--
मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।
श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--
[× × ×]
श्री उपाध्यक्ष--
मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता। यह सब नहीं लिखा जायगा ।

बस्ती जिले की त्वरित योजना सम्बन्धी जांच रिपोर्ट

*5--श्री बच्चा पाठक (अनुपस्थित)--
क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि त्वरित योजना के अन्तर्गत जनपद बस्ती में जाँच रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितता के आधार पर शासनादेश संख्या गोपनीय 7290/38-5-2037-71, दिनाँक 6 अक्तूबर, 1975 के निर्णय के अनुसार 4,33,835.71 रु0 की शासकीय धन की क्षति हुई है ? यदि हाँ, तो आज तक उससे सम्बन्धित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद--
जी हाँ ।
दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

बस्ती जिले के कृषि फार्मों के अन्न भण्डारण का निर्माण एवं स्वीकृत धनराशि

*6--श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--
क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले के तीन रा0 कृषि फार्मों पर अन्न-भण्डारण के निर्माण हेतु वर्ष 1978-79 के लिए एक लाख इकतीस हजार रुपए स्वीकार किए गए, जो 31 मार्च, 1979 को बिना अन्न भण्डारों के निर्माण कराए ही उपरोक्त एक लाख इकतीस हजार धनराशि ठेकेदारों के नाम बैंक के खाते में स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो किन कारणों से ? क्या सरकार इस घोटाले से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध जाँच कराकर अविलम्ब कार्यवाही करेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह--
बस्ती जिले के तीन राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर ग्रेन गोडाउन्स के निर्माण हेतु वर्ष 1978-79 में 1,30,050 रु0 की धनराशि आवंटित की गयी थी परन्तु निर्माण कार्य 31 मार्च, 1979 तक पूर्ण नहीं किया जा सका। परियोजना अधिकारी, बस्ती ने उपरोक्त धनराशि 31 मार्च, 1979 को आहरित करके स्वीकृत ठेकेदारों के नाम पासबुकों में जमा कर दी। पासबुक परियोजना अधिकारी, बस्ती के नाम प्लेज्ड हैं। ठेकेदार अपने आप उक्त धन नहीं निकाल सकते हैं। सम्बन्धित अधिकारी के कार्यकाल का सम्प्रेक्षण कराया जा चुका है और जाँच कराई जा रही है ।

श्री ओम प्रकाश--
क्या सतर्कता विभाग ने शासन को इस सम्बन्ध में यह लिखा है कि इनको तत्काल हटा कर जाँच की जाय ? यदि हाँ, तो उनका ट्रान्सफर क्यों नहीं किया गया ?

श्री शिव मंगल सिंह--
ऐसी कोई जानकारी शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री ओम प्रकाश—

माननीय मन्त्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। अभी तक कोई बुनियाद तक नहीं खोदी गयी है। सतर्कता विभाग से जाँच करा कर उस अधिकारी को तुरन्त वहाँ से हटा दें। वहाँ पर अधिकारियों की मिली-भगत है.....

श्री उपाध्यक्ष—

आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मैं माननीय कृषि मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस एक लाख इकतीस हजार रुपए का सदुपयोग नहीं हो रहा है और जैसाकि प्रश्नकर्ता ने कहा है कि अभी इन भंडारों के निर्माण हेतु एक ईंट भी नहीं लगी है और डिप्टी डाइरेक्टर ने ठेकेदारों की जमानत जब्त करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। ऐसी स्थिति में सतर्कता विभाग ने भी लिखा कि उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी तो क्या कृषि मन्त्री पूरे घपलेबाजी की जाँच करने के लिए सदन के दो-तीन सदस्यों की एक प्रवर समिति बनाकर तत्काल सम्बन्धित अधिकारियों और ठेकेदारों को निलम्बित करने की कृपा करेंगे ?.....

(व्यवधान)

मैं समझता हूं अब मन्त्री जी को स्पष्ट हो गया होगा ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, उनमें 1,30,050 रुपए की धनराशि आवंटित की गयी थी। जब प्रस्तुत निर्माण कार्य 31 मार्च, 1979 तक पूरा नहीं किया जा सका, तो परियोजना अधिकारी ने इस धनराशि को आहरित करके ठेकेदारों के नाम पासबुकों में जमा कर दिया। पास-बुक परियोजना अधिकारी, बस्ती के नाम प्लेज्ड हैं। इसके अतिरिक्त दो ठेकेदारों श्री राम निरीक्षण सिंह तथा श्री सत्य नारायण सिंह चौधरी के तथ्य प्रकाश में आए। श्री राम निरीक्षण सिंह द्वारा रसालतपुर और खरेला प्रक्षत्रों पर कार्य आरम्भ न किए जाने के फल-स्वरूप श्री सिंह को दिया गया ठेका परियोजनाधिकारी ने निरस्त कर दिया और उनकी जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली गयी और परियोजना अधिकारी द्वारा द्वारा ठेके भी श्री सत्य नारायण चौधरी को दे दिए गये। इसलिए यह कहना कि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, गलत है। इसके अतिरिक्त बस्ती जनपद वान गंगा प्रक्षेत्र में जुड़ाई कार्य हो गया है। बरामदे और एक कमरे का लिंटर पड़ गया है तथा प्लास्टर हो गया है। दो कमरे पर लिंटर पड़ना बाकी है। कुल 29,688.06 रु0 हो गया है।

दूसरा खरैला में प्लिंथ तक जुड़ाई हो गयी है इसमें 6143 रु0 खर्च हो गया है।

तीसरा गोदाम सिसाल्पुर में है जिसकी नींव भराई हो गयी है एवं 5 रद्दे तक जुड़ाई हो गयी है वहाँ करीब 20 हजार ईंटें, तथा ईंटे की गिट्टी, चूना 30 क्विंटल, सुरखी, एक ट्रक सामान ठेकेदार का पड़ा हुआ है। इस पर 5342.27 रु0 खर्च हो गया है। इन तीनों गोदामों में 41,173 रु0 खर्च हो गया है। इन तीनों में काम हो रहा है। जहाँ तक राकेश जी ने प्रश्न किया तो सतर्कता विभाग में ऐसी कोई सूचना नहीं आई है और न मुझे मिली है यदि माननीय सदस्य लिख कर देंगे और आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं जाँच करा लूंगा।

श्री देव बहादुर सिंह—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 1 लाख 31 हजार रु0 ठेकेदार के नाम पास-बुक में जमा कर दिया गया है और विभाग के किसी अधिकारी के नाम पास-बुक प्लेज कर दी गयी है ताकि ठेकेदार रुपया निकाल न सके।.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

कृपया बातें न करें, शान्ति रखें ।

श्री देव बहादुर सिंह---

काम अभी पूरा होना है। तो आज एक नई बात सुनने को मिली है कि ठेकेदार के नाम रुपया पास-बुक में जमा करा दिया गया है आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो कार्यवाही की गयी क्या यह नियमानुसार है? यदि नियमानुसार है, तो यह नियम कब बना? यदि नहीं, तो जिस अधिकारी ने यह कार्यवाही की उसके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह---

मान्यवर, यह जो धन आवंटित हुआ है उसमें 31 मार्च, 79 तक कार्य पूरा हो जाना था, जो नहीं हुआ इसलिए वह पैसा लैप्स न हो ठेकेदार के नाम जमा कर परियोजना अधिकारी के नाम प्लेज करा दिया गया ताकि कार्य पूरा हो जाय, यह मंशा इसकी है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। (श्री गुलाब सेहरा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाण्डेय---

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने इजाजत नहीं दी.....

(व्यवधान)

यह लिखा नहीं जायगा आप कृपया बैठिए।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

[× × ×]

श्री गुलाब सेहरा---

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि सरकारी निर्माण जो होता है, उसमें टेंडर इनवाइट होते हैं और उसके बाद समय के भीतर काम्प्लीट होने की डेट फिक्स होती है अगर समय के अन्दर ठेकेदार कार्य पूरा नहीं करता है, तो उसकी कांशन मनी जब्त कर ली जाती है। तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि डिप्टी डायरेक्टर ने क्या काम कम्प्लीट न होने पर उनकी काशन मनी जब्त की और जब्त करने के बाद किस नियम के अनुसार यह अभूतपूर्व कार्य किया और निर्माण का रुपया उनके खाते में जमा कर दिया? क्या ऐसा कोई ट्रेडीशन रहा है, अथवा है, जरा मन्त्री जी बता दें ?

श्री शिवमंगल सिंह---

यह जिस समय के लिए था, उस समय पूरा नहीं हुआ। जो ठेकेदार था, पैसा लैप्स न हो, इसलिए उसे जमा कर दिया गया। जिस ठेकेदार ने काम करना शुरू नहीं किया था, उसकी जमानत जब्त कर ली गयी और कार्य दूसरे को दे दिया गया।

श्री गुलाब सेहरा---

किस नियम के अधीन निर्माण कार्य पूरा हुए बिना पैसा उसका उसके नाम कर दिया गया है। किस फाइनेंशियल हैन्ड-बुक के किस नियम के आधार पर पूरा रुपया निर्माण का उस सम्बन्धित ठेकेदार के खाते में जमा कर दिया गया है ।

नोट---[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

मन्त्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि रुपया लैप्स न हो, 31 मार्च को वर्ष समाप्त हो जाता है, इसलिए यह डाल दिया गया।

श्री गुलाब सेहरा--

यह कोई नियम नहीं है कि निर्माण पूरा न हो और इस तरह कर लिया जाय, ऐसा कभी नहीं होता है .....

श्री उपाध्यक्ष --

इस प्रश्न को मैं स्थगित करता हूं और मैं चाहूंगा कि कृपया मन्त्री जी इस पत्रावली को किसी समय मेरे पास लाकर दिखाएं ।

(व्यवधान)

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी .....

श्री ऊदल--

पूरा जमा नहीं हो सकता. . . .

(व्यवधान)

श्री शिव मंगल सिंह--

इसमें कोई भ्रम की बात नहीं है, मैंने पहले यही अनुरोध किया 31 मार्च, 1979 को इसका आवंटन किया गया था, काम समाप्त करने के लिए। फाइनेंशियल हैण्ड-बुक के अनुसार इर्रेगुलेरिटी हो सकती है, लेकिन ऐसा जन हित में किया गया है ।

श्री गुलाब सेहरा--

आपने तो एक बार स्थगित कर दिया, फिर यह क्यों हो रहा है ?

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

इसे आपने स्थगित कर दिया था, अब यह आगे तैयार होकर आवें ।

श्री उपाध्यक्ष--

(मन्त्री जी से) जो कुछ भी आपके पास इस सिलसिले में आँकड़े या जानकारी उपलब्ध हो कृपया आप सब मुझे दिखा दें. . . .

(व्यवधान)

मैं अब इसे स्थगिन कर चुका हूं ।

कोटा, जिला मिर्जापुर के ट्रकों के परमिट की चेकिंग

*7--श्री मोती राम (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कोटा (शक्तिनगर), जिला मिर्जापुर में लगभग 1,200 ट्रक बिना परमिट के और अधिकतर सरेण्डर की हुई चल रही हैं ? क्या उनके परमिट जारी किए गए ? यदि नहीं, तो शासन उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

परिवहन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

यह सही नहीं है कि कोटा (शक्तिनगर) में 1200 ट्रकें बिना परमिट अथवा सरेन्डर की स्थिति में चल रही हैं। 3 अप्रैल, 1978 से 24 मार्च, 1979 की अवधि में चेकिंग के दौरान कुल 1,988 गाड़ियाँ चेक की गयीं और 164 ट्रकों के बिना परमिट चलने के अभियोग में चालान किया गया। इनमें से तीन ट्रकों के कागजात सरेण्डर थे। सम्बन्धित चालकों-मालिकों के विरुद्ध अभियोग चलाए गए हैं।

जिला परिषद के अस्पतालों में रोगी पंजीकरण शुल्क

*8--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को यह जानकारी है कि जिला परिषद् द्वारा संचालित अस्पतालों में अभी भी रोगी पंजीकरण शुल्क के रूप में प्रति रोगी पचास पैसे वसूल किए जाते हैं। जबकि जनता पार्टी ने रोगियों को ऐसे शुल्क से पूर्णतया मुक्त कर दिया है ? यदि हाँ, तो इस दोहरी नीति को समाप्त करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री जमना प्रसाद--

जिला परिषद् के अस्पतालों में रोगी पंजीकरण शुल्क लेने या . लेने के अधिकार स्वयं जिला परिषदों को ही हैं । जिला परिषदों को अस्पतालों के चलाने हेतु कोई सहायता नहीं दी जा रही है अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं प्रतीत होता।

महुआडीह-हाटा मार्ग, जिला देवरिया के राष्ट्रीयकरण की मांग

*9--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में महुआडीह-हाटा मार्ग को राष्ट्रीयकृत घोषित करने हेतु जनपद के समस्त विधायकों का ज्ञापन अगस्त, 1978 में परिवहन मन्त्री को मिला था ? यदि हाँ, तो अभी तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

देवरिया जनपद के महुआडीह-हाटा मार्ग के राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक माननीय सदस्य, विधान सभा का दिनाँक 4 अगस्त, 1978 का पत्र प्राप्त हुआ था। मामले की छानबीन की जा रही है और प्रश्नगत मार्ग के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

राज्य सड़क एवं परिवहन निगम, लखनऊ में सीनियर फोरमैन पद हेतु ली गयी परीक्षा

*10--श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर)--

क्या परिवहन मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सीनियर फोरमैन पद के लिए 6 अक्तूबर, 1978 को कोई परीक्षा, लखनऊ में हुई थी जिसका रिजल्ट दिनाँक 6 फरवरी, 1979 को घोषित किया गया था ? यदि हाँ, तो उक्त लोगों की नियुक्ति न करके एडहाक नियुक्ति के लोगों को अब भी चलाया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हाँ। सीनियर फोरमैन ग्रेड-2 के पद के लिए परीक्षा दिनाँक 6 अक्तूबर, 1978 को हुई थी, जिसका परिणाम दिनांक 6 फरवरी, 1979 को नहीं अपितु दिनाँक 6 दिसम्बर, 1978 को ही घोषित कर दिया गया था। 12 पद बाहरी कोटे के लिए थे। उनके विरुद्ध उपयुक्त पाए गये सभी 12 व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। चूंकि बाहरी कोटे के कोई पद नियुक्ति हेतु शेष नहीं रहे इसलिए उन पर तदर्थ नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

पल्टन बाजार, जिला प्रतापगढ़ स्थित डी० सी० डी0एफ० की भूमि का विक्रय

*11--श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 12 मार्च, 1979 को प्रतापगढ़ जनपद में मोहल्ला भटरन बाजार में स्थित डी0सी0डी0एफ0 की भूमि 9,000 रु0 में

नोट--नियम 38(2) के अन्तर्गत ताराँकित प्रश्न संख्या 8 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बेच दी गयी जब कि उस भूमि की कीमत वर्तमान समय में 25,000 रु0 की है ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस भूमि की बिक्री के लिये कौन अधिकारी दोषी हैं और उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेंगे ?

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

प्राप्त सूचना के आधार पर प्रतापगढ़ शहर के पल्टन बाजार मुहल्ला में स्थित डी0 सी0 डी0 एफ0 की भूमि 12 अप्रैल, 1979 दस हजार पाँच सौ रुपए में बेची गयी। निकटवर्ती भूमि के बैनामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उक्त भूमि का मूल्य 25,000 रु0 था। उपरोक्त परिस्थिति में किसी कानूनी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जिला सहकारी बैंक, सीतापुर द्वारा महमूदाबाद विकास खण्ड के अन्तर्गत ऋण का वितरण

*12--श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में आई0 आई0 आर0 डी0 (एकीकृत विकास योजना) के अन्तर्गत आने वाले किसानों को तहसील महमूदाबाद में सहकारी बैंक द्वारा ऋण तथा सहायता न देने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

बैंक की शाखा महमूदाबाद को 14.43 लाख रु0 की मध्यकालीन ऋण सीमा 11 सहकारी समितियों हेतु जिला सहकारी बैंक लि0, सीतापुर द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इनमें से कुछ समितियों के ऋण प्रार्थना-पत्रों में कमियाँ थीं जिन्हें निराकरण हेतु समितियों को वापस किया गया है। कमियों के निराकरण के पश्चात इन प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जायगा। मध्यकालीन ऋण वितरण कार्य प्रगति पर है तथा माह अगस्त, 1979 तक 57,500 रु0 का मध्यकालीन ऋण वितरित किया जा चुका है।

हरिजनों के लिये कूप निर्माण हेतु दिया जाने वाला अनुदान

*13---श्री रियासत हुसैन--

क्या यह सही है कि हरिजनों के लिए पीने के पानी के कुएं जब हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाए जाते थे तो उन पर एक हजार रुपया प्रति कुआँ अनुदान मिलता था और यह सामुदायिक विकास विभाग द्वारा बनाए जाने लगे तो उन पर 3,000 रुपए प्रति कुआँ अनुदान दिया जाता है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद---

सूचना एकत्र की जा रही है।

परिवहन विभाग के कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग

*14---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

सरकारी सेवाओं में तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 19-8-75 का 1-78, दिनाँक 18 अप्रैल, 1978 कार्मिक अनुभाग-1 के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बताएगी कि परिवहन विभाग में उक्त शासनादेश के अनुसार प्रदेश में तदर्थ नियुक्तियों के नियमित चयन का कार्य अन्तिम निर्धारित तिथि 30 जून, 1978 तक प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त शासनादेश को अविलम्ब लागू करने में क्या कठिनाई है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

जी हाँ, परिवहन विभाग के अधीन दिनाँक 1 जनवरी, 1977 तथा उसके बाद की गयी तदर्थ नियुक्तियों को विनियमित किए जाने की कार्यवाही 30 जून, 1978 तक प्रारम्भ कर दी गयी थी।

विकास खंड नन्दगांव, जिला मथुरा के अन्तर्गत काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

*15—श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड नन्दगाँव, जनपद मथुरा के ग्राम कामर से सिरथला व कामर से गढ़ी बरबारी व बरसाने से राकौली व नन्दगाँव से गिरडोय व कोटवन से लालपुर व जावा से खायरा व छाता से पैगाव व शाहपुर से ऐंच व परखम से सेई व सेंमरी से बरौली व जानू से महरौली आदि काम के बदले अनाज द्वारा सड़कों का निर्माण हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि इस अनाज को अधिकारी बेंच कर खा गए हैं ? क्या मन्त्री जी इसकी सी0आई0 डी0 द्वारा जाँच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिला अधिकारी जी को चोरी से गल्ला बेचने के शिकायती प्रार्थना-पत्र सन् 1978 सितम्बर व दिसम्बर में मिले हैं, यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्य-वाही की गयी ?

*श्री जमुना प्रसाद—

प्रश्नगत सम्पर्क मार्गों में से शाहपुर से ऐंच तथा सेमरी से बरौली सम्पर्क मार्गों को छोड़कर शेष मार्गों पर निर्माण कार्य हुआ है। शाहपुर से ऐंच मार्ग का सर्वेक्षण अपूर्ण होने तथा सेमरी से बरौली मार्ग को जिला समिति द्वारा स्वीकृत न किए जाने के कारण इन मार्गों पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शिकायती-पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मार्ग के विषय में था। इस विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी ने शिकायतकर्ता को शिकायत प्रमाणित करने तथा उससे पूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु बुलाया था परन्तु शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ। प्रमाणों के अभाव में कथित शिकायत पर अग्रिम कार्यवाही करना सम्भव नहीं था।

सुल्तानपुर व फैजाबाद मण्डलों में परिचालकों की नियुक्ति

*16—श्री तेजभान सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1977 में परिचालक वर्ग के लिए चुनाव के फलस्वरूप लगभग 1,000 उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची का निर्माण हुआ था ? यदि हाँ, तो उक्त सूची के अलावा बाहर से भी प्रदेश के सुल्तानपुर, फैजाबाद रीजनों में 30 अप्रैल, सन् 1979 तक कुछ परिचालकों की नियुक्तियाँ की गयीं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

लखनऊ क्षेत्र में परिचालक के पद हेतु दिसम्बर, 1976 में लिखित परीक्षा हुई तथा सितम्बर–अक्तूबर, 1977 में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ जिसके फलस्वरूप 1093 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची फरवरी, 1978 में प्रकाशित की गयी। फैजाबाद क्षेत्र का सृजन जुलाई, 1978 में हुआ। अतः उपर्युक्त प्रतीक्षा सूची से 150 अभ्यर्थियों के नाम क्षेत्रीय प्रबन्धक, फैजाबाद को उनकी नियुक्ति हेतु भेजे गए। इसी प्रकार गोरखपुर क्षेत्र की प्रतीक्षा सूची से भी 66 अभ्यर्थियों के नाम फैजाबाद क्षेत्र को नियुक्ति हेतु भेजे गए। इन्हीं सूचियों में से फैजाबाद क्षेत्र में 30 अप्रैल, 1979 तक परिचालकों की नियुक्ति की गयी।

इनके अतिरिक्त किसी बाहर के अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की गयी।

पंचायतीराज से संबंधित अशोक मेहता समिति की संस्तुतियां

*17—श्री राम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अशोक मेहता समिति की उन संस्तुतियों जिनसे उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के अन्तर्गत कार्य करने वाली संस्थाओं के बुनियादी ढांचे को बदलना पड़गा, को आगामी पंचायतों के चुनाव से पहिले स्वीकार एवं तदनुरूप सम्बन्धित विधेयकों में संशोधन करने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो वह मुख्य-मुख्य संस्तुतियाँ क्या हैं, ।

श्री जमुना प्रसाद—

अशोक मेहता समिति की संस्तुतियों पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। उक्त समिति की मुख्य-मुख्य संस्तुतियों के लिए माननीय सदस्य, विधान सभा पुस्तकालय में रखी उक्त समिति की रिपोर्ट देखने की कृपा करें।

तहसील देवबन्द, जिला सहारनपुर के कतिपय ग्रामों को ग्राम सभा बनाये जाने की मांग

*18—श्री राम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील देवबन्द, जिला सहारनपुर में कितने ग्राम ऐसे हैं जिन्होंने नियमानुसार ग्राम सभाएं घोषित किये जा सकने की सभी शर्तें पूरी कर ली हैं ? क्या सरकार उनको ग्राम सभाएं घोषित करने की कार्यवाही चुनाव से पूर्व पूरी कर लेगी ? क्या सरकार आवेदन करने वाले ग्रामों की सूची भी बताने की कृपा करेगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत तहसील देवबन्द, जिला सहारनपुर में स्थित प्रत्येक गाँव की कोई न कोई गाँव सभा है। शासन को जौनपुर, रतनखड़ी, नूरपुर, रामपुरी, तथा नाफेपुर नामक पाँच गाँवों को पृथक ग्राम सभाएं बनाए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से ग्राम नाफेपुर के सम्बन्ध में जाँच चल रही है और ग्राम रामपुरी को गाँव सभा घोषित किए जाने के उपयुक्त नहीं पाया गया। रतनखेड़ी, जैनपुर तथा नूरपुर नामक शेष तीन गाँवों को, जिन्हें पृथक गाँव सभायें स्थापना के उपयुक्त पाया गया है, ग्राम सभाओं के आगामी सामान्य चुनावों से पूर्व पृथक ग्राम सभायें घोषित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

उत्तरकाशी जिले में अन्त्योदय परिवारों को दिया गया ऋण एवं अनुदान

*19—श्री बरफिया लाल जुवाँठा (जिला उत्तरकाशी)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उत्तरकाशी में अब तक कितने अन्त्योदय परिवारों को अन्त्योदय योजनान्तर्गत राहत दी गयी ? क्या यह सही है कि अन्त्योदय परिवारों को दिया जान वाला ऋण तथा अनुदान से सरकारी उपयोग हेतु जमीन तथा अन्य वस्तुएं खरीदी गयीं ? क्या यह भी सही है कि जिला परिषद् के बजट को अन्त्योदय परिवारों में बाँटा गया और जिला परिषद् से प्राप्त होने वाले ऋण से जनता को वंचित रखा गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या इस ओर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री जमुना प्रसाद—

31 जुलाई, 1979 तक 556 अन्त्योदय परिवारों को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत राहत दी गयी ह।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी बैंक, निचलौल, जिला गोरखपुर में गबन

*20—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक, गोरखपुर की निचलौल शाखा में गत वर्ष 1 लाख 92 हजार रुपए के गबन की कोई घटना सामने आई है? यदि हाँ, तो गबन के लिए दोषी कौन है और जानबूझकर दोषी व्यक्ति की नियुक्ति की जिम्मेदारी किस पर है? तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उपलब्ध सूचना के अनुसार जिला सहकारी बैंक लि0, गोरखपुर की शाखा निचलौल में 1 लाख 92 हजार रुपया की नहीं बल्कि कुल 81 हजार चार सौ पचपन रुपया 28 पैसे के गबन, दुरुपयोग, फर्जी ऋण वितरण और ओवर ड्राफ्ट के मामले प्रकाश में आये हैं।

इस मामले में सर्वश्री हीरा लाल गुप्त, तत्कालीन खजाँची/प्रभारी शाखा प्रबन्धक, श्री अनवर अली सिद्दीकी, तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक, श्री चौथी प्रसाद. भू0पू0 सचिव, ठूठीवारी समिति तथा श्री रामानन्द, भू0पू0 सचिव, ठूठीवारी समिति दोषी पाये गये।

उपरोक्त व्यक्ति पहले से ही सेवा में कार्यरत थे। इनकी कोई नई नियुक्ति नहीं की गयी।

सभी दोषी व्यक्तियों को निलम्बित कर दिया गया है तथा इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं अधिभार की कार्यवाही की जा रही है। सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है।

वाराणसी परिवहन डिपो की बसों की नीलामी

*21—श्री राजकिशोर तिवारी—

क्या परिवहन मन्त्री को यह ज्ञात है कि वाराणसी डिपो द्वारा वित्तीय वर्ष 1979-80 या उससे कुछ माह पहले 3 (तीन) मरसरीज बसें नीलाम हुई हैं? यदि हाँ, तो तीनों बसें कितने रुपए में नीलाम हुयीं? नीलाम लेने वाले व्यक्ति का नाम और पता क्या है? क्या यह सही है कि बस बिना नीलाम का धन पाए नीलाम लेने वाले को दे दी गयी? यदि हाँ, तो एसा क्यों?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उन्नाव जिले के कुईघर मार्ग के निर्माण के विरुद्ध जांच

*22—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच), श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बाँदा), श्री मैनेजर सिंह, श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर), श्री ऊदल, श्री उदय नारायन सिंह, श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद), श्री सोहनवीर सिंह तोमर, श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा), श्री गुन्जेश्वर (जिला गोरखपुर), श्री बदन सिंह (जिला आगरा) तथा श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बाँदा)—

वर्ष 1979 के प्रथम सत्र के दिनाँक 26 मार्च, 1979 के प्रश्न संख्या 3, नत्थी 'ग' के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि खाद्य योजना के अन्तर्गत उन्नाव जिले के नवाबगंज ब्लाक में सड़कों आदि के निर्माण में घपले का प्रथम दृष्ट या मामले की पुष्टि होने पर बी0डी0ओ0 नवाबगंज को निलम्बित करने तथा जिला विकास अधिकारी को स्थानान्तरित करने के आदेश पारित किए थे? यदि हाँ, तो आदेशों का क्रियान्वयन न होने के क्या कारण हैं? क्या यह सही है कि सन्दर्भित मामले में लाखों रुपए के गोलमाल के आरोप में जिलाधिकारी, उन्नाव (श्री बी0 डी0 माहेश्वरी) के विरुद्ध तत्काल जाँच कार्यवाही के लिए ग्राम्य विकास मन्त्री, मुख्य मन्त्री को कोई पत्र लिखा था? तथा

मुख्य मन्त्री ने जिलाधिकारी के विरुद्ध तत्काल जाँच कार्यवाही शुरू करने के निर्देश भी दे दिए थे ? यदि हाँ, तो जाँच कार्यवाही का परिणाम क्या रहा ?

श्री जमुना प्रसाद—

खण्ड विकास अधिकारी नवाबगंज को निलम्बित कर दिया गया तथा जिला विकास अधिकारी श्री राधेमोहन अग्निहोत्री को स्थानान्तरित कर दिया गया है। जाँच होने पर खण्ड विकास अधिकारी को बहाल कर स्थानान्तरित कर दिया गया।

लाखों रुपए के गोलमाल के आरोप के बारे में मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया था। शासन ने जिलाधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी का स्पष्टीकरण सन्तोषजनक पाया गया।

*23—श्री जयराम—

[1ले मंगलवार में 38 (2) में ताराँकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मण्डी समिति, शोहरतगढ़, जिला बस्ती के अध्यक्ष की नियुक्ति

*24—श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति, शोहरतगढ़, जिला बस्ती के अध्यक्ष, मण्डी समिति, नौगढ़ क्षेत्र के निवासी हैं ? यदि हाँ, तो क्या यह नियमानुकूल है ? यदि हाँ, तो यह किस प्रकार उस पद पर हैं ? क्या उक्त मण्डी समिति का कोई सदस्य भी नौगढ़ मण्डी समिति क्षेत्र के निवासी थे, जिन्हें हटा दिया गया है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जनपद बस्ती की तदर्थ मण्डी समिति, शोहरतगढ़ के अध्यक्ष श्री जहीरुद्दीन, मण्डी क्षेत्र नौगढ़ के अन्तर्गत ग्राम परसपुर, पोस्ट उस्का बाजार के निवासी हैं। उनका नामाँकन नियमानुसार है। श्री राम लखन यादव, मण्डी समिति, शोहरतगढ़ के सदस्य थे, जिनके स्थान पर अधिसूचना संख्या 889/12-8-16/78 दिनाँक 21 फरवरी, 1979 द्वारा श्री वासदेव चौधरी ग्राम सिमरा, पोस्ट शोहरतगढ़ का नामाँकन किया गया।

*25—श्री श्यामदत्त पालीवाल तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[1ले मंगलवार में 38(2) के ताराँकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बरेली रीजन की प्राइवेट बसों की कम की गयी सीटें

*26—श्री हामिद रजा खाँ (जिला बरेली)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली रीजन में 1978 और 31 मार्च, 1979 तक प्राइवेट बसों में पैसेन्जर सीटें कम कराने में मालिकान के प्रार्थना पत्र स्वीकृत किए गए ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हाँ।

बड़उरा बाजार, वाराणसी में झरी की वसूली

*27—श्री ऊदल—

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाँव सभा देईपुर, ब्लाक सेवापुरी, जिला वाराणसी के अन्तर्गत लगने वाली (बड़उरा बाजार) बाजार से झरी वसूल करने के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिलाधीश (नगर) वाराणसी के तारीख 22 अगस्त, 1977 को हुए निर्णय के बावजूद गाँव सभा की झरी अन्य लोग जबरदस्ती वसूल कर रहे हैं ? क्या इसके खिलाफ ग्राम प्रधान देईपुर ने जिलाधीश, वाराणसी को दिनाँक 26 फरवरी, 1979 को प्रार्थना-पत्र दिया है कि गांव सभा को झरी वसूलने में शासन की ओर से मदद की जावे। इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी हाँ।

ऐसा कोई पत्र जिलाधिकारी, वाराणसी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

अयोध्या-फैजाबाद मार्ग पर बसों की बन्दी

*28--श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)---

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में माह अप्रैल, 1979 से नगर बस सेवा बन्द है? यदि हाँ, तो इन बसों को क्यों बन्द किया गया तथा इन बसों को चलाने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हाँ। अयोध्या-फैजाबाद सिटी मार्ग पर अराजक तत्वों/छात्रों द्वारा बिना टिकट चलने पर एवं बसें रोके जाने पर तथा परिचालकों/चालकों को मारने पीटने के कारण कर्मचारी अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। फलस्वरूप उक्त मार्ग पर अप्रैल, 1979 में मार्ग सेवा बन्द करनी पड़ी। परन्तु जिला प्रशासन एवं छात्र नेतागण तथा निगम कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों से आपसी बातचीत के पश्चात पुलिस सुरक्षा में बसें पुनः चला दी गयीं।

विकास खण्ड अधिकारी, श्री लक्ष्मी शंकर बाजपेयी, पतारा, जिला कानपुर का स्थानान्तरण

*29---श्री मौजी लाल कुरील (जिला कानपुर)---

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खण्ड विकास अधिकारी, पतारा, जनपद कानपुर (श्री लक्ष्मी शंकर बाजपेयी) का स्थानान्तरण 1978 में इलाहाबाद से दूसरे मण्डल में कर दिया गया था परन्तु फिर उसी स्थान पर रोके गये? यदि हाँ, तो क्या कारण है जबकि उन्हें कानपुर जिले में 5 वर्ष से अधिक व इस मण्डल में 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका था?

श्री जमुना प्रसाद--

स्थानान्तरण आदेश कर दिये गये हैं।

रायबरेली-जौनपुर-अमेठी-लम्मुवा मार्ग पर बस सेवा की मांग

*30--श्री हरिचरण यादव (जिला सुल्तानपुर)---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कष्ट करेंगे कि रायबरेली से जौनपुर वाया अमेठी-दुर्गापुर-लम्मुवा राजकीय बस चलती है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि यह मार्ग रायबरेली-जौनपुर का नजदीकी मार्ग है और माननीय परिवहन मन्त्री को इस सम्बन्ध में सन् 1978 तथा मार्च व मई, सन् 1979 ई० के बीच प्रश्नकर्ता द्वारा कई पत्र मिले? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी नहीं।

मार्ग अराष्ट्रीयकृत होने के कारण रोडवेज बस नहीं चलाई जा रही है।

इस विषय में कुछ पत्र प्राप्त हुए थे। बस सेवा रायबरेली---जौनपुर वाराणसी, सुल्तानपुर, अमेठी होते हुए चलाना, बस के अभाव में सम्भव नहीं हो सका।

रामगंज बाजार, तहसील अमेठी में बस रोकने के आदेश

*31--श्री हरिचरण यादव--

क्या परिवहन मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि रामगंज बाजार, तहसील अमेठी, जो इलाहाबाद-फैजाबाद मार्ग पर स्थित है, में सभी राजकीय बसें रुकती हैं?

यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि भू0पू0 परिवहन मन्त्री द्वारा सभी बसें रामगंज बाजार रोकने का आदेश दिया जा चुका है ? यदि हाँ, तो उसका अनुपालन न करने का क्या कारण है ? क्या शासन सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

रामगंज बाजार में मेल बसों के अतिरिक्त सभी बसें रूकती हैं। भूतपूर्व परिवहन मन्त्री जी द्वारा रामगंज बाजार पर मेल बसों को छोड़कर सभी बसों के रुकने के आदेश दिये जा चुके हैं जिसका अनुपालन किया जा रहा है। नियत सेवाओं के न रुकने की यदि कोई विशिष्ट शिकायत मिली तो अवश्य कार्यवाही की जायगी ।

सहकारी समिति, लोकहवा, जिला गोंडा के संचालक मण्डल का निरस्तीकरण

*32--श्री बिन्दू लाल (जिला गोण्डा))--

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा, विकास खण्ड पचपेड़वा में लोकहवा सहकारी समिति का संचालक मण्डल अभी हाल में भंग कर दिया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या जिला अधिकारी को बोर्ड के अध्यक्ष का कोई शिकायती-पत्र मिला है कि कुछ लोग उक्त समिति के रुपयों का दुरुपयोग कर रहे हैं यदि हाँ, तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ, जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पचपेड़वा की लोकहवा क्षेत्रीय सहकारी समिति का संचालक मण्डल उप निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0 प्र0 फैजाबाद के आदेश दिनाँक 21 मार्च, 1979 द्वारा भंग कर दिया गया था, क्योंकि समिति का संचालक मण्डल अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के विपरीत आचरण कर रहा था ।

जिलाधिकारी को बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार कोई शिकायती-पत्र नहीं दिया गया है ?

[दिनाँक 3 सितम्बर, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

*1--श्री मानपाल सिंह--

]3रे सोमवार के लिए स्थगित ।]

गिलौला बाजार, जिला बहराइच में पकड़ा गया नकली मैलाथियान डस्ट एवं सेलफास

*2--श्री मूल चन्द्र ठाकुरा (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या यह सही है कि कृषि रक्षा अधिकारी, बहराइच ने दिनाँक 23 जून, 1978 को गिलौला बाजार, जनपद बहराइच में छापा मार कर बिना लाइसेन्स नकली पैकिंग करके मैलाथियान डस्ट असली धुनमार पाउडर, ग्रेन मिक्स व टाक्सिन तथा सेलफास विक्रय एवं भण्डारण किए हुआ पकड़ा और अपने पत्रांक 682/ब 683, निरो0 कृ0/र0, दिनाँक 29-8-78 द्वारा रजिस्टर्ड सूचना दूकानदारों को देने के बाद अवैधानिक ढंग से मामले में गोलमाल करके धारा 29 (1 सी) व 29 (1 एफ) तथा 35(2) इन्सेक्टीसाइड्स ऐक्ट के अन्दर कार्यवाही नहीं की ? यदि हाँ, तो गोलमाल करने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध कौन-कौन कार्यवाही की गयी ? और अब तक निलम्बित अथवा स्थानान्तरित न करने का क्या कारण है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

कृषि रक्षा अधिकारी बहराइच ने दिनाँक 23 जून, 1978 को गिलौला बाजार बहराइच में दो दूकानों से मैलाथियान डस्ट व सेल्फास की कुछ सही पैकिंग तथा कुछ नकली पैकिंग जैसे असली धुनमार पाउडर ग्रेनमिक्स, टाक्सिन जो विक्रय के लिए थी अपने निरीक्षण के समय पकड़ा और उसे अपने कब्जे में ले लिया। पत्रांक 682 व 683 दिनाँक 29

अगस्त, 1978 द्वारा दूकानदारों से कुछ सूचनायें माँगी गयी थीं। इनमें से एक दूकानदार के पास कीटनाशक बेचने का लाइसेन्स था किन्तु दूसरे के पास नहीं। जाँच के बाद एक विक्रेता का लाइसेन्स निलम्बित कर दिया गया एवं दूसरे विक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम की धारा 29/1(सी) एवं धारा 29/1(एक) के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है। धारा 35/2 कीटनाशी अधिनियम में नहीं है, केवल धारा 35 है।

ग्राम सभा जेठाई, जिला अल्मोड़ा के प्रधान के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*3—श्री अठईराम (जिला इलाहाबाद)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा, ब्लाक बागेश्वर के ग्राम सभा जेठाई के प्रधान के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों से सम्बन्धित दिनाँक 14 अप्रैल, 1977 को कोई अभ्यावेदन सचिव ग्राम्य पंचायत को प्राप्त हुआ था? यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो उक्त मामले में विलम्ब का क्या कारण है?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है।

भूमि विकास बैंक, बबेरू जिला बांदा का श्री देविया के नाम फर्जी ऋण

*4—श्री जगन्नाथ सिंह परमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देविया पुत्र पराग, निवासी ग्राम पो0 बाधा, जिला बाँदा का कोई प्रार्थना-पत्र प्रार्थी के नाम से फर्जी ऋण भूमि विकास बैंक, बबेरू से उठाए जाने के सम्बन्ध में मई, 1979 के अन्तिम सप्ताह में मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ? यदि हाँ, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही भूमि विकास बैंक बबेरु, जिला बाँदा को फर्जी ऋण के वितरण का पता लग गया था, जिसस दोषी व्यक्ति से दिनाँक 6 अप्रैल, 1979 को समस्त दिये गये ऋण को, ब्याज सहित बैंक के शाखा कार्यालय में जमा करा दिया गया था।

दलहन और तिलहन उत्पादन की योजना

*5—श्री हरिश चन्द्र (जिला बस्ती)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में दलहन और तिलहन क उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो वह क्या है?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ। उत्तर प्रदेश में दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रमशः दो तथा पाँच निम्न योजनाएं वर्तमान वित्तीय वर्ष 1979–80 में चल रही हैं:—

अ—दलहन की योजना

1—उत्तर प्रदेश में दाल उत्पादन वाले क्षेत्रों में सघन खेती की योजना।

2—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित दलहन उत्पादन की योजना।

ब--तिलहन की योजना:--
केन्द्र--

1--सघन तिलहन विकास योजना ।
2--सोयाबीन विकास योजना ।
3--सूरजमुखी विकास योजना ।

राज्य पोषित:--

4--उत्तर प्रदेश में तिलहन विकास योजना ।
5--पर्वतीय क्षेत्रों में तिलहन सोयाबीन सूरजमुखी उत्पादन योजना ।

श्री सिंघ प्रताप सिंह, सहायक विक्रय अधिकारी, एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, बस्ती के विरुद्ध शिकायती पत्र

*6--श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)--

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि श्री महेश प्रताप सिंह, निवासी ग्राम रुद्रपुर नगर, पोस्ट रुद्रनगर, जनपद बस्ती ने वर्ष 1974 में उर्वरक विक्रय में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में जो श्री सिंघ प्रताप सिंह तत्कालीन सहायक विक्रय अधिकारी, यू0 पी0 एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, बस्ती गोदाम से सम्बन्धित था, कोई शिकायती-पत्र शासन को दिसम्बर, 1976 तथा जनवरी, 1977 के बीच लिखा था ? क्या उपरोक्त शिकायतकर्त्ता ने 12 सितम्बर, 1974 को तथा पुनः 2 जनवरी, 1977 को भी शाखा प्रबन्धक, यू0 पी0 एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, गोरखपुर को भी शिकायती-पत्र लिखे थे ? यदि हाँ, तो अभी तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

परिवहन विभाग की बसों से लाभ एवं घाटा का विवरण

*7--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1978-79 में 91 लाख रुपया परिवहन को लाभ में से कितना परिवहन विभाग की बसों द्वारा हुआ तथा कितना लाभ अण्डरटेकिंग बसों से हुआ ? क्या यह सही है कि परिवहन विभाग में गबन व भ्रष्टाचार के कारण उक्त वर्ष करीब 2 करोड़ का घाटा हुआ तथा अण्डरटेकिंग बसों के मालिकों को ड्योढ़े लाभ के साथ परिवहन विभाग को 3 करोड़ का लाभ हुआ है ? यदि हाँ, तो परिवहन विभाग के घाटे को पूरा करने के लिए ही शासन बसों का किराया बढ़ाने पर विचार कर रहा है ? यदि हाँ, तो परिवहन विभाग को घाटा होने तथा किराया बढ़ाने का औचित्य क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*8--श्री ओम प्रकाश--

[3रे सोमवार के लिये स्थगित]

भूतपूर्व सचिव, कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*9--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे

कि माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्त्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 1979 के आधार पर की जाने वाली जाँच पूरी हो गयी है ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट और उसके आधार पर की गयी कार्यवाही का ब्योरा कब तक माननीय मन्त्री जी सदन के पटल पर रख देंगे ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जी हाँ, जाँच पूरी हो गयी है। अधिकांश आरोप सही पाये गये हैं। जाँच रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

जिला परिषद्, खीरी के हरिजन व पिछड़ी जाति के कर्मचारी

*10—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, खीरी में हरिजन व पिछड़ी जाति के क्रमशः वर्गवार कितने कर्मचारी हैं और परिषद् के कर्मचारियों की वर्गशः क्या संख्या है ? गत वर्षों में कितने नये कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं और उनमें इन वर्गों के कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

जिला परिषद् खीरी में हरिजन व पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की वर्गवार संख्या निम्न प्रकार है—

समूह	हरिजन	पिछड़ी जाति
क	..	..
ख	..	..
ग	..	3
घ	7+10 स्वीपर—17	36

और परिषद् कर्मचारियों की वर्गशः संख्या निम्न है:—

समूह—"क"	1
समूह—"ख"	2
समूह—"ग"	17
समूह—"घ"	127
योग ..	147

जिला परिषद् खीरी में गत वर्षों में अर्थात् 1977–78 से अब तक 10 नई नियुक्तियाँ की गई है उनमें इन वर्गों के कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

समूह	हरिजन	पिछड़ी जाति
क	..	..
ख	..	..
ग	1	1
घ	2	..

*11से 20—[नियम 47 (1) के अन्तर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण रिक्त।]

*21—श्री भान पाल सिंह—

[3रे सोमवार के लिये स्थगित]

गोरखपुर जिले के भौवापार, परतावल तथा दरहटा बीज भण्डार में गबन की शिकायत

*22—श्री ओम प्रकाश—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के भौवापार परतावल तथा दरहटा बीज भंडार में भारी गबन के कारण नवम्बर, 1978 से वह बन्द हैं और अब तक इन बीज भण्डारों के गबन की जाँच कराकर उनको चालू कराने के लिए परियोजना अधिकारी कृषि (श्री विश्वकर्मा) ने कोई उचित कार्यवाही नहीं की ? क्या यह सही है कि प्रश्न-कर्त्ता द्वारा एक वर्ष पूर्व ही इन बीज भण्डारों पर भारी गबन की लिखित शिकायत की जा चुकी है ? यदि हाँ, तो क्यों ? उस पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कृषि निदेशालय के सहायक लेखाकारों के स्थायीकरण की मांग

*23—श्री अठई राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ऐसे सहायक लेखाकार कृषि निदेशालय में कार्यरत हैं जो वर्ष 1963 में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त थे परन्तु मार्च, 1973 में सहायक लेखाकार की परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त भी उनका स्थायीकरण अब तक किसी भी पद पर नहीं हुआ ? क्या यह सही है कि कोष लेखा प्रबन्ध में कार्यरत असफल घोषित सहायक लेखाकारों को, जिन्होंने 1 अप्रैल, 1971 को तीन वर्ष की लगातार सेवाएं पूरी कर ली थी, को स्थायीकरण कनिष्ठ ज्येष्ठ लिपिक के पदों पर किया जा चुका है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के संबंध में कृषि मंत्रालय भारत सरकार का परिपत्र

*24—श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, 1978 में सेक्रेट्री, मिनिस्ट्री आफ एग्रीकलचर ऐंड इर्रीगेशन डिपार्टमेंट आफ रूरल डेवलपमेंट, कृषि भवन, नई दिल्ली (श्री जी0 वी0 के0 राम) का कोई पाँच पृष्ठीय परिपत्र सचिव क्षेत्रीय विकास (श्री राजगोपालन) को मिला था ? यदि हाँ, तो एस0 एफ0 डी0 ए0, डी0 पी0 ए0 पी0 एवं सी0 ए0 डी0 क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य बातें क्या थी ? क्या वे परियोजनाएं वित्तीय वर्ष 1978–79 में लागू की गयी ? यदि हाँ, तो उसकी भौतिक उपलब्धि क्या रही ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ। भारत सरकार, कृषि मंत्रालय का प्रश्नगत पत्र दिनांक 23 मार्च, 1978 प्राप्त हुआ। इस पत्र का सम्बन्ध एस0 एफ0 डी0 ए0, डी0 पी0 ए0 पी0 या कमाण्ड क्षेत्रीय विकास योजनाओं से नहीं था क्योंकि यह योजनायें पहले से ही चल रही थीं। पत्र का संबंध एक नई योजना एकीकृत ग्राम्य विकास योजना से था। पत्र के अनुसार एकीकृत ग्राम्य विकास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्गों को कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, आदि कार्यक्रमों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार क्षमता उपलब्ध कराना तथा उनके जीवन स्तर को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। योजना 1 अप्रैल, 1978 से लागू की गई है। इसमें लघु सीमान्त कृषक और कृषक मजदूरों को उक्त मुख्य कार्यक्रमों के लिए अनुदान तथा ऋण की व्यवस्था करके उपयुक्त निदेश, संबंध

आदि उपलब्ध कराने का प्राविधान है। लघु कृषकों के लिए 25 प्रतिशत अनुदान तथा सीमान्त कृषकों और कृषक मजदूरों के लिए 33-1/3 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है। कुल कार्यक्रम 30 हैं जिनकी सूची संलग्न है। अब उद्योग तथा व्यवसाय कार्यक्रमों को भी सम्मिलित कर लिया गया है जिनके लिए 33-1/3 प्रतिशत अनुदान तथा शेष ऋण की व्यवस्था है।

प्रारम्भ में भारत सरकार के निर्देशानुसार एस0 एफ0 डी0 ए0, डी0 पी0 ए0 पी0, तथा कमाण्ड क्षेत्रों में से एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के लिए 331 विकास खण्ड अनुसूचित जातियों के बाहुल्य को देखते हुए चुने गये थे। बाद में एस0 एफ0 डी0 ए0, डी0 पी0 ए0 पी0 तथा कमाण्ड योजना क्षेत्रों के बाहर 53 विकास खण्ड गत वर्ष और लिये गये। इस वर्ष भी 92 नये विकास खण्ड नये क्षेत्रों में लिये गये हैं। योजना अब कुल विकास खण्डों की संख्या 476 हो गई है और इसका आच्छादन अब प्रदेश के सभी जनपदों में हो चुका है।

उक्त कार्यक्रमों में योजना के प्रारम्भ से जुलाई, 1979 तक 1031.20 लाख रु0 अनुदान में से 479.52 लाख रु0 95884 को वितरित किया गया।

उक्त पत्र में संदर्भ के अतिरिक्त एस0 एफ0 डी0 ए0, डी0 पी0 सी0 ए0 तथा सी0 ए0 डी0 के बारे में कुछ नहीं किया गया है अतः इन योजनाओं की प्रगति का प्रश्न नहीं है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ट 330 पर)

अतारांकित प्रश्न

टीकमगढ़, झांसी-सौजना, झांसी-जामनी आदि मार्गों की बसों की अवैधानिक ब्रेक जरनी

1—श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 टी0 ओ0 आफिस, झांसी द्वारा टीकमगढ़, वाड़- भड़ावरा झांसी-सौजना, झांसी-जामनी आदि मार्गों की बसें अवैधानिक ब्रेक-जरनी बनाकर चल रही हैं ? क्या उक्त विभाग से सम्बन्धित कार्यालय की अनियमितताओं का एक शिकायती-पत्र 20 मार्च, 1979 को भी दिया गया ? यदि हाँ, तो क्या सरकार कार्यवाही कर जाँच करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

प्रश्नगत मार्गों पर बसें ब्रेक जर्नी करती हुई चलती पायी गयी हैं और इनके विरुद्ध सम्बन्धित संभागीय परिवहन प्राधिकरण राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा रही है। दिनाँक 20 मार्च, 1979 के शिकायती पत्र के प्राप्त होने की सूचना शासन में नहीं है।

सहकारी संघ लि०, पुरैना, जिला बस्ती की बैलेन्स शीट

2—श्री ओम प्रकाश—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के सहकारी संघ पुरैना की बैलेन्स शीट सन् 1975-76, 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 नहीं बनी है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उपरोक्त वर्ष में पुरैना संघ का एकाउन्ट आडिट नहीं है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सहकारी संघ लि0 पुरैना, जनपद बस्ती की बैलेन्स शीट वर्ष 75-76, 76-77, 77-78 एवं 78-79 नहीं बनी है। भूतपूर्व सचिव श्री चन्द्र मणि शुक्ल द्वारा संघ के पुराने अभिलेखों का पूर्ण चार्ज न देने के कारण संघ की बैलेन्स शीट नहीं बन सकी। अतः वर्ष 75-76 से 78-89 तक का आडिट भी नहीं हो सका।

जिला विकास कार्यालय, एटा के ज्येष्ठ लिपिक, श्री मुन्शीलाल वर्मा का अवशेष वेतन

3—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को ज्ञात है कि जिला विकास कार्यालय, एटा के ज्येष्ठ लिपिक श्री मुन्शी लाल वर्मा के आपातकाल के सेवा निवृत्ति आदेश को 10 अगस्त, 1978 को निरस्त करके उन्हें सवेतन बहाल के आदेश हुए थे ? यदि हाँ, तो उनके सेवा निवृत्त काल का वेतन का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ। श्री वर्मा को सेवा निवृत्त की अवधि के वेतन का भुगतान अभी नहीं हुआ है क्योंकि इस अवधि के वेतन के भुगतान करने के लिए ज्येष्ठ लिपिक का एक अतिरिक्त पद सृजित करने पर विचार किया जा रहा है ।

4—श्री मित्रसेन—

[1 ले मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

5—श्री मुहम्मद रफी खां—

[1ले मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला विकास कार्यालय, जिला एटा के लिपिकों का स्थानान्तरण

6—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट —

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बतायेंगे कि एटा विकास जिला कार्यालय में अधिकांश लिपिक पाँच वर्ष से अधिक से कार्यरत और एटा जिले के निवासी हैं ? यदि हाँ, तो उनका अब तक जिला विकास कार्यालय, एटा से स्थानान्तरण न होने का क्या कारण है ?

श्री जमुना प्रसाद—

यह सही है कि अधिकाँश लिपिक एटा जनपद के निवासी हैं किन्तु 5 वर्ष से अधिक अवधि से जिला विकास कार्यालय में कार्यरत अधिकाँश लिपिकों का स्थानान्तरण आवश्यकतानुसार एवं शासकीय कार्य हित को दृष्टिगत रखते हुए विकास खण्ड कार्यालयों में कर दिया गया है ।

जिला विकास कार्यालय, फैजाबाद के भवन की मरम्मत की मांग

7—श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जिला विकास कार्यालय, फैजाबाद की जजर इमारत की मरम्मत हेतु, कोई प्राक्कलन तैयार कराकर धन की स्वीकृत हेतु शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उस पर धन आवंटन एवं स्वीकृति कब तक हो जायगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ। जिला विकास अधिकरी, फैजाबाद ने जिला विकास कार्यालय, फैजाबाद के भवन के मरम्मत निर्माण हेतु तीन प्राक्कलन पहले रुपया 1,46,100 के कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय को भेजे थे । फिर संशोधित तीन प्राक्कलन के रुपया 1,73,500 के 26-5-79 को भेजे हैं जिनकी जाँच कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय स्तर पर की जा रही ह ।

कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय द्वारा उक्त प्राक्कलन का परीक्षण करने के उपरान्त शासन को संस्तुति प्राप्त होगी, तो धन का आवंटन करने के सम्बन्ध में विचार कर लिया जायगा । वसे धन आवंटित करने के सम्बन्ध में निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं ह।

बहराइच जिले के सहायक कृषि निरीक्षकों का स्थानान्तरण

8—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को जानकारी है कि बहराइच जिले में पिछले डेढ़ वर्ष के अन्दर अब तक लगभग 16 सहायक कृषि निरीक्षकों को अकारण ही एक खाद व बीज गोदाम से हटाकर दूसरे गोदाम पर स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हाँ, तो वे कौन-कौन हैं तथा कब-कब कहाँ से कहाँ स्थानान्तरित किया गया तथा स्थानान्तरण करने का आधार क्या था और क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र उचित माध्यम से फरवरी, 1979 में जिला कृषि अधिकारी, बहराइच को मिला ? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

बहराइच जिले में पिछले डेढ़ वर्ष में 9 सहायक कृषि निरीक्षकों को एक गोदाम से दूसरे गोदाम पर स्थानान्तरित किया गया जिनके सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न है । इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कथित पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके सन्दर्भ में जिला कृषि अधिकारी बहराइच द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क करके प्रश्नकर्त्ता को वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई थी ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 331–332 पर)

वरिष्ठ कृषि रक्षा सहायक एवं कृषि रक्षा सहायक जिला बहराइच का मारपीट के सम्बन्ध में आरोप-पत्र

9—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या यह सही है कि बहराइच जिले में कृषि रक्षा अधिकारी, बहराइच ने मार्च, 1979 में अपने अधीन वरिष्ठ कर्मचारियों को मारने की धमकी तथा गाली-गलौज दी जिसकी सूचना डाइरेक्टर, कृषि, फैजाबाद को दी गयी ? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण क्या है तथा अब तक दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ । कृषि रक्षा अधिकारी बहराइच तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारी वरिष्ठ कृषि रक्षा सहायक ने उपनिदेशक, कृषि फैजाबाद को भेजे गये अपने-अपने पत्रों द्वारा एक दूसरे के ऊपर मार-पीट करने तथा गाली-गलौज करने के आरोप प्रत्यारोप लगाये ।

उप निदेशक कृषि ने जाँचोपरान्त यह रिपोर्ट दी है कि दोनों अधिकारियों के पक्ष एवं विपक्ष के बयान बनावटी तथा तथ्यों से परे हैं । दोनों अधिकारियों में वरिष्ठ कृषि रक्षा सहायक के यात्रा बिलों का भुगतान न किये जाने के प्रश्न पर कहा सुनी हुई ।

अब यात्रा बिलों का भुगतान कर दिया गया है तथा कृषि रक्षा सहायक का स्थानान्तरण कर दिया गया है । अब इस मामले में अन्य कोई कायवाही प्रस्तावित नहीं है ।

कृषि रक्षा अधिकारी, बहराच के अनियमित टी० ए० बिल की जांच

10—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को यह जानकारी है कि वर्तमान कृषि रक्षा अधिकारी, बहराइच के विरुद्ध उप निदेशक, कृषि, फैजाबाद ने बहराइच व गोण्डा में अनियमित ढंग से टी० ए० बिल लेन-देन में वर्ष 1978–79 में जाँच की और टी० ए० बिल में गम्भीर अनियमितायें पायीं ? यदि हाँ, तो अनियमित टी० ए० बिल लेने व देने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

11—श्री राम आसरे वर्मा—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

बहराइच जिले में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

12—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिले में खाद्यान्न योजना नं0 3 के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में उन्हें पत्र संख्या 3866/78, दिनांक 19 दिसम्बर, 1978 प्राप्त हुआ? यदि हाँ, तो परियोजनान्तर्गत कितनी कि0मी0 तथा कौन-कौन से सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति प्रदान की गयी? अब तक कितनी कि0 मी0 सड़क बन गई है तथा शेष कब तक बन जायगी?

श्री जमुना प्रसाद—

उक्त पत्र संख्या दिनांक 19 दिसम्बर, 1978 का प्राप्त हुआ है। खाद्यान्न योजना नं0 3 के अन्तर्गत बहराइच जनपद में निम्न सड़कों पर मिट्टी डालने का कार्य स्वीकृत हुआ था, को पूरा कराया जा चुका है—

		कि मी0
1—इकौना-स्वरूपुर मार्ग	..	5
2—लालपुर-राजापुर-फतुहापुर मार्ग	..	9.500
3—मरौचा-बौन्डी मार्ग	..	5
4—तजवापुर-बड़नापुर मार्ग	..	0.800
5—प्रयागपुर कोटाबाजार मार्ग	..	1.800
6—गायघाट पुरैना मार्ग	..	2.650
कुल योग	..	24.75

ग्राम सभा अटेसुवा, जिला लखनऊ के प्रधान का निलम्बन

13—श्री मन्नू राम (जिला बलिया)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि दिनाँक 19 मार्च, 1979 को प्रधान ग्राम सभा अटेसुवा, तहसील मलिहाबाद, जनपद लखनऊ को सम्बन्धित परगनाधिकारी द्वारा निलम्बन किए जाने के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या निलम्बन के पूर्व ही दिनाँक 22 सितम्बर, 1978 को प्रधान के मुख्य कागजात जमा हो चुके थे जिनको नायब तहसीलदार द्वारा दिनाँक 16 जुलाई, 1976 को जाँच व 22 सितम्बर, 1979 को आडिट भी हो चुका था, जिसमें प्रधान को निर्दोष पाया गया? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है और सूचना समय से न भेजने के लिए जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण माँगा जा रहा है।

बहराइच जिले की ग्राम सभा बम्भौरा द्वारा तहबाजारी की वसूली

14—श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिले की ग्राम सभा बम्भौरा में जरवल रोड बाजार को तहबाजारी वसूलने का अधिकार जिला परिषद् के बजाय गाँव सभा को हाई कोर्ट के फसले के अनुसार प्राप्त हो गया है? यदि हाँ, तो आदेश कब मिला तथा

तब से अब तक कितनी तहबाजारी वसूली गयी? विकास कार्यों पर अब तक उक्त धनराशि से कितना खर्च हुआ? तह बाजारी की धनराशि कहाँ जमा होती है तथा बाजार की देख-भाल जिलाधिकारी ने किसके सुपुर्द किया है? क्या हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार कैसरगंज बाजार की तह बाजारी वसूलने का अधिकार ग्राम सभा को देने का भी विचार करेंगे?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ।

27-8-76 को हाईकोर्ट का आदेश पारित हुआ तथा 8-11-77 को जिला परिष से तहबाजारी ग्राम सभा को मिली।

कुल 19,749.50 पैसे 14-6-79 तक वसूल हुए, जिनमें से 5,400 रु0 विकास कार्यों पर खर्च हुआ तथा 1,000 रु0 चौकीदारी एवं बाजार की वसूली पर 2,315 रु0 बाजार संबंधी मुकदमे पर व्यय हुआ। गाँव सभा के खाते में पोस्ट आफिस पास बुक में 10,035 रु0 जमा है तथा प्रधान के पास नकद तहबील 999.50 उपलब्ध है।

भूमि प्रबन्धक समिति बम्भौरा अपने ग्राम सभा प्रधान के माध्यम से तहबाजारी स्वय वसूल करती है।

उच्च न्यायालय का निर्णय केवल ग्राम सभा बंभौरा की बाजार के संबंध में ह जिसमें अब भी विवाद चल रहा है। अतः कैसरगंज बाजार की तहबाजारी के संबंध में उक्त निर्णय लागू नहीं होता।

रसड़ा बलिया मार्ग पर बस सेवा का संचालन

15—श्री गौरी शंकर भैया (जिला बलिया) तथा श्री राम गोविन (जिला बलिया)—

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्त्ता ने बलिया जनपद में ग्राम सभा, रसड़ा, से गड्वारा-फेफना होती हुई बलिया के लिए दो शटल बस सिटी बस के रूप में चलाने के लिए दिनाँक 3 अप्रैल, 1979 को आवेदन हेतु दिया है? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या मन्त्री उपरोक्त मार्ग पर सिटी बस चलवाने का कष्ट करेंगे?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हाँ।

उक्त मार्ग पर दिनाँक 10-4-79 से शटल बस सेवायें संचालित कर दी गयी हैं जो आज भी चल रही है।

तहसील करवी, जिला बांदा के अन्तर्गत पम्पिग सेट के लिये दी गयी सब्सिडी

16—श्री राम सजीवन (जिला बाँदा)—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि बाँदा जिले की तहसील करवी के विकास खण्ड चित्रकूट, पहाड़ी, मानिकपुर तथा नरैनी में सन् 1978 और 1979 में कितने किसानों के नकद धन लगाकर पम्पिग सेट खरीदे थे और अनुदान (सब्सिडी) के लिए प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय में दिए थे? उनमें से कितनो सब्सिडी दी गयी और कितनों को नहीं दी गयी? सब्सिडी न दिये जाने का क्या कारण है?

लघु सिंचाई मन्त्री (श्री देवराम)—

सूचना एकत्र की जा रही ह।

कृषि विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

17—श्री गुलाब सेहरा—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पद मिनिस्ट्रियल एवं चतुर्थ श्रेणी (लेखाकार, सहायक लेखाकार, वरिष्ठ प्रधान लिपिक, कनिष्ठ लिपिक व चतुर्थ श्रेणी) के हैं, उनमें से कितने पद अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों से भरे गए हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

कृषि विभाग में मिनिस्ट्रियल पदों की कुल संख्या 3309 और चतुर्थ श्रेणी की 9358 हैं। मिनिस्ट्रियल पदों पर 213 अनुसूचित जाति तथा 1 जनजाति का कर्मचारी कार्यरत है। चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति के 747 तथा अनुसूचित जनजाति के 3 कर्मचारी कार्यरत हैं।

श्री भुवाल सिंह, श्री तीरथ राज सिंह, जवन्सीपुर, जिला जौनपुर के बस का परमिट

18—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, वाराणसी ने जून, 1978 मे मीसा बन्दियों के लिए चार बस परमिट दिये हैं और उसमें तीन एक ही घर के श्री भुवाल सिंह, तीरथ राज सिंह एवं श्रीमती मालती सिंह पति तीरथराज सिंह, गाँव जवन्सतीपुर, जमालपुर, जौनपुर को दिया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि श्री भुवाल सिंह उत्तर प्रदेश के किसी जिले में राजनैतिक बन्दी के रूप में मीसा में नहीं बन्द थे ? यदि हाँ, तो उपरोक्त परमिट किस आधार पर दिए गए हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मामले की जाँच कराई जा रही है तथा सूचनाएं एकत्रित की जा रही है।

जला लगंज-वाराणसी-थाना गद्दी मार्ग हेतु स्वीकृत बस का परमिट

19—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जलालगंज से थाना गद्दी वाया सिंघोरा, वाराणसी पर 6 परमानेन्ट परमिट सन् 1977-78 एवं 1978-79 में दिया गया है और उन बस वालों से लम्बसम यात्री टैक्स गड़खड़ा से वाराणसी तक वसूला जा रहा है; वो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जलालपुर से वाराणसी वाया थाना गद्दी मार्ग पर वर्ष 1977-78 में कोई स्थाई परमिट नहीं स्वीकृत किया गया, परन्तु वर्ष 78-79 में 6 स्थायी सवारी गाड़ी, परमिट स्वीकृत किये गये उपरोक्त मार्ग के वाहन स्वामियों से यात्री कर एक मुश्त समझौता गड़खड़ा से वाराणसी भाग के लिये ही किया गया है क्योंकि बीच का भाग गड़खड़ा से थाना गद्दी मोटर चलाने योग्य न होने के कारण बसें केवल वाराणसी से गड़खड़ा तक ही चलती हैं।

ग्राम सभा, खादी, जिला ललितपुर में बन्धी व पम्प हाउस के निर्माण पर व्यय की गयी धनराशि

20—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा, खादी ब्लाक तालबेहट जिला ललितपुर के प्रधान पंचयत सेवक, ए0 डी0 ओ0, पंचायत आदि के विरुद्ध इस प्रकार की

शिकायत की केशव दास भट्ट, भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख ने अपने समय में दस हजार रुपया खर्च करके एक बन्धी बनवाई है और लगभग 20 हजार रुपया खर्च करके तालाब पर 20 हार्सपावर के बिजली के इंजन लगाए हैं, इस प्रकार 30 हजार का कर्जा और सन् 1978 तक एक भी पैसा आमदनी नहीं हुई ? 10 वर्ष का लगमग 25 हजार रुपया ब्याज का देना है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र दिनाँक 12 अप्रल, 1979 को बी0 डी0 ओ0, तालबेहट को दिया था और उसकी प्रतिलिपियाँ, निदेशक, पंचायत राज, उप विकास आयुक्त, झांसी, जिला अधिकारी, ललितपुर, डी0 पी0 ओ0 ललितपुर, जिला पंचायत अधिकारी ललितपुर को दिया था ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ ।

शिकायती पत्र की जाँच से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 65–66 से 67–68 तक रु0 7,500 त्वरित योजना के अन्तर्गत व्यय कर गाँव सभा में बंधी बनवायी है तथा वर्ष 67–68 में प्रस्तावित धनराशि मुव0 16830.00 रु0 के विपरीत 1000 रु0 लिफ्ट सिचाई योजना से प्राप्त कर विद्युत् पम्पिग सेट क्रय किया तथा पम्प हाउस आदि बनवाया। धनाभाव के कारण योजना पूर्ण न हो सकी जिसके फलस्वरूप लगभग 30 एकड़ भूमि ही प्रति वर्ष सींची गई जिससे 12 कृषक लाभान्वित हुये उनमें एक श्री केशव दास भट्ट भी हैं। इस प्रकार बंधी व्यक्तिगत लाभ के लिए न होकर सार्वजनिक लाभ के लिए बनवाई गई। चूंकि बंधी टूट गई है अतः उसके मरम्मत हेतु 806 रु0 गाँव सभा की संस्तुति पर ए0 डी0 ओ0 पंचायत की स्वीकृत पर व्यय किये जा रहे हैं जो नियमानुकूल है । यह भी सही है कि इस बंधी से जो सिचाई हुई उसका सिचाई कर वसूल नहीं किया गया। उक्त ऋण जो रु0 17,500 रु0 का होता है, पर 31 मई, 1979 तक 14,000 रु0 ब्याज भी देय है। मूल प्रस्ताव में इस बंधी से 300 एकड़ सिचाई कराने की योजना थी, परन्तु धनाभाव की स्थिति में विद्युत् कनेक्शन न मिलने तथा पक्की नालियाँ न बनाये जाने के कारण सिचन क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकी ।

इस संबंध में सिचाई कर न वसूल करने तथा सिचाई क्षमता न बढ़ाने का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है ।

कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अनुभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

21—श्री रणवीर सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अनुभाग में लिपिक वर्गीय कितने कर्मचारी शासनादेशानुसार दिनाँक 1 जनवरी, 1974 के अन्तर्गत स्थायी घोषित किये जा चुके हैं ? शेष को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री शिव मंगल सिंह—

कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के भूमि संरक्षण अनुभाग में दिनाँक 1–1–74 से 479 लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को स्थाई घोषित किया जा चुका है । शेष कर्मचारियों को औपचारिकतायें पूर्ण हो जाने पर स्थाई घोषित किया जायेगा ।

भूमि विकास बैंक, लखनऊ में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति

22—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भूमि विकास बैंक, लखनऊ के प्रबन्ध निदेशक को दिनाँक 1 मार्च, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में भर्ती चाहने हेतु कुल कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उनमें से कुल कितने लोगों को नौकरी दी गयी है तथा उनमें कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति के लिए गए हैं ? और अनुसूचित जाति

के ऐसे कितने व्यक्ति रह गये हैं जिन्होंने उक्त अवधि में प्रार्थना-पत्र दिया, किन्तु उन्हें अभी तक नौकरी में नहीं लिया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

भूमि विकास बैंक द्वारा तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में भर्ती के लिए कोई प्रार्थना-पत्र आमंत्रित नहीं किया गया था इसलिए प्रबन्ध निदेशक, भूमि विकास बैंक, लखनऊ को दिनाँक 1 मार्च, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में भर्ती चाहने हेतु कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए उसका अलग से कोई अभिलेख नहीं रखा गया है। अतः उसे इंगित करना संभव नहीं है। जो प्रार्थना-पत्र उपलब्ध हैं उसमें भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि अभ्यर्थी किस जाति का है इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि अनुसूचित जाति के कितने लोगों को नौकरी दी गयी और अनुसूचित जाति के ऐसे कितने व्यक्ति रह गये। यह सूचना इसलिए नहीं ली गयी क्यों कि बैंक में दैनिक वेतन पर जो नियुक्तियाँ की जा रही थीं उसमें अनुसूचित जाति के सदस्यों को आरक्षण देने की प्रथा नहीं थी।

अब स्थिति यह है कि जो भी नियुक्तियाँ इन प्रार्थना-पत्रों के आधार पर की गयी थीं उन सब की सेवायें 30 जून, 1979 को समाप्त कर दी गयीं।

परिवहन निगम में कथित घाटा

23—श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार को जानकारी है कि अवैध रुप से मिनी बसों के चलाने तथा परिवहन विभाग की बसों के ठीक समय पर न चलने तथा यथोचित रख-रखाव के अभाव में वर्ष 1978–79 में करोड़ों रुपयों का घाटा हुआ है ? यदि हाँ, तो सरकार ने अनियमित मिनी बसों की रोक-थाम तथा समयबद्ध बसों के संचालन एवं ठीक से रख-रखाव के लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं ? उक्त वर्ष में कितना घाटा हुआ ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

वर्ष 1978–79 में निगम को घाटा नहीं हुआ। शासन अवैध संचालन की समस्या को सुलझाने हेतु चेकिंग को प्रभावशाली बनाने के लिए कटिबद्ध है। समय पर बसों के परिचालन हेतु भी निगम को आवश्यक सुधार लाने के लिये कहा गया है।

भूमि संरक्षण अधिकारी, श्री गिरिजा शंकर, जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध गबन की शिकायत

24—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया) तथा श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वर्तमान भूमि संरक्षण अधिकारी, शारदा सहायक खण्ड–3, सुल्तानपुर (श्री गिरिजा शंकर) जबकि वे जनपद उन्नाव में जिला कृषि अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, कृषि बीज भण्डार, भगवन्तनगर पर लगभग अट्ठाइस हजार तथा कृषि बीज भण्डार, माथर पर लगभग पैंतालीस हजार रुपये के गबन किए व कराए तथा जब जनपद बाराबंकी में जिला कृषि अधिकारी के पद पर कार्यरत थे तब ब्रफर गोदाम, रायबरेली में एक लाख से अधिक गबन तथा जनपद गाजीपुर के कार्यकाल के दौरान मूंगफली की खरीदारी में घोर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किए ? यदि हाँ, तो उक्त अधिकारी को अभी तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया ? क्या उक्त अधिकारी के अपराधों व भ्रष्टाचारों की जाँच सतर्कता विभाग, पुलिस भ्रष्टाचार निवारण संगठन तथा आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा कराए जाने के सम्बन्ध में कृषि मन्त्री, उत्तर प्रदेश व मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश को कुछ विधायकों के अनेकों पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो उस पर शासन द्वारा अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सीतापुर जिले में सड़कों के निर्माण हेतु दिया गया गेहूं

25---श्री राम नरायन वर्मा---

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78, 1978-79 में जनपद सीतापुर के विभिन्न ब्लाकों को सड़को के निर्माण हेतु कितना गेहूं प्रदान किया गया ? इस गेहूं से कितना सड़क का निर्माण हुआ तथा आज तक कितना गेहूं शेष है ?

श्री जमुना प्रसाद---

वाँछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिए नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 333 पर)

इलाहाबाद महेवाघाट, बैरमपुर मार्ग पर चलने वाली जीर्ण शीर्ण बसें

25-अ---श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद से महेवाघाट, पश्चिम शरीरा बैरमपुर पर चलने वाली बसें विशेष जीर्णशीर्ण अवस्था में है, जो प्राय: ब्रेक-डाउन में आ जाती हैं ? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग पर नई बसें कब तक चालू हो जायेंगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

इलाहाबाद से महेवाघाट, पश्चिम शरीरा, बैरमपुर पर चलने वाली बसें विशेष जीर्णशीर्ण अवस्था में नही हैं परन्तु पुरानी अवश्य हैं। स्थिति में सुधार लाने के प्रयत्न किए जा रहे है ।

ईंट भट्ठा मालिक मुअना द्वारा ग्राम सभा चैनपुर व पौहरिया को ईंट की आपूर्ति

26---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1975-76 एवं 1976-77 में गाँव सभाओं में निर्माण हेतु शासन द्वारा प्रदत्त धनराशि को ईंट क्रय करने हेतु स्थानीय भट्ठा मालिक मुअना गाँव को दिया गया था, जिन्होंने ईंटों की आपूर्ति अभी तक नहीं की ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार कौन सी कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री जमुना प्रसाद---

वर्ष 1975-76 में ग्राम सभाओं में निर्माण कार्य हेतु शासन द्वारा प्रदत्त धनराशि से ईंट क्रय करने हेतु स्थानीय भट्टा मालिक मुअना को कोई धनराशि नहीं दी गयी। वर्ष 1976-77 में विकास खण्ड धुघली के ग्राम सभा चैनपुर एवं पौहरिया में खड़न्जा लगाने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त धनराशि में से 4,735 रुपया 92 पैसे ईंट क्रय करने हेतु स्थानीय भट्टा मालिक मुअना को दिया गया था। उक्त धनराशि के विपरीत भट्टा मालिक ने सम्पूर्ण ईंटों की आपूर्ति कर दी थी। अत: इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बहराइच जिले में पेय जल योजना के अन्तर्गत कूप निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन

27---श्री बाबूराम वर्मा, श्री रामजी (जिला आजमगढ़) तथा श्री औसान सिंह (जिला इटावा)---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बजट वर्ष 1978-79 में बहराइच जिले में पेयजल योजनान्तर्गत कितनी धनराशि कूप निर्माण हेतु आवंटित की गयी ? अब तक कितने कुयें बन गए तथा शेष कब तक बन जायेंगे ? ये कुयें किन-किन गाँवों में बने हैं तथा उनका चयन किस आधार पर किया गया ?

श्री जमुना प्रसाद--

वित्तीय वर्ष 1978-79 में बहराइच जिले के लिए पेयजल योजना के अन्तर्गत रु0 15,64,000 तथा "बाढ़ ग्रस्त जिले में पेयजल योजना के अन्तर्गत" बहराइच जिले को रु0 5,50,000 तथा इस प्रकार कुल रुपया 21,14,000 का आवंटन कूप निर्माण हेतु किया गया। अब तक 132 कूपों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष 361 कूपों का निर्माण इस माह के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है। "बाढ़ग्रस्त योजना के अन्तर्गत" बहराइच जिले में 128 कूपों के निर्माण हेतु 22-3-79 को आवंटन प्राप्त हुआ। अत: चयन की कार्यवाही अभी प्रगति पर हैं। जनपद के विभिन्न विकास खण्डों के विभिन्न ग्राम/हरिजन बस्ती जहाँ 132 कूपों का निर्माण हुआ है उनकी सूची संलग्न हैं। चयन क्षेत्र समितियों से प्राप्त प्राथमिकतानुसार प्रस्तावित सूची तथा दिनाँक 11 जुलाई, 1978 के शासनादेश से शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के आधार पर किया जाता है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 334-337 पर)

परिवहन विभाग के कर्मचारियों का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

28--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि परिवहन निगम में कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्हें लगभग 20 वर्ष से एक ही स्थान पर कार्यरत रखा गया है? यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि कुछ कर्मचारियों को वर्ष में दो-दो बार स्थानान्तरण किए गए? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हाँ।

परिवहन निगम में अल्पवेतन भोगी ऐसे कर्मचारी हैं जो 20 वर्ष से एक ही स्थान पर कार्यरत है। सामान्यत: अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थानान्तरित नहीं किया जाता, परन्तु प्रशासनिक कारणों से उनको स्थानान्तरित किया जाता है और यह भी सम्भावना है कि कुछ को एक वर्ष में दो बार भी स्थानान्तरित किया गया हो।

श्री सैयद कमर अब्बास रिजवी, मत्स्य निरीक्षक की बहाली एवं अवशेष वेतन

29--श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या पशुधन मन्त्री को जानकारी है कि मत्स्य विभाग के मत्स्य निरीक्षक (श्री सैयद कमर अब्बास रिजवी) की 3 जनवरी, 1978 से सेवाएं समाप्त कर दी गयी थीं और फरवरी सन् 1976 में उनकी ज्येष्ठता को बरकरार रखते हुए उनको बहाल किया गया? यदि हाँ, तो क्या उक्त अवधि का वेतन उक्त कर्मचारी को दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अब्दुल हलीम खां--

श्री सैयद कमर अब्बास रिजवी की नियुक्ति मत्स्य निरीक्षक के पद पर दिनाँक 12 नवम्बर, 1964 से की गई थी। विभिन्न स्थानों पर उनकी पदस्थता के दौरान श्री रिजवी का कार्यकलाप सन्तोषजनक नहीं पाया गया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें दिनाँक 11 जुलाई, 1967 से निलम्बित किया गया था।

विचारोपरान्त साधारण प्रकार का दण्ड देकर उन्हें दिनाँक 15 सितम्बर, 1967 के आदेश से सेवाओं में पुनस्थापित कर दिया गया। पुर्नस्थापन आदेश प्राप्त करने के उपरान्त भी श्री रिजवी डियूटी पर उपस्थित नहीं हुए। फलत: दिनाँक 3 जनवरी, 1968 से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी थी। बाद में श्री रिजवी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर विचार कर शासन ने उनकी ज्यष्ठता को बरकरार रखते हुए बहाल किय जाने के आदेश 12 मार्च, 1976

को दिये थे, जिसके अनुसार श्री रिजवी को निदेशक मत्स्य ने दिनाँक 18 मार्च, 1976 को मत्स्य निरीक्षक के पद पर बहाल कर दिया था । श्री रिजवी ने तद्नुसार दिनाँक 24 मार्च, 1976 को झांसी मण्डल में अपना योगदान दिया था ।

चूंकि श्री रिजवी ने अपने प्रकरण में जो प्रत्यावेदन शासन को प्रेषित किये थे उनमें बिना वेतन की असाधारण छुट्टी दिया जाना स्वीकार किया था अत: उसी आधार पर शासन ने यह आदेश दिए थे कि उनको कथित अवधि के लिए स्वयं उनकी प्रार्थना के अनुसार बिना वेतन की असाधारण छुट्टी दे दी जाय। तद्नुसार उन्हें दिनाँक 3 जनवरी, 1968 से 23 मार्च, 1976 की अवधि, अर्थात जब वे राजकीय सेवा से पृथक रहे थ, का वेतन दिए जाने का प्रश्न नही उठता ।

30––श्री राम आसरे वर्मा––

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री एस० के० सिंह, कृषि निरीक्षक बनाम कृषि निदेशक का मुकदमा एवं उनकी बहाली

31––श्री मित्रसेन––

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 3 दिसम्बर, 1977 को हाई कोर्ट, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ बनाम एस0के0 सिंह की स्पेशल अपील नं02 सन् 1976 के मामले में शासन के पक्ष में फैसला होने के बाद भी श्री एस0 के0 कृषि निरीक्षक को पुन: निलम्बित करने के बजाय उन्हें वर्ग एक में पदोन्नति दे दी गयी है ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मण्डी समिति, सितारगंज एवं हल्द्वानी, नैनीताल की बाउण्ड्री वाल

32––श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी––

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मण्डी समिति, सितारगंज तथा हल्द्वानी जनपद नैनीताल में बाउन्ड्री वाल का निर्माण वर्ष 1978 में किया गया था ? क्या यह सही है कि डजाइन गलत होने के कारण सम्पूर्ण बाउण्ड्री वाल गिर गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराने की कृपा करेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह––

जी हाँ। बाउण्ड्री वाल का डिजाइन ठीक था। बाउण्ड्री वाल दैवी आपदाओं से प्रभावित होकर निर्माण काल में गिरी थी।

33––श्री श्रीराम द्विवेदी––

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फैजाबाद दुग्ध योजना का क्षेत्र

34––श्री श्रीराम द्विवेदी––

क्या सहकारिता मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में दूध डेरी स्कीम में फैजाबाद––सुल्तानपुर रोड क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो इस मार्ग से सम्बन्धित क्षेत्रों को कब तक इस स्कीम में ले लिया जायगा ?

श्री अब्दुल हलीम खां––

फैजाबाद दुग्ध योजना में फैजाबाद––सुल्तानपुर रोड क्षेत्रों को सम्मिलित कर लिया गया है।

जिला फैजाबाद के विकास खण्ड, बीकापुर में ग्राम्य एकीकृत योजना लागू किये जाने की मांग

35—श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या क्षेत्रीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में बीकापुर ब्लाक को ग्राम विकास एकीकृत योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 में नहीं लिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? वित्तीय वर्ष 1979-80 में फैजाबाद के बीकापुर ब्लाक को एकीकृत योजना में लेने का सरकार का विचार है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

योजना भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार चलायी जा रही है जिनके अनुसार विशेष योजना क्षेत्रों में से केवल 331 विकास खण्ड एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में लिए गये हैं।

फैजाबाद जनपद में कमाण्ड एरिया विकास योजना सभी 18 विकास खण्डों में लागू है। इनमें 14 विकास खण्ड एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट इस आधार पर लिए गये हैं कि उनमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या के 20 से अधिक है। बीकापुर विकास खण्ड मे इनकी संख्या 20 प्रतिशत से कम है अतः इसे योजना में नही लिया जा सका। विशेष योजना क्षेत्रों में से और विकास खण्ड एकीकृत योजना में लेने का कोई निदेश भारत सरकार से प्राप्त नहीं है इसलिए फिलहाल विकास खण्ड बीकापुर को योजना में सम्मिलित कर सकना सम्भव नहीं है।

35—(अ) श्री श्रीराम द्विवेदी—

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

फैजाबाद-हलियापुर मार्ग के मऊ शिवाला में यातायात अधीक्षक, श्री अनीस की चालक एवं परिचालक द्वारा पिटायी

36—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि इस वर्ष अयोध्या में चैत रामनवमी के मेले के अवसर पर जनपद फैजाबाद में फैजाबाद—हलियापुर मार्ग पर मऊ शिवाला के पास रोडवेज की बस की चेकिंग का प्रयास करने पर यातायात अधीक्षक, श्री अनीस को इस बसके चालक व परिचालक ने मिल कर मारा तथा घटना की विभागीय रिपोर्ट तथा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने पर उक्त चालक व परिचालक को टी0ए0, डी0ए0 देकर उनके गृह जनपद में स्थानान्तरित कर दिया गया ? यदि हाँ, तो पूरी घटना का विवरण क्या है ? क्या बसों के अन्दर बढ़ रही इस प्रकार गुण्डा-गर्दी, लूट-पाट, अव्यवस्था तथा अनुशासन हीनता को रोकने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इस वर्ष अयोध्या में चैत रामनवमी मेले के अवसर पर जनपद फैजाबाद में फैजाबाद—हलियापुर मार्ग पर मऊ शिवाला के पास परिवहन निगम की बस की चेकिंग का प्रयास करने पर यातायात अधीक्षक श्री अनीस को सम्बन्धित बस के चालक—परिचालक द्वारा मारा गया। घटना की विभागीय रिपोर्ट प्राप्त होने पर चालक एवं परिचालक का स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टकोण से फजावाद के बाहर गोण्डा कर दिया गया था। मगर यह उनका गृह जनपद पाया गया। अतः उन्हें वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया गया। यातायात अधीक्षक द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस में भी दर्ज कराई गयी। पुलिस कार्यवाई कर रही है। बसों के अन्दर बढ़ रही गुण्डा-गर्दी, लूटपाट, अव्यवस्था तथा अनुशासनहीनता के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार तत्काल विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

37—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

38––श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री बलराम मिश्रा, प्रभारी, कृषि बीज भण्डार, माधवपुर, पनियारा, गोरखपुर के विरुद्ध गबन की शिकायत

39––श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी––

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री बलराम मिश्रा, प्रभारी कृषि बीज भण्डार भौवापार, जनपद गोरखपुर द्वारा उनके कार्यालय 1971–72 में 22 हजार रुपए का गबन किया गया था ? क्या यह भी सही है कि श्री मिश्र को पुनः गबन में दोषी पाए जाने के बावजूद भी बीज भण्डार माधवपुर पर नियुक्त किया गया एवं पनियरा बीज भण्डार का भी चार्ज साथ-साथ दिया गया, जहाँ श्री मिश्र द्वारा 33,640 रुपए से अधिक का गबन किया गया ? यदि हाँ, तो पुनः माधवपुर एवं पनियारा में किस अधिकारी द्वारा श्री मिश्र की नियुक्ति की गयी ? यदि हाँ, तो उस अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा अभी तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री शिव मंगल सिंह––

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ढबरा बीज भण्डार, गोरखपुर में श्री राज बल्लभ यादव की पुनर्नियुक्ति

40––श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी––

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के पाँचवें सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ढबरा बीज भण्डार, जनपद गोरखपुर में श्री राजवल्लभ यादव की पुनर्नियुक्ति के लिए कौन अधिकारी दोषी था ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह––

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

भूमि विकास बैंक, महराजगंज, गोरखपुर द्वारा पम्पिग सेट की आपूर्ति

41––श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)––

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि विकास बैंक, महराजगंज, गोरखपुर द्वारा घटिया किस्म का पम्पिग सेट खुले बाजार की दरों से एक हजार रुपए अधिक का कैश मेमो बनाकर काश्तकारों को आवंटित कराया जाता है ? यदि हाँ, तो अच्छे कम्पनियों का सही मूल्य पर पम्पिग सेट काश्तकारों को न आवंटित कराए जाने का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव––

भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों को केवल उन्हीं पम्पिग सेट इंजनों को खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है जो अनुमोदित आई0एस0आई0 व क्वालिटी मार्क के हैं और उनका अधिकतम मूल्य भी निर्धारित है । यह निर्धारित मूल्य बाजार मूल्य से अधिक नहीं है । ऐसी दशा में भूमि विकास बैंक, महराजगंज (गोरखपुर) द्वारा घटिया किस्म का पम्पिग सेट खुले बाजार की दरों से एक हजार रुपए अधिक का कैश मेमो बनाकर काश्तकारों को आवंटित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

भूमि सर्वेक्षण अधिकारी, सिसवा बाजार, गोरखपुर द्वारा गूल एवं नाली का निर्माण

42––श्री शारदा प्रसाद जायसवाल––

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गण्डक समादेश गोरखपुर के अन्तर्गत भूमि सर्वेक्षण अधिकारी, सिसवा बाजार द्वारा कराए गये गूल निर्माण विजापार सिसवा बुजुर्ग,

खुर्द, डंढौली, विन्दवलिया आदि गाँवों में जो वर्ष 1976–77 तथा 1977–78 में नाली निर्माण हुआ, नाली के रास्ते पानी का बहाव लेविल की कमी से ठीक ढंग से नहीं हो रहा है और निर्माण में निर्धारित रेसियों से सीमेंट न लगाकर अधिक बालू लगाया गया है ? यदि हाँ, तो ऐसे निर्माण कार्य पर भुगतान करने का क्या कारण है ?

श्री शिव मंगल सिंह––

प्रश्नगत क्षेत्र में वर्ष 1976–77 व 1977–78 में नाली का निर्माण नहर के फुल सप्लाई लेविल (एफ0एस0एल0) के आधार पर नियमानुसार किया गया है ।

निर्माण कार्य डिजाइन मैनुअल एवं प्लान नक्शे के अनुसार हुआ है। सीमेन्ट व बालू का प्रयोग निर्धारित अनुपात में किया गया है ।

निर्माण कार्य पर भुगतान कुलावा चक समिति व अन्य सम्बन्धित के रिपोर्ट के आधार पर किया गया है ।

राज्य भण्डार निगम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति

43––श्री शारदा प्रसाद जायसवाल––

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 में वेयर हाउसिंग विभाग में लिपिक स्टोरकीपर एवं चौकीदारों की नई नियुक्ति के आधार क्या थे ? उन नियुक्तियों में कितने अनुसूचित जाति के एवं पिछड़ी जाति के बेकार अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी है ? नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को अनुपात के अनुसार नियुक्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव––

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार निगम द्वारा वर्ष 1977-78 में लिपिक के पद पर दो नियुक्तियाँ एड-हाक आधार पर की गई। स्टोर कीपर के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गयी। चौकीदार एवं पल्लेदार के पद पर 205 नियुक्तियाँ एड-हाक आधार पर की गयीं। लिपिक के पद पर एक मृतक कर्मचारी की पत्नी को नियुक्त किया गया तथा एक भूतपूर्व कर्मचारी को पुनः नियुक्त किया गया। चौकीदार एवं पल्लेदार के पद पर एक मृतक कर्मचारी की पत्नी को तथा एक भूतपूर्व कर्मचारी को तथा निगम में दैनिक वेतन में कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्त किया गया ।

लिपिक के पद पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति नहीं था। चौकीदार एवं पल्लेदार के पद पर नियुक्त व्यक्तियों में से 68 व्यक्ति अनुसूचित जाति के तथा एक व्यक्ति अनुसूचित जन जाति का तथा 51 व्यक्ति पिछड़ी जाति के थे। अनुसूचित जाति के व्यक्ति अनुपात के हिसाब से 37 होने चाहिए थे जबकि 68 रखे गए। इस प्रकार 31 व्यक्ति अधिक नियुक्त किए गये। पिछड़ी जाति के व्यक्ति अनुपात के हिसाब से 21 होने चाहिए थे जबकि 51 रखे गए। इस प्रकार 30 व्यक्ति अधिक नियुक्त किए गए ।

अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास), जिला आगरा द्वारा ली गयी पंचायत सेवकों की परीक्षा

44––श्री हुकमचन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा के अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) के विरुद्ध 22 मार्च, 1979 को पंचायत सेवकों की परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा तिथि व समय के सम्बन्ध में गलत सूचना देने की शिकायत जनता द्वारा की गयी थी ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि श्री वी0 के0 गुप्ता, अतिरिक्त जिलाधिकारी के विरुद्ध पंचायत सेवकों को अनियमित ढंग से उत्तीर्ण करने के विषय में 20 मार्च, 1979

को एक जन प्रदर्शन किया गया ? क्या यह सत्य है कि इन शिकायतों पर विधायकों ने भी अपनी जाँच हेतु संस्तुति की थी? यदि हाँ, तो वह भ्रष्टाचार की जाँच विजिलेन्स से कराई जायेगी ? यदि हाँ, तो कब ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी हाँ।

जिलाधिकारी को जाँच करने के आदेश दिए गये तथा आगामी आदेशों तक पंचायत सेवकों की नियुक्ति न करने का निर्देश भी दिया गया।

जी हाँ। कुछ अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया जिस पर जिलाधिकारी से जाँच भी कराई गयी। जाँच में आरोप निराधार व असत्य पाए गये। इसलिए जाँच विजिलेन्स से कराने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जिलेवार मार्गों का निर्माण

45--श्री रामदत्त जोशी--

क्या ग्राम विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1978-79 में श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी का काम कराने में कितने मूल्य के खाद्यान्न पारिश्रमिक के रूप वितरित किए गए और इस प्रकार के अपूर्ण निर्मित सम्पर्क मार्गों की कुल लम्बाई में से कितने किलोमीटर मार्गों का पक्का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 30 अप्रैल, 79 तक कराया जा चुका है और उसका जिलेवार विवरण क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है।

विकास खण्ड खड्डा, जिला देवरिया में अन्त्योदय परिवारों को दी गयी सहायता

46--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड खड्डा, जनपद देवरिया द्वारा अन्त्योदय परिवार को सुविधा दी जा रही है उसमें खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम्य सेवकों द्वारा शासनादेश के विरुद्ध अन्त्योदय परिवारों को सामान न देकर नगद भुगतान कर रहे हैं ? इस सम्बन्ध में 26 दिसम्बर, 1978 को प्रश्नकर्ता द्वारा शिकायत की गयी है उसके बावजूद भी अधिकारियों द्वारा आवंटियों के नाम चेक काट कर फर्जी हस्ताक्षर करके बैंक से भुगतान ग्राम सेवकों द्वारा किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद--

यह सत्य है कि देवरिया जिले के अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड खड्डा अन्त्योदय परिवारों को सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना में अब तक 37 अन्त्योदय परिवारों को लाभान्वित किया गया है किन्तु किसी भी आवंटी को नकद भुगतान नहीं किया गया है। दिनाँक 26 दिसम्बर, 1978 को शिकायती-पत्र में वर्णित शिकायतों की विधिवत् जाँच से लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं पाए गये। इस प्रकार अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा फर्जी चेक काट कर आवंटियों को नकद भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

कृषि बीज गोदाम, कैसरगंज, जिला बहराइच के विरुद्ध गबन की शिकायत

47--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कृषि बीज गोदाम कैसरगंज, जनपद बहराइच में लगभग 10,000 (दस हजार रुपए) कैश सेल में इस वर्ष गबन किया गया है ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ?

बहराइच जिले के विधायकों द्वारा परिवहन विभाग से संबंधित दिये गये सुझाव

48––श्री कमला प्रसाद वर्मा––

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने बहराइच जनपद के समस्त विधायकों से परिवहन विभाग से सम्बन्धित सुझाव मार्च, 1979 में लिखित रूप से माँगा और माननीय विधायकों ने अपने-अपने सुझाव मार्च-अप्रैल, 1979 में उन्हें दिए ? यदि हाँ, तो बहराइच जिले के कौन-कौन विधायकों ने अपने लिखित कौन कौन सुझाव दिए और परिवहन विभाग द्वारा कौन-कौन सुझाव क्रियान्वित किए गये ? यदि नहीं, तो क्रियान्वित न करने का क्या कारण है तथा कब तक उन्हें पूरा कर दिया जायगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

जी हाँ। बहराइच जिले के विधायकों द्वारा दिए गए सुझावों एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 33 पर)

बहराइच जिले में ऊसर सुधार योजना का संचालन

49––श्री कमला प्रसाद वर्मा––

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश शासन ने चालू वित्तीय वर्ष में 34 जनपदों में ऊसर को कृषि योग्य बनाने की सघन योजना संचालित करने का निर्णय लिया है और लगभग 60 हजार टन पायराइट व 13 हजार टन जिप्सम वितरित किया जायेगा ? यदि हाँ, तो बहराइच जनपद के किन-किन तहसीलों में कितनी-कितनी भूमि ऊसर ह तथा अब तक ऊसर सुधार योजना बहराइच जिले में लागू न करने का क्या कारण है तथा कब तक लागू कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह––

राज्य के 33 जनपदों में क्षारीय भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत कृषकों के ऐसे खेतों में, जहाँ सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध हों पाइराइट एवं जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इस वर्ष लगभग 49 000 मी0 टन पाइराइट एवं 11,000 मी0 टन जिप्सम उपलब्ध किया गया था ।

बहराइच जनपद की चार तहसीलों में क्रमशः बहराइच में 1625 है0, भिनगा में 2495 है0, नानपारा में 4434 है0 तथा कैसरगंज में 6587 है0 कुल 15141 है, ऊसर भूमि है किन्तु क्षारीय भूमि सुधार योजना द्वारा इस ऊसर का उपचार सामान्यतः नहीं किया जा सकता है। अतः मण्डलीय अधिकारियों की संस्तुति पर इस योजना को बहराइच जनपद में समाप्त कर दिया गया था। इसे पुनः लागू करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

बस्ती जिले के विकास खण्ड खुनियांव की हरिजन बस्तियों में कूप निर्माण के विरुद्ध आवेदन-पत्र

50––श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत विकास क्षेत्र खुनियाँव में हरिजन बस्तियों में पेय-जल कूपों के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप सहित प्रश्नकर्ता द्वारा कोई आवेदन-पत्र जिला वि0 अ0, बस्ती को वर्ष 1978 के दिसम्बर अथवा जनवरी, फरवरी, 1979 में प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ, तो उसकी जाँच किस अधिकारी ने किया ? परिणाम क्या हुआ ?

श्री जमुना प्रसाद––

बस्ती जिले के अन्तर्गत विकास क्षेत्र खुनियाँव में हरिजन बस्तियों में पेयजल कूपों के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप सहित प्रश्नकर्ता का आवेदन-पत्र जिला विकास अधिकारी, बस्ती को जनवरी, 1979 में प्राप्त हुआ था।

शिकायत की जाँच जिला विकास अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा माननीय विधायक के साथ की गयी। आरोप-सही पाये जाने पर दोषी एक पंचायत सेवक व एक ग्राम सेवक निलम्बित कर दिए गए हैं और सहायक विकास अधिकारी(लघु सिंचाई) को मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है। जाँच अभी जारी है।

एटा-कासगंज-अमापुर-अतरौली मार्गों पर दिये गये बस के परमिट

51—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि जनपद एटा में अमापुर–कासगंज रोड पर कासगंज–अमापुर अथवा अतरौली–अमापुर वाया कासगंज तथा एटा, कासगंज वाया अमापुर-सहावर के नाम से सैकड़ों परमिट दिए जा चुके हैं? क्या यह सही है कि इतनी गाड़ियों के परमिट होने पर भी कासगंज–अमापुर मार्ग पर कुल तीन-चार गाड़ियाँ चल रही हैं जिससे जनता के यातायात की भारी कठिनाई हो रही है? यदि हाँ, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने के आदेशों का अनुपालन

52—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने के बारे में शासन द्वारा निर्धारित नीति को उनके मन्त्रालय के सभी विभागों में कड़ाई से लागू कर दिय गया है? यदि हाँ, तो कब से और उसका पूरा विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों और उसके लिए कौन दोषी है?

श्री जमुना प्रसाद—

समाचार-पत्रों से विज्ञापन देने के सम्बन्ध में सूचना विभाग द्वारा समय-समय पर आदेश आरी किए जाते हैं, जिनके अनुसार विज्ञापन दिए जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला परिषदों द्वारा समाचार-पत्रों को विज्ञापन दिये जाने की नीति

53—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने के बारे में शासन द्वारा निर्धारित नीति का कड़ाई से पालन करने का आदेश प्रदेश की समस्त जिला परिषदों को भेज दिया गया है? यदि हाँ, तो कब और उसका पूरा विवरण क्या है तथा उन निर्देशों का सभी जिला परिषदों द्वारा सख्ती से पालन किया जा रहा है इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जमुना प्रसाद—

स्वायत्त शासन संस्थायें होने के कारण जिला परिषद् अपनी विज्ञापन नीति स्वयं निर्धारित कर सकती हैं।

शासन द्वारा जिला परिषदों पर विज्ञापन देने के लिए वर्ष 1976-77 से केवल निम्न-लिखित धनराशि प्रतिवर्ष व्यय करने की सीमा निर्धारित की गई है—

परिषद् की पूर्व स्वीकृति से	रु0 3,000
मण्डलायुक्त की पूर्व स्वीकृति से	रु0 3,000 से अधिक रु0 5,000 तक
शासन की पूर्व स्वीकृति से	रु0 5,000 से अधिक

उपर्युक्त सीमा का उल्लघन किए जाने की जानकारी केवल तीन जिला परिषदों से प्राप्त हुई है, जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है

54—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला परिषद्, फैजाबाद द्वारा विज्ञापन पर व्यय की गयी धनराशि

55—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

द्वितीय सत्र 79 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के सन्दर्भ म क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत अवधि में विज्ञापनों पर व्यय हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की और उससे कितना अधिक व्यय किया गया और उक्त अधिक धनराशि व्यय करने से पूर्व उसकी स्वीकृति आयुक्त, फैजाबाद मण्डल से क्यों नहीं ली गयी ?

श्री जमुना प्रसाद—

जिला परिषद् एक वित्तीय वर्ष में विज्ञापनों पर 3,000 रुपए अध्यक्ष की अनुमति से व्यय कर सकती है ।

जिला परिषद्, फैजाबाद ने वित्तीय वर्ष 1977–78 एवं 1978–79 में विज्ञापनों पर क्रमश: 2,209·20 पैसे एवं 7,978·80 पैसे की धनराशि व्यय की है ।

वर्ष 1978–79 में निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि व्यय करने की स्वीकृति के के लिए अध्यक्ष, जिला परिषद्, फैजाबाद ने आयुक्त से अनुरोध किया है ।

राज्य पशुधन मंत्री, श्री अवधेश प्रसाद द्वारा पासी दर्पण एवं वेदशक्ति पत्रिका का दिया गया प्रकाशन आदेश

56—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

द्वितीय सत्र 79 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतराँकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि प्रश्नगत विज्ञापनों को देने का आदेश एक तत्कालीन राज्य मन्त्री ने दिया था ? यदि हाँ, तो पूरा विवरण क्या है और वह राज्य मन्त्री कौन थे ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जी हाँ। मत्स्य पालन विभाग, उ0 प्र0 द्वारा वर्ष 1978–79 में तत्कालीन राज्य मन्त्री, पशुधन, श्री अवधेश प्रसाद के आदेशानुसार वेद शक्ति मासिक (फैजाबाद)तथा पासी दर्पण (सीतापुर) पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशन हेतु दिया गया था किन्तु सूचना विभाग के अनुमोदन के अभाव में उनके बीजक का भुगतान नहीं किया गया ।

57–58—श्री अठई राम—

[3रे सोमवार के लिए स्थगित ।]

तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद के अन्तर्गत दुग्ध डेयरी की स्थापना हेतु प्रार्थना-पत्र

59—श्री अठई राम—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जनपद, इलाहाबाद में तहसील हंडिया के अन्तर्गत एक दुग्ध डेरी खोलने के सम्बन्ध में दिनाँक 15 जून, 1979 को कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जी हाँ ।

परियोजना अधिकारी, इलाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 से प्रार्थना-पत्र पर इस विषय से सम्बन्धित सभी पहलुओं का परीक्षण करके विस्तृत आख्या माँगी गयी है। आख्या प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ?

मण्डी समितियों के सभापतियों एवं सदस्यों के नामांकन की मांग

60—श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन कृषि उत्पादन मण्डी समितियों के सभापति तथा सदस्यों का नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया है ? विलम्ब का कारण क्या है और नाम-निर्देशन कब तक हो जायेगा ?

श्री शिव मंगल सिंह—

प्रदेश के 112 तदर्थ मण्डी समितियों में सभापति तथा सदस्यों का नामाँकन नहीं किया गया है, जिसका विवरण संलग्न है। नाम निर्दिष्ट करने की कार्यवाही आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर लेने के पश्चात यथाशीर्ष की जायेगी।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 339–341 पर।)

सदन में पत्रकार दीर्घा खाली होने के संबंध में ध्यान आकर्षण

श्री डी0 पी0 बोरा (जिला लखनऊ)—

श्रीमन्, पत्रकारों के कक्ष की तरफ देखें इतना महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर काल का समय है, किन्तु पंखे न चलने के कारण वह सारे लोग निकल कर चले गये हैं। उनकी आप व्यवस्था करायें। यह कुव्यवस्था क्यों है ?

श्री उपाध्यक्ष—

सचिव महोदय, देखें कि क्या इसी कारण गए हैं कि पंखें नहीं हैं। उनको उपस्थित रहना चाहिए।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

आज एयर कंडीशनर बन्द हैं और वहाँ पंखा भी नहीं है, गर्मी के कारण उन लोगों का बैठना असहनीय हो गया है। सदन के बीच में उनके लिए कुर्सी लगवाकर बिठाने की व्यवस्था करायें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसको दिखवा रहा हूं, आप इसको यहां न कहें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अभी इत्तिला आयी है। यहाँ का एयर कण्डीशनर बन्द था। वह चलवा दिया गया है।

अवध विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं में व्यापक रूप से नकल के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, वर्ष 1979 में अवध विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं में जिस धड़ल्ले से नकल हुई है उसने इस क्षेत्र में अब तक के सारे कीर्तिमानों को तोड़ दिया है। परीक्षार्थियों को अपने साथ मनचही सामग्री ले जाने की पूरी छूट थी। उनसे केवल इतना अनुरोध किया जाता था कि वे अपने साथ कमरे में किसी बाहरी व्यक्ति को न लायें।

विश्वविद्यालय द्वारा नकल को रोकने और ऐसे मामलों को पकड़ने के लिए गठित फ्लाइंग स्क्वाड को पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों, विश्वविद्यालय कर्मचारियों के बहुत बड़े समूह और

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

अराजक एवं अवाँछनीय तत्वों की, नकलची परीक्षार्थियों के साथ साँठगाँठ ने पूरी तरह से प्रभावहीन बना दिया है ।

विश्वविद्यालय के कान्फीडेंशल सेक्शन ने नकल कराने में भरपूर सहयोग दिया है। परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों की संख्या से तीन चार गुना अधिक तक प्रश्नपत्र तथा उत्तर पुस्तिकायें वितरित कर दी जाती हैं । परिणामस्वरूप नकल करने वाले परीक्षार्थियों को 4 से 5 उत्तर पुस्तिकाएं मिल जाती हैं जिनमें से एक को छोड़कर बाकी कापियाँ प्रश्नपत्रों के साथ बाहर भेज दी जाती हैं जहाँ से दूसरों द्वारा लिख कर वापस आ जाती हैं और परीक्षार्थी उसे जमा कर देता है और अपनी लिखी हुई कापी को साथ लेकर बाहर निकल जाता है। मुझे तो यहाँ तक बताया गया है कि भारी धनराशि देने पर परीक्षाओं के काफी बाद में भी कानफीडेंशल सेक्शन द्वारा कापियाँ जमा कर ली जाती हैं और पहले वाली कापी वापस कर दी जाती है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवार वालों, रिश्तेदारों अथवा मित्रों का किसी भी कक्षा अथवा विषय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

मान्यवर, उक्त स्थिति से एक तरफ जहाँ परीक्षायें मखौल बन कर रह गयी है वहाँ पर इससे अवाँछनीय एवं अराजक तत्वों को विशेष प्रोत्साहन मिला है और कानून और व्यवस्था की स्थिति निरन्तर बिगड़ती जा रही है ।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जाँच की माँग करता हूं और अपने कथन के प्रमाण में चार सादी उत्तर पुस्तिकाएं आपको प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री, यह गम्भीर मामला है, कृपया इसकी जाँच करवा लें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

आज भी ला की परीक्षाएं हो रही हैं। उसमें धड़ल्ले से नकल हो रही है। चार सादी उत्तर पुस्तिकाएं आपके पास भेज रहा हूं। इसमें अन्तरिम उत्तर वक्तव्य के रूप में कल ही दिलवा दें, वरना जीरो आवर का जो हाल है वह छिपा नहीं है । प्रश्न पड़ा रह जायगा ।

इटौंजा, जिला लखनऊ में जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं की मड़ियांव थाने में पुलिस द्वारा पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री डी0 पी0 बोरा (जिला लखनऊ)—

महोदय, 3 सितम्बर, 1979 पायनियर अखबार में छठे पृष्ठ पर स्वायत्त शासन मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 अगस्त, 1979 को इटौंजा में जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बर्बर पुलिस के आक्रामक हमले और मीसाबन्दी, कार्यकर्ताओं की बेरहमी से पिटाई के ऊपर प्रतिक्रिया पढ़ने को मिली । वास्तव में उस दिन मैं भी इस जनसभा को सम्बोधित करने के लिए आमन्त्रित सर्वोदयी नेता श्री महावीर भाई के साथ आमन्त्रित किया गया था । पर मीटिंग होने के पहले ही 10.30 बजे इटौंजा थाने के इंचार्ज और सर्किल आफिसर ने तमाम पुलिस जनों और पी0ए0सी0 के जवानों के साथ स्टेज बना रहे जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर दिया और उनको तब तक मारते रहे जब तक वे बेहोश नहीं हो गये और अन्त में मड़ियाँव थाने में ले जाकर उनकी नंगा कर बुरी तरह से फिर मारा और यहाँ तक कि उनके गुदे में डंडा कर दिया। इस आतंक से क्षेत्रीय जनता बहुत ज्यादा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इटौंजा, जिला लखनऊ में जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मड़ियाओं थाने में पुलिस द्वारा पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

आतंकित है और रोष व्याप्त है। वास्तव में 18 अगस्त को रात को चतुराबाग ग्राम में तथा कथित 5 डकैतों को झूठा इन्काउण्टर दिखाकर मारने की प्रतिक्रिया के विरोध में उस क्षेत्र में आम सभा, प्रदर्शन आदि क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा पिछले 15 दिनों से किए जा रहे थे। 31 अगस्त को भी पुलिस के इस घृणित अपराध और कुकृत्य के खिलाफ इटौंजा में एक आम सभा का आयोजन क्षेत्रीय समाजसेवी और राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया था और स्थानीय पुलिस ने यह सभा कामयाव न हो और उनका भण्डाफोड़ न होने पावे, इस रंजिश से रामचन्द्र रावत, हरिजन, अम्बिका कृष्ण मिश्र दोनों राजनैतिक मीसा बन्दी और श्री चन्द्र दत्त बाजपेयी सर्वोदयी कार्यकर्ता को इस तरह से पकड़ कर बुरी तरह मारा जिससे कई स्थानों पर उनके हाथों में फ्रैक्चर हो गया और आज भी वे गम्भीर मरणावस्था में बलरामपुर अस्पताल में पुलिस के पहरे में चिकित्सा के लिए रखे गये हैं। मेरी सरकार से स्वायत्त शासन मन्त्री के वक्तव्य से मिली-जुली माँग है कि ऐसा घृणित अपराध करने वाले पुलिसजनों के खिलाफ अविलम्ब कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे और दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाए साथ ही इन तीनों समाजसेवी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठा मुकदमा तुरन्त उठा कर जन अक्रोश को समाप्त करें। आशा है कि इस गम्भीर विषय पर सरकार से वक्तव्य भी दिलायेंगे।

मान्यवर, स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने भी इस बात को मन्जूर किया है कि वहाँ पर उन लोगों के मेंल त्यागने के स्थान में डन्डे डालने का कुकृत्य किया गया है

श्री उपाध्यक्ष---

आप इसकी जाँच करा लें और कल सदन के उठने से पहले इस पर वक्तव्य आ जाना चाहिए।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)---

उपाध्यक्ष जी, प्रेस गैलरी में एक भी व्यक्ति नहीं है। वहाँ पर पंखा नहीं है। आप व्यवस्था करायें।

श्री उपाध्यक्ष---

एअर कन्डीशनर चला दिया गया है।

शिकोहाबाद, (मैनपुरी) नगरपालिका के कार्यालय पर एकत्र प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी नगरपालिका के कार्यालय पर एकत्र शान्त प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा 27 अगस्त को निर्मम लाठी चार्ज किया गया। लगभग 250 व्यक्तियों को चोटें आयीं। प्रदर्शनकारी नगर में व्याप्त गन्दगी, पानी आपूर्ति में दुर्व्यवस्था, रोशनी का प्रबन्ध तथा कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। अब तक स्थिति में सुधार न होने, लाठी चार्ज के लिए दोषी अधिकारियों तथा प्रभारी अधिकारी दण्डित न किए जाने से जनता में भीषण असन्तोष है। तब से आज तक नगर में पूर्ण हड़ताल होकर समस्त कारोबार तथा दुकाने बन्द हैं। 28 से 30 अगस्त तक प्रतिदिन क्रमशः 26, 34 तथा 50 व्यक्ति सत्याग्रह करके जेल जा चुके हैं। आज भी हड़ताल है तथा सैकड़ों नागरिकों जिनमें वृद्ध तथा महिलाएं भी हैं, जेल भेजी गयी हैं। स्थिति तनावपूर्ण होकर शान्ति एवं व्यवस्था के लिए भीषण संकट उत्पन्न है। अतएव लोक महत्व की इस घटना की ओर आपके माध्यम से शासन का ध्यान दिलाकर माँग करता हूं कि स्थिति सामान्य करने के लिए शीघ्र ही दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाय। नागरिकों की माँगें पूरी हों।

मान्यवर, स्थिति बहुत ही गम्भीर है।.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिए ।

आगरा के थाना भटसेना के ग्राम नगला डैंक, मौजा विजयपुर के निवासी श्री बासुदेव के यहां पड़ी डकैती के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में एक सनसनी खेज एवं हृदय विदारक घटना की ओर लाना चाहता हूं कि जनपद आगरा के थाना भटसेना के ग्राम नगलाडैंक, मौजा विजयपुर में दिनाँक 6/7 अगस्त, 1979 को रात्रि में 9 बजे के लगभग एक दुर्दान्त दस्यु दल ने श्री वासुदेव के घर पर हमला बोल दिया और डाकू दल ने श्री बासुदेव उसके भाई, पिता और भाभी को गोली मार दी जिससे उनकी घटना-स्थल पर मृत्य हो गयी तथा उनके दो चचेरे भाई को भी गोलियाँ लगीं, जो बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में दाखिल करके बड़े इलाज के बाद बचाया जा सका।

श्री बासुदेव का पूरा परिवार इस प्रकार से डाकुओं के आतंक से पीड़ित है और अब उनके परिवार में बासुदेव और उसके भाई बच्चे ही जीवित बचे हैं जिनके जीवन को गम्भीर खतरा है और डाकू दल भटसेना गाँव के क्षेत्र में ही पुनः बड़ी वारदात करने पर तुला हुआ है। डाकू दल का भगाया जाना या गिरफ्तार होना तुरन्त ही आवश्यक है और दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा दिया जाय। मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिनाँक 24 की रात को 7 बजे राम खिलाड़ी नामक व्यक्ति को थाना फिरोजाबाद उत्तर की पुलिस ने उसके घर हेमाऊपुर से उठाकर ले गयी उसकी बहिन रामवती ने पुलिस कप्तान, आगरा को तार दिया कि उसके भाई को पुलिस घर से पकड़ ले गयी और झूठे केस में फंसाए जाने की सम्भावना है, शीघ्र हस्तक्षेप करें। यह तार 22-50 पर दिया गया और चुक सं0 2501 दर्ज हुआ उक्त राम खिलाड़ी को थाना फिरोजाबाद की पुलिस ने 25 तारीख को गोली मार दी जिसकी शिकायत भी पुलिस कप्तान, आगरा को कर दी गयी। अस्तु सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मामले की जाँच गुप्तचर विभाग से कराई जाये और दोषी लोगों को दंडित किया जावे।

मान्यवर, यह मामला बड़ा ही गम्भीर है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मुख्य मन्त्री को आदेश दें कि वे शीघ्र ही इसकी जाँच सी0आई0डी0 द्वारा करावें।

श्री उपाध्यक्ष--

मुख्य मन्त्री जी इसकी जाँच तुरन्त करा लें ।

बांदा जिले में कमासिन थाना के अन्तर्गत ग्राम वीरघुमाई सुर्की के हरिजनों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सजीवन (जिला बाँदा)--

बाँदा जिले में कमासिन थाना के अन्तर्गत ग्राम बीरघुमाई सुर्की के हरिजनों का घोर उत्पीड़न हो रहा है। पुराने जमींदार और सवर्ण और अराजक आतन्कवादी लोगो द्वारा हरिजनों को लगातार बन्धुआ मजदूर बनाए रखने और कम मजदूरी पर काम कराने की शोषण की स्थिति को लगातार कायम रखने के उद्देश्य से गत जुलाई में कई बार संगठन बनाकर बैठकें की गयीं। उन्होंने निश्चय किया कि गाँव के सभी हरिजन परिवारों से रोजाना सवा सेर गल्ला और 100 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से पूरे साल भर खेती में जबरदस्ती काम कराया जाय। हरिजनों ने उस दर पर मजदूरी करने से इंकार कर दिया। इससे रुष्ट होकर आतन्कवादी तत्वों ने लाठी, बल्लम, भाला और बन्दूकों से लैस होकर हरिजन बस्ती में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

धावा बोल दिया। उनको तथा उनके स्त्री बच्चों को खेतों में टट्टी जाने से रोका गया, रास्ते बन्द कर दिए गए, मवेशी इनके घरों में बन्द करा दिए गये। हरिजनों को सामान बेचने पर एक अहीर दुकानदार को पीटा गया। गाँव के प्राय: सभी हरिजन डर के कारण गाँव छोड़कर भाग गये और दूसरे गाँव में शरण ली।

हरिजनों ने बाँदा में सामूहिक रूप से उप पुलिस अधीक्षक से शिकायत की और जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान को कई बार तार व प्रार्थना-पत्र देकर फर्याद की किन्तु उनकी ओर से कोई कारगर कार्यवाही नहीं हुई। उल्टे सी0ओ0 पुलिस द्वारा भी हरिजनों को बन्धुआ मजदूरी और बेगार करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हरिजनों को आज भी गाली गुफ्ता दिया जा रहा है। हरिजनों के अगुवा चुन्ना, मंगल, मोली, प्रताप, परसन, भौंडा, मंगठियाँ, सिरीवा, बुधुवा आदि को मारने पीटने तथा जान से मार डालने की साजिश की जा रही है। कातिलों, डकैतों को लगाया जा रहा है। हरिजनों में व्यापक आतंक एवं असुरक्षा व्याप्त है। कई बार प्रार्थना-पत्र देने के बावजूद पुलिस कप्तान व जिलाधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते और सामन्तों से साठ-गाँठ किए हैं। एक दिन भी मौके पर जाकर वस्तु स्थिति को नहीं देखा। हरिजनों की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए। विशेष रूप से पुलिस कप्तान हरिजन विरोधी रुख अपनाए है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व प्रश्न पर सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। मान्यवर, आपसे निवेदन है कि इसमें शासन की ओर से जाँच कराकर मुझे अवगत करा दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

मुख्य मन्त्री जी जाँच कराने के उपरान्त सूचना माननीय सदस्य को तो देंगे ही, सदन को भी वस्तु स्थिति से अवगत करा दें ?

नौकरी के लिये सेवा योजन कार्यालय द्वारा नाम भेजने की प्रथा समाप्ति की घोषणा के सम्बन्ध में नियम 30 1 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं शासन का ध्यान इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक 23 अगस्त, 1979 के "स्वतन्त्र भारत" दैनिक समाचार पत्र के पृष्ठ सं0 8 के कालम 5 व 6 में सूचना सेवा योजन कार्यालय द्वारा नाम भेजने की प्रथा समाप्त की घोषणा के कारण प्रदेश के विभिन्न सेवा योजकों द्वारा सेवा योजन कार्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की उपेक्षा कर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है जिसके कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों के लाखों नवयुवक अपने भविष्य को अन्धकारमय देखते हुए चिन्तित हैं। यदि चयनित अभ्यर्थियों को भावी रिक्तियों पर नियुक्त न किया गया तो ये लाखों छात्र आयु सीमा को पार करने के बाद बेकार एवं बेसहारा हो जायेंगे। ज्ञातव्य है कि 1977 से 1979 तक के चयनित अभ्यर्थियों को अब तक कार्य नहीं मिला है जिसके कारण उक्त युवकों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अत: मैं आपके माध्यम से शासन एवं माननीय मन्त्री से अनुरोध करुंगा कि उक्त लाखों चयनित अभ्यर्थियों की परिस्थिति को देखते हुए चयनित अभ्यर्थियों को खपाने के बाद ही अन्य कोई प्रक्रिया अपनाई जाय। साथ ही मैं अपेक्षा करुंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी आज ही इस सम्बन्ध में सम्मानित सदन में घोषणा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा अभ्यर्थियों के आयु सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पी0सी0एस0 हेतु अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष से बढ़ा कर 28 वर्ष कर दी गयी है और यह भी मालूम हुआ है कि इसे और बढ़ाकर 30 वर्ष तक किए जाने हेतु सरकार विचार कर रही है। परन्तु खेद की बात है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (मुन्सिफ) हेतु अधिकतम आयु सीमा अभी तक 30 वर्ष ही है। चूंकि न्यायिक सेवा में 3 साल की अतिरिक्त एल0एल0बी0 डिग्री भी आवश्यक है, इसलिए दोनों सेवाओं में अधिकतम आयु में 3 वर्ष का अन्तर रखा गया था। न्यायिक सेवा (मुन्सिफ) में अधिकतम आयु सीमा 1 साल बढ़ाकर 31 वर्ष नहीं की गयी, यह अनुचित है और इसके कारण ऐसे अभ्यर्थियों एवं नवयुवकों में, जो उत्तर प्रदेश न्यायिक (मुन्सिफ) सेवा की आगामी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उनमें घोर असन्तोष एवं अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है। अतः मैं नियम 301 के अन्तर्गत माननीय सदन द्वारा सरकार का ध्यान लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मथुरा जनपद के पुलिस के विरुद्ध अन्याय व अत्याचार के शिकायत की सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मथुरा जनपद में पुलिस विभाग में अन्याय, अत्याचार सत्य घटनाओं का न लिखना, डकैतों से मिल कर डकैती डालना आदि ऐसी गम्भीर घटनाएं हैं जिससे जनपद की जनता का पुलिस से विश्वास खो चुका है। थाना बल्देव के अन्तर्गत 24/25 अगस्त को दीपचन्द्र को बदमाशों ने गम्भीर रूप से घायल करके लूटा, अस्पताल में पड़ा है। 19 चोटें आईं, घटना नहीं लिखी गयी, सादाबाद थाने के अन्तर्गत दो महिलाओं को जला दिया गया, शव परीक्षण को नहीं भेजे गए, राया थाने के अन्तर्गत पन्तसरा गाँव में एक मुस्लिम महिला की 4-8-79 को हत्या कर दी गयी, इसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, अभियुक्तों से पुलिस मिल गयी, उसी थाने की पुलिस ने ऊदर गाँव से दो अल्प संख्यकों को गोली से भून दिया। ग्रामीणों ने जाँच के समय शपथपत्र घटना की स्थिति के बारे में दिए। थाना सदर बाजार के अन्तर्गत क्रिस्टीनारोज नामक महिला को धारा 394 के अभियोग में पकड़ा। न्यायालय द्वारा नारी निकेतन भेजने के आदेश के बावजूद इसे थाने में रख छोड़ा है।

29 अगस्त, 1979 को मथुरा के नागरिकों ने 17 गम्भीर आरोपों का प्रार्थना-पत्र दिया, उसकी जाँच सतर्कता अधिकारी से कराई जाय। यदि मान्यवर, समुचित व्यवस्था नहीं की गयी, भ्रष्ट, बेईमान अधिकारियों के विरुद्ध जाँच नहीं हुई तो जनता में घोर असंतोष का ज्वालामुखी फूट जावेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानाचार्य जी के रिश्तेदार हैं। अतः अनुरोध करता हूं कि हरिजन छात्रों का जो प्रवेश नहीं ले पाए हैं कृपया उनका प्रवेश कराया जाय। छूतछात मिटाई जाय हरिजन होने के कारण जिन छात्रों को परीक्षाफल रोक कर फेल किया गया है उन्हें पास कराया जाय तथा सम्पूर्ण घटनाओं की पूरी जांच कराई जाय जिससे कानपुर जिले के सारे क्षेत्र में इस फैले हुए जन आक्रोश को रोका जा सके।

मेरठ में राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, जवाहर क्वाटर के भवन का कुछ भाग सील किये जाने से छात्राओं तथा अध्यापिकाओं में असन्तोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

महोदय, मेरठ में राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय जवाहर क्वाटर के भवन के कुछ भाग धारा 46 के अन्तर्गत सील कर दिया गया है जिस कारण विद्यालय को सुचारु रूप से

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मेरठ में राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय जवाहर क्वार्टर के भवन का कुछ भाग सील किए जाने से छात्राओं तथा अध्यापिकाओं में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

चलाने में बाधा पड़ी है। मैं इस संबंध में आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए घटना का विवरण आपके तथा सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

इस प्रकरण का कारण विद्यालय के मीलकुमार जो मीदी पुरम में लिपिक पद पर हैं के पक्ष में आवंटित कर दिया जाना बताया गया है।

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

यह अक्षेप है, यह मैं निकाल दूंगा। यह वा य कट जायेगा।

श्री अजीत सिंह सेठी—

इस अवाँछित आवंटन आदेश के विरुद्ध मेरठ में जनरोष उपत्न्न हुआ तथा राजकीय विद्यालय की छात्राओं एवं अध्यापिकाओं ने विशाल प्रदर्शन किया। अन्याय के विरुद्ध हुये प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों की सहायता करने में माननीय सदस्य विधान सभा श्री मन्जूर अहमद, सदस्य, विधान परिषद् श्री ओम प्रकाश शर्मा सहित 9 अन्य समाज सेवी कार्यकर्त्ताओं को उत्पीड़न हेतु जेल भेज दिया गया तथा प्रदर्शनकारी छात्राओं एवं अध्यापिकाओं के साथ पुलिस व प्रशासन ने अशोभनीय व निन्दनीय उत्पीड़क दुर्व्यवहार किया गया।

स्थानीय अधिकारियों ने बाद में इन नेताओं के साथ हुई वार्ता में आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उक्त आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया जायेगा। परन्तु उच्च प्रभाव के तहत रचे गये षडयंत्र के अनुसार भवन का आवंटित भाग सील कर दिया और अभी तक वह सील बन्द भाग सील तोड़कर विद्यालय की प्रधानाचार्य को सुपुर्द नहीं किया गया है। साथ ही इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा वहाँ की कुछ अध्यापिकाओं को प्रताड़ित करने की नीयत से स्थानान्तरण आदेश भी किये गये हैं। इन परिस्थितियों में जन आक्रोश निरन्तर बढ़ रहा है तथा यदि कोई सामयिक हस्तक्षेप तत्काल न किया गया तो किसी भी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती है। अतः मैं सदन के माध्यम से आपसे तथा शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरठ के प्रशासन को वाँछित आदेश तत्काल दिये जायें जिससे उक्त आवंटन रद्द कर, विद्यालय को सील बन्द भाग को प्रधानाचार्य को तत्काल सुपुर्द किया जाय। अध्यापिकाओं के उत्पीड़न हेतु समस्त अवाँछित स्थानान्तरण निरस्त किये जायें तथा सम्पूर्ण प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर उन्हें दंडित किया जाये।

जनपद कानपुर की शिक्षण संस्थाओं में हरिजन छात्रों को प्रवेश में कठिनाई होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मौजीलाल कुरील (जिला कानपुर)—

मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान माननीय शिक्षा मंत्री की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद कानपुर की शिक्षण संस्थाओं में हरिजन छात्रों के प्रवेश में घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र देहात व शहर के इन्टर कालेजों में भटकते घूम रहे हैं कहीं पर दाखिला नहीं लिया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से जो छात्र फर्स्ट क्लास व सेकेन्ड क्लास उत्तीर्ण हैं उनका प्रवेश 101 रुपया से लेकर 501 रुपये दान लेकर किया जा रहा है?

मान्यवर, आर0 एस0 ग्रामोद्योग इन्टर कालेज पुखरायां में की जा रही पक्षपात व उपेक्षापूर्ण नीति से प्रेरित होकर प्रधानाचार्य ने कहा कि कक्षा 11 के दस छात्रों के परीक्षाफल

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री मौजी लाल कुरील]

जो रोक लिये थे सभी को फेल कर दिया। दुबारा एडमीशन नहीं लिया। कुछ छात्र दूसरे कालेजों में चले गये हैं और कुछ घर में बैठ गय। हरिजन छात्र इस कालेज में अपने स्वाभिमान को जिन्दा रख कर कोई शिक्षा पूरी नहीं कर सकता है। आज भी यहाँ पर कोई छात्र लोटा लेकर पानी नहीं पी सकता है।

मान्यवर, इन्हीं अनियमितताओं की सूचना मैंने आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत दिनाँक 31 मई को दी थी जिसकी कोई जाँच तक नहीं की गयी है।

विधान सभा सदस्य, श्री रवीन्द्र सिंह की हत्या के सम्बन्ध में प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव को नियम निलम्बित करके पहले लिये जाने की मांग

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री सोहन बीर सिंह तोमर से) आपका औचित्य का प्रश्न है ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

जी हाँ। मैंने आपकी आज्ञा से औचित्य के प्रश्न की सूचना दी है जिसे सदन में उठाना चाहता हूं।

मान्यवर, यहाँ पर हमने श्री रवीन्द्र सिंह की मौत पर शोक प्रस्ताव सदन में पेश किये लेकिन उसके बाद जो घटना सामने आयी है उनमें जो काउंसिल में सरकार का वक्तव्य आया है उसके अलावा जो माननीय मुख्य मंत्री ने वक्तव्य दिया है उससे सारे के सारे प्रदेश में भ्रम पैदा हो गया है। यह बात अब स्पष्ट हो गई है कि जिस दिन श्री रवीन्द्र सिंह को वहाँ से विशेष रूप से जहाँ डायलिसिस की व्यवस्था हो, वहाँ जाँच के लिए जैसे चण्डीगढ़ या दिल्ली ले जाया जाना था, वहाँ इसलिए नहीं ले जाया जा सका कि श्री बी० पी० मौर्य, राज नारायण तथा सत्य प्रकाश मालवीय जिस हवाई जहाज से गोरखपुर गये थे, शासन ने काउन्सिल में वक्तव्य दिया है कि वह फोर सीटेड था इसलिए श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने कहा कि इसमें वे नहीं जा सकेंगे। हम इसे वापस लिये जा रहे है वहाँ से 6 सीटेड भेजेंगें। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि श्री रवीन्द्र सिंह को ले जाने के लिए श्री चन्द्र शेखर ने वहाँ के कमिश्नर को कहा था कि जब तक पटना से डाक्टर न आ जायें, न ले जायें लेकिन श्री चन्द्र शेखर से मैंने बात की कि क्या आपने कमिश्नर से कहा था कि श्री रवीन्द्र सिंह को न ले जायें तो श्री चन्द्र शेखर ने बताया और यह अधिकार दिया कि मैं सदन को बता दूं कि हमने ऐसा नहीं कहा। 4 बजे गोरखपुर से फोन आया था कि डाक्टरों की राय है कि श्री रवीन्द्र सिंह अगर तुरन्त दिल्ली न ले जाये गये तो नहीं बचेंगे। श्री सत्य प्रकाश मालवीय यू० पी० गवर्नमेन्ट के हवाई जहाज से श्री राज नारायण, बी० पी० मौर्य को लेकर चले गय।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 301 की जो सूचना है उसको पढ़ कर....

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

हमने आपके संज्ञान में ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

औचित्य के प्रश्न के रूप में इसे उठाने की इजाजत नहीं देता क्योंकि यह जो नियम 301 है.....

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

आप नियमों को स्थगित कर के कामरोको प्रस्ताव पहले ले लीजिये। यह हम सब सदस्यों की समस्या और जीवन का सवाल है .....

(व्यवधान)

आप अपने प्रभाव का प्रयोग करके कामरोको प्रस्ताव ले लें उसके बाद ही हाउस का कोई दूसरा काम हो।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मैंने पहले भी कामरोको प्रस्ताव की सूचना दी है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है .....

(शेम) (शेम)

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 हमने आज लिया नहीं है। श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने....

(शोर)

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

***श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—

माननीय श्री रवीन्द्र सिंह जी के ऊपर किये गये बड़े ही क्रूर आक्रमण के बाद जो समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि शासन उनकी चिकित्सा के लिये बहुत ही तत्पर है। हमने अखबारों में यह भी पढ़ा कि वहाँ पर डाक्टर भी गये और मंत्री भी बार-बार गये। एक तरफ तो शासन ने यह तत्परता दिखाने का प्रयास किया, लेकिन जब यह तत्परता दिखाने के बाद मेडिकल आफीसरों ने कहा कि एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है जिससे तत्काल उपचार की आवश्यकता है तो यह जो मंत्री वहाँ पर थे उनके लिये आवश्यक था कि .....

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो बाद में आयेगा। इस समय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने कहा कि नियम 56 को .....

(शोर)

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान.....

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर—शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आप उस विषय पर न जाइये।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

आज का जो कार्यक्रम बना है उसकी मद 17 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गोरखपुर जिले के विधायक, श्री रवीन्द्र सिंह पर दिनाँक 27 अगस्त, 1979 को गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर गोलियों से प्राण घातक प्रहार किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीनारायण ....

(शोर)

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह कह रहा था कि श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने प्रस्ताव रखा है, वैसे तो सूची में नियम 56 बाद में आता है, लेकिन श्री तिवारी का प्रस्ताव है इसको इसी समय ले लिया जाये, तो इसके बारे में सदन का क्या कहना है ?

(शोर)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि नियम 301 में सूचना दी गयी है। तीन नहीं बल्कि 6 माननीय सदस्यों ने सूचना दी है। इनके नाम हैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री श्रीनारायण, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री पद्माकर लाल, श्री दुखी लाल और एक और कोई माननीय सदस्य हैं। नियम 56 में अलग से सूचना है। तो आज की जो कार्यसूची है उसमें तो मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य होना ही है। शासन यह नहीं चाहता कि माननीय सदस्यों की जानकारी से कोई तथ्य छुपाये जा सकें। इस संबंध में पूरा वक्तव्य दे दिया जायेगा। जो कार्य सूची में है उस पर....

(शोर)

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 को पहले ले लें।

मैंने यह कहा कि श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने यह प्रस्ताव रखा है कि नियम 56 अभी ले लिया जाये तो इस संबंध में कोई आपत्ति आपको है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

इस पर आपत्ति है मान्यवर, जिस प्रकार से कार्यक्रम बना है उसी हिसाब से चलाया जाये। इस प्रस्ताव को लेने की सूचना पहले से दी गयी होती तो और बात थी।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, श्री तिवारी जी ने जो यहाँ पर प्रस्ताव रखा है, श्री रवीन्द्र सिंह की चिकित्सा के बारे में उनको कोई शंका है, उनका प्रस्ताव है कि नियमों का निलम्बन कर यहाँ पर उनके प्रस्ताव पर विचार हो।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 की नोटिस है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मेरा निवेदन है कि रवीन्द्र सिंह की मौत पर हम सबको दुख है उनकी मृत्यु के बारे में जो समाचार-पत्रों में निकला है उसके बारे में कितनी सचाई है कितनी नहीं है, शासन की तरफ से बयान आयेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मामले को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

(मेजों की थपथपाने की आवाजें।)

इसके पहले कि आप औपचारिक रूप से किसी प्रस्ताव पर विचार करें मेरा निवेदन है कि श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने जो 27 तारीख से 30, 31 तारीख तक श्री रवीन्द्र सिंह के उपचार के लिये व्यक्तिगत रूप से रुचि ली और घर पर, परिवार के सदस्यों से और पत्नी से मिले और जितनी भी रुचि लेकर मदद करनी चाहिये, उसमें उन्होंने की है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

इस पर चर्चा शुरू करने के पहले मेरा निवेदन है कि श्री सत्य प्रकाश मालवीय को सुन लें। श्री रवीन्द्र सिंह की मौत को लेकर राजनीतिक स्टन्ट बनाना, यह उचित नहीं है और श्री राजनारायण ने उस वायुयान को लेकर ऐसा किया कि उनके उपचार में देर की। मैं समझता हूं कि यह बात सत्यता से परे है।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(शोर)

मेरा प्रश्न है कि आज नेता विरोधी दल श्री राज मंगल पा०डेय नहीं हैं। उनके स्थान पर श्री राम प्रकाश जी खड़े हुये लेकिन आपने उनको बुलाया क्यों नहीं?

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

नियमों के संबंध में जब कोई प्रस्ताव आता है, तो अध्यक्ष को सुनने का अधिकार है। मैं उसी के ऊपर सुन रहा हूं।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने नेगी जी को बुला लिया है। आप बैठें।

(शोर)

एक सदस्य—

हत्यारे वह हैं जो उधर बैठे हैं।

(शोर)

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, निवेदन यह है कि जो कुछ अखबारों में छपा है वह और नियम 56 अपनी जगह पर है। इस पर अभी बहस हो जाय तो मेरे ख्याल से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिये।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

मैं निवेदन करूंगा कि पूरे विपक्ष की ओर से जो मांग जा रही है कि अभी विचार हो जाय तो नियम 56 पर अभी चर्चा होनी चाहिये। चूंकि एक माननीय सदस्य की मृत्यु के बारे में यह है इसलिये नियमों के निलंबन का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार करके अभी विचार हो जाय।

*श्री राम प्रकाश (जिला लखनऊ)—

माननीय अध्यक्ष जी, सदन में नियमों को निलंबित करके कोई विषय प्राथमिकता से लिया जाय, अगर यह प्राविधान है तो मैं समझता हूं कि आज इस विषय से अधिक महत्व का कोई दूसरा विषय नहीं हो सकता।

(मेजें थपथपाई गईं।)

(शोर)

इसी सदन में जो भावनायें व्यक्त की गयीं हैं और जिस तरह से दोनों ओर बैठने वाले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम प्रकाश]

नेताओं ने अपने भाव व्यक्त किये उससे यह सिद्ध है कि यह विषय भावनाओं का विषय है और यदि इस सदन के माननीय सदस्य की मृत्यु के बारे में यह भावनायें उठ रही हैं तो मैं नहीं समझता कि सरकार को मानने में क्या आपत्ति है कि नियम 56 को अभी ले लिया जाय। इसलिये अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि इसके बारे में सूचना प्राथमिकता के आधार पर जो सरकार के पास सूचनायें हैं और जो तथ्य हैं उनको रखने का सवाल है तो उसको रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नियम 56 में प्रस्ताव लाकर पेश करायेंगे तो यह नियम के विरुद्ध होगा। इसलिये निवेदन है कि यदि आप कार्य को स्थगित करके मंत्री से या सरकार से वक्तव्य की अपेक्षा करते हैं तो उसके लिये हम तैयार हैं और अभी बयान दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 में जो नोटिस दी गयी है मैं उसको पहले लेता हूं। इसमें मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यगण, जिन्होंने अपने नाम दिये हैं वह संक्षेप में एक-एक या दो-दो मिनट बोलें और बाद में सरकार को मैं सुनूंगा। चूंकि यहाँ प्रस्ताव आया है नियम 56 को पहले लेने के लिये और उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है, इसलिये इस सूचना को थोड़ी देर पहले अभी लिये लेते हैं। इससें हर्ज की कोई बात नहीं है।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, मेरा निवेदन था कि नियम 56 से लेते हैं तो मुझे आपत्ति है और यदि प्राथमिकता के आधार पर आप पूरे तथ्यों से अवगत होना चाहते हैं तो उत्तर देने के लिये हम तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो ग्राह्यता के आधार पर सुन रहे हैं।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे इसमें आपत्ति नहीं है कि नियमों को निलम्बित करके इसको उठाने की अनुमति दें, लेकिन एक निवेदन है कि सारी घटना शासन को मालूम है और माननीय श्री सत्य प्रकाश मालवीय और मैं भी वहाँ गया हूं, इसलिये निवेदन है कि पहले आप उनके पास जो तथ्य हैं उनको सुन लें और तब बहस करा लें।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 की ग्राह्यता के बारे में मैं सुन रहा हूं। श्री मालवीय जी को मैं बाद में सुनूंगा। अभी तो नोटिस जो दी गयी है, उसकी ग्राह्यता के बारे में सुन रहा हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

नियमों को निलम्बित करके मान्यवर, श्री मालवीय को सुन लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 की ग्राह्यता पर जिन माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है मैं उनको सुन रहा हूं। इसमें मैंने प्राथमिकता दे दिया है। इस पर अभी कहा गया था कि नियम 56 में ग्राह्यता के बारे में कोई आपत्ति भी नही है। कोई इस संबंध में निश्चिय नहीं किया है और न कोई बयान कराने जा रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि यह प्रश्न तथ्यों का नहीं, भावनाओं से अधिक जुड़ा हुआ है। ऐसे मसले पर ग्राह्यता के बारे में बहस करायेंगे तो अच्छा नहो होगा। मकसद यह है कि श्री रवीन्द्र सिंह जी के इलाज के संबंध में जो तथ्य सरकार के पास हैं उनसे सदन को अवगत होना चाहिए और उन तथ्यों से अवगत कराने के लिये हम तैयार हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि न तो आप ग्राह्यता पर बहस करायें और न नियम 56 पर वरन् जो तथ्य हैं, उन तथ्यों से अवगत कराने के लिए हमें आदेश दें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो रवीन्द्र नाथ तिवारी जी का प्रस्ताव आया है। आप क्या चाहते हैं कि इस पर मैं मतदान कराऊं? मैं इस विषय में मतदान नहीं कराना चाहता।

श्री रमा शंकर कौशिक--

ठीक है, करा लीजिए।

श्री राम प्रकाश--

इस पर तो निर्णय हो चुका है इसलिए अब मतदान कराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने आपत्ति की, लेकिन मैंने इसे मुनासिब नहीं समझा। यह अध्यक्ष का अधिकार है। इसको ग्राह्य करार देना मुनासिब है या नहीं, इस पर तो मैं सुनना चाहूंगा। आप ज्यादा समय न लें, क्योंकि यह कोई बहस का मुद्दा नहीं है और न आप इसे बहस का मुद्दा बनायें, केवल ग्राह्यता पर बोलें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो गंभीर घटना घटी है उसके संबंध में बहुत थोड़े समय में अपनी बात रखना चाहूंगा। मान्यवर, मैंने सूचना लिखित दी है केवल पढ़ देता हूं जिससे आशय स्पष्ट हो जायेगा। मान्यवर, इस सदन के युवा विधायक रवीन्द्र सिंह जी की गंभीर अवस्था देख कर लखनऊ मेडिकल कालेज के विशेषज्ञ डाक्टरों ने उन्हें मेडिकल इन्स्टीट्यूट दिल्ली अथवा चंडीगढ़ भेजने की राय दी थी . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, इस पर घोर आपत्ति है केवल ग्राह्यता के ऊपर सुनने की कृपा करें। मुझे नियमों की ओर ध्यान आकृष्ट करना पड़ेगा। माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि यह सम्वेदनशील विषय है। आप लोग कृपया ग्राह्यता पर बात करें तथ्यों पर कृपया न जायें। तथ्य जो प्रस्तुत किये जायेंगे . . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल . . . . .(व्यवधान) बहस का मुद्दा न निकालें . . . . .

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है. . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्. . . . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि कितनी गंभीर घटना घटित हुई है। हमारे युवा विधायक रवीन्द्र सिंह जी हमारे बीच से चले गये। कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे किसी प्रकार की गलत फहमी पैदा की जाय. . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आपने यह निर्देश दिया है कि केवल ग्राह्यता पर सदस्य बोलें। ग्राह्यता किसकी है, यह विषय की जानकारी तो हमें दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 के सम्बन्ध में यह परम्परा नहीं रही है। यह पढ़ा न जाय, सुना जाय।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, कन्वेन्शन रहा है.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नहीं मानता।

श्री रियासत हुसैन—

जब पढ़ा नहीं जायगा तो ग्राह्यता पर कैसे बोलेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता।

श्री रियासत हुसैन—

मैं व्यवस्था चाहता हूं। नियम 56 के ऊपर एक इश्यू पर ग्राह्यता के बारे में आप सदन को सुनना चाहते हैं तो जब तक हम लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि वह नियम 56 में क्या इश्यू है जिस की ग्राह्यता के बारे में आप सदन को सुनना चाहते हैं तो किस चीज के ऊपर आप बहस कराना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

पढ़ने की इजाजत मैं उस समय देता जब वह अनुमति माँगते। अनुमति माँगने का तो प्रश्न ही नहीं है। अभी तो ग्राह्यता के संबंध में सुनने का है। मैं पढ़ने की इजाजत नहीं देता।

श्री रियासत हुसैन—

तो आप स्वयं ही पढ़ कर सुना दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

नियम 56 की ग्राह्यता के सम्बन्ध में जो नियम 58 है उनको देखने की कृपा करें। माननीय नारायणदत्त जी और रियासत साहब ने जो बात कही वह यह कि जब तक विषय सामग्री सदन के सामने न हो तब तक माननीय सदस्य बोलेंगे क्या ? मैं पूरी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कि यह एक नाजुक मामला है और भावनाओं से जुड़ा हुआ है जब तक सदन के सामने रखूंगा नहीं तो माननीय सदस्य बोलेंगे किस विषय पर। इसमें है कि एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किये जायेंगे। मैंने एक का प्रस्ताव आपके सामने रखा है। एक ही विषय है कि माननीय रवीन्द्र सिंह पर गोरखपुर में हमला हुआ और वह अस्पताल में थे। लखनऊ से कुछ विशेषज्ञ डाक्टर उनको देखने गये। उन्होंने कहा कि अगर इनके प्राण बचाना चाहते हैं तो इनको दिल्ली या चंडीगढ़ ले जाया जाय। रवीन्द्र सिंह के पास तो साधन थे नहीं। मैं उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री श्रीवास्तव को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा कि सरकारी हवाई जहाज उनको लेकर जायगा। जिन विशेषज्ञों को हवाई जहाज गोरखपुर ले कर गया था वह उनको लखनऊ वापस लेकर आता है। लेकिन यहाँ परिस्थिति बदल गयी। मैं नाम नहीं लेना चाहता। जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनारायण को पार्टी के काम से जयपुर जाना था। यह सरकार अपने कर्त्तव्य से च्युत हो गयी। उसने एक युवा विधायक के मरने की चिन्ता नहीं की और हवाई जहाज से राजनारायण को जयपुर भेज दिया। अगर यह हवाई जहाज गोरखपुर चला गया होता और वहां से रवीन्द्र सिंह को लेकर दिल्ली या

चंडीगढ़ चला गया होता तो इस सदन को उनकी मृत्य का शोक प्रस्ताव पारित न करना पड़ता, उनके प्राण बच सकते थे। विषय सामग्री यह है। अभी हाल की घटी घटना है।

(व्यवधान)

इसलिए मेरा कहना यह है कि इसको स्वीकार किया जाय।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मुझे इसकी ग्राह्यता पर केवल इतना ही कहना है कि मेरे नोटिस में मुख्य मुद्दा यह उठाया गया है कि प्रदेश की सरकार द्वारा श्री राजनारायण जी को एक्स्ट्रा कॉंस्टीटयूशनल रिकाग्नीशन मिली हुई है।' जिसकी वजह से रोज ब रोज वह सरकारी साधनों का दुरुपयोग करते हैं। अभी एक विमान उनको लेकर सतना में तांत्रिक से मिलने गया वहाँ वह डैमेज हुआ। जब हमारे इस सदन का एक विधायक गोरखपुर में मौत से जूझ रहा था और उसके लिए वायुयान की जरूरत थी तो वह उनके लिए न देकर राज नारायण जी को दिया गया। मेरा अनुरोध है कि यह एक असंवैधानिक कार्य किया जा रहा है, एक व्यक्ति के इशारे पर विधायकों तक का जीवन असुरक्षित हो गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि नियम 58 में जितने भी उपनियम हैं वह सब इस पर लागू होते हैं और यह प्रस्ताव उन सब शर्तों को पूरा करता है। एक बात उधर से कही जा सकती है कि उपनियम (6) में प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लाया जा सकेगा जो पहले से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो। यह आपत्ति उधर से की जा सकती है। लेकिन किसी को संविधानेतर अधिकार प्राप्त है यह प्रश्न अभी तक किसी ने भी नहीं उठाया है। यह नहीं है। इसलिये वह भी इसमें बाधक नहीं होगा। यह पूरी तरह से ग्राह्य है। इस पर विचार होना चाहिये।

(श्री श्यामधर मिश्र का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

जिसका प्रस्ताव है क्या ग्राह्यता पर वही बोल सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसी बात नहीं है। मैं सुन सकता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा--

ग्राह्यता पर क्या कोई भी व्यक्ति राय दे सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इधर से बात आ गयी है। अब उधर से भी बात आना चाहिये।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य बैठ जायं। मैं आपकी आज्ञा से बोल रहा हूं। सदन में औचित्य के प्रश्न पर तोमर जी ने यह तय कर दिया कि 56 धारा का कार्यक्रम होगा और सारे नियम निलम्बित कर दिये गये। अब मैं धारा 56 पर खड़ा हो गया कि जो अविलम्बनीय लोक महत्व का कार्य-स्थगन प्रस्ताव है वह ग्राह्य है या नहीं। हमें इस पर नहीं जाना है कि हत्या हुई या की गयी है, यह तो मेरिट के बात है। ग्राह्य हो जायगा तब इस पर चर्चा होगी। उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे केवल यह कहना है कि एक तो प्रस्ताव पहले से ही इस सदन में है तो यह प्रस्ताव ग्राह्य नहीं है। आज ही नियम 51 के अन्तर्गत आपकी आज्ञा से एक वक्तव्य होने को है, उस पर विवाद होगा। दूसरे, माननीय तिवारी जी ने आशंका व्यक्त की और उन्होंने सही बात कही कि नियम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामधर मिश्र]

58 (6) देख लिया जाय प्रस्ताव में ऐसा कोई विषय नहीं लिया जायगा जो पहले से सदन में विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो या लिया जाने वाला हो और आज की तारीख में एजेंडा में 17 नम्बर पर निश्चित रूप से वह विषय है .....

श्री उपाध्यक्ष—

यह विषय दूसरा है, नियम 51 में जिसे मैंने स्वीकार किया है वह उनकी हत्या के बारे में है। जो नियम 56 में लाया गया है, वह दूसरी बात है।

श्री श्यामधर मिश्र—

साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि आपकी सदन में सदैव यह रूलिंग रही है कि या तो 56 ले लिया जाय या 52 अथवा 51 ले लिया जाय। 51 में हुआ तो साधारणतया आपने 51 में ही लिया है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि यह अग्राह्य है, इसको आपको अग्राह्य करना चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

उपाध्यक्ष महोदय, विषय की गंभीरता के विषय में कोई दो राय नहीं हैं और मेरा तो यह निवेदन है कि इस विषय को दलगत नहीं बनाना चाहिये। यह बहुत गंभीर विषय है जिसके साथ भावनायें जुड़ी हुई हैं। अब जहाँ तक ग्राह्यता का सम्बन्ध है माननीय श्यामधर मिश्र जी ने 58 (6) का जिक्र किया लेकिन इसी उप नियम में एक परन्तुक है "किन्तु इस आधार पर प्रस्ताव को ग्राह्य करने के सम्बन्ध में अध्यक्ष इस बात को ध्यान में रखेंगें कि प्रत्याशित विषय पर चर्चा उचित समय पर हो।" अब उचित समय कौन सा होगा ? इससे बड़ा उचित समय और कोई नहीं हो सकता है कि आज माननीय सदन ने तमाम नियमों का निलंबन कर दिया और इसके ऊपर चर्चा माँगी है। यह मामला गंभीर ह और इस विषय पर चर्चा होना परन्तुक को कवर कर लेता है। जहाँ तक विषय का सम्बन्ध है, वह मालूम नहीं है। अगर विषय इतना ही ह कि माननीय रवीन्द्र सिंह की हत्या हुई है उसके बारे में जाँच होनी चाहिए या उनको इलाज की सुविधायें जो देनी चाहिए थीं वह नहीं दी गई, तो यह विषय ग्राह्य है। मान्यवर, आपकी व्यवस्था है कि प्रस्ताव नहीं पढ़ेंगे लेकिन प्रस्ताव पढ़े बगैर कैसे काम चलेगा ? फिर भी मामला गम्भीर है, अखबारों में छप चुका है कि हवाई जहाज उनको लेने के लिये नहीं जा सका। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसको ग्राह्य करें क्योंकि आपने सदन की भावनाओं को देख लिया है और नियमों का निलंबन कर लिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जो प्रश्न हमारे सामने विचाराधीन है और जिसे स्वयं आपने अपने विवेक से हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह यह ह कि क्या यह प्रस्ताव जिसकी जानकारी यहाँ अभी नहीं हुई है, इसकी शब्दावली की जानकारी नहीं हुई है, उसको ग्राह्य किया जाय अथवा नहीं। श्रीमन्, पहली बात यह है कि सदन की भावनाओ को देखते हुए आपने स्वयं अपने संज्ञान से नियमों का निलम्बन आदेशित किया है और इसका अर्थ यह था कि यह प्रस्ताव ग्राह्य माना जाय अन्यथा नियमों के निलंबन का कोई औचित्य नहीं होता। किस नियम का निलंबन किया गया, यह भी नहीं है क्योंकि कार्यसूची में कार्यस्थगन प्रस्ताव 10 पर है और आपने इसको दूसरे नम्बर पर ले लिया। इसका मतलब यह है कि इस पर पहले विचार कर लिया जाय और सारे नियमों को जो कार्यक्रम से सम्बद्ध हैं, उनको निलम्बित करके उस काम रोको प्रस्ताव को ले लिया जाय....

श्री उपाध्यक्ष—

यह केवल प्राथमिकता देने की बात थी और प्राथमिकता औचित्य के प्रश्न की ग्राह्यता के विषय पर सुनने के लिये थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अध्याय 10 में प्रस्ताव की ग्राह्यता की चर्चा के बारे में नहीं लिखा है। इसमें ग्राह्यता में विवाद नहीं होता। इसके नियम 60 में लिखा है कि यदि अध्यक्ष इस विचार के हों कि प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है और नियम 57 के अन्तर्गत वे अपनी सम्मति दे तो वे सम्बद्ध सदस्य को पुकारेंगे। नियम 57 में यह है कि इन नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी लोक महत्व के निश्चित अविलम्बनीय विषय पर चर्चा करने के उद्देश्य से सदन के कार्यस्थगन का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्तुत किया जा सकेगा। श्रीमन्, ग्राह्यता का चैप्टर अध्याय 9 में है। आपको इसमें केवल यह निर्णय करना है कि प्रस्ताव निश्चित है और अविलम्बनीय विषय है। आपने इसे प्राथमिकता देने का निर्णय ले लिया है तो इसको आप ग्राह्य भी करार करें। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक तरफ तो आपने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

मान्यवर, एक दिन तो आपने, इसी सदन ने प्रश्नों के घन्टों को काट कर उनको विशेष महत्व देकर सदन को स्थगित कर दिया और फिर उसकी चर्चा के बारे में ग्राह्यता पर विवाद यहाँ पर हो, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके अलावा मेरे पास एक तार आया है जो कि रवीन्द्र सिंह जी के भाई का है जिसको पढ़ने से आप इसको अवश्य ग्राह्य करेंगे। श्रीमन्, तार में लिखा है—"सदन में रामाधार पाँडेय का यह कथन कि रवीन्द्र सिंह के परिवार वालों ने दिल्ली ले जाने के लिये समय चाहा था, गलत है। मैं तथा परिवार के अन्य लोग समुचित व्यवस्था करके सरकार के निर्देशानुसार 30 अगस्त को सायंकाल 4 बजे विमान आने की प्रतीक्षा कर रहे थे परन्तु निश्चित समय के बाद सूचना मिली कि विमान कहीं अन्यत्र चला गया है और हम लोग विमान का इंतजार करते रहे।

अंगद सिंह मंसरिया,
रवीन्द्र सिंह के भाई, गोरखपुर।"

तो यह उनके भाई का तार रखा है उससे और भी सुनिश्चित हो जाता है कि आप इसे ग्राह्य करें।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव से) आप केवल ग्रा यता के बारे में कहें।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—

माननीय श्यामधर जी इस विषय को कहीं दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे थे। यह विषय जिसको हमने प्रस्तुत किया है नियम 56 के अन्तर्गत कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया है। इसके सम्बन्ध में निवेदन है कि लोक महत्व का यह अविलम्बनीय और निश्चित विषय है। हमारी सरकार के साधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह हमारा निश्चित आरोप है। हमने आपको पहले भी एक पत्र दिया था और माननीय राज्यपाल को भी पत्र दिया था कि [× × ×

और यह सरकार ....

श्री शतरुद्र प्रकाश—

यह आपत्तिजनक है, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

जो औचित्य के बारे में है उसको मैं रखूंगा और जो बाकी बातें आपने कहीं, इसकी इजाजत मैं नहीं देता। इसको कार्यवाही से निकाल देंगे। जो विषय है उसके औचित्य को हम रखेंगे और आप ग्राह्यता के बारे में बोल रहे हैं उसको रखेंगे।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर---

यह ग्राह्यता के बारे में है इसे कैसे निकालेंगे ?

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव---

श्री राजनारायण जहाज लेकर चले गये इसलिए माननीय रवीन्द्र सिंह को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करा सके। हमारे कौंसिल में भी इसकी चर्चा हुई। माननीय रवीन्द्र सिंह के परिवार के लोगों का तार जो अभी माननीय नारायण दत्त तिवारी ने पढ़ा है, आपको भी वह तार आया है। माननीय राम आधार पाण्डेय काउंसिल में दूसरा स्टेटमेंट देते हैं और बनारसीदास जी का वक्तव्य दूसरा आता है और माननीय मधुकर दिघे का तीसरा आता है, तो इस प्रकार तीन कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आते हैं। श्री रवीन्द्र सिंह को विमान उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा सका। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इस पर श्री सोहन वीर सिंह तोमर जी ने इशारा कर दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर ने गोरखपुर के आयुक्त से कहा कि जब तक पटना का डाक्टर उनको न देख ले, तब तक उनको शिफ्ट न किया जाय। परसों मेरी माननीय चन्द्रशेखर जी से बात हुई उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि उनकी कोई बात गोरखपुर के कमिश्नर से नहीं हुई। उसी के तहत मैंने माननीय मुख्य मंत्री के वक्तव्य का खंडन भी किया था जो कल अखबारों में प्रकाशित भी हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब माननीय चन्द्रशेखर जी को यह मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश के विमान को राजनारायण जी लेकर चले गये है तो पार्टी की तरफ से किराये पर उन्होंने हरियाणा प्रदेश के विमान की व्यवस्था की और माननीय चन्द्रशेखर जी ने कहा था कि वह 31 तारीख को आकर श्री रवीन्द्र सिंह को ले जायगा। लेकिन दुर्भाग्य से 30 तारीख को सरकार की विफलता के कारण वह हमारे बीच नहीं रहे। यह महत्वपूर्ण विषय है इस पर चर्चा होनी चाहिये।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राधेश्याम शर्मा---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह किस नियम में लिखा है कि ग्राह्यता पर वही बोलेंगे जिन्होंने नोटिस दिया हो या जिनके नाम उसमें हों।

श्री उपाध्यक्ष ---

मैंने यह कहा कि उनको मौका देना जरूरी है।

श्री राधेश्याम शर्मा---

क्या हमें मौका नहीं देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

पहले उनको मौका दूंगा।

(व्यवधान)

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप क्या चाहते हैं कि यह (श्री ओझा) न बोलें ? मैंने श्री जनार्दन प्रसाद ओझा को बुला लिया है क्या आप यही व्यवस्था उठा रहे हैं ?

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

यह व्यवस्था का प्रश्न मैंनें नहीं उठाया है कि वह बोलें या न बोलें। मैं आपका निर्णय इस संबंध में चाहता हूं अभी पद्माकर लाल बोल रहे थे, उन्होंने जो शब्द प्रयोग किये नियम 304 में अधिकार की व्याख्या है—यदि अध्यक्ष की राय हो. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने एक निर्णय ले लिया है, अब मैं सुनना नहीं चाहता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

यह प्रश्न नियम 56 में विचाराधीन है और उसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में आप सुनना चाहते हैं। ग्राह्य तो आपने कर दिया, उस उक्त, जिस वक्त औचित्य को स्वीकार कर लिया। जिसको आपने और सदन ने ग्राह्य कर लिया, फिर उस पर कुछ कहने का औचित्य मेरी समझ में नहीं आता है। श्यामधर मिश्र जी के सम्बन्ध में मेरी बड़ी अच्छी धारणा है। यह इस पक्ष और उस पक्ष का सवाल नहीं है। इसमें इधर और उधर दोनों पक्षों की भावनाएं हैं, इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से हमको देखना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। यह केवल रवीन्द्र सिंह जी का नहीं, हम सभी विधायकों का प्रश्न है। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को श्यामधर जी इतने नीचे स्तर तक ले जाएंगे, इसकी मैं कल्पना नहीं करता था। इसमें केवल देखने की बात इतनी है कि इसमें तात्कालिकता है या नहीं, लोकमहत्व का प्रश्न है या नहीं और देखना यह है कि इस संबंध में कोई दूसरा प्रश्न तो विचाराधीन नहीं है। यह लोक महत्व का प्रश्न है, इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न तो 30 वर्ष के विधान सभा के इतिहास में कभी नहीं आया है।

माननीय सदन का एक सदस्य इस तरह पशु के समान सार्वजनिक स्थान पर बलिदान हुआ, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में यह लोकमहत्व का है, ग्राह्य है, सदन की भावनाओं को परिलक्षित करने वाला है और सभी की भावनाओं के अनुकूल है। जहाँ तक दूसरा प्रश्न है, नियम 51 में आप देखें, यह आईटम नं0 17 पर है— गोरखपुर जिले के विधायक श्री रवीन्द्र सिंह पर दिनाँक 27 अगस्त, 1979 को गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर गोलियों से प्राण घातक प्रहार किये जाने के संबंध में दी गयी सूचनाओं पर नियम 51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य। यह जो आईटम नम्बर 17 है, उसका कोई सम्बन्ध उनको प्रदान किये गये उपचार और सुविधाओं तथा राजनारायण द्वारा प्रयुक्त राजकीय वायुयान से नहीं है। यह एक नया विषय है, दूसरा विषय है। इसलिए मैं चाहता हूं. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप सीधे यह बताएं कि यह ग्राह्य हो या न हो?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जी हाँ, ग्राह्य हो चुका है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, इसमें प्रश्न सिर्फ इतना है, हम उत्तर प्रदेश विधान सभा में माननीय सदस्य और मंत्री के रूप में बैठे है, हम साढ़े 12 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रदेश में कहीं कत्लेआम हो जाए, कहीं बहुत जाने चली जाएं. . . . .

श्री उपाध्यक्ष —

आप तो भाषण दे रहे हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्री रवीन्द्र सिंह का मामला एक बहुत ही अहम मामला है और अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। आपकी कार्यसूची में इससे अहम और मुख्य कोई दूसरा सवाल आज नहीं है। इससे आवश्यक और कोई प्रश्न प्रदेश की जनता के लिए हो नहीं सकता है। इसलिए सारा काम बाद में हो, पहले यह प्रश्न तय होना चाहिए। अब जब मैं इस पर सारे तथ्य खोलूंगा, तो उसमें प्रदेश सरकार का ऐसा नग्न चित्र उपस्थित होगा, जिसकी कोई मिसाल नहीं।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आप ग्राह्यता पर बहस कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं नियम 57 में प्रश्न, प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए अध्यक्ष की सम्मति आवश्यक है। इसके अन्तर्गत आपने इसको मान लिया। आपको नोटिस मिल गयी तो आपने मान लिया। आप शायद नियम 58 में यह जानना चाहते हैं कि जो विषय है आपकी नोटिस में उसको लाया जाय या न लाया जाय। मान्यवर, यह बात आयी जो इससे ताल्लुक रखने वाली है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार का विमान जो गोरखपुर गया था फिर लौट कर लखनऊ आया और फिर जब गोरखपुर जाने वाला था, वह गोरखपुर क्यों नहीं गया? एक सवाल वह था। इससे अगर कोई बात हो सकती है, तो आप जरा देखें—एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं लिये जायेंगे, एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी, प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निबद्ध रहेगा—ये सारी शर्तें पूरा करता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप इस बात को देख लें कि जितनी शर्तें हैं, ये सारी शर्तें पूरी हैं। अब इसके बाद एक बात बाकी रह जाती है कि आप इस प्रस्ताव की सूचना देने वाले माननीय सदस्य को अनुमति दें कि वह सदन के सामने अपना प्रस्ताव रखें। यदि नियमानुकूल सदस्य अपने स्थान पर प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो इस प्रस्ताव को अपने आप सदन की अनुज्ञा प्राप्त हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय रियासत हुसैन, ग्राह्यता के बारे में एक मिनट में बोलें।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, बड़ा ताज्जुब है, बड़ा अफसोस है इस बात पर कि दो दिन पहले इस मामले को इतना गम्भीर समझा इस माननीय सदन ने, नेता सदन ने प्रस्ताव मूव किया, क्वैश्चन आवर तक नहीं हुआ और सदन उठ गया। 51 की आड़ लेना गलत है। वह विषय अलग है, कैसे और कहां हमला हुआ, क्या हुआ, वह अलग है। मेरा कहना यह है कि माननीय सदस्यों के, हमारे प्रिविलेजेज है, हमारे राइट्स हैं, यह साफ तौर से जाहिर है। माननीय रवीन्द्र सिंह इस सदन की मीटिंग शिरकत करने के लिए आ रहे थे। यह भी हमारा प्रिविलेज है कि हम को अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधा, ट्रीटमेन्ट सरकार के खर्चे के ऊपर मिलना चाहिए। यह भी अधिकार है माननीय सदस्यों का। दो बातें साथ हैं। माननीय सदस्य यहाँ आ रहे थे। मेडिकल डिपार्टमेंट कहिए, गवर्नमेन्ट कहिए, शासक दल कहिए, उसकी नेग्लीजेंस की वजह से माननीय सदस्य जब यहाँ भाग लेने के लिए आ रहे थे सदन की कार्यवाही में, यहाँ नहीं आ सके और उनको मेडिकल सुविधा जो मिलनी चाहिये, जो प्रिविलेज है, नहीं मिली। यह बात स्पष्ट है। ग्राह्यता आपने स्वीकार कर लिया, इसको इतना अहम आपने समझ लिया।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री देवकुमार, अब किसी माननीय सदस्य को नहीं सुनुगा। शासन पक्ष को सुनुंगा। आपकी तरफ से काफी लोग बोल चुके हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री देव कुमार (जिला बाँदा)—

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब आप ने नियमों को निलम्बित करके इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर ग्रहण कर लिया और माननीय सदस्यों के विचार सुन लिये तब मैं महसूस नहीं करता कि इस विषय पर सदन का समय व्यर्थ में नष्ट किया जाय। सदन की जो भावना है और जिस प्रकार स्वत: आपने इसकी ग्राह्यता को प्राथमिकता दी है और मैं शासन पक्ष से आग्रह करता हूं कि जो विवाद आपके माध्यम से हुआ और माननीय तिवारी जी ने तार पेश किया है, उन परिस्थितियों को देखते हुए शासन पक्ष के लिए आवश्यक है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और सदन में चर्चा हो। हर चीज का स्पष्टीकरण हो जाय। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि नियम 58 की शर्तों को यह पूरा करता है, इस लिए इसको ग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

श्रीमन्, पूर्व में इस बात को स्पष्ट कर चुका हू कि शासन पक्ष की मंशा नहीं है कि इस प्रश्न से सम्बन्धित जितनी बातें हैं वह किसी तरह से छिपायी जा सकें। मेरा निवेदन है कि विधान सभा की नियमावली है और एक प्रक्रिया है। वह इसीलिए बनायी गयी है कि आवश्यकतानुसार उसका अनुपालन इस सदन में किया जाये। कई माननीय सदस्यों ने कहा और तीन माननीय सदस्यों ने सूचना नियम 51 के अन्तर्गत दी और उसको मान्यवर, आपने स्वीकार भी कर लिया और आज के कार्यक्रम में 17 नम्बर पर हैं और मान्यवर, उसमें पूरी चर्चा हो जायेगी। नियम 58 के उपनियम (6) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं इसमें हैं कि—"प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लाया जा सकेगा जो पहले से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो, किन्तु इस आधार पर प्रस्ताव को अग्रा य करन के सम्बन्ध में अध्यक्ष इस बात को ध्यान में रखेंगे कि प्रत्याशित विषय पर चर्चा उचित समय के भीतर सदन के समक्ष आने की सम्भावना है।"

मान्यवर, यह विषय विचारार्थ पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। मान्यवर, यहाँ पर संभावना नहीं है बल्कि निश्चित है। जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं उससे तनिक भी ग्राह्यत का विषय नहीं बनता है। जो समय निश्चित कर दिया गया है, हम वक्तव्य दे देंगे या जिस समय आप आदेश देंगे वक्तव्य दे देंगे। लेकिन जो नियम बना है उसका पालन होना चाहिए। मेरा कहना है कि यह विषय अग्राह्य है।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

(शोर)

(शोर के मध्य) आज आप शाम तक नियम 51 का जब वक्तव्य दें तो इसको भी उसमें शामिल कर लें।

(विरोध पक्ष की ओर से—पक्षपात किया जा रहा है—की आवाजें)

(श्री सोहनवीर सिंह तोमर, डा0 अश्विनी कुमार चतुर्वेदी, हरिकेवल प्रसाद, मावसिंह आजाद आदि सदस्य बीच में आकर फर्श पर बैठ गये) ("हाउस नहीं चलने देंगे की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष—

म सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इस समय 1 बज कर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई।

1 बजकर 40 मिनट पर सदन के 2 बजे तक के लिए स्थगित किये जाने की सूचना मार्शल द्वारा दी गई। 2 बजे डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए पुन: स्थगित की गई है।

तदुपरान्त 2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुन:आरम्भ हुई।)

स्वर्गीय श्री रवीन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा पर हुए प्राणघातक हमले के उपरान्त चिकित्सा हेतु दिल्ली ले जाये जाने हेतु विमान उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैंने माननीय नेताओं से परामर्श के बाद यह निर्णय लिया है कि सारे नियमों को स्थगित करके श्री रवीन्द्र सिंह से संबंधित कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करा दूं जो अब प्रारम्भ होगी।

क्या सदन इससे सहमत हैं ?

अनेक सदस्य—

हाँ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, इसमें जो चर्चा करायी है, मैंने इस विषय पर कोई बात आवेश में न कह कर जो प्रश्न हमारे सामने हैं उस पर बात की थी और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पर चर्चा होते हुए भी व्यक्तिगत मामलों को न लेकर इसमें यह देखना है कि इसमें क्या त्रुटि हुई है। यदि कोई त्रुटि हुई है तो वह आगे न हो। श्रीमन, अब 2–3 बातें हमारे सामने हैं। एक तो श्री रवीन्द्र सिंह जी की हत्या हुई, किन परिस्थितियों में हुई वह जाँच सरकार कर रही है। दिवे जी सामने नहीं दिख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम मेरी यह मंशा नहीं है कि इस चर्चा से किसी हत्या को छिपाना चाहता हूं। अगर वह हत्यारा मैं हूं, तो मुझे सजा होनी चाहिए और अगर दिवे जी हैं, तो उन्हें होनी चाहिए और न इस सदन का जुरिस्डिक्शन है। श्री रवीन्द्र सिंह जी को बचाने के लिए शासन ने या हमसे जो प्रयत्न हो सकते थे, किये। भाई मालवीय जी, मैं कभी यह नहीं कहना चाहता कि मालवीय जी, शतरुद्र प्रकाश या राम अधार राय से जो दोस्ती थी, वही मेरी भी थी। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे सामने तथ्य हैं, उन पर क्या इस सदन को संदेह है कि वह प्रयत्न नहीं किये गये।

एक प्रश्न आया मालवीय जी तथा दूसरे कोई साहब थे, वे वहाँ गये और उनसे जब कहा गया कि उन्हें ले जाइये दिल्ली तो बताया गया कि फोर सीटेड प्लेन है। इसमें नहीं ले जाये जा सकते। दूसरी बात माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान है। उन्होंने कहा कि इसलिए रवीन्द्र सिंह को नहीं हटाया गया क्योंकि कमिश्नर ने बताया कि चन्द्रशेखर जी ने बताया है कि हम पटना से डाक्टर भेज रहे हैं और पटना से डाक्टर जब आये तभी हटाया जाये। इसलिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। कमिश्नर ने व्यक्तिगत रूप से भी जाँच की, उन्होंने यह कहा था।

अब मान्यवर, इन दोनों तथ्यों को साफ करने के लिए मैंने चन्द्रशेखर जी को टेलीफोन किया। इसमें कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, जनता पार्टी के अध्यक्ष की है या नहीं मैंने उनसे कहा और उनसे आज्ञा ली कि माननीय सदन को बता दूं कि 6 बजे रवीन्द्र

सिंह के भाई का टेलीफोन आया कि लखनऊ से आने वाला वह प्लेन तो नहीं आ सका है, अब कोई व्यवस्था हो जाये। श्री रवीन्द्र सिंह को दिल्ली नहीं भेजा गया इसलिए उनकी जान गई। उसके बाद उन्होंने हरियाना के चीफ मिनिस्टर से कहा कि आप अपना प्लेन भेज दीजिए। उन्होंने कहा कि प्लेन की व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन हमारा प्लेन गोरखपुर रात को नहीं उतर सकता। इसलिए रात को हरियाना का प्लेन नहीं आ सकता है। पटना से प्लेन लेने की कोशिश की तो वह प्लेन अवेलेबुल नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि 31 को प्लेन चला जायगा। मान्यवर, संजय गाँधी भी जहाँ प्लेन लेकर जाते थे, तो नारायणदत्त तिवारी, साथ लेकर जाते थे। जो प्लेन हमारे यहां से गया, जो अधिकृत नहीं था, उनके साथ भी भेज दिया था, हमारी सरकार यह न बता सकी कि जयपुर प्लेन वह क्यों गया, गोरखपुर क्यों नहीं जा सका, यह संक्षेप में घटना है।

मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं और मैं किसी पर आक्षेप भी नहीं लगाना चाहता हूं कि किसकी जिम्मेदारी है। माननीय राजनारायण जी ने एक प्लेन तोड़ दिया। रोजाना किसी की दाढ़ी बढ़ेगी, पब्लिक मीटिंगें होंगी। मैं आज भाई देव बहादुर सिंह जी और ऊदल जी से कहूंगा कि ग्रसित रोगियों को बचाइये। ऐसा होता रहा तो कौन उसके लिए जिम्मेवार होगा ? हमारे साथी की जान चली जाय और उसके लिए हवाई जहाज अवेलेबुल न हो, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है ? इस तथ्य को निश्चित करने के लिए सारे दलों की एक कमेटी बनाई जाय जो जाँच करे कि वास्तव में रवीन्द्र सिंह जी की जान बच सकती थी और वह साधन किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोग किया गया था, मगर यह नहीं हो सका कि रवीन्द्र सिंह जी के लिए व्यवस्था हो जाय। कल यह सदन बन्द होगा। आपकी मान्यवर, यह गद्दी समाप्त नहीं होगी। हमको संरक्षण करने वाला कोई नहीं है मुख्य मंत्री एक पक्ष के हैं। कल से अगर हवाई जहाज केवल पर्चे बाँटने के काम में आये तो हमारी रक्षा कौन कर सकता है। आज आप यह निर्णय ले सकते हैं। सदन को कांफिडेंस में लेकर कर सकते हैं कि कोई नियम सरकार के साधनों का दुरुपयोग करके, उल्लंघन न हो। आप स्वयं इस तथ्य को सुनिश्चित करें कि साधनों का दुरुपयोग हुआ है कि नहीं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जो प्रस्ताव मैंने दिया था, अगर मैं उसको पढ़ दूं, तो आदरणीय सदन का समय भी बचेगा। माननीय तोमर जी ने जिन तथ्यों को कहा है, उनको मैं दोहराऊंगा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपने भाषण में कहिए, उसको दोहराइये नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय रवीन्द्र सिंह के पास लखनऊ के जो डाक्टर्स गये थे, यह बात छिपी नहीं है, उन्होंने कहा था कि अगर रवीन्द्र सिंह जी की जान बचाना है, तो उन्हें दिल्ली ले जाया जाय। हमारे दो मंत्री उन्हें देखने गये थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि तुम्हें दिल्ली ले जाया जायगा। उनके दो भाई प्रतीक्षा भी करते रहे, लेकिन हवाई जहाज नहीं गया। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मान्यवर, इस प्रकार से करके मर्यादा को भी नष्ट कर दिया गया और हवाई जहाज जयपुर चला गया। अगर वह हवाई जहाज रवीन्द्र सिंह जी को लेकर दिल्ली चला जाता तो शायद उनके प्राण बच जाते और यह दिन न आता जब हम यहाँ इसकी चर्चा कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

कुछ गम्भीर तथ्य यहाँ आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। रवीन्द्र सिंह जी का भाषण जो कि कार्यवाही में है। 15 जून, 1977 को रवीन्द सिंह ने देवरिया–रुद्रपुर सड़क के घोटाले के बारे में भाषण दिया था। रवीन्द्र सिंह ने कहा कि इसमें एक मंत्रि परिषद् के सदस्य भी इनवाल्व हैं। यह भी उन्होंने कहा था कि हमारी पूर्ण रक्षा की जाये। इस के बाद और भी कुछ गहरी बातें हुई हैं। यह बयान की कापी मेरे पास ह। जो पुलिस ने बयान लिया है उसमें कहा गया है कि अगर आज विधायक जी यहाँ से बच कर भी चले जाते तो लखनऊ में मार दिये जात क्योंकि जगह-जगह पर गुण्डे लगा दिये गये थे। वह लोग विधायक जी को मारन क लिये तैयार हो कर आये थे।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बयान आपको कहाँ से मिला ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह मुझे कुछ जानकार सूत्रों से मिला है। यह बयान मैं अपनी जिम्मेदारी पर दे रहा हूं।

(शोर)

आज विधायकों के प्राण संकट में हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया सदन में शान्ति रखें। आप बैठिये। कृपया शान्ति से सुनें।

श्री राजन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने अपनी जिम्मेदारी पर दिया है। यह लोग बहुत परेशान हैं तो यह भी बता दूं कि शोक प्रस्ताव के समय बड़े भावावेश में आँखों में आँसू भर कर मधुकर दिघे ने कहा था कि "उनकी पत्नी न कहा था कि अपने प्राण बचाइये।" एक सदस्य प्रश्न उठा रहे थे आपन रोक दिया वह होते तो मैं पढ़कर सुना देता।

(शोर)

जलेश्वर के दरोगा ने कहा मार दिया जायेगा। मुख्य मंत्री ने जलेश्वर के दरोगा का ट्रांसफर कर दिया। इस विषय को आपने लिया इसलिये म बड़ी नम्रता के साथ अपनी बात यहीं समाप्त करते हुये कहना चाहूंगा कि सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग जब तक चलता रहेगा, यही होता रहेगा। सतना में घटना हुई, यहाँ घटना हुई, आप संरक्षक हैं इसके, इसलिये मैं साफ कहना चाहता हूं कि माननीय तोमर जी ने जो सुझाव दिया है, मैं उससे सहमत हूं कि सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाये जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। एक बात और कह कर समाप्त कर दूंगा कि इस घटना से संबंधित उधर बैठे सभी मंत्रियों को अपने पदों से त्यागपत्र दे देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मै अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री शतरुद्र (प्रकाश जिला वाराणसी)—

मान्यवर, श्री रवीन्द्र सिंह हम लोगों के बीच नहीं हैं। इस नाजुक मौके पर जो कि काफी विवादग्रस्त हो गया है कुछ ऐसी बात कहूंगा जो कि कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी मैं अपने सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि किसी की बात से मतभेद जरूर हो सकता ह, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं समाचार पत्रों, आकाशवाणी या और भी कोई एसी बात जो किसी अप्रत्यक्ष आधार पर कही गयी ह, उन तीनों को अपने कथन का आधार नहीं बनाऊंगा। जो मने स्वयं जानकारी प्राप्त की है उसी के आधार पर कहने की कोशिश करूंगा।

मान्यवर, 31 तारीख को मैं रवीन्द्र सिंह के घर गया था, थोड़ी देर से पहुंचा। उनके भाइयों से, उनके पिता जी से, सबसे मेरी मुलाकात हुयी। वहाँ पर जो स्थिति थी उसका बयान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां करना ठीक नहीं होगा। पहली तारीख को उनके यहाँ यह जो बात चली तो मैंने उनसे पूछा, उनके भाइयों से, कि यह जो समाचार पत्रों में निकला था कि जहाज नहीं मिला इसलिये उनको नहीं ले जाया जा सकता, तो क्या बात है। उनके भाई जनार्दन सिंह जो देश के अच्छे स्तर के पहलवान हैं, उनके तीन भाई और थ, पिता जी बीमार थे, वह भी थ, उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं ह। 30 तारीख को जो चिकित्सक गये थे, मुझे जानकारी है कि सत्य प्रकाश मालवीय जी, राम अधार राय जी, शायद हरी किशन जी भी, वहाँ तीन डाक्टरों को ले गये थे, जिसके बारे में वह तफसील से बतायेंगे। वहाँ चिकित्सकों ने बताया था कि जब स्थिति सुधर जाय तब ले जाया जाय। 27 तारीख को घटना हुयी, 28, 29, 30, के दिन स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी। तो डाक्टर ने कहा जब स्थिति अच्छी हो जाय तभी यहाँ से ले जाया जाय। मैं तो चाहूंगा कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, दिनवार या घंटेवार जो मेडिकल रिपोर्ट होती है वह बताती है कि स्थिति बिगड़ती गयी है, उसको भी सदन में रखा जाय। मेडिकल रिपोर्ट जो ह उससे पता चलेगा कि उनकी स्थिति अच्छी थी या नहीं कि जहाज से ले जाया जा सके। मेरी राय है कि जो डाक्टरों की राय है वह भी सदन में रखी जाय कि डाक्टरों ने जाने के बारे में अपनी क्या राय दी है। हम तो राजनीतिक आदमी हैं चिकित्सक नहीं है, किसी मरीज को ले जाने के बारे में चिकित्सक ही राय दे सकता है कि ले जाया जा सकता है या नहीं। तो यह सब बातें सदन में आ जाय, माननीय सदस्यों की भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, हमारे मन में उत्तेजना थी, लेकिन जब हमने उनके पिता जी से जो बगल में बैठे थ उनकी उपस्थिति में पूछा, उन्होंने कहा जितना मालवीय जी ने, सारे लोगों ने किया उसमें हमको कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। मैं ताज्जुब में हूं कि जो टेलीग्राम श्री नारायणदत्त तिवारी जी को मिला, मुझे टेलीग्राम के बारे में कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस टेलीग्राम की छानबीन कर ली जाय।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

उनके पिता जी अस्पताल में दाखिल थे।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, उनके पिता जी अस्पताल से घर चले आये। पहली तारीख को अपने घर पर थे। मैं माननीय सदस्यो को जानकारी दे दूं, मैं चाहूंगा कि वह जो टेलीग्राम मिला है उसकी भी जाँच कर ली जाय कि ऐसा तो नहीं कि किसी विरोधी ने जानबूझकर शरारत करके टेलीग्राम दे दिया है। मेरी स्वयं बात हुयी है। मैं चाहूंगा कि उसमें कितनी सच्चाई है, उस टेलीग्राम को दिखवा लेना चाहिये। जहाँ तक जहाज का सवाल है, अगर यह सच्चाई न होती, मैंने छानबीन कर लिया नहीं तो मैं स्वयं उत्तेजित हो जाता। मैं जानता हूं कि 11 जहाज उत्तर प्रदेश शासन के पास हैं जिसमें दो हेलीकाप्टर और 9 जहाज हैं। तो यदि डाक्टरों ने जहाज माँगा तो दूसरा जहाज दिया जा सकता था, तो क्यों नहीं दिया। लेकिन मेरी जानकारी यह है कि यदि यह बात है कि चूंकि जहाज नहीं मिला इसलिये श्री रवीन्द्र सिंह को गोरखपुर से लखनऊ या दिल्ली नहीं ले जाया जा सका तो समझ में आता। किन्तु यदि यह बात है कि श्री राज नारायण उत्तर प्रदेश के जहाज से क्यों चले गये, यदि यह गुस्सा है तो उसकी यहाँ बहस करने की कोई मतलब नहीं है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री तोमर तथा श्री तिवारी की मैं इज्जत करता हूं। मेरी जानकारी है कि जो श्री राज नारायण को जहाज दिया गया यदि वह श्री रवीन्द्र सिंह के इलाज वाला था और वह दिया गया तो यह अफसोस की बात है कि उनकी मृत्यु हो गयी। लेकिन यह कहना कि जहाज नहीं मिला इसलिये उपचार नहीं किया गया, यह बे बुनियाद और राजनीतिक षडयंत्र है, इसलिये इसको राजनीतिक स्टन्ट न बनाया जाय।

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, जिस दिन एसेम्बली शुरू होन वाली थी उसके एक दिन पहले म कानपुर में था। वहीं मुझे टेलीप्रिंटर पर दुखद समाचार मिला कि रवीन्द्र सिंह को गोली मार दी गयी। एक घंटा बाद मैंने गोरखपुर के सिविल हास्पिटल में टेलीफोन किया तो उनके परिवार वालों से बात हुई। तो पता चला कि उनकी हालत बहुत चिन्ताजनक ह। मैं अपनी कायरता तस्लीम करना चाहता हूं और म नया राजनीति में हूं, लेकिन माननीय रवीन्द्र सिंह के देहान्त के बाद, स्वर्गबास के बाद, खुद मेरी राजनीति के प्रति घृणा पैदा हो गयी। इसलिये कि मैं उस दिन केवल इसी कारण गोरखपुर न जा सका कि सदन में वोटिंग होनी थी और उसके बाद मैं इसलिये नहीं गया कि स्वर्गीय रवीन्द्र सिंह का हंसता हुआ चेहरा मेरे जेहन में था और मैं उतनी अपने अन्दर हिम्मत नहीं महसूस कर सका कि मैं उनका दूसरा चेहरा देख पाऊंगा।

श्रीमन्, 6 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं अध्यक्ष था और श्री रवीन्द्र सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष थे जब से मरी उनसे मित्रता थी। जो बढ़ते-बढ़ते बड़े भाई और छोटे भाई में तब्दील हो गयी थी। हालांकि बाद में मेरा और उनका पार्टी का भी संबंध नहीं था, इसलिये जानबूझकर 3–4 दिन मैं अपने आप और उस दिन यहाँ सदन में भी नहीं आया जिस दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गयी क्योंकि मैं समझता था कि मैं अपने आपको भावुक होने से नहीं रोक पाऊंगा।

श्रीमन्, यह बात इसलिये कहा कि मैं इस मामले में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन 2–3 दिन से जो बातें अखबारों में छप रही है और आज जिस तरह से प्रस्ताव सदन में आया उसमें एक बात और मैं याद दिलाऊंगा, इल्जाम नहीं, कि कुछ महीने पहले श्री रवीन्द्र सिंह के भाई, जिसका श्री शतरुद्र प्रकाश ने जिक्र किया था, श्री जनार्दन प्रसाद, पहलवान, हमारे यहाँ आये, आरोप म नहीं लगा रहा हूं और कहा कि आरिफ भाई, भाई साहब आपकी बात मानते हैं इसलिये आप उनसे कहें कि वह थोड़ा अपना ध्यान रखें क्योंकि हमारे घर के लोग दो टाइम खाना ठीक से नहीं खा पाते हैं वह इसलिये कि पता नहीं किस समय बुरा समाचार सुनने को मिल जाय और इसलिये कि मंत्रि मंडल के दो सदस्य उस गैंग, उस आदमी को सहारा, प्रोटेक्शन देते हैं जिससे रवीन्द्र सिंह की जान को खतरा है। आज उनके भाई मौजूद हैं, उन्होंने यह बातें हमारे घर पर कहीं। मैंने उसके बाद कोशिश किया और उनसे कहा कि आपके घर वाले परेशान हो रहे हैं इसलिये आप थोड़ा ध्यान अपने ऊपर दें।

मौत और जिन्दगी आदमी के हाथ में नहीं है। रवीन्द्र सिंह जी जैसे फूल को जैसा कि कोई खिला हुआ फूल बाग में खूबसूरत नजर आता हो और कोई आदमी उस की खूबसूरती को देख कर अपने आपको न रोके सके और उसकी खुशबू सूंघने के लिए तोड़ कर अपने हाथ में ले ले उसी तरह उस खिले हुए फूल को हमारे बीच से तोड़ लिया। लेकिन खास बात यह है कि आखिर ऐसे तत्वों की हिम्मत कैसे होती है कि वे कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। आदमी पर हमला करने की, विधायक पर हमला करने की, हिम्मत कैसे करते हैं। एक-दो साल में तीन-तीन विधायक इस सदन के गोली से मार डाले गये इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। जब सदन एडजार्न किया गया तो मैं सोचते हुए चला जा रहा था कि पता नहीं ऐसे मामले की कब आप ग्राह्यता स्वीकार करेंगे। तीन आदमी तो मर चुके हैं। 425 से 425 यदि मार दिये जाय तो शायद तब ग्राह्यता स्वीकार करने की नौबत आये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, खास बात यह है कि ऐसे तत्वों को खुली छूट है । एक बात और कह दूं। श्रीमन्, अगले दिन जब मैं यहाँ लखनऊ पहुंचा, चूंकि रवीन्द्र सिंह जी से मेरे ताल्लुक थे, उनके दोस्तों के साथ मेरे ताल्लुक थे, तो सदन के बाद शाम को मुझे बताया गया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ लिख कर दिया हुआ था, जिस व्यक्ति से खतरा था जान का, जिसकी गैंग से खतरा था, जिसकी वजह से शासन ने शैडो दिया था, वह व्यक्ति एक दिन पहले माननीय मन्त्रियों के यहां विश्वासमत के सिलसिले में दिये जा रहे भोज में शरीक था। श्रीमन, गोरखपुर के लोगों ने देखा इस बात को, यहाँ एक बात कहता हूं कि जिस व्यक्ति की पुलिस को तलाश है, न्यायालय को तलाश है, उसकी कैसे हिम्मत हुई यहाँ लखनऊ आने की ?

श्रीमन्, इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि मामले को सन्जीदगी से लें। टी० एन० सिंह जी के जमाने में टी० एन० सिंह जी को आदेश देना पड़ा था कि हवाई जहाज का प्रयोग नहीं होगा जैसा कि आज हवाई जहाज जयपुर ले जाया गया और जिसकी वजह से रवीन्द्र सिंह जी को दिल्ली नहीं ले जाया जा सका, सरकारी माल का दुरुपयोग किया गया। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहता हूं कि हर एक आदमी के जान-माल की सुरक्षा का माहौल पैदा करें और सरकारी माल के दुरुपयोग को रोकें।

*श्री देव कुमार (जिला बाँदा)—

मान्यवर, स्वर्गीय रवीन्द्र सिंह जी का प्रकरण मान्यवर, बहुत सम्वेदनशील प्रकरण है और उनकी मृत्यु के पश्चात् जो समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुये उनसे प्रदेश की जनता में बहुत असन्तोष और भ्रम पैदा हुआ है।

मैंने नियम 56 में प्रस्ताव इसलिए दिया था कि इस सदन में इस विषय में चर्चा हो और चर्चा के बाद शासन को स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिलेगा। मान्यवर, जैसा कि माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने भी कहा, इस सम्वेदनशील विषय को किसी भी पार्टी को कोई राजनीतिक स्टन्ट बनाने की जरूरत नहीं है। यह बहुत संजीदगी वाला विषय है और इस पर हमें बहुत विचार के साथ अपने विचार रखने चाहिए। यह बात सही है और सारा सदन इस बात से चिंतित है कि तीन माननीय विधयकों की निर्मम हत्या इस प्रदेश के अन्दर की गयी और माननीय लोधी जी की हत्या के पश्चात् जहाँ तक मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश शासन ने जिला प्रशासन से यह रिपोर्ट माँगी थी कि किन-किन विधायकों को संरक्षण की और शैडो की आवश्यकता है। मैं समझता हूं शासन कुछ विचार भी कर रहा है कि विधायकों और सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों की जिन्दगी की सुरक्षा कैसे की जाय। लेकिन उस प्रभावशाली व्यवस्था होने के पहले जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, माननीय रवीन्द्र जी को शैडो मिला था। लेकिन उस सुरक्षा के बावजूद भी यह दर्दनाक घटना घटी। आज सदन के सामने बहुत अहम मसला यह है कि किस तरह से सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के जीवन की रक्षा व्यवस्था की जाय और किस तरह से हिंसा की वारदातें कम हों। मैंने जो प्रस्ताव किया था उसकी मंशा यह थी कि इस प्रस्ताव के जरिए शासन को अपनी स्थिति साफ करने का मौका मिलेगा।

माननीय राजनारायण जी द्वारा हवाई जहाज को बाहर ले जाने के सम्बन्ध में कुछ समाचार अखबारों में छपे हैं और जनता और सदस्य यह महसूस करते हैं कि इतना आवश्यक काम को छोड़कर या उसको कम महत्व कर उत्तर प्रदेश शासन का हवाई जहाज को बाहर ले जाया गया और एक कीमती जिन्दगी का चिराग जिससे बहुत आशाय थीं, बुझ गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देव कुमार]

जैसा माननीय शतरुद्र जी ने कहा इस सम्बन्ध में छानबीन करने की आवश्यकता है। एसी स्थिति में खुद डाक्टर लोग सलाह नहीं देते कि कहीं बाहर ले जाया जाय और जैसा कि मुझे बतलाया गया डाक्टर कह रहे थे कि अपने रिस्क पर ले जायं तो ले जायं वरना हमारी राय नहीं है। अगर ऐसी स्थिति थी तो शासन पर आरोप लगाना और किसी के चरित्र की हत्या करना उचित नहीं है। ऐसे अवसर पर जबकि रवीन्द्र जी की मृत्यु के बाद जनता और इस सदन के सदस्यों को हार्दिक क्लेश था और शोक प्रस्ताव के समय जो माहौल बना था और प्रदेश की जनता ने भी अपने को उससे सम्बद्ध किया था तो अब किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना उचित नहीं है ? जो भ्रम फैला है उस सम्बन्ध में शासन अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि जो हवाई जहाज राजनारायण जी को बाहर ले गया उसके बाद और हवाई जहाज हैं तो क्यों नहीं भेजे गये ? अन्त में मैं यह कहूंगा कि इस प्रकरण को राजनीतिक न बनाकर मानवता और सुरक्षा की दृष्टि से विचार करें।

*मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री रवीन्द्र सिंह की निर्मम हत्या जिस प्रकार हुई सदन के सभी सदस्य स्तम्भित हैं। आज जो विवाद है उसमें दो मुद्दे हैं। एक आरोप तो यह है कि श्री रवीन्द्र सिंह की मृत्यु में दो माननीय मन्त्रियों का हाथ था। दूसरा आरोप यह है कि यदि श्री राजनारायण को यह हवाई जहाज जयपुर न ले जाता तो रवीन्द्र सिंह जी को लाकर उनकी जान बचाई जा सकती थी। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में विस्तार से वक्तव्य मेरे सहयोगी श्री सत्य प्रकाश मालवीय देंगे। लेकिन मैं अत्यन्त विनम्रता के साथ उभय पक्ष के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि श्री श्योराज सिंह का कत्ल हुआ, श्री हेमराज लोधी तथा रवीन्द्र सिंह का बध हुआ इसलिए आज आवश्यकता इस बात की थी कि हम सोचें कि इन हिंसा के वातावरण को कैसे रोका जा सकता है। आज श्री आरिफ रवीन्द्र सिंह के लिये भावपूर्ण भाषण दे रहे थे, लेकिन जब श्री श्योराज सिंह का बध हुआ था और सी0आई0डी0 की रिपोर्ट के आधार पर कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया तो इस सदन तथा विधान परिषद् में तूफान पैदा हो गया और ऐसा लगता था कि श्योराज सिंह इस सदन के सदस्य नहीं हैं। यदि उनके बध करने में किसी व्यक्ति का सम्बन्ध किसी राजनीतिक दल से है तो बड़ा अन्याय हुआ। काम रोको प्रस्ताव आया। परिषद् के अन्दर तूफान उठा। हेमराज लोधी विधान सभा के सदस्य थे। आज इसरार जिसने कत्ल किया जेल के अन्दर बन्द है। उसके भाई का कत्ल हुआ था। इसरार ने हेमराज का कत्ल किया। यह ट्राइबल मनोवृति पठानों में होती है। एक परिवार दूसरे का बध करता था। जब मैं अध्यक्ष था, गोरखपुर गया तो श्री रवीन्द्र सिंह जी के यहां भी मुझे जाने का सुअवसर मिला। जब से वह निर्वाचित हुए उनके मकान पर गार्ड रहता था। उसी वक्त से उनके पास में शैडो रहता था। 6 महीने से आप लोगों ने मुझ पर जिम्मेदारी डाल दी है। इस 6 महीने में मुझ को रवीन्द्र सिंह का या किसी भी सदस्य का यह पत्र नहीं मिला कि उनका जीवन खतरे में है और उसमें मेरे मन्त्रि परिषद् के किसी साथी का हाथ है। मेरे सहयोगी और मेरे पूर्वाधिकारी श्री राम नरेश यादव बैठे हैं उनको भी कोई इस तरह का आरोप नहीं मिला। अगर मेरे मन्त्रि परिषद का कोई सदस्य इस साजिश के अन्दर शमिल है तो इससे बढ़ कर गिरावट नहीं हो सकती। अगर हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में इसी तरह हत्याएं होंगी तो यहां पर लोकतन्त्र चल नहीं सकता। मैं देश की राजनीति में जैसे ईराक या ईरान के अन्दर कत्ल होते हैं थोड़े पैमाने पर यहाँ देख रहा हूं। माननीय राजेन्द्र कुमार जी कहते थे, वह बड़े जागरूक तथा सतर्क सदस्य हैं और जब सदन होता है तो उनकी यह जागरूकता की भावना और बढ़ जाती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । पत्रों में भी लिखते रहते हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि रवीन्द्र सिंह जी के बध की बात करना या आरोप लगाना कहाँ तक उचित है जबकि वह उनको पहिले से जानते थे और इसके पहिले कोई आरोप नहीं लगाया गया ? यह मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं यह कहाँ तक उचित है. . . . . .

(व्यवधान)

असली मुद्दा तो यह है कि अगर यह जहाज न जाता तो आज यह प्रश्न नहीं उठता कि रवीन्द्र सिंह जीते या न जीते । श्री राम अधार पाण्डेय जो मन्त्रि परिषद् के सदस्य थे वे जयपुर गये और राज नारायण जी उनके साथ गए जिससे यह सवाल उठ खड़ा हुआ । श्री राम प्रकाश जी इस बात की साक्षी देंगे कि एक बार नहीं अनेक बार जब हमारे मित्र माननीय नारायण दत्त जी मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने कितनी मर्तबा जहाज का इस्तेमाल किया. . . ..

(व्यवधान)

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

नारायण दत्त जी दोषी हो सकते हैं, आप कैसे दोषी हैं. . . . .

(व्यवधान)

जब दिघे जी कह रहे थे. . . . .

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष—

उन्हें बोल लेने दें . . . . .

(व्यवधान)

श्री नेम सिंह चौहान—

बकवास की तो मुंह तोड़ दिया जायगा. . . . .

दिघे जी ने स्वीकार किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं खड़ा हूं और आप तब भी कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, रवीन्द्र सिंह की मृत्यु पर सबको दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि माननीय आरिफ ने कहा कि उस दिन वोटिंग थी। वोटिंग तो 29 को हुई । जिनकी हमदर्दी थी 27 तारीख को कितने ही सदस्य उनको देखने के लिए गये। श्री रवीन्द्र सिंह जी का इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के अच्छे से अच्छे चिकित्सक कर रहे थे । आज तक कभी नहीं हुआ कि उस पक्ष के किसी सदस्य ने यह कहा हो कि रवीन्द्र सिंह जी को चिकित्सा के लिए दिल्ली भेजा जाय या यहाँ लाया जाय । किसी ने नहीं कहा. .

(व्यवधान)

यह क्या तरीका है ? शान्त रहें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग कृपया शोर न करें । आप कहते हैं तो उनको भी सुनें । यह व्यवधान ठीक नहीं है ।

श्री बनारसी दास—

आज उनकी मृत्यु के बाद विवाद हो रहा है । 27 तारीख को कई व्यक्ति गए थे, 28 तारीख को किसी ने माँग की या उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने कहा कि उनको लखनऊ या कहीं और भेजने की जरूरत है । मैंने स्वयं 29 तारीख को न्यूरो सर्जन डाक्टर

[श्री बनारसी दास]

न्यूटन को उनके यहाँ भेजा। 30 तारीख को स्वयं डाक्टर दुबे, डाक्टर एम0एम0 गुप्ता, डाक्टर शाही को श्री मालवीय के साथ भेजा। 27 तारीख को मैंने मालवीय जी को भेजा। डाक्टरों ने कहा कि उनकी स्थिति स्टेबल नहीं है, वे नहीं ले जाए जा सकते हैं, स्टेबल होने पर ले जाये जा सकते हैं। वे लौटकर 1 बजे आए। 1 बजे जहाज जयपुर चला गया। 1 बज से लेकर 7 बजे तक मैं प्रतीक्षा में था कि वहाँ से कोई समाचार आये। केवल 7 बजे शाम को मेरे कमरे में कमिश्नर का फोन आया कि उनकी स्थिति ढ़ाई बजे से विगड़ती जा रही है। श्री चन्द्रशेखर जी का उनको फोन मिला कि पटना से डाक्टर भेज रहे हैं और जब अगले दिन पटना से डाक्टर आ जाय तो उनके आने पर श्री रवीन्द्र सिंह जी को भेजा जायेगा। अगर जयपुर भी जहाज गया था और वहाँ से इत्तला मिलती तो तुरन्त जयपुर से जहाज जाकर उनको ला सकता था। मैंने मालवीय जी और डाक्टरों से अनुरोध किया था कि अगर वहाँ पर डायलिसिस का इन्तजाम नहीं है तो रवीन्द्र सिंह जी को तुरन्त लाया जाय। साढ़े ग्यारह बजे डाक्टरों ने उनकी परीक्षा की और उन्होंने कहा अभी नहीं ले जा सकते है यदि उनकी स्थिति में सुधार हुआ तो बाद में ले जाया जा सकता है। वहाँ सब डाक्टर्स ने कहा कि स्थिति खराब है। उस पक्ष के किसी माननीय सदस्य ने यह माँग नहीं की कि श्री रवीन्द्र सिंह को भेजा जाय किसी ने मुझको अप्रोच नहीं किया। बहुत से सदस्य बीमार होते हैं दिल्ली के लोग भी बीमार हुए किसी की तरफ से इतनी चिन्ता बर्ती गई हो। हमने अपन प्रयास किये और बावजूद उन प्रयासों के डा0 एम0 एम0 गुप्ता जो यहाँ के मुख्य चिकित्सक हैं मैंने उनसे आज भी पूछा, उनसे बातचीत की वह कहते थे, मैं आपसे अर्ज करूंगा आप में से कोई सदस्य उन डाक्टरों से पूछ ले, उनका कहना है कि श्री रवीन्द्र सिंह की जो हालत थी उसमें उनको नहीं बचाया जा सकता था उनको पक्षाघात हुआ उनकी किडनी फेल हो गयी और उनकी मृत्यु हो गयी।

एक सदस्य हमारे बीच से चले गए जिसका हम सब को दुख है लेकिन उसमें कोई दोषो इस चीज के लिए नहीं है कि सिर्फ इस वजह से कि जहाज चला गया। आज उस पर सारी मंजिल खड़ी करना, उसको यह रूप देना मैं समझता हूं कि न्याय नहीं है। पहले दिन पत्रों में निकला कि इसके पीछे कोई राजनीतिक हाथ नहीं है, उन्नाव में भी कोई राजनीतिक हाथ नहीं था। वमनस्य की प्रतिद्वन्दिता उसका कारण है और उसके कारण यह सब घटनाए हो रही हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध यह है कि यह मसला एसा नहीं है कि जिस को राजनीतिक पूंजी बनाने या राजनीतिक विवाद के लिए इस्तेमाल किया जाय। मैं समझता हूं कि अगर आपको हमदर्दी है तो इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ श्री रवीन्द्र सिंह की आत्मा को और उनके परिवार को होगी। कहीं आग लगे और कुछ लोग उसे तापने जायं। जब उनका अन्तिम संस्कार हुआ तो मैंने स्वयं मालवीय जी से कहा और मैनेजर सिंह जी को भी समाचार भिजवाया, मैंने पाण्डे जी से कहा उन्होंने कहा उनकी पत्नी जायगी और वह उनके साथ गए। तो मेरा आपसे अनुरोध है यदि आपको आलोचना करनी होगी, आपको निन्दा करनी होगी तो बहुत से राजनीतिक मसले हैं। गवर्नमेंट में जो व्यक्ति रहते हैं उनसे बहुत आकाँक्षाएं जनता को होती हैं जिसके मुकाबले उपलब्धियाँ बहुत पीछे रहती हैं। गलतियाँ होती हैं, बहुत सी कमियाँ रह जाती हैं तो उन सब में पर्याप्त अवसर है आलोचना करने के लिए। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि थोड़ा संयम बरतें और जो वास्तविकता ह उसे स्वीकार करें। श्री शिवराज सिंह की मृत्य हुई इस हाउस में और उस हाउस में बात आई। कहा गया कि कुछ लोगों को राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया जा रहा है तो कोई नाम रिपोर्ट में लिखता है तो वह भी राजनीतिक है क्योंकि एक सदस्य जो था उसका बध हो गया और उनका भाई उसके बाद मारा गया एक और आदमी मारा गया। हम तो दोषारोपण कर नहीं सकते हैं। यह दुखद घटना है यह सोचने की बात है कि कैसे ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे हिंसा की घटनाएं न घटें।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, अभी जब माननीय मुख्य मन्त्री जी बोल रहे थे तो माननीय नेम सिंह जी चौहान उठ कर खड़ हुए और कहा कि अगर बकवास करोगे तो मुंह तोड़ दिया जायेगा ।

श्री नेम सिंह चौहान--

'मुंह तोड़ जवाब दिया जायेगा।'

श्री उपाध्यक्ष--

यह शब्द मैंने नहीं सुना। इसको मैं बहुत गैर मुनासिब समझता हूं कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों.....

(व्यवधान)

आप कृपया बैठें। जब इधर कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों या मुख्य मन्त्री बोल रहे हों या उधर कोई माननीय सदस्य या नेता विरोधी दल बोल रहे हों या अन्य कोई नेता बोल रहा हो तो बरदाश्त के साथ उनकी बात को सबको सुनना चाहिए। बीच-बीच में बाधा खड़ी करना, किसी प्रकार की उच्छृंखलता प्रदर्शित करना, यह मान्य पार्लियामेंट्री तरीके के बिलकुल विपरीत तरीका है ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

मैंने आदरणीय मुख्य मन्त्री की बात बहुत ही गौर से सुनी। मैंने इस सदन में सत्ता पक्ष भी देखा है, 5 वर्ष विरोध पक्ष में पहले रहा और आज फिर विरोध पक्ष में बैठा हुआ हूं। मैं कोई एक लाईन भी ऐसी नहीं कहना चाहता हूं। मुख्य मन्त्री को याद दिलाना चाहता हू, शासन पक्ष की जो गल्तियाँ और भूलें होंगी, उनको हम बहुत जोरदारी के साथ इस सदन में कहेंगे। इसके लिए किसी भी कीमत पर, चाहे कितनी कुरबानी या बलिदान करने पड़े, हम नहीं मान सकते हैं। इसी तरह मैं विरोधी पक्ष के लोगों से कहूंगा, कोई भी अनर्गल आरोप इधर से उधर हम अपने मुंह से सत्ता पक्ष पर कभी नहीं लगायंगे। मैं सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष दोनों के नियम जानता हूं ।

तीन बातें मेरे दिमाग में बहुत जोरों से घूम रही हैं, जिन्हें मैं कहना चाहता हूं। सर्व-प्रथम, सत्यप्रकाश मालवीय और हरिकृष्ण श्रीवास्तव जो गोरखपुर गए थे, तो क्या रवीन्द्र सिंह के परिवारजनों से यह कह कर आए थे कि यह जहाज हम अभी लौट कर यहाँ से ले जाये जा रहे हैं और लखनऊ से तत्काल जहाज भेजेंगे ? यदि यह सत्य है, तो इसके बारे में मालवीय जी यहाँ बतायें। जब तक यह बात साफ न हो जाय, आगे बात नहीं हो सकती। अगर ऐसी बात सही थी तो फिर जहाज वापस क्यों नहीं भेजा गया ? और दूसरी बात सबसे ज्यादा खलने वाली बात यह है, आप एक प्रजातांत्रिक आदमी हैं, जब सी0बी0 गुप्त मुख्य मंत्री थे, तो एक आचार संहिता बनी थी। अभी आम चुनाव होंगे और भी इस तरह की तमाम घटनाएं होंगी--कैबिनेट मन्त्री चाहे जहाँ भी जायं, लेकिन उसके साथ यदि जनता का एक आदमी अ, ब, स, कोई भी हो और चाहे जितना महत्वपूर्ण आदमी हो, वह जायगा, तो हम विरोध पक्ष की तरफ से उसकी कड़ी से कड़ी भर्त्सना करेंगे। चाहे चार सीटर जहाज हो या 6 सीटर्स। यह राजकीय जहाज किसी का नहीं है, यह उत्तर प्रदेश सरकार का है, आज यह आपका है और कल यह हमारा भी हो सकता है ।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

आज आपकी सरकार है और हो सकता है कि कल हमारी भी सरकार बन जाय। मन्त्रि मण्डल के लोग अपन काम से जाना चाहें, जायं तो किसी को आरोप की जरूरत न पड़ती। किसी को ले जाएंगे तो हमें भी कहने का अधिकार होगा। आज हम विरोध पक्ष के लोग हो गए, कल तक सत्ता पक्ष में थे। यदि सत्ता पक्ष के लोग विरोध पक्ष को कदर से नहीं सुनेंगे तो हम भी उनकी बात कदर से नहीं सुनेगे। जब शिवराज सिंह की हत्या हुई, तो हमने उसकी जमकर भर्त्सना की, जब लोधी जी की हत्या हुई तो उसकी भी हमने जमकर भर्त्सना की और आज हम रवीन्द्र सिंह की हत्या की भर्त्सना करते हैं। आप मुख्य मन्त्री हैं, लेकिन केवल सत्ता पक्ष के नहीं हैं, आप प्रदेश की साढ़े 12 करोड़ जनता के मुख्य मन्त्री हैं, जैसे आप अपने पक्ष के और घर वालों के हैं, वैसे ही हमारे हैं। आपको सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। यदि हमारी हत्याय होंगी, तो लोकतन्त्र कैसे चलेगा ? लोकतन्त्र नहीं चल सकता है जब तक आप दोनों पक्षों की बात को बराबर तरीके से नहीं सुनेगे।.....

(व्यवधान)

सत्ता पक्ष के लोगों को शान्त करें। इतनी अच्छी और बढ़िया बात नहीं सुनना चाहते तो सदन को चला नहीं सकते। श्री रवीन्द्र सिंह के मामले में आप सोचें सत्ता पक्ष के नेता से, माननीय मुख्य मन्त्री से, हमें उम्मीद है वह एक घोषणा करें कि एक निष्पक्ष जाँच समिति इस सदन की बनायेंगे जिसमें पांच या सात व्यक्ति हों जिसमें दोनों तरफ के सदस्य हों सर्वदलीय जाँच समिति हो। दूसरे से जाँच करवायेंगे तो शायद विश्वास हो या न हो इस सदन की जाँच समिति बनायें वह जो निर्णय लेकर जायेंगे वह सदन के सामने आएगा। वह निर्णय कर देगी कि यह बात सही है तो माना जायगा। जब तक इस तरह का वातावरण नहीं बनायेंगे तब तक प्रदेश में लोक तन्त्र नहीं चल सकता। मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष की भूलों और चूकों को जो ईमानदारी से शत-प्रति-शत सही होंगी उन्हीं की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में सदन की एक जाँच समिति जरूर बनायें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरी बहस जो यहाँ पर हो रही है उसमें लगता है कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों को श्री रवीन्द्र सिंह के बारे में कम चिन्ता है, जहाज के बारे में ज्यादा चिन्ता है। वास्तविकता यह है कि रवीन्द्र सिंह से व्यक्तिगत लगाव मालवीय जी का, शतरुद्र वगैरह को था, सेन्टीमेन्टल लगाव था। म तो मान्यवर, जिस तरह बात कही जा रही है डाक्टर दो-दो साथ गए मालवीय जी और हम थे 30 तारीख को लखनऊ से तीन डाक्टर गए। वहाँ पर मालवीय जी और हम लोगों ने इतना प्रयास किया स्ट्रेचर ले कर गए थे हम लोगों ने कहा गाड़ी से चला जायगा। डाक्टर से कहा गया कि रिस्क ले लीजिए। इसी ट्रेन से चलिए लेकर। हम लोगों के जाने के पहले किडनी खराब हो गयी थी, पेशाब नहीं हो रही थी। भगवान की कृपा से पेशाब हुई। उसके बाद डाक्टरों में एक राय नहीं हुई वहाँ पर मालवीय जी ने रवीन्द्र सिंह के घर के लोगों से कहा कि उनका एक भाई तैयार रहेगा जब भी जिलाधीश सूचना देंगें, साथ ले जायेंगे। कुछ लोगों की राय थी चार बजे शाम को चले जायें, कुछ लोगों की राय थी कि सुबह चले जायं। यह बहस हुई। मालवीय जी ने कहा कि तयार रहिएगा जसे जिलाधीश सूचना देंगें, साथ चले जायेंगे। फिर हम लोग इंस्पेक्शन हाउस चले गए। मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल और सारे डाक्टर गए। सारे लोगों ने राय किया। एक राय बनी। वहाँ पर घर वालों से किसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से नहीं कहा। हम लोगों से कहा, 80 फीसदी बचने की हालत नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है जब बहस हो रही है रवीन्द्र सिंह या कोई भी दोस्त हो, जिसके अन्दर इन्सानियत होगी दुश्मन भी एक बार होगा तो उसकी प्राण रक्षा की बात करेगा।

मान्यवर, सारे डाक्टरों को खतरा था, जो उनको चोट लगी थी, प्लेन से उतरने में ऐसा न हो कि फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाय। हम लोग स्ट्रैचर लेकर चले आये। यहाँ पर राजनारायण जी से मिले, वहाँ पर विक्रमा राय भी थ। राजनारायण जी न कहा कि उनकी हालत क्या ह? राजनारायण जी ने कहा कि क्यों नहीं लेते आए? अभी टेलीफोन पर मेडिकल इंस्टीट्यूट और रवी राय से बात किया था। राजनारायण जी न यहाँ तक कहा कि मेरा जयपुर जाना जरूरी नहीं ह। तीनों डाक्टरों को बुलाया राजनारायण जी न और कहा कि यदि उनका जाना जरूरी है तो इस प्लेन को लेकर चला जाय। तीनों डाक्टरों न कहा कि उनके बचने की कोई आशा नहीं है। अगर रात्रि भर यह सरवाइव कर जायें तो सुबह ले जाने की व्यवस्था की जाय। जहाज पर आप जितनी चाहे बहस कर लीजिए। राज नारायण सिंह भी एक इन्सान ह। राज नारायण सिंह का रवीन्द्र सिंह से लगाव था। हम लोग डाक्टरों से कहते आए कि अगर यह रिस्क ले लिए होते तो शायद वह बच जाते। मैं मुख्य मन्त्री जी से सहमत हूं कि हमदर्दी सभी की उनके साथ है, किन्तु उनको देखने के लिए कोई गया नहीं। आप जहाज के बारे में जितनी बहस करना चाहें कर लें। मैं राज नारायण का गुलाम नहीं हूं। अगर म यह जानता कि वह बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो मैं जहाज में झूल जाता और जहाज को न जाने देता, मैं अनशन करता। मैं चाहता हूं इस पर आप चर्चा को बन्द करें।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा और कुछ दूसरे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को बड़े गौर से सुना। माननीय शतरुद्र प्रकाश ने कुछ ऐसे तथ्य रखने का प्रयास किया है जिससे सदन को गुमराह करने का प्रयास हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि श्री रवीन्द्र सिंह के परिवार के लोग जहाज की प्रतीक्षा करते रहे। 20 हजार रुपया लेकर बठे रहे जहाज का इन्तजार करते रहे। जहाज जब नहीं आया तो उन्होंने टेलीफोन किया श्री चन्द्रशेखर को कि जो जहाज उनको लेने आने वाला था, वह राज नारायण सिंह को लेकर जयपुर चला गया है। इस समय जहाज उपलब्ध नहीं है। तब श्री चन्द्रशेखर ने हरियाना प्रदेश का जहाज किराए पर पहुंचाने की व्यवस्था किया। जैसा तोमर जी ने कहा कि गोरखपुर में रात्रि म जहाज उतरने की व्यवस्था नहीं थी वरना हरियाना का जहाज जाता और उनको दिल्ली ले जाता। वह बचते या न बचते, लेकिन प्रयास होता अवश्य। मृत्यु उनकी गोरखपुर में हो गयी, हो सकता है कि दिल्ली में जाते तो वह बच जाते वहाँ पर उनको बेहतर सुविधा मिलती। माननीय मुख्य मन्त्री का बयान निकला। मेरी बात चन्द्र शेखर सिंह से होती रही थी और वे श्री रवीन्द्र सिंह के बारे में माननीय सत्य प्रकाश मालवीय से भी सम्पर्क बनाए हुए थ।

मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चन्द्र शेखर सिंह की बात कमिश्नर, गोरखपुर से नहीं हुई। वह निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए थे दूसरे साथियो से। मेरा उनके साथ सम्पर्क बना हुआ था। उनकी कमिश्नर गोरखपुर से बात नहीं हुई। यह सोलहो आने झूठ है। उनकी मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन जो सरकारी साधन है उसका दुरुपयोग रोका जा सकता था और उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। यह दुर्भाग्य कब तक चलता रहेगा कि कुछ व्यक्तियों को खुश रखने के लिये हमारे मुख्य मन्त्री जी या हमारी सरकार यह करती रहेगी। यह भी जाँच करने का विषय है और मैं माँग कर रहा हूं कि इस के लिए सदन की एक समिति, जिसमें सारे दलों के माननीय सदस्य हों, गठित की जाय।

[श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव]

मान्यवर, मुझे निश्चित जानकारी है कि श्री रामाधार पाण्डेय जयपुर नहीं गए थे। वे इलाहाबाद गये थे और खाली श्री राज नारायण के लिए और उनके साथियों के लिए यह जहाज जयपुर गया था और अब यहाँ पर सदन को गुमराह किया जा रहा ह। अगर माननीय रामाधार पाण्डेय जयपुर गए थे तो वह कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए वे जहाज लेकर वहाँ पर गए थे। चूंकि उधर से और इधर से इस प्रकार के तथ्य आ रहे हैं, जिनमें विरोधाभास ह अतः मेरी पुनः प्रार्थना ह कि इस सदन की एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाय जो जाँच करने के उपरान्त अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करे।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर सारे नियमों को निलम्बित करके चर्चा करने का अवसर दिया जिससे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें और तथ्यों से अवगत हो सकें जिनके कारण रवीन्द्र सिंह की हत्या कर दी गयी और उनकी चिकित्सा म लापरवाही बरती गयी। आरोप भी लगाए गये कि जहाज न मिलने के कारण उनकी समुचित चिकित्सा न हो सकी। माननीय मन्त्री जी न इस सम्बन्ध म सफाई भी दी। उन्होंने यह भी कहा था कि 2 और माननीय विधायकों की और रवीन्द्र सिंह जी की जो हत्या हुई, उसम राजनैतिक कारण नहीं पारिवारिक शत्रुता और वैमनस्यता का कारण रहा। जसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि उनके घर पर पुलिस गार्ड भी लगा रखी थी। अब प्रश्न यह उठता है कि उनको अंग-रक्षक भी दिया हुआ था, घर पर पुलिस गार्ड भी लगा रखी थी। तो स्पष्ट है कि रवीन्द्र सिंह जी ने शंका व्यक्त की होगी कि उनकी किसी से शत्रुता है और उनका बध किया जा सकता है। तभी सरकार न उनको एक संरक्षक दिया और उनके घर पर पुलिस गार्ड की व्यवस्था की। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसने जो यह व्यवस्था की थी, उसका मूल में क्या कारण था और जिस व्यक्ति से उसकी दुश्मनी थी, उनको नियन्त्रित करने का सरकार ने क्या प्रबन्ध किया था। चिकित्सा की बात तो अलग रही। अगर कोई सदस्य यह व्यक्त करता है कि हमारी जान का खतरा है तो क्या सरकार उसको अंगरक्षक देकर अपना कर्तव्य पूरा समझ लेती है। जिस व्यक्ति से हमें खतरा है, उससे हमारी रक्षा करने के लिए क्या उसकी गिरफ्तारी की जाती है या कोई केस खड़ा किया जाता है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि पुरानी दुश्मनी के कारण पुरानी रंजिश के कारण हत्या हुयी तो क्या उनमें से किसी को पकड़ा गया और नहीं तो उन्हें कौन प्रोटेक्शन दे रहा है। हो सकता है कि किसी वैमनस्यता के कारण हत्या होती रही है और आगे भी हो लेकिन जिससे शत्रुता हो उनको राजनैतिक संरक्षण मिलता रहे तो कुछ नहीं होने वाला है। मेरा तो यही कहना है कि राजनैतिक संरक्षण जो ऐसे शत्रुओं को देते हैं जिससे माननीय विधायकों को खतरा हो, चाहे वह मंत्री हों, सरकारी अधिकारी हों या कर्मचारी हों, उनके खिलाफ दफा 120 में केसेज चलाये जायें। आज हम व्यथित हैं, और हमें ताज्जुब है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आज इस मामले में कुछ नहीं होगा तो इससे भी बड़ा अत्याचार होगा और कोई कुछ नहीं कर पायेगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जन जन की रक्षा करे। हमारी सुरक्षा की जिम्मदारी इस सरकार पर है। कितने आश्चर्य की बात है कि तीन विधायकों की हत्या हो चुकी है। कब तक हम हाथ पर हाथ रखे बैठें रहें। श्रीमन्, हमारी रक्षा का दायित्व आपके ऊपर है। आप निर्देश दें कि हमारी रक्षा की व्यवस्था की जाये वरना हम, जो हमारा राजनैतिक दायित्व है, जो हमारा कर्त्तव्य है, उसका हम निर्वहन नहीं कर पायेंगे। अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन हम ईमानदारी से तभी कर सकते हैं जब कि सरकार हमें यह आश्वासन दे कि हमारी रक्षा पूरी तरह से

की जायेगी। रवीन्द्र सिंह से वैमनस्य रखने वालों के खिलाफ जब तक कार्यवाही नहीं की जायेगी तब तक हम यही समझेंगे कि उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है।

*वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)---

श्रीमन्, मुझे बड़ा अफसोस है और दुख इस बात का है कि मेरे अपने ही घनिष्ट और नजदीकी व्यक्ति के संबंध में बोलते हुये दो माननीय सदस्यों ने परोक्ष रूप से यह बताने की कोशिश की कि गोरखपुर के कुछ सरकार के मंत्री इसमें शामिल हैं। मैं इसके पहले कि कुछ और बताऊं, मैं यह घोषणा करना चाहता हूं और स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि बगैर जाँच किये, 5 घंटे के अन्दर, और सर्वश्री ओझा, मैनेजर सिंह, तोमर, रियासत हुसैन और नारायणदत्त तिवारी यह फैसला अपना करें कि इस मामले में मधुकर दिघे का रत्ती भर भी कभी हाथ था कि मन में भी कभी रवीन्द्र सिंह जी के प्रति कोई बात ऐसी रही हो, तो बिना शासन की किसी जांच किये हुये, मुझे सदन के अन्दर गोली मार दी जाये। (शोर---व्यवधान) मैं जेल में भी रहा हूं, मुझे अफसोस इस बात का है कि जो माननीय सदस्य रवीन्द्रसिंह जी के विरोधी रहे हैं, राजनैतिक विरोधी रहे हैं वही आज बड़ी-बड़ी घोषणायें कर रहे हैं। 15 दिन पहले जागरण में एक खबर छपी थी, उसमें नाम तो नहीं छपा था, लेकिन छपा यह कि एक 22 साल के नौजवान की हत्या हुई और हत्यारे फव्वारे की तरफ से घर में घुस आये। (व्यवधान) सुनिये। रवीन्द्रसिंह से हमने खुद कहा कि तुम अपने बचाव के लिये... (व्यवधान) यह बात सही है कि उनके भाई और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश करते रहे कि वे रात बिरात इधर उधर न जायें क्योंकि उनके बारे में खतरा होने की सूचनायें मिली थीं और इसीलिये उनके लिये गार्ड और शैडो की व्यवस्था की गयी थी। मैं तो परसों गया था। जनार्दन सिंह जो उनके छोटे भाई हैं, उनसे मैं मिला। मैं उन चर्चाओं को आज नहीं करना चाहता हूं। मुझे शक है कहीं यह साजिश तो नहीं है कुछ लोगों द्वारा कि जो कातिल है, उनकी तरफ से ध्यान दूसरी तरफ मुड़ जाय और उन्हें बचा लिया जाय कहीं यह साजिश तो नहीं है कि यह नाम लेकर शासन के ऊपर आरोप लगा कर शासन के कुछ मंत्रियों का नाम लेकर उनका कत्ल कराने का तो इरादा नहीं है? मान्यवर, मैं गोरखपुर में अकेला हूं। मेरी कोई जाति नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरा कोई नाता नहीं आज तक यह गर्व कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के एक-एक व्यक्ति ने मुझको 30-35 साल से भाई जैसा प्यार दिया है। मुझे गोरखपुर की जनता ने अपने पुत्र और भाई जैसा प्यार दिया।

मान्यवर, मुझे गर्व है कि पिछले 30-35 साल के राजनैतिक जीवन में जो मेरे विरोध के रास्ते में था, वह भी कभी भी इस प्रकार के गंदे आरोप नहीं लगाये। आज यह साजिश क्यों हो रही है? यह साजिश इसलिए हो रही है कि रवीन्द्र सिंह के खिलाफ आज से 3-4 महीने पहले जिन लोगों ने इस घटक के लोगों ने मीटिंगें की थी, फौवारे पर, उनके ऊपर आरोप लगाया था, क्या मैं उसे खोल दूं।

(खोलिये-खोलिये की आवाजें)

(व्यवधान)

एक सदस्य---

आप जानते हों, तो खोलिये।

श्री मधुकर दिघ---

रवीन्द्र के साथियों, आरोप मत लगाइये।

(घोर शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मधुकर दिघे--
मान्यवर, मैंने इसलिए कहा.....
(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--
(व्यवधान के मध्य) गलत आरोप न लगाइये।
(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--
बैठिये, बैठिये ।
(व्यवधान)
कृपया आरोप-प्रत्यारोप न लगायें।

श्री मधुकर दिघे-
जिन लोगों ने उनका कत्ल किया है :
(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--
आरोप तो नहीं लगाया है, मान्यवर।
(बाबा राम अधार यादव के खड़े होकर कुछ कहने पर)

एक सदस्य--
[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--
जो शोर आप कर रहे हैं यह कुछ लिखा नहीं जायगा।

श्री मधुकर दिघे--
मान्यवर, मैं इतना कह देना चाहता हूं कि इतना परेशान मत हों। मैं यह आरोप लगाना नहीं चाहता हूं। उस साजिश में कौन शामिल हैं? कातिल कौन है? यह एफ0 आई0 आर0 में लिखा हुआ है। शासन को जानकारी है। लेकिन आप तो राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं रवीन्द्र सिंह की हत्या का। आप तो अपने पुराने पापों को जरा धोना चाहते हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि मैं रवीन्द्र सिंह के लिए दिल्ली गया कि पार्लियामेंट का उसे टिकट मिले। दो-दो, तीन-तीन बार गया। मान्यवर, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया। मान्यवर, मुझे घेरने की कोशिश की गयी। क्या यह बात सही नहीं है कि मेरे खिलाफ गाली-गलौज हुई। ओझा जी कह दें नहीं हुई। मैं मान लूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरे घटना क्रम में किसी भी राजनैतिक दल का हाथ नहीं है। इसमें कुछ बदमाश गुन्डों, कतली जो बड़ी-बड़ी घटनाएं कर रहे हैं, उनका हाथ है। मुझे अफसोस है। मेरे ऊपर आरोप लगाने वालों को जबाव तो मैंने दे दिया। (व्यवधान) उठो नहीं, चिल्लाओ नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं अफसोस जाहिर करना चाहता हूं कि मेरे शासन में रहते हुए, मेरे मंत्री रहते हुए, मुझे अफसोस है कि रवीन्द्र सिंह की जान नहीं बचा पाया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--
इस्तीफा दे दो।

श्री मधुकर दिघे--
जब देव बहादुर कहते हैं इस बात को तो जरूर मेरा मन कहता है कि हम अपने विधायक साथियों के साथ जो हत्यायें हो रही हैं, अभी तक सक्षम नहीं हुए हैं कि उनको बचा

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सकें। याद रखना इसी तरह की बोली और भाषा में कतल हुए हैं। यह हो सकता है कि आज इस तरह की बोली कल आप को अफसोस जाहिर करने के लिए खड़ा करे जब मेरा कत्ल हो जाये। केवल हाउस में ही नहीं हाउस के बाहर पब्लिक मीटिंग में जहाँ मैं मौजूद था तब भी कुछ करने के लिए प्रयत्न किया गया। मैं खुले तौर पर कहता हूं कि जब मृत्यु आ जायेगी तब दुनियाँ में कोई नहीं बचा पायेगा। मेरा तो कोई भाई भी नहीं है जो हमारी तरफ से आवाज उठाये और सदन को इन्फार्म करे कि मेरे भाई को बचा नहीं सके। मेरा भरोसा तो आप पर है। आप पर भरोसा करके मैं जानता हूं कि मेरा कतल हो जाय लेकिन जो कत्ल की धारा बढ़ चुकी है जो आततायी के पंजे हम सब की गर्दन की तरह बढ़ चुके हैं उन पंजो को तोड़ने, मरोड़ने का काम करने के बजाये हम प्रश्नों को उलझाने का काम कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप जब प्रश्न उठाते हैं, तोमर जी ने उठाया, रवीन्द्र सिंह की जान बचायी जा सकती थी, हवाई जहाज दिया गया या नहीं, सत्य प्रकाश मालवीय इसके इंचार्ज थे, वे इसका उत्तर देंगे, माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे लेकिन मैनेजर सिंह को हमने क्यों भेजा। आवश्यकता होती है तो ऐसे मौके पर लोगों को भेजने का काम भी करना पड़ता है। मैं इसका विरोधी रहा हूं कि शासन के हवाई जहाज का बेजा इस्तेमाल कोई करे। अगर कोई करता है तो उनसे हवाई जहाज का जो किराया है वह शासन को लेना चाहिए और मेरा यह भी कहना है कि बेजा तरीके से कोई इस्तेमाल करे तो उस पर रोक लगाने का शासन काम करे।

कमेटियों की बात है। कमेटियां कई बार बनी उसका कोई नतीजा निकला है ? माननीय उपाध्यक्ष ने अभी हमारी एक कमेटी में बताया कि जो संसद के स्पीकर थ उनसे जो पूछा गया था, उन्होंने कहा कि इस तरह की सदन की कमेटी की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। हमने भी इसलिए सी0 आई0 डी0 और दूसरी तरह की इन्क्वायरी कायम की है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो भी सूचना दे सकते हैं वे चाहे किसी के खिलाफ हो, मेरे भी खिलाफ हो, आपके पास कोई तथ्य हो तो आप दें। सी0 आई0 डी0 की जाँच से यह पता लगाया जाय, बल्कि 2–3 साल की जाँच हो और यह पता लगाया जाय कि क्या हत्यारा है गोरखपुर में ? और मुझे यकीन है कि इस अग्नि परीक्षा में भी मेरे जैसे कार्यकर्त्ता जो लगातार जनता की सेवा का व्रत लिये, जो ईमानदारी से सेवा की है, किसी के खिलाफ साजिस तो दूर, किसी के खिलाफ बुरे शब्द इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। आप कहोगे, मैं कोई बड़ा आदमी हूं, क्या महात्मा हूं, नहीं, लेकिन मेरा नाम है मधुकर दिघे, दूसरे प्रदेश में आकर बसा हूं, इसलिए मधुकर दिघे अगर तुम्हारा कोई साथी हो सकता है तो जो तुम्हारी सेवा है, जो व्यवहार है, वही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। इसलिए मान्यवर, मैंने बगैर इस बात की परवाह किये कि क्या नतीजा निकल सकता है, मैंने उधर के माननीय सदस्यों के नाम लिये हैं, वह चाहें तो जाँच करा लें। मेरे बारे में व्यक्तिगत किसी से जाँच करा लें मैं तैयार हूं। इन शब्दों के साथ जितने भी मेरे ऊपर आरोप लगाये गये हैं उनका मैं खण्डन करता हूं, विरोध करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)––

माननीय उपाध्य क्ष महोदय, यह एक दुखद अध्याय है जिससे यहाँ पर हम लोग गुजर रहे हैं। मान्यवर, यह बात बिलकुल साफ है और मैं माननीय दिघे जी की इस राय से इस विचार से बिलकुल इत्तफाक करता हूं कि कहीं यह राजनीतिक हत्या तो नहीं है। जो स्थिति है गोरखपुर की और हमारे पूर्वी जिलों की उससे हम लोग हमारे साथी लोग बरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

नहीं हो सकते। अपराधियों को संरक्षण हम लोग नहीं देते न देना चाहते हैं लेकिन न चाहते हुये भी लोग हमारे यहाँ आते हैं, रुकते हैं। यह बात तो सही है यह हत्या राजनैतिक नहीं है लेकिन जिस प्रकार का यह घिनौना षड़यंत्र हुआ है उस दृष्टि से गोरखपुर के सामान्य नागरिकों का मनोबल कहाँ जायेगा, उनकी स्थिति क्या होगी, यह कल्पना करके हम लोग एक बार सिहर जाते हैं। स्वर्गीय रवीन्द्र सिंह जी के साथ तो शैडो था, उनके और भी साथी थे, वह सतर्क होकर चला करते थे। अभी हम लोग जब दिल्ली जा रहे थे उन्होंने कहा गुरू जी, हमारी जान बचेगी नहीं। हमारा बड़ा आदर करते थे वह, हमें गुरु जी कहते थे। मैंने कहा "रवीन्द्र, अभी तुम नौजवान लड़के हो, ऐसा कुछ नहीं होता है राजनैतिक लोगों को, कोई कुछ नहीं करेगा।" वह चुप रहे, खामोश रहे। लेकिन उनके मन में भय बना रहा। हम राजनैतिक मामला नहीं बनाना चाहते। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि जो हम लोगों की भावनायें हैं वही उधर के लोगों की भावनायें हैं और वह भावनायें यह हैं कि जाँच के बाद किसी सन्देह की गुन्जायश न रह जाये कि इस षडयंत्र में किसका हाथ था।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

रवीन्द्र सिंह की हत्या की खबर हुई या नहीं उसकी रिपोर्ट होनी चाहिये या नहीं।

(शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

वह हमारी पार्टी के अनुभवी नेता हैं। मैं जबाव नहीं देना चाहता। जबाव देने के लिये बहुत कुछ मेरे पास है। वर्मा जी से कहना चाहता हूं इस संबंध में मेरे पास उनसे अच्छी जानकारी है। मैं जो कह रहा हूं विश्वास के साथ कह रहा हूं। घटना कैसे घटी, हम इसको वहीं छोड़ देना चाहते हैं।

(शोर)

हमारे एक साथी ने सदन को गुमराह किया है। मित्र बनकर स्वर्गीय रवीन्द्र सिंह के साथ शतरुद्र प्रकाश ने विश्वासघात किया है, इससे हमारा सर शर्म से झुक जाता है। मेरे और रवीन्द्र जी के पुराने रिस्ते हैं। गोरखपुर शहर में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का, अध्यापक से लेकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के तथा प्रोफेसर चाहे जिस कम्युनिटी के हों चाहे जिस दल के हों सभी रवीन्द्र सिंह को बहुत मानते थे, उनके मित्र थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 6 नेताओं को जो ब्राह्मण थे अध्यक्ष बनाने का काम रवीन्द्र सिंह का था। उनका दृष्टिकोण बड़ा उदार था।

दूसरा सवाल जो मैं कहना चाहता हूं वह सवाल है हवाई जहाज के इस्तेमाल का। बड़ी परेशानी हो रही है शतरुद जी और उनके चेलों को जो किसी के पैसों पर अपनी सियासती पूजी तैयार किये हुये हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि माननीय मालवीय जी गोरखपुर गये थे, वह मौजूद हैं, वह हमारे बड़े मित्र हैं और रवीन्द्र सिंह के सबसे बड़े हितैषी हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से एक सवाल कहना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि मालवीय जी यह विश्वास लेकर गोरखपुर आये थे कि मैं स्टेट प्लेन को भेज दूंगा। क्या यह सही नहीं है कि उनके परिवार को यह आश्वासन दिया गया था कि आप लोग तैयार रहें 4 बजे तक हवाई जहाज यहाँ पर आ जायगा। क्या यह सही नहीं है कि डी0 एम0, गोरखपुर ने जिनका कल ट्रांसफर हुआ है उन्होंने रवीन्द्र सिंह के परिवार और उनके जो नजदीकी साथी शीतल पाँडे जो विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हैं उनको कहा था कि आप तय कर लीजिये कि उनके साथ कौन-कौन जायेगा और परिवार के अतिरिक्त 2 व्यक्तियों के नाम डी0 एम0 ने बताये।

मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन से जानना चाहता हूं कि यह जो प्रश्न चिन्ह लगे हुये हैं हवाई जहाज के दुरुपयोग के तो कम से कम हमारे जैसे लोग जो भाग्य और भगवान में भरोसा नहीं करते हैं, हमारा विश्वास है कि दवाओं से आदमी की मौत को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। हमारा विश्वास है कि उपचार से आदमी की जान बचायी जा सकती है। दवा-दारू और उपचार तथा डाक्टरों की व्यवस्था के संबंध में जो शासन ने काम किया है उसके लिये मैं प्रशंसा करना चाहता हूं लेकिन प्रश्न केवल हवाई जहाज के इस्तेमाल का रह जाता है। क्या उत्तर प्रदेश का हवाई जहाज गोरखपुर जाकर स्वर्गीय रवीन्द्र सिंह को आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज या चंडीगढ़ में ले जाता तो क्या उनकी प्राण रक्षा हम नहीं कर सकते थे। जो भावनाएं दबी हुयी है, काँशियंश हमें यह बाध्य करता है, यह कहता है कि 80 साल की अवस्था में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी को 4 साल से डायलिसिस पर जिन्दा रख सकते हैं तो 32-35 साल के नौजवान रवीन्द्र सिंह को क्यों नहीं जिन्दा रख सकते हैं। साढ़े 9 बजे पद्माकर लाल के घर पर चन्द्रशेखर का टेलीफोन आता है, चन्द्रशेखर ने कहा मुझे सूचना मिली है कि चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार का प्लेन नहीं जा सकता गोरखपुर से इसलिये हम हरियाणा का जहाज भेज रहे हैं। लेकिन यह जहाज सुबह पहुंचेगा। इसके पहले बिहार सरकार का हवाई जहाज डायलिसिस के एक्सपर्ट को लेकर गोरखपुर जाने वाला है। अगर उत्तर प्रदेश का हवाई जहाज उपलब्ध होता अगर जाने में कोई कठिनाई न हुयी होती तो चन्द्रशेखर को हरियाणा और बिहार सरकार से कहने के लिये क्या आवश्यकता पड़ती? इसका जबाव मैं पूछना चाहता हूं। मेरी सुनिश्चित धारणा है और धारणा बलवती होती चली जा रही है कि जब हमरे रवीन्द्र सिंह के परिवार और संबंधित लोगों से बात करते हैं, मैं विनम्रता से अपील करना चाहता हूं, आज हम बात करके आय हैं, मैं कहना चाहता हूं शतरुद्र प्रकाश जी से कि वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। इसका एक मात्र निदान है कि एक सर्वदलीय समिति बैठा दीजिये।

वित्त मंत्री का कहना है कि कोई परिणाम नहीं हो सकता, इस बात को छोड़ दीजिये। रवीन्द्र सिंह जी वापस नहीं आ सकते लेकिन यह सही है कि शासन के यहाँ जो सम्मानित सदस्य बैठे हुये हैं, उनकी जान बचाने में कितना कारगर हथियार साबित हो सकता है उसका मामला सामने आ जायगा। इसलिये मैं अधिक बातें न कहकर राजनीतिक भाषण न देकर, विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि सर्व दलीय समिति बैठाने में कोई दिक्कत नहीं है और जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं इससे उनकी सफाई हो जायगी। इसलिये सब दलों की एक समिति बनायी जाय जो सारे मामलों की जाँच करे और वह सारी बातें आपके संज्ञान में लाये।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

सवा चार बजे तक बहस चलेगी। मालवीय जी मैं आपको 4 बजे बुलाऊंगा और तब तक एक दो सदस्यों को बोलने का और मौका मिल जायगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मैंने सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है तो मेरे खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव यह लोग ले आवे जिसका मैं मुकाबला करूंगा।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, यह विषय, मैं समझता हूं कि इस विषय पर आज जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वह नहीं होने चाहिये थे। श्रीमन्, श्री रवीन्द्र सिंह की हत्या हो गयी और पूरे सदन न एक मत से कार्य स्थगित किया, लेकिन आज जिस तरह से इस सवाल को पेश किया जा रहा है मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं है। श्री तोमर ने मुझसे कहा और श्री देव बहादुर ने बोलते हुये कहा कि आप सत्ता को बचा रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप देखें। बात उन्होंने सही कही है। दलगत राजनीति से उठ कर देखने से समाज और देश का भला हो सकता है, लेकिन आज जिस तरह से हिंसा की राजनीति चल रही है, यदि दलगत भावना से कार्य किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि उसको रोका नहीं जा सकता है बल्कि उसको बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न सिर्फ थोड़ा सा है। जब अखबारों में निकला तो मैंने भी जानकारी करने की कोशिश की। सबसे पहले मैं माफी माँगना चाहता हूं उसमें कि मैं गोरखपुर नहीं जा सका मेरी अकर्मण्यता समझें या और कुछ, उसके लिये मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जानकारी किया मुख्य मंत्री जी ने जो बयान दिया, हवाई जहाज का मसला अलग है इसलिये कि हमको कभी मौका मिलने वाला तो है नहीं किन्तु उसका इस्तेमाल श्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार चाहे संजय गाँधी को या किसी और को ले जाती रही हो या जनता पार्टी की सरकार बनी तो चाहे वह श्री राजनारायण को या श्री चन्द्र शेखर को ले जाय मैं उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं, मैंने कल ही मुख्य मंत्री जी से बात किया कि बात क्या है, आपने इसमें सक्रियता क्यों नहीं बरती। तो उन्होंने बयान दिया कि श्री सत्य प्रकाश मालवीय, श्री हरी किशन श्रीवास्तव और श्री राम अधार को तथा डाक्टरों को, जिनका नाम लिया गया, उनको भेजा और उन्होंने सलाह दिया कि अभी यह ले जाने वाले नहीं है। श्रीमन्, यह भी निवेदन किया कि कमिश्नर ने मुझे बताया कि श्री चन्द्रशेखर का फोन आया है कि पटना से जहाज और डाक्टर आयेंगे वह देखेंगे कि हाल क्या है। मैं श्री तोमर की बात से सहमत हूं कि डाक्टरों की राय क्या है, सक्रियता क्यों नहीं बरती गयी, उसको देखना चाहिये और यदि उसमें ढिलाई हुई हो तो शासन को सोचना चाहिये, सरकार को उस पर स्वयं अफसोस जाहिर करना चाहिये कि उस पर ठीक से ध्यान क्यों नहीं दिया।

श्रीमन्, दूसरा पहलू जैसे निवेदन किया कि उस झंझट में मैं अपनी पार्टी और अपने को घसीटना नहीं चाहता हूं। वह अलग मामला है। जब से यहाँ मैं आया हूं चाहे बनारसी दास हों या नारायणदत्त तिवारी हों या आज का शासन हो, सरकारी साधनों का दुरुपयोग कभी ज्यादा कभी कम होता रहा हैऔर आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। मैं इस राय का हूं। जहाँ तक मेरी पार्टी की राय है सरकारी साधनों का दुरुपयोग सरकारी काम के अलावा, सरकारी व्यक्तियों के अलावा और किसी काम के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए श्रीमन् मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।

गोरखपुर की क्या हालत है? हमारे गोरखपुर के भाई बड़ी दबी जुबान में बोलते हैं। वहां पर दो दल है। आज भी गुन्डों को पाला गया है? क्या यह बात सत्य नहीं है। एक दूसरे को लड़ाया जाता है। राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है, पैसा वसूला जाता है और श्रीमन् माननीय सदस्य जो रहे होंगे उन्हें याद होगा नर सिंह नारायण पाण्डे थे, अफीम, चरस, इन चीजों की स्मगलिंग किया करते थे। कुछ मंत्रियों के बारे में दोषारोपण भी किया था और जाँच कमेटी बनी थी। वह चीज आज भी खत्म नहीं हुई। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि गोरखपुर में सब से ज्यादा हिंसा प्रति हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा, गुण्डों के द्वारा हो रही है, इनकी गेंग है, सरकार इसका पता लगा ले। इस 8--10 वर्ष के अन्दर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पचासों हत्यायें दोनों दलों में की गई ह। अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने जरा सा भी समर्थन किया तो उसकी भी जान खतरे से खाली नहीं रहती। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं कि इस समस्या के ऊपर बड़ी ही गंभीरता के साथ विचार कर लें और जो यह गुण्डागर्दी हो रही है, राजनीतिक गुण्डों को पाला हुआ है और जिन के कारण जन जीवन खतरे में है उस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

अन्त में मैं फिर सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसे राजनीतिक प्रश्न न बनायें।

*श्री मैनेजर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री रवीन्द्र सिंह की हत्या और चिकित्सा के संबंध में जो चिन्ता सदन की है वह स्वाभाविक है। सही है कि इस मसले पर हम को गंभीरता के साथ और दल गत भावना से ऊपर उठ कर विचार करना चाहिए था लेकिन ऐसा लगता है कि सदन का वातावरण कुछ अनुकूल नहीं है इस समय। माननीय तोमर जी ने इस चर्चा को आरम्भ करते हुए बड़ी संजीदगी के साथ कुछ मुद्दों को उठाया था। हमारे साथी देव बहादुर सिंह जी ने भी कुछ मुद्दों के सिलसिले में कुछ प्रश्न सदन के सामने रखे। चाहिए यह था कि उन मुद्दों तक सीमित रह कर उन पर निष्पक्षता और गंभीरता के साथ हम विचार करते। जो आये दिन हत्यायें होती है चाहे हमारे माननीय सदन के साथियों की हों चाहे आम व्यक्तियों की हों ये हमारे शासन के लिए, हमारे प्रदेश के लिए कलंक की बात है। इन्हें कैसे रोका जाय उस पर भी विचार होना चाहिए।

श्रीमन्, हमारे साथी शतरुद्र प्रकाश नौजवान है। हमारे रवीन्द्र सिंह जी की तरह एक जागरूक छात्र नेता रहे हैं। उन्होंने बडे आवेश में आकर कहा कि मैं विधायक हूं मेरी बात माननी चाहिए। सदन में एक सवाल पर दस विधायक दस तरह की बातें रखते हैं। हमें सत्यता को ढूढ़ना चाहिए और जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए नहीं तो चाहे हम विधायक ही क्यों न हों हमारी बातों का कोई असर नहीं होगा। शतरुद्र प्रकाश जी नौजवान भाई है उन्हें बहुत दुनिया देखनी है। कोई बात भी कहें तो संजीदगी के साथ कहें, लेकिन वह हर बात को छिछलेपन से कहते हैं। भूतपूर्व मुख्य मंत्री राम नरेश यादव के बारे में उन्होंने कहा था कि वह सी0 आई0 ए0 के एजेन्ट हैं। मैंने उनको समझाया कि नेता सदन या नेता विरोधी दल के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन उन जैसा नौजवान इतना छिछला बनता जा रहा है यह उनके लिए और जनतन्त्र के लिए ठीक नहीं है।

मैं अब मुद्दे पर आता हूं। हमारे नेता सदन शुरू दिन से चिन्तित थे। हमारे मंत्री लोग मालवीय जी, हरिश्चन्द्र जी और राजा साहब जिनकी हवाई जहाज की देखरेख है वह लोग चिन्तित थे। उनका विचार था कि हवाई जहाज से रवीन्द्र सिंह को ले आया जाय। उस दिन हवाई जहाज का प्रबन्ध नहीं हो पाया। दूसरे दिन मालवीय जी गये थे। किन परिस्थितियों में उनको नहीं लाया जा सकता इसका कारण मालवीय जी बतलायेंगे। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इसकी छानबीन करवायें। इसमें घोर उपेक्षा बरती गयी है। उनकी मृत्यु रीढ़ की हड्डी की चोट से नहीं हुई थी। हमारा भी तजुर्बा है। रीढ़ की हड्डी की चोट से कोई मरता नहीं। कमजोर हो जाता है। चलने फिरने में तकलीफ होती है लेकिन उससे कोई मरता नहीं। जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट है उसको नेता सदन यहाँ रखें। मुझे सूचना मिली है कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि पेट के अन्दर कोई ग्लान्ड होती है जो क्षति ग्रस्त हो गयी थी, पंक्चर हो गयी थी और वह सूज कर बहुत बड़ी हो गयी थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

इतना गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि दो नौजवान मंत्री इतना मनोरंजन ले रहे हैं कि सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने सुना नहीं। कृपया शान्ति रखें।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं कह रहा था कि उनकी मृत्यु पेट की ग्लैन्ड के सूजने से हुई। इसका पता डाक्टरों को नहीं लग पाया। अगर उनको मेडिकल इंस्टीट्यूट ले जाया गया होता तो हो सकता ह उचित उपचार होने से उनका जीवन बच जाता। मैं माननीय नेता सदन से कहूंगा कि वह इसकी छानबीन करेंगे कि क्यों डाक्टरों ने इसका पता नहीं लगाया। एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि शासन ने स्वतः शैडो दे दिया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में माननीय रवीन्द्र सिंह के घर से उस गार्ड को हटाया गया। एस0 एस0 पी0 का कहना है कि सरकार के आदेश से गार्ड हटाया गया, हमने गार्ड हटाने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री के आदेश से। हमने कहा कि मुख्य मंत्री को क्या पता। आपने या कलक्टर ने रिपोर्ट दी होगी तब मुख्य मंत्री ने आदेश दिये होंगे। एस0 एस0 पी0 ने कहा कि कोई मंत्री साहब कहें होंगे मुख्य मंत्री जी से। गार्ड हटाने की शिकायत माननीय रवीन्द्र जी ने भी की थी। यह पता लगावें कि गार्ड को हटाने की पहल किस व्यक्ति ने की।

तीसरी बात कहना चाहता हूं कि मैं इस बात को मानता हूं कि माननीय दिघे का हाथ कत्ल में नहीं है कत्ल की राजनीति में वह विश्वास नहीं करते हैं लेकिन इस समय गोरखपुर की जो दुर्दशा है, जो अराजकता है, गुन्डागर्दी है और कत्ल हो रहे हैं उसके लिये वह जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। आप वहाँ के अन्य विधायकों को बुलाइये तथा दिघे जी उन विधायकों के साथ मुख्य मंत्री से बातचीत करके कोई हल निकालें और जब तक वहाँ के निकम्मे अधिकारी हटाये नहीं जायेंगे तब तक कत्ल बन्द नहीं हो सकते।

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

उपाध्यक्ष महोदय, रवीन्द्र सिंह इस प्रदेश के उदीयमान तथा प्रतिभाशाली विधायक थे। जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई, एक हिंसा के वातावरण में इसकी जितनी भर्त्सना की जाय कम है। रवीन्द्र सिंह की मृत्यु से जो इस प्रदेश के नवयुवकों को ठेस पहुंची है और हमारी जो व्यक्तिगत हानि हुई है वह निकट भविष्य में पूरी नहीं होगी। मैं अपने को अकेला महसूस कर रहा हूं। लेकिन इस सारे विषय को एक राजनीतिक रूपरेखा नहीं देना चाहिये। जो कुछ भी विचार विमर्श यहाँ हुआ है उसके दो पहलू हैं। एक तो किस प्रकार से यह घटना घटी और उसके पश्चात उनके उपचार के लिये क्या-क्या व्यवस्था की गयी। दूसरे हवाई जहाज उनको उपलब्ध कराया गया या नहीं कराया गया। संक्षेप में मैं इन बातों पर प्रकाश डालूंगा।

श्री श्याम जी त्रिपाठी द्वारा थाना जी0 आर0 पी0, गोरखपुर में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार दिनाँक 27-8-79 को श्री रवीन्द्र सिंह शाने अवध ट्रेन से लखनऊ जाने हेतु गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सर्वश्री श्याम जी त्रिपाठी, अनिरुद्ध नारायण सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, लाल जी सिंह, सुभाष शाही आदि के साथ अपने अंग रक्षक श्री राम चन्द्र सिंह को लेकर सुबह लगभग 5.40 पर पहुंचे। प्रथम श्रेणी गेट की ओर जाते हुए सर्वश्री अमल चटर्जी, कृष्ण चन्द्र उर्फ ज्ञानू तिवारी, बलराम चन्द्र, परमात्मा तिवारी, अरविन्द उपाध्याय, शौकत, कृष्ण किंकर सिंह तथा एक अन्जान व्यक्ति एकाएक श्री सिंह की ओर बढ़े, उनको ललकारा और उन पर फायर किया जिससे चोट खाकर वह गिर पड़े। बदमाशों के साथ अज्ञात व्यक्ति जिसका नाम बाद में रितु राज उर्फ पृथ्वीराज तिवारी पता चला, ने श्री सिंह पर गोली

चलानी चाही लेकिन श्री सिंह के शैडो कान्सटेबिल श्री रामचन्द्र सिंह ने विधायक जी को बचाने के उद्देश्य से उस पर गोली चला दी जिससे वह चोट खाकर वहीं गिर गया। बाकी सभी बदमाश गोली चलाते हुए पीछे हटने लगे। शैडो ने भी बचाव में बदमाशों पर गोलियां चलाईं। गोलियों के इस आदान-प्रदान में एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम बाद में श्री जगदीश लाल श्रीवास्तव पता चला, गोली खाकर वही मर गया।

इस घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा किए जाने के आदेश दिनांक 28-8-79 को दे दिए गए। स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही विवेचना में 27-8-79 से ही अपराध अनुसंधान विभाग की इकाई द्वारा सक्रिय सहयोग दिया जा रहा था। घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों में से एक अभियुक्त श्री रतुराज तिवारी उर्फ पृथ्वी राज तिवारी गिरफ्तार हो चुका है और दो अभियुक्त सर्वश्री अमल चटर्जी एवं कृष्ण चन्द्र तिवारी द्वारा चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट, बलिया के न्यायालय में 27-8-79 को आत्म समर्पण किया गया जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है किन्तु वह भागे हुए हैं और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

इस घटना की सूचना थाना जी0 आर0 पी0 में लगभग 5.42 पर मिली जिस पर थानाध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारीगण तुरन्त मौके पर पहुंचे परन्तु तब तक फायरिंग का सिलसिला समाप्त हो चुका था। श्री रवीन्द्र सिंह को तुरन्त सदर अस्पताल उपचार हेतु भेजा गया। शासन को इस घटना की सूचना मिलने पर श्री सिंह की उपचार की व्यवस्था को देखने के उद्देश्य से उसी दिन मंत्रि मंडल के दो सदस्य श्री सत्य प्रकाश मालवीय व श्री हरी किशन श्रीवास्तव हवाई जहाज से गोरखपुर गये। शासन का यह प्रयास था कि श्री सिंह के उपचार में किसी प्रकार की कोई ढील अथवा कमी न होने पाये। इसी परिप्रेक्ष्य में 29-8-79 को लखनऊ मेडिकल कालेज के विशेषज्ञ डा0 न्यूटन को भी स्थानीय चिकित्सकों को परामर्श तथा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गोरखपुर भेजा गया। 30-8-79 को पुनः लखनऊ से तीन विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय टीम को साथ लेकर सर्व श्री सत्य प्रकाश मालवीय, हरी किशन श्रीवास्तव हवाई जहाज से गोरखपुर गये जिससे श्री सिंह का उपचार करने वाले स्थानीय चिकित्सकों को विशेषज्ञों द्वारा उच्च स्तरीय परामर्श उपलब्ध हो सके। यह दुर्भाग्य की बात है कि श्री रवीन्द्र सिंह की जान बचाने के लिये किये गये इन अथक प्रयासों में सफलता नहीं मिली और उनकी मृत्यु दिनांक 30-8-79 को रात्रि 11.15 बजे हो गयी।

मान्यवर, उस वक्त पौने सात बजे थे। मुझे पौने सात बजे टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई। उस वक्त मेरे घर पर कोई नहीं था। विद्युत मंत्री श्री रेवती रमण सिंह के मकान में पैदल ही गया और तत्पश्चात माननीय मुख्य मंत्री जी से सम्पर्क किया। उन्होंने मुझे और श्री श्रीवास्तव को गोरखपुर जाकर उनके उपचार के विषय में प्रबन्ध करने के लिये कहा। उसके पश्चात हमने गोरखपुर के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल डाक्टर शुक्ला, वहाँ के सर्जन डाक्टर भार्गव, चीफ मेडिकल आफीसर डाक्टर श्रीवास्तव से टेलीफोन से सम्पर्क किया और सूचना दी कि हम गोरखपुर आ रहे हैं। हम लोग शाम को गोरखपुर पहुंचे और डाक्टरों से परामर्श करने के बाद उन्होंने राय दी कि इस समय उनकी ऐसी हालत नहीं है कि उन्हें किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। इसके अतिरिक्त डाक्टरों ने यह भी कहा कि जो भी उपचार यहाँ गोरखपुर में उपलब्ध है वही लखनऊ में है और वही दिल्ली में उपलब्ध है। इसलिये कुछ घन्टों और कुछ दिनों तक उनको यहीं अन्डर आब्जरवेशन रखना पड़ेगा। उसके ठीक पश्चात जब यहाँ पर मतदान हो रहा था 29 अगस्त को यहाँ के डाइरेक्टर आफ मेडिकल हेल्थ श्री आर0 पी0 श्रीवास्तव को फोन किया कि डाक्टर न्यूटन

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

उनकी चिकित्सा के लिये गोरखपुर पहुंचे। वे 29 अगस्त को वहाँ पहुंच गये। डाक्टर न्यूटन ने सवा चार बजे श्री रवीन्द्र सिंह जी का परीक्षण किया। उनकी राय यह है—

I have seen the case and noted the history. Patient examined under sedation. The general condition of the patient is low, pulse is rapid about 160/m——The Blood pressure is not recordable at this time—= The patient's condition is extremely low and can not be shifted.

इसका तात्पर्य यह है कि मैंने मरीज का परीक्षण किया। मरीज इस समय बेहोशी की स्थिति में है। इस समय उनका ब्लड प्रेशर भी नहीं लिया जा सकता। इनकी नाड़ी बहुत तेज गति से चल रही है। मरीज की हालत इतनी खराब है कि उनको अब शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। यह 29 अगस्त, 1979 की सवा चार बजे की रिपोर्ट है। 4 बजे डाक्टर न्यूटन वहाँ पहुंच गये थे और सवा चार बजे उन्होंने रवीन्द्र सिंह जी का परीक्षण किया। उनकी रिपोर्ट का कुछ अंश मैंने पढ़ा। उसके पश्चात गोरखपुर से मेरे पास एक टेलीफोन आया कि उनकी दशा में निरन्तर गिरावट आ रही है। यहाँ सवा ग्यारह बजे तक मतदान चल रहा था। जब यह समाप्त हुआ तो मैं मुख्य मंत्री जी के मकान पर पहुंचा। मुख्य मंत्री जी मेरे पहुंचने के बाद अपने मकान पर पहुंचे। मैंने उनको सारी बातों से अवगत कराया और उन्होंने तुरन्त मुख्य सचिव को आदेश दिया कि किसी भी प्रकार से जो भी अच्छे से अच्छा डाक्टर उपलब्ध हो सके उसको तुरन्त गोरखपुर भेजने की व्यवस्था की जाय। उन्होंने पाइलट मिस्टर टिक्कू से भी बात की। उन्होंने दिल्ली से हवाई जहाज को गोरखपुर में लैंड करने की अनुमति माँगी। हमें सूचना दी गई कि रात में वहाँ पर जहाज नहीं उतारा जा सकता है। यह सवेरे सात बजे ही हो सकता है। और डाक्टरों की व्यवस्था करनी होगी और मुख्य सचिव से लगभग रात एक बजे बात हुई और उसके बाद मुख्य सचिव ने मेडिकल कालेज के डाक्टर शाही, डाक्टर गुप्ता और डाक्टर दवे जो न्यूरो सर्जन हैं, से बात की और समय निर्धारित हुआ और यह तय हुआ कि हम लोग यहाँ से सुबह प्रस्थान करेंगे। तीन बजे सुबह उसी दिन जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्र शेखर से मेरी बात हुई और चन्द्रशेखर जी ने मुझ से कहा जैसे भी हो आप लोग वहाँ जायं और उपचार में किसी प्रकार की ढिलाई न होने पाये और मैंने उनको सारी बातें बतलाई और कहा कि सारी व्यवस्था हो गई है। चूंकि हवाई जहाज उतर नहीं सकता है तो दूसरे दिन डाक्टरों को लेकर जायेंगे।

मान्यवर, करीब 8 बजे गोरखपुर के लिये रवाना हुए और इस बात की व्यवस्था करके ले गये थे हम चाहते थे कि श्री रवीन्द्र सिंह को लखनऊ या दूसरी जगह जहाँ डाक्टर कहें ले जाया जाय उसके लिये स्ट्रेचर की व्यवस्था भी करले गये थे ताकि उनको शिफ्ट किया जा सके। वहाँ पर पहुंचने के बाद डा0 एन0 एन0 गुप्ता, प्रोफेसर मेडिकल कालेज लखनऊ, डा0 शाही, डा0 दवे न्यूरो सर्जन लखनऊ मेडिकल कालेज और गोरखपुर मेडिकल कालेज के डा0 के0 एस0 भार्गव जिन्होंने आपरेशन किया था तथा वहाँ के सी0 एम0 ओ0 डा0 श्रीवास्तव तथा अन्य चिकित्सकों ने एक घन्टे तक कन्सल्टेशन किया। हम लोग बराबर जोर देते रहे कि यदि आवश्यक हो और यह ले जाने की हालत में हों तो तुरन्त गोरखपुर से लखनऊ या अन्यत्र ले जायं लेकिन परीक्षण के बाद डाक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि उनकी हालत इस प्रकार की नहीं है कि उनको शिफ्ट किया जाय। डाक्टरों ने कहा कि अगर उनकी हालत स्टेबल हुई और निरन्तर स्टेबल बनी रहेगी तो उनको शिफ्ट किया जा सकता है और हालत सुधरती रही तो शाम को शिफ्ट करने की बात की जायेगी।

मान्यवर, डा0 गुप्ता की जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि 'पेशेंट' विल बी शिफ्टेड बाई दि इवनिंग इफ ही इज स्टेबल बाई दिस मोमेंट टु आल इंडिया इंस्टीट्यूट

आफ मेडिकल साइंसेज न्यू डैलही। इसका अभिप्राय यह हुआ कि मरीज की जिस प्रकार की हालत चल रही है अगर इस प्रकार की चलती रही तो शाम को आल इंडिया इंस्टीट्यूट नई दिल्ली ले जाया जा सकता है। इस रिपोर्ट के बाद भी हम लोग इंस्पैक्शन हाउस में बैठे रहे और इस बात पर जोर दिया कि यदि आप उचित समझें तो हम लोग अभी उनको ले जा सकते हैं और रुक भी सकते हैं लेकिन डाक्टरों की यही राय थी कि अभी कोई प्रश्न नहीं है। शिफ्ट करने के पहले आब्जरवेशन में रखना पड़ेगा और निरन्तर सुधार हुआ तो ले जाया जा सकता है। वहाँ 30 अगस्त को हम लोग 9.10 में पहुंचे और गोरखपुर पोर्ट से 11.50 में प्रस्थान किया। 10 बजे के बाद ब्लड प्रेशर, पल्सेज, टैम्परेचर और रेस्परेशन की जो रिपोर्ट है वह मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं 10 बजे से उनकी हालत में गिरावट आनी शुरू हो गई।

समय	ब्लड प्रेशर	पल्स	टेम्प्रेचर एफ0 ए0	रेस्परेशन
10 बजे	108/78	140	98	24
10.30 बजे	104/74	152	100	24
11 बजे	108/80	140	100.8	24
साढ़े 11 बजे	94/76	140	101	—
12.55 बजे	96/80	100	98.4	29
1 बजे	96/80	100	98.4	24
डेढ़ बजे	88/80	144	100.4	24
दो बजे	90/70	140	99	24
ढ़ाई बजे	102/70	140	99.8	30
तीन बजे	100/84	140	99	24

इस प्रकार ब्लड प्रेशर में बराबर गिरावट होती गई तथा वहाँ के डा0 श्रीवास्तव की यह राय है—

On. 30 th August, 1979 at 2.20 A.M. the condition of the patient was very poor, so he was given efcortine 5 rials stat & 6 hourly which somehow unproved the condition. The Patient was seen at 9.30 A. M. by Dr. N. N. Gupta, Dr. R. R. Sahi & Dr. Dave from K. G. Medical Collge, Lucknow and patient was stable as appeared from their report. The general condition of the patient kept of fluctuating. His condition started deteriorating and inspite of best efforts he expired at 11.15 P. M.

इसका तात्पर्य यह है कि 30 अगस्त को प्रात: 2-20 बजे से ही उनकी हालत में निरन्तर बुरी तरह से गिरावट प्रारम्भ हुई। कुछ दवाएं दी गईं, जिससे उनकी स्थिति में कुछ सुधार या ठहराव हुआ है। प्रात: 9-30 बजे डा0 एन0 एन0 गुप्ता, डा0 वी0 एस0 दवे तथा डा0 शाही ने जो मेडिकल कालेज, लखनऊ से आए थे, उन्होंने उनका परीक्षण किया।

लेकिन उससे बाद से निरन्तर गिरावट होती चली गई थी, होते-होते तमाम कोशिशों के बावजूद 11-15 पर उनकी मृत्यु हो गई। जब मैं लखनऊ पहुंचा करीब 4 बजे, तो श्री चन्द्र शेखर को फोन किया। वह नहीं मिले, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी श्री गौतम से बात हुई, मैंने उनको बताया कि डाक्टरों की राय यह थी कि इनको हटाया नहीं जा सकता। इसके बाद

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

यदि इनकी दशा में सुधार होता रहेगा तो कल सबेरे उनको ले चलने का प्रयास किया जाएगा और 10/11 बजे के करीब दिल्ली के एयरपोर्ट पर उनके हेतु एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए और वह आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली में उनके उपचार और भर्ती के लिए पूरी व्यवस्था करा दें। मैंने उसी दिन करीब 5 बजे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री रविराय से सम्पर्क किया। उनसे भी मेरी भेंट नहीं हुई, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी मालवीय जी से भेंट हुई। उन्हें मैंने पूरा संदेशा देते हुए कहा कि उनके लिए सारी व्यवस्था दिल्ली में रखनी चाहिए और जैसे ही जहाज यहाँ से चला जाएगा मैं प्रातः दूसरे दिन सूचना दूंगा। यहाँ एयरपोर्ट पर आते ही श्री राजनारायण मिल गये और कहने लगे आप उन्हें लखनऊ या दिल्ली अभी तक क्यों नहीं ले गये। उस समय वहाँ जो तीन डाक्टर उपस्थित थे, उन लोगों ने उन्हें बताया कि इस समय उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उनको शिफ्ट किया जा सके वहाँ से। जैसे स्थिति सामान्य, उसमें फर्दर डिटरियेशन न हुआ, सुधार हुआ तो उन्हें गोरखपुर से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। उनके साथ जो प्राइवेट सेक्रेटरी श्री महेश्वरी साहब थे, उनसे भी कहा कि जैसे ही यह शिफ्ट करने के योग्य होंगे, उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा और वह दिल्ली में, जो कि दिल्ली जा ही रहे हैं, वहाँ पहुंच कर उनके उपचार की सारी व्यवस्था करा दें। तो यह अत्यन्त दुखद विषय है और इस विषय में कुछ गलतफहमी पैदा हो गयी है। उनको तमाम अथक प्रयासों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। लगता है, इफ एनी बाडी हैज टू डाई, नो बाडी कैन सेव हिम। लेकिन यह दुख का विषय है कि इस विषय को कुछ राजनीतिक कलर देने की कोशिश की गयी। लेकिन मुझे विश्वास है कि सारी चीज जब माननीय सदन की जानकारी में आ जायेगी, जिस प्रकार मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है, वह स्पष्ट हो जायगी, तो भ्रम का वातावरण निश्चित रूप से दूर हो जायगा। यह सही है कि जो कुछ भी उपचार, व्यवस्था उपलब्ध थी वह सब करायी गयी। डाक्टरों के निर्देशन पर उनको ले नहीं जाया गया। जहाज कोई ऐसी चीज नहीं है, किसी प्रकार की सम्भावना आती तो जहाज को जयपुर से वापस मंगाया जा सकता था। जिस प्रकार पद्माकर लाल जी ने कहा है मैं स्वयं चन्द्रशेखर जी से, प्रधान मंत्री चरण सिंह जी से सम्पर्क करके, रक्षा मंत्री से सम्पर्क करके हवाई जहाज मंगा सकता था और रवीन्द्र सिंह को बचाया जा सकता था।

(व्यवधान)

मान्यवर, पहली बात तो यह है कि यह कहना असत्य, निराधार और भ्रामक है, चूंकि श्री राजनारायण हवाई जहाज लेकर जयपुर चले गये, इसलिए रवीन्द्र सिंह को गोरखपुर से नहीं लाया जा सका। यह भी सही है कि हम लोगों ने यह आश्वासन नहीं दिया था हर सूरत में शाम के चार बजे के करीब हवाई जहाज आयेगा और रवीन्द्र सिंह को दिल्ली या लखनऊ ले जायगा। जो बात अन्तिम रूप से सारे डाक्टरों के सामने, यहाँ के डाक्टरों के सामने, जिला अधिकारी के सामने पुलिस अधीक्षक के सामने हुई थी वह यह हुई थी कि लखनऊ पहुंचने पर यदि स्थिति ठीक रही और कोई सूचना मिली तो हवाई जहाज को वापस, आज ही वापस भेजने, अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हर सूरत में कल सुबह नौ बजे भेज दिया जायगा।

श्री राम प्रकाश (जिला लखनऊ)—

हवाई जहाज रोका क्यों नहीं गया ?

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैं आपनी बात समाप्त कर दूं। फिर कुछ पूछेंगे तो स्पष्ट कर दूंगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह बिलकुल भ्रामक और असत्य है, इस तरह का आरोप कि हवाई जहाज उपलब्ध नहीं कराया गया। किसी भी मरीज के लिए एक्सपर्ट की सलाह होती

है, जिस प्रकार से डाक्टरों ने सलाह दी, अक्षरश: उसका पालन किया गया। पोस्ट मार्टम के सम्बन्ध में माननीय मैनेजर सिंह ने कुछ बातें कहीं। मृत्यु हो जाती है उसके बाद पोस्ट मार्टम होता है। उसमें उन कारणों को भी दिखाया जाता है जो वास्तविक रूप से मृत्यु के कारण थे। जिस वक्त गोली लगी थी पीठ में गोली लगती है, पेट को चीरती हुई गोली बाहर चली गयी। लिवर पार्टली डैमेज हो गया। डाक्टर भार्गव जिन्होंने आपरेशन किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्टली लिवर को रिपेअर कर दिया है लेकिन अभी शक है, अंडर आब्जर्वेशन उनको रख रहे हैं। एक्सरे ले रहे हैं। बाकी कंडीशन्स बाद में कन्फर्म कर सकेंगे। इसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। स्पाइनल कार्ड भी डैमेज हो गयी, किडनी भी फेल कर गयी, दोनों पैर पैरालाइज हो गय। डाक्टरों ने कहा कि पैरालिसिस इसलिए हो गयी है चूंकि स्पाइनल कार्ड डैमेज हो गया है। स्पाइनल कार्ड डैमेज होने से किसी भी पार्ट को पैरालिसिस हो सकती है। माननीय मैनेजर सिंह ने जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की ओर ध्यान आकृष्ट किया पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में जो कारण लिखे हुए हैं, डाईड ड्यू टू शाक, हैमरेज सैप्टीकीमिया। सेप्टीकीमिया, जहरबाद या कुछ होगा। एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय को राजनैतिक प्रश्न न बनाया जाये। रवीन्द्र सिंह की जान सबको प्यारी थी। यह बड़े दुख की बात है कि उनका हंसता हुआ चेहरा हमको नहीं मिलेगा, लेकिन जो आरोप लगाये जा रह हैं, मैं नहीं कहता कि वह आरोप लगाने की नियत से लगाये जा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर किसी भी माननीय सदस्य को किसी प्रकार का भ्रम हो तो उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ जो व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर तथ्य मैंने बतलाये हैं उनसे मैं समझता हूं कि भ्रम दूर हो जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है कि कमिश्नर ने बतलाया कि श्री चन्द्र शेखर का फोन आया था कि पटना के डाक्टर 31 तारीख को भेजे जायेंगे और 30 तारीख को उनकी मृत्यु हो गयी। मेरे पास कागजात हैं उसके आधार पर मैं यह कह रहा हूं। कमिश्नर ने लिखा है कि 'मैं जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की आख्या से सहमत हूं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट देखने से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि दिनाँक 30-8-79 को 2.00 बजे प्रात: श्री रवीन्द्र सिंह की स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी थी। अत: 500 मि0 ग्राम एकमारिलन दवा द्वारा उनको मेनटेन रखने का प्रयास किया गया और संभवत: इसी कारण लखनऊ से आये विशेषज्ञों ने 9.30 बजे प्रात: उनको परीक्षण के समय स्टेवल पाया परन्तु उनकी हालत में अस्थिरता एवं परिवर्तन विशेषज्ञों के परीक्षण के उपरान्त 11.30 बजे से प्रारम्भ हो गये जो 11.15 बजे रात में उनकी मृत्यु में परिवर्तित हो गये। यहाँ पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि दिनाँक 30-8-79 को लगभग 7 बजे शाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मुझे यह सूचित किया कि उनको श्री चन्द्र शेखर अध्यक्ष जनता पार्टी के निजी सचिव का टेलीफोन आया है कि दिनाँक 31-8-79 को प्रात: कुछ डाक्टर हवाई जहाज से पटना से श्री सिंह का परीक्षण करने आयेंगे यदि श्री सिंह को वह पटना ले जाना चाहें तो उन्हें जाने दिया जाय या दिल्ली ले जाने को कहें तो दिल्ली भेज दिया जाय और उन्हें सूचित कर दिया जाय। इस टेलीफोन की सूचना शासन को टेलीफोन द्वारा दे दी गयी थी।"

मान्यवर, श्री चन्द्रशेखर का टेलीफोन आया, यह चीज आयुक्त के पत्र से स्पष्ट है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो तथ्य इस समय शासन के समक्ष उपलब्ध हैं और जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी थी/ उनको मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। शासन की ओर से कोई ढिलाई नहीं बरती गयी है निरन्तर इस बात का प्रयास किया जाता रहा कि रवीन्द्र सिंह की अमूल्य जान बच जाये, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो प्रकृति है

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

ऐसा लगता है कि उसको यह मन्जूर नहीं था और वह हत्या के शिकार हुए। राजनैतिक लोगों की हत्या की जा रही है, तो उस हिन्सा के वातावरण को हम सब को सामना करना चाहिए। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की भी हत्या हुई थी उसी प्रकार रवीन्द्र सिंह जैसे नवजवान की हत्या हुई। हिन्सा का जो कलंक है उसका हमें सामना करना है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं और किसी को कोई आशंका हो तो वह मुझसे पूछ सकते हैं।

*श्री राम प्रकाश (जिला लखनऊ)---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने बताया कि डाक्टरों ने बताया कि अगर शाम तक उनकी कन्डीशन स्टेबिल रहती है तो शाम को शिफ्ट किया जा सकता है और जो डाक्टरों की आधे-आधे घंटे की रिपोर्ट है उससे मालूम होता है कि उनकी कन्डीशन मोर आर लेस स्टेबिल थी, तो दिल्ली क्यों नहीं ले जाया गया? और डाक्टरों ने यह कहा था कि अगर कन्डीशन ठीक होगी तो शिफ्ट कर दिया जायगा। तो फिर वह जहाज लखनऊ से क्यों जयपुर भेजा गया और क्यों गोरखपुर नहीं भेजा गया, यह इन्तजार करने के लिए कि अगर उनकी स्थिति ठीक हो तो उन्हें दिल्ली भेज दिया जायगा?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

यह जहाज 1 1/2 बजे लखनऊ से गया और 3 1/4 बजे जयपुर गया। चलते समय भी यह कहा गया कि यदि उनकी स्थिति में सुधार होगा तो उसकी सूचना मेरे पास या माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दें और उनके भेजने की पूरी व्यवस्था कर दी जायगी। मैं यहाँ पर भेजने के बाद 4 बजे से लेकर बराबर रात तक सम्पर्क कर रहा था।

[नेता काँग्रेस (आई) का नाम पुकारे जाने पर]

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)---

काँग्रेस (आई) और गयी। (हंसी)

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

प्रसन्नता का यह कौन सा विषय है। अभी जो माननीय मंत्री जी ने 3 डाक्टरों की लिखित रिपोर्ट पढ़ी जो 30 अगस्त को लगभग सवा 9 बजे गोरखपुर पंहुचे उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि इस समय पेशेन्ट की हालत स्टेबिल है और वे शिफ्ट किए जा सकते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

डाक्टर एन0 एन0 गुप्ता, जो मेडिकल कालेज, लखनऊ के मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, उनकी रिकमैन्डेशन में यह लिखा है कि पेशेन्ट मे बि शिफ्टेड बाई दि इवनिंग इफ ही इज स्टेबिल एट एज दिस मोमेंन्ट बाई एयर टू ए0 आई0 एम0 आई0 दिल्ली।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि इस रिपोर्ट के बाद डाक्टरों की एक बैठक इन्सपैक्शन हाउस में हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि अब शिफ्ट नहीं करना चाहिए था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह भी लिखित है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

जी नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय एन० एन० गुप्त की यह बात जानने के बाद कि शाम तक शिफ्ट कर दिया जाय, माननीय मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की जिससे ये शाम तक शिफ्ट हो सकते थे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

शायद माननीय तिवारी जी सुन नहीं पाये। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि उनको तब शिफ्ट किया जाय जब कि उनकी हालत वैसी ही बनी रहे जैसी कि उस समय बनी हुयी थी। लखनऊ आने के उपरान्त मैं निरन्तर गोरखपुर में डाक्टरों से सम्पर्क बनाये रखा और मुझे बताया गया कि उनकी तबियत में कोई सुधार नहीं हुआ बल्कि लगातार गिरावट होती रही। इसलिए मैंने जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री चन्द्र शेखर और श्री रविराय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं को फोन किया और सूचित किया कि श्री रवीन्द्र सिंह की यह हालत है और यह भी उनसे कहा कि अगर हालत ठीक रही तो हम कल प्रात: ही उनको दिल्ली लाने का प्रयास करेंगे।

श्री पदमाकर लाल श्रीवास्तव—

डाक्टर एन० एन० गुप्ता इस विषय के एक मात्र विशेषज्ञ हैं और प्रात: काल परीक्षण के बाद उन्होंने यह कहा कि उनकी दशा स्टेबिल है और अगर इसी प्रकार से रही तो शाम को शिफ्ट किया जा सकता है तो मेरा प्रश्न यह है कि जब दशा स्टेबिल थी और डाक्टरों की राय थी कि उनको शिफ्ट किया जाये तो शिफ्ट क्यों नहीं किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो बहस कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव—

मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या मालवीय जी यह बतायेंगे कि सवेरे जब डा० गुप्ता ने एक्जामिन किया और यह राय दी कि उनकी कन्डीशन स्टैबिल है और उनको आल इन्डिया मेडिकल इन्सटीट्यूट, दिल्ली, शिफ्ट किया जाय तो शिफ्ट करने की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ? (शोर व्यवधान) और दूसरा प्रश्न यह कि जब आप हवाई जहाज लेकर हवाई अड्डे पर पहुंचे तो क्या आपने श्री राजनारायण से यह प्रार्थना की कि आप हवाई जहाज को छोड़ दीजिये, इस पर हमें रवीन्द्र सिंह जी को दिल्ली ले जाना है ?

श्री बनारसी दास—

मालवीय जी को और डाक्टरों को मेरा यह निश्चयात्मक आदेश था कि आप तुरन्त रवीन्द्रसिंह जी को लेकर आयें। लखनऊ में डायलीसज की भी व्यवस्था है, और यदि आवश्यकता हो तो उनको चन्डीगढ़ या दिल्ली ले जायें। जब मालवीय जी आये तो उन्होंन बताया कि डा० गुप्ता, डा० शाही, डा० द्विवेदी ने कहा है कि इस वक्त उनको नहीं लाया जा सकता और यह देखना पड़ेगा कि उनकी प्रगति कैसी है और यदि कन्डीशन स्टैबिल रही तो शाम तक शिफ्ट किया जा सकेगा। तो यह जहाज ले आये। जहाज जयपुर चला गया। इस बीच में बराबर सम्पर्क हमारा रहा। डाक्टरों ने 7 बजे बताया कि ढाई बजे से ही उनकी हालत खराब होना शुरू हो गयी। अगर वहाँ से यह इतला आती कि उनको शिफ्ट करना है तो जहाज तो मौजूद था, जयपुर से डेढ़ घंट में गोरखपुर पहुंच सकता था। अगर एक प्रमाण भी यह दे दें कि जब श्री मालवीय वापस आये तो उसके बाद गोरखपुर के सुपरिटेंडेंट, मेडिकल कालेज या मेडिकल अध्यक्ष या वहाँ के कमिश्नर का, किसी का यह मैसेज आया हो कि साहब उनकी कंडीशन ठीक है, तुरन्त जहाज भेज दीजिए, तो मेरा दोष है और यह कहा जा सकता था कि हमने इसकी व्यवस्था नहीं

[श्री बनारसी दास]

की । यह सिर्फ इस वजह से है, आपको कहने का अवसर है, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा राम अधार जी नहीं है । राम अधार जी ने मुझसे इजाजत ली और मैं यह कह सकता हूं, आप पता ले लीजिए, अगर राम अधार पाण्डेय जयपुर नहीं गये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या काम था उनका ?

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव--

क्या सरकारी काम था ?

श्री बनारसी दास--

यह कहना आपका कि क्यों गये मैं आज तक कभी कोई मंत्री या उपाध्यक्ष या स्पीकर जहाज माँगते है, तो कभी यह नहीं कहा कि भाई क्या काम है । उन्होंने कहा कि हमको सार्वजनिक काम से जाना है । यह विषय इस वक्त हमारे सामने नहीं है तो यह बात है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक प्रश्न ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब इस पर इजाजत नहीं दूंगा । अब आइटम नं0 2 लिया जायगा ।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन†

सूचना राज्य मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (जो 14 सितम्बर, 1977 से 31 दिसम्बर, 1978 तक की अवधि से संबंधित है) को ज्ञापन सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उप-धारा (7) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

विधान परिषद् के सभापति, सचिव तथा सदस्य, श्री नेकराम शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

श्री वीरेन्द्रपति यादव, सदस्य, विधान सभा एवं सभापति सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति ने डा0 वीरेन्द्रस्रूप, सभापति उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, श्री सुरेश चन्द्र शुक्ल, सचिव, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् तथा श्री नेकराम शर्मा, सदस्य विधान परिषद् के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है । माननीय सदस्य ने सूचना में कहा है कि 17 अगस्त, 1979 को विधान सभा के परिसर के भीतर कमरा नं0 10 माननीय उपाध्यक्ष द्वारा उन्हें आवंटित किया गया था और सचिव, विधान सभा की ओर से 20 अगस्त, 1979 को उक्त कमरा खाली कराने हेतु सूचना भेज दी गयी थी। माननीय सदस्य के अनुसार माननीय उपाध्यक्ष ने भी माननीय श्री नेकराम शर्मा एवं डा0 वीरेन्द्र स्वरूप, सभापति, विधान परिषद् से उक्त कमरे को खाली कराने के लिए कहा था, किन्तु अभी तक यह कमरा खाली नहीं हुआ है, जिसे माननीय श्री वीरेन्द्र पति यादव को सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के कार्य निष्पादन में बाधा पड रही है । यह एक प्रशासकीय मामला है । सचिव, विधान परिषद् से उक्त कमरे को खाली कराने के लिए कहा गया है । इस मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है । अतः मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रियासत हुसैन, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 27 अगस्त, 1979 को **वियम** 63 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध यह आरोप लगाया था कि माननीय मुख्य मंत्री ने दिनाँक 17 मई, 1979 को अलीगढ़ की स्थिति के संबंध में सदन में वक्तव्य देते समय अलीगढ़ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, डा0 खुसरो तथा विश्वविद्यालय के अन्य स्टाफ की सराहना करके 10–11 मई को हुई घटनाओं में उनकी वास्तविक भूमिका को छिपाते हुए सदन को गुमराह किया और इस प्रकार सदन का अवमान किया। माननीय मुख्य मंत्री का कहना है कि सूचना के साथ 17 मई, 1979 की कार्यवाही का जो साराँश संलग्न करके भेजा गया है उसको देखने से विदित होगा कि उन्होंने यह कहीं नहीं कहा है कि दिनाँक 10–11 मई को घटनाओं में डा0 खुसरो व विश्वविद्यालय के अन्य स्टाफ की कोई सराहनीय भूमिका रही हो। मैंने भी दिनाँक 17 मई, 1979 की कायवाही देखी जिससे माननीय मुख्य मंत्री के कथन की पुष्टि होती है। माननीय सदस्य रियासत हुसैन ने ऐसा कोई प्रमाण या आधार भी अपनी सूचना के साथ .....

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, कुछ सुनिये तो सही। आप इससे .....

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं निर्णय सुना रहा हूं .....

श्री रियासत हुसैन—

जब आप सुना देंगे तो फिर इसमें...

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, आप बैठिये। कोई प्रमाण या आधार भी अपनी सूचना के साथ संलग्न नहीं किया है जिससे इस नतीजे पर पहुंचा जा सके कि माननीय मुख्य मंत्री ने जानबूझकर सदन को गुमराह किया है।

अतः मैं श्री रियासत हुसैन द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

मंत्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर हुए मत विभाजन की मतगणना में संशोधन की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

दिनांक 29 अगस्त को मंत्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर मत विभाजन का परिणाम मैंने इस प्रकार घोषित किया था कि प्रस्ताव के पक्ष में कुल 197 मत पड़े, जिनमें से 5 अवैध थे और प्रस्ताव के विरोध में 218 मत पड़े। एक मत पत्र डाला नहीं गया। कार्यवाही के साथ प्रकाशन हेतु मतों की सूची बनाने हेतु मतों की पुनर्गणना की गयी, जिसमें यह पाया गया कि एक मत नहीं पक्ष में गिनने से त्रुटिवश रह गया था। अतएव, संशोधित मतगणना इस प्रकार है—

(1) प्रस्ताव के पक्ष में कुल 197 मत पड़े जिनमें 5 अवैध थे,

(2) प्रस्ताव के विपक्ष में कुल 219 मत पड़े।

तद्नुसार कार्यवाही एवं कार्यवृत संशोधित समझा जायगा।

दिनांक 23 मार्च, 1975 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का संशोधन वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

दिनाँक 23 मार्च, 1979 को पूछे गये अल्पसूचित ताराँकित प्रश्न संख्या 2 के संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में संशोधन हेतु माननीय वित्त मंत्री का शोधन वक्तव्य होगा ।

चिकित्सा मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, 23 मार्च, 1979 को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए अल्पसूचित ताराँकित प्रश्न संख्या 2 के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "मान्यवर, माँग संख्या 2, 3, 4 और 8 जिसमें क्रमश: कोषाधिकारियों के पदों पर होने वाली सम्पूर्ण रिक्तियाँ सीधी भर्ती द्वारा न करके प्रधान लिपिकों की पदोन्नति द्वारा सारे पदों को भरा जाय तथा यह प्रधान लिपिकों की पदोन्नति द्वारा भरे जायें। प्रति 8 कर्मचारी के अनुपात पर एक अतिरिक्त मुख्य लिपिक की नियुक्ति की जाय इत्यादि। इनके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह माँगें शासन के विचाराधीन हैं। तो क्या सरकार ने इन माँगों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है ? यदि हाँ, तो अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा " ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "शासन ने एक समिति बना दी है और उसे अधिकार दे दिया गया है "?

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है —

"शासन द्वारा एक समिति बनाए जाने का निर्णय लिया जा चुका है और समिति के गठन के औपचारिक आदेश निर्गत किए जा रहे हैं।"

मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न हैं ।

(मूल प्रश्न तथा उनके उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 342–343 पर)

जनता पार्टी के विभाजित दलों में सदस्यों के नामों के संशोधन की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

दिनाँक 28 अगस्त, 1979 को विधान सभा में जनता पार्टी के 2 पृथक-पृथक दलों में विभाजित होने के उपरान्त सदस्यों को वितरित की गयी विभिन्न दलों की दलीय स्थिति की सूची के विषय में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा अपनी दलीय स्थिति के सम्बन्ध में सूचनाएं निम्न प्रकार से प्राप्त हुई हैं। अत: दलीय स्थिति की सूची को तद्नुसार संशोधित कर दिया गया है—

श्री गुन्जेश्वर प्रसाद त्रिपाठी (गोरखपुर)	..	जनता पार्टी (बनारसी दास)
श्री नन्दराम (मुजफ्फरनगर)	..	" "
श्री मन्सूर अली (शाहजहाँपुर)	..	" "
श्री राम नारायण वर्मा (सीतापुर)	..	" "
श्री हामिद रजा खां (बरेली)	..	" "
श्री चन्द्रपाल सिंह (उन्नाव)	..	जनता पार्टी (राजमंगल)
श्री हरदेव सिंह (मुरादाबाद)	..	जनता पार्टी (राजमंगल)
श्री गुरु दत्त सोलंकी (आगरा)	..	निर्दलीय

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनाँक 3 सितम्बर, 1979 की बैठक में 29 अगस्त, 1979 की सदन द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम पर पुनर्विचार करके विधान सभा के 3 व 4 सितम्बर, 1979 के परिवर्तित कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्तुतियाँ की हैं—

सोमवार, 3 सितम्बर, 1979—

(1) वित्तीय वर्ष 1979–80 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, माँगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

(2) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार एवं उसका पारण ।

(3) श्री देव बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित प्रदेश के कतिपय जिलों में सूखा पड़ने के सम्बन्ध में तथा अन्य दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में चर्चा जारी ।

मंगलवार, 4 सितम्बर, 1979—

(क) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव लिए जायेंगे,

(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979,

(2) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1979,

(3) भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979,

(4) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1979

(5) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1979 ।

(ख) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रदेश में बिजली आपूर्ति में भारी कटौती तथा चालू बिजली की आपूर्ति में घोर अव्यवस्था से कृषि कार्य तथा औद्योगिक उत्पादन को हो रही भीषण क्षति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दो घंटे की चर्चा ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि.....

श्री सोहनबीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

एक निवेदन ह 5 बज गये हैं। इतना कार्य लिया जायेगा वह पूरा भी हो जायेगा या नहीं ? 11 बजे तक चलायेंगे क्या ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

अभी कार्य-मन्त्रणा समिति में जो प्रस्ताव आया है, उसके मुताबिक कल भी सदन बैठेगा। मुझे पता चला है कि सरकार नहीं चाहती कि कल सदन बैठे। सरकार यह चाहती है कि अनुपूरक अनुदान पर आज मतदान करके सदन स्थगित कर दिया जाये ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि आज सूखे पर बहस कर ली जाये। बाकी प्रस्ताव कल ले लिए जायें।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-मन्त्रणा समिति का यह सर्वसम्मति से निर्णय है। यह संशोधन आप यहाँ नहीं ला सकते।

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष ने अभी सदन को दी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1979†

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आइटम नं0 7 जो बाँदा की नरैनी तहसील में अराजक तत्वों द्वारा कृषकों की फसल की बर्बादी से सम्बन्धित वक्तव्य को मैंने स्थगित कर दिया है, समय कम होने के कारण। कल इसे लिया जायगा।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव हो चुके हैं। आप पुरःस्थापित कर दीजिए।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

1979–80 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 4—न्याय विभाग

श्री उपाध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष 1979-80 के अनुपूरक अनुदानों पर मतदान होगा।

न्याय मन्त्री (श्री श्रीचन्द)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—न्याय विभाग के अन्तर्गत 43,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

कुछ कार्य-स्थगन प्रस्ताव रह गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

एक दिन में एक पर ही चर्चा हो सकती है, वह हो गयी। इसलिए वह अस्वीकृत हो गए।

---

†दिनाँक 6 सितम्बर 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री गुलाब सेहरा––
कल ले लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष––
कल नोटिस भेजिएगा तो विचार किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष––
यदि माननीय सदस्य सहमत हों, चूंकि काफी समय हो चुका है, तो हम एक-एक अनुदान लेते जायं ।

श्री राम प्रकाश (जिला लखनऊ)––
यह विचार इसमें हुआ था कि जनरल डिस्कशन हो जायगा घंटे भर का उसके बाद अनुदान ले लेंगे। अनुदानों पर बहस नहीं की जायेगी । अनुपूरक अनुदानों पर ऐज ए होल बहस हो जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष––
सूखे पर दो घंटे की चर्चा भी है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––
इस सम्बन्ध में मेरी राय है कि एप्रोप्रिएशन बिल जब पेश होगा तो चर्चा कर लें। उस समय बोलने का मौका मिल जायगा ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)––
मैं निवेदन करूंगा कि समय अधिक हो गया है। सूखे पर चर्चा आज बन्द नहीं करनी चाहिए थी। महीनों से सूखा पड़ा है इस उत्तर प्रदेश में और इस समय 2 घंटे की चर्चा आठ बजे तक करेंगे यह अच्छा नहीं लगता है। मैं निवेदन करूंगा कि कल दिन में सूखे पर चर्चा होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष––
मैं समझता हूं कि माननीय सदन की हार्दिक इच्छा यह है कि इसको ले लिया जाय और विनियोग विधेयक पर चर्चा हो जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––
वह एक घंटे बाद आयेगा ।

श्री उपाध्यक्ष––
ग्रान्ट्स हो जायं उसके बाद विनियोग विधेयक आ जायगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी––
नियम का पालन कहां होगा ?

श्री उपाध्यक्ष––
(न्याय मन्त्री जी से)
आपने पेश कर दिया है ?

श्री श्रीचन्द––
जी हाँ ।

श्री उपाध्यक्ष––
प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4––न्याय विभाग के अन्तर्गत 43,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग

सूचना राज्य मन्त्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 2,20,82,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 2,20,82,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 6—संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्री कर)

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6—संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति-कर एवं बिक्री-कर) के अन्तर्गत 2,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6—संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति-कर एवं बिक्री-कर) के अन्तर्गत 2,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगर पालिका विभाग

सूचना राज्य मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत 3,73,30,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह ह कि अनुदान संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत 3,73,30,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 12—परिवहन विभाग

परिवहन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12—परिवहन विभाग के अन्तर्गत 24,85,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12—परिवहन विभाग के अन्तर्गत 24,85,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो यह पास करवा रहे हैं उसमें जो कटौती का प्रस्ताव है उसको गिराना चाहिए, इसलिए जो आप पास करवा रहे हैं वह गलत करवा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह पहले तय हो गया था और नेता विरोधी दल ने स्वीकार कर लिया था कि वह कटौती का प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा ।

श्री राधे श्याम शर्मा—

संसदीय प्रणाली में यह नहीं है। प्रक्रिया सही चलनी चाहिए ।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—

प्रोसीडिंग में आना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सहमति से किया जा रहा है ।

अनुदान संख्या 14—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय)

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 20,00,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 20,00,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 18—सचिवालय

सूचना राज्य मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से तथा राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत 1,63,000 रुपए की अनपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत 1,63,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस)

सूचना राज्य मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 6,48,25,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 6,48,25,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 27—गृह विभाग (कारागार)

कारागार मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 53,92,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 53,92,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 28—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

उप मुख्य मन्त्री उद्योग (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 4,82,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 4,82,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 29—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 7,19,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 7,19,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 34—शिक्षा विभाग

माध्यमिक शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 6,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 6,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 37—सांस्कृतिक कार्य विभाग

खेल कूद मन्त्री (श्री हरी किशन श्रीवास्तव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 5,83,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 5,83,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 39—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,63,03,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,63,03,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 40—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 13,65,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 13,65,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 41—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 21,54,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 21,54,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 43—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 1,79,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 1,79,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग

सूचना राज्य मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

माध्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45–सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45–सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 48—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग

समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 48–हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 2,68,82,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48–हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 2,68,82,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 52—सहकारिता विभाग

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52–सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 26,26,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52–सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 26,26,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 53—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र

उच्च शिक्षा मन्त्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53–विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत 1,72,25,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53–विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत 1,72,25,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 54––नियोजन विभाग

सूचना राज्य मन्त्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54––नियोजन विभाग के अन्तर्गत 6,21,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54––नियोजन विभाग के अन्तर्गत 6,21,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 55––कृषि विभाग (कृषि)

कृषि मन्त्री (श्री शिव मंगल सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55––कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 82,21,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55––कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 82,21,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 58––ग्राम्य विकास विभाग

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58––ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 88,61,53,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58––ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 88,61,53,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 59––पंचायती राज विभाग

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59––पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 15,44,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59––पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 15,44,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 61––क्षेत्रीय विकास विभाग

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61––क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 1,24,90,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61---क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 1,24,90,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 63---पशुधन विभाग

पशुधन मन्त्री (श्री अब्दुल हलीम खां)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63---पशुधन विभाग के अन्तर्गत 52,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63---पशुधन विभाग के अन्तर्गत 52,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 65---मत्स्य विभाग

पशुधन मन्त्री (श्री अब्दुल हलीम खां)---

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65---मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 7,45,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65---मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 7,45,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 66---वन विभाग

वन मन्त्री (श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66---वन विभाग के अन्तर्गत 5,43,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66---वन विभाग के अन्तर्गत 5,43,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 68---उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)

गन्ना विकास मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68---उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 19,20,53,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष ---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68---उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 19,20,53,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 69---उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग)

उप मुख्य मन्त्री उद्योग (श्री राम नरेश यादव)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69---उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 2,37,30,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69---उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 2,37,30,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 72---सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा)

सिंचाई मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72---सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 3,00,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72---सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 3,00,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 75---सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 5,16,21,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75---सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 5,16,21,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 76---सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76---सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 3,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76---सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 3,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 78--सार्वजनिक निर्माण विभाग (सहायक अनुदान)

सूचना राज्य मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78--सार्वजनिक निर्माण विभाग (सहायक अनुदान) के अन्तर्गत 40,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78--सार्वजनिक निर्माण विभाग (सहायक अनुदान) के अन्तर्गत 40,00,000 रुपए की अनपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 82--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,36,11,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,36,11,000 रुपए की अनपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 83--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 31,51,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 31,51,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 87--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 2,09,52,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 2,09,52,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 88-क--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण--पूंजीगत परिव्यय

समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती चन्द्रावती)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88-क--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,18,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88-क--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,18,00,000 रुपए की अनपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 89--सहकारिता विभाग-पूंजीगत परिव्यय

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 89--सहकारिता विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,27,01,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89--सहकारिता विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,27,01,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 90--विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय

उच्च शिक्षा मन्त्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 90--विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 12,58,000 रुपए की अनपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90--विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 12,58,000 रुपए की अनपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 91--उद्योग विभाग--पूंजीगत परिव्यय

उप मुख्य मन्त्री उद्योग (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91--उद्योग विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,50,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91---उद्योग विभाग---पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,50,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 97---कृषि विभाग---पूंजीगत परिव्यय

कृषि मन्त्री (श्री शिव मंगल सिंह)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 97---कृषि विभाग---पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 28,70,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 97---कृषि विभाग---पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 28,70,000 रुपए की अनपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 98---ग्राम्य विकास विभाग---पूंजीगत परिव्यय

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 98---ग्राम्य विकास विभाग---पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 98---ग्राम्य विकास विभाग---पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 99---क्षेत्रीय विकास विभाग---पूंजीगत परिव्यय

कृषि मन्त्री (श्री शिव मंगल सिंह)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 99---क्षेत्रीय विकास विभाग---पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,05,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 99---क्षेत्रीय विकास विभाग---पूजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,05,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 103---मत्स्य विभाग---पूंजीगत परिव्यय

पशुधन मन्त्री (श्री अब्दुल हलीम खां)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 103---मत्स्य विभाग---पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 98,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 103—मत्स्य विभाग—पूंजीगत परिव्यय

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 103—मत्स्य विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 98,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 107—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 107—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 80,53,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 107—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 80,53,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 108—परिवहन विभाग—पूंजीगत परिव्यय

परिवहन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 108—परिवहन विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,83,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 108—परिवहन विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,83,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 114—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम

कारागार मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 114—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 3,55,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 114—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 3,55,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 117—उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम

उप मुख्य मन्त्री उद्योग (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 117—उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 56,25,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 117—उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 56,25,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 118—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र—ऋण और अग्रिम

उच्च शिक्षा मन्त्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 118—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 14,95,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 118—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 14,95,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 121—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)—ऋण और अग्रिम

गन्ना विकास मन्त्री (श्री वेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 121—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 3,60,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 121—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 3,60,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 122—सहकारिता विभाग—ऋण और अग्रिम

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 122—सहकारिता विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 9,27,39,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 122—सहकारिता विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 9,27,39,000 रुपए की माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 123—कृषि विभाग—ऋण और अग्रिम

कृषि मन्त्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 123—कृषि विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 2,68,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 123—कृषि विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 2,68,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान सख्या 124—क्षेत्रीय विकास विभाग—ऋण और अग्रिम

कृषि मन्त्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 124—क्षेत्रीय विकास विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 50,00 000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 124—क्षेत्रीय विकास विभाग ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 50,00,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 125—पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम

पशुधन मन्त्री (श्री अब्दुल हलीम खां)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 125—पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 22,30,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 125—पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 22,30,000 रुपए की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1980

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 का प्रथम अनपूरक) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापति करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1979 पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी कापियाँ वितरित कर दी जायं।

(विधेयक की प्रतियाँ वितरित की गयीं।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैंने आपसे प्रारम्भ में आग्रह किया था कि इस महत्वपूर्ण अनुपूरक बजट को देखते हुए यह परम्परा और नियम के अनुकूल होगा कि हम प्रारम्भ में ही अपने विचार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

व्यक्त करें, लेकिन आपने आज्ञा दी कि विनियोग विधेयक पर विचार के अवसर पर वह बातें कही जा सकती हैं। मुझे विश्वास है कि यह सदन ऐसी परम्परा नहीं बनाएगा, आज की परिस्थितियों में ऐसा हुआ लेकिन जो यह निर्णय हुआ है यह एक अपवाद माना जायेगा। ऐसी मेरी कामना है। यह जो विनियोग विधेयक जारी होने जा रहा है जिस पर विचार हो रहा है इसमें आगामी लोक सभा के चुनाव के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए की माँग की गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आज के लिए है। यह परम्परा नहीं बनेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

धन्यवाद। श्रीमन्, इस विधेयक के द्वारा 2 करोड़ 20 लाख रुपया लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के लिए माँगा जा रहा है। श्रीमन्, बिहार जैसे राज्य में 6 करोड़ रुपया माँगा गया है जैसा कि समाचार पत्र में छपा है। तो किस प्रकार से इस धनराशि अर्थात् 2 करोड़ 20 लाख रुपए के प्राक्कलन किए गए हैं जबकि दूसरे प्रदेश जिनकी आबादी भी यहाँ से आधी है, वहाँ पर इतना अधिक रुपया रखा गया है। इसके स्पष्टीकरण माँगने का समय नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि शासन को अब तक आश्वस्त करना चाहिए था कि जो भी लोक सभा के चुनाव होंगे, यह इलेक्शन कमीशन द्वारा घोषित करना चाहिए था कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होगा और सरकार द्वारा यह घोषणा होनी चाहिए कि सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं होगा। . . . .

(इस समय 5 बजकर 53 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

इस प्रकार की घोषणाएं दूसरे प्रदेशों की सरकार कर चुकी है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने आल इंडिया रेडियो सुना होगा और समाचार पत्रों को पढ़ा होगा, दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने यह भी घोषणा कर दी है कि कोई भी स्थानान्तरण अब नहीं किया जायगा क्योंकि लोक सभा के चुनाव होने वाले हैं।

आज 3 सितम्बर हो गयी है। इलेक्शन कमीशन के आदेश, राष्ट्रपति और अन्तरिम सरकार के बीच में लिखा गया कि निष्पक्ष चुनाव देश में कराए जायेंगे लेकिन अभी तक भी मुख्य मन्त्री जी जिनके पास निर्वाचन विभाग भी है, यह घोषणा नहीं हुई, न तो किसी प्रेस कॉन्फेन्स में और न ही सदन में तो 2 करोड़ 20 लाख रुपए की माँग करने का क्या औचित्य है ? आज 3 सितम्बर को जितने ट्रान्सफर हो रहे हैं, सूचनाएं अखबारों में छप रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ए0आर0 के तबादले हो गये हैं, विभिन्न जिलों से। सरकार को स्टेटस को रखना चाहिए। जब ऐसा कोई आश्वासन सरकार की ओर से नहीं दिया गया है तो इसे क्या अधिकार है कि इस विधेयक द्वारा इस धनराशि की माँग की जाय और इसको स्वीकार किया जाय।

मान्यवर, आप देखें इसमें और भी बड़ी असंगतियों इस विधेयक के द्वारा माँगी जा रही हैं। आपको आश्चर्य होगा आप अनुपूरक अनुदानों की माँगों पर स्मृति-पत्र (हरी पुस्तक) के पृष्ठ 64 को देखें जिसमें बताया गया है कि 68 करोड़ 75 हजार रुपया फूड-फार-वर्क योजना का जो साल है उसमें 2 साल तक कोई लेखा-जोखा नहीं रखा गया है। वर्ष 1977-78 में एक पैसा भी नहीं रखा गया है। वर्ष 1978–79 में नहीं रखा गया है लेकिन इस साल 3 सालों की माँग की जा रही है। इस बजट में 88 करोड़ रुपया फूड-फार-वर्क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार और महालेखाकार के सुझाव पर माँगा जा रहा है। यह कितनी बड़ी बजटीय भूल है। सड़कें बन गयीं तो जो फूड-फार-वर्क के प्रोग्राम में बननी थीं, लेकिन बजट में प्राविधान नहीं किया गया। इसके अलावा वर्ष 1977-78

मैं गेहूं के दाम 120 रुपया प्रति क्विंटल और इस वर्ष 130 रुपए रखा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि ये दाम किस आधार पर रखा गया है। मैं यह भी देखता हूं कि यह 80 करोड़ रुपए की योजना प्लान के बजट में डाला जा रहा है। (व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं कि यह 88 करोड़ रुपया जो फूड-फार-वर्क के लिए 3 सालों के लिए योजना वाले बजट में डाला जा रहा है, वह किस आधार पर डाला जा रहा है। यह योजना का हिस्सा है ही नहीं। इसको तो नानप्लान में रखा जाना चहिये था।

मान्यवर, इसके जो दाम निश्चित किए गए हैं उसका भी कोई औचित्य नहीं है।

इसके अलावा अनुदान संख्या 108 के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन की जो 4 करोड़ 83 लाख रुपए का अंशदान दिया जा रहा है और जो यह कहा जा रहा है कि रेलवे बोर्ड से हमें रुपया मिलना है उसके बारे में यह नहीं जानकारी दी गयी है कि कितना रुपया हमें मिलेगा और यह भी जानकारी नहीं दी गयी है कि आखिर किस आधार पर यह रुपया दिया जा रहा है। यह भी पता नहीं कि रेलवे बोर्ड कितना आपको देगा।

अनुदान संख्या 68 में जो 19 करोड़ 20 लाख रुपया मांगा जा रहा है उसमें भी गन्ना किसानों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। केन्द्रीय बजट में कहा गया था कि गन्ना किसानों के लिए सब्सीडी दी जायेगी। आपके वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया उसमें भी यह एलान किया कि भारत सरकार सब्सीडी देगी। वह है कहां? किसानों से एक तरफ से रुपया छीन कर वही सब्सीडी के नाम पर दिया जा रहा है। पृ0 73 पर गन्ने की भुगतान की जो व्यवस्था की गयी है, उसे मान्यवर, पढ़ ले, उससे पता चलेगा कि भारत सरकार कोई सब्सीडी नहीं दे रही है। जो वायदा केन्द्रीय बजट में किया गया था कि हम सब्सीडी देंगे उसका कहीं उल्लेख इस नोट में नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भारत सरकार कोई सब्सीडी नहीं दे रही है। इन्होंने क्या किया है? किसानों के जो गेहूं का, बोनस का, परचेज टैक्स आदि का रुपया था, और जो नयी चीनी मिलों का रुपया इकट्ठा था, जो रुपया गन्ना किसानों के हितों पर खर्च होने के लिए था, उसके लिए सड़कें आदि बनाने के लिए था, वह किसान निधि का सारा रुपया सब्सीडी के नाम पर दिया जा रहा है।

पृ0 73 पर ही अन्तिम पैराग्राफ में लिखा है कि ".....उक्त व्यय के लिए 19.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रस्तावित है। यह व्यय अन्ततः किसान सहायता निधि से वहन किया जायगा।" मान्यवर, इसका मुख्य श्रोत क्या है? इसके श्रोत होंगे---उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसन्धान एवं विकास निधि, उत्तर प्रदेश सरकार, शुगर फैक्टरियों के पुनर्वासन, आधुनिकीकरण एवं स्थापना निधि और किसान सहायता निधि यानि जो फैक्टरियों के रखरखाव के लिए बनाया उससे सब्सीडी दी जायगी और किसान सहायता निधि जो हमें बोनस मिला था, वह बोनस के रूप में दिया जायगा। वायदे के खिलाफ भारत सरकार ने नहीं दिया। अब भारत सरकार अपने बजट से तो नहीं, जो किसानों का रुपया जमा है, उससे सब्सीडी देगी। इस प्रकार से जो वायदे किये गये हैं, वह पूरे नहीं किये जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा अन्याय है। अगर भारत सरकार की सब्सीडी मिली, तो हम वापस कर देंगे, यह भी इसमें नहीं है। इस प्रकार श्रीमन्, एक और इसमें आश्चर्य की बात है, हरिजनों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए निगम हमने बनाये थे कांग्रेस शासन काल में। उस निगम को 78–79 में एक पैसा भी शेयर कैपिटल नहीं दिया गया। एक पैसा अनुदान नहीं दिया गया।

श्री अधिष्ठाता---

जरा संक्षिप्त करें तिवारी जी, क्योंकि यह आधा घंटे में ही समाप्त होना है। उसके बाद सूखे का विषय लेना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, संक्षिप्त ही कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

संक्षिप्त में ही कहें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अब यहाँ कह रहे हैं कि पिछले साल का शेयर कैपिटल का रुपया हम दे रहे हैं। यह हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लिए जो है, यह कितनी बड़ी भूल है। इसमें 20 करोड़ रुपया रखा गया है पुलिस के लिए, मकान बनाने के लिए पेज 9 में और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए निधि 10 करोड़ रुपया हाउसिंग के लिए। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यह निधि श्रीमन् जी है इसका ब्याज खर्च किया जायगा, निधि नहीं। यह रुपया कहाँ से आयेगा, जानना चाहता हूं। यह 20 करोड़ रु0 बजट में कहाँ से आखिर बच गया और यह निधि, क्या इतनी कम माँग है कि केवल ब्याज से काम चल जायगा? आप 19 करोड़ रु0 20 लाख रु0 किसान की निधि खत्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ 20 करोड़ रु0 पुलिस हाउसिंग के नाम पर और चतुर्थ श्रेणी के नाम पर नई निधि बना रहे हैं। यह कैसा बजट है। पुलिस के लिए 6 करोड़ 18 लाख रु0 व्यय कर रहे हैं। अच्छा काम है। जेल वालों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आज जेल के वार्डर से लेकर अधिकारी तक परेशान हैं। उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। श्रीमन्, इसमें और गजब की बात है पेज 17 वित्त मंत्री जी देख, स्मरण पत्र का पेज 17, इसमें एक अजीब बात देखने को मिली है, अपराध अनुसंधान शाखा के लिए अतिरिक्त स्टाफ की बात की गयी है (इस समय 6 बजकर 5 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) क्या लिख रहे हैं। दिनाँक 1 जनवरी, 1978 को इन लम्बित जाचों का तीन वर्ष का औसत 1002 था जिसमें 10 प्रतिशत बैंक लाभ को निकाल कर 900 जाँचों के लिए स्टाफ देने की आवश्यकता पाई गयी। यह बैंक लाभ कहाँ से आ गया। ये नया स्टाफ माँग रहे हैं। पढ़ें जरा। कोई कण्ट्रोल नहीं भाषा पर, न यह देखते हैं मंत्री जी कि क्या लिख रहे हैं। सी0 आई0 डी0 के लिए स्टाफ माँग रहे हैं, लेकिन बैंक लाभ की बात कर रहे हैं। जब ट्रांसपोर्ट डिपार्ट तथा हर डिपार्टमेंट अलग-अलग चेकपोस्ट कायम कर रहा है तो उसके लिए लोगों को परेशान होना पड़ेगा। इसका निर्णय हो चुका है, लेकिन उसकी अवहेलना इस बजट द्वारा की जा रही है। इसी तरह से श्रीमन् नोएडा के लिए 40 लाख रुपये इसमें माँगे गये हैं।

श्रीमन्, नोएडा को आज दिल्ली शासन चलने नहीं दे रहा है जबकि इस नोएडा योजना का सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। 10 हजार छोटी यूनिट्स वहाँ बनायी जा रही है, लेकिन आज दिल्ली शासन इतना रुपया खर्च होने के बाद भी वहां बसें नहीं चला रहा है। दिल्ली को जो स्थानीय प्रशासन है वह नोएडा को बढ़ने नहीं दे रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि नोएडा के लिए, उद्योग मंत्री ने नोएडा के उपयोग को समझा, लेकिन अभी हमें भारत सरकार के योजना कमीशन से लड़ना होगा और जो 10 हजार यूनिट्स, जो छोटी इकाइयाँ वहाँ बननी हैं, उसके लिए हमें लड़ना होगा। श्रीमन् इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का जिसमें इतनी त्रुटियाँ हैं, जिनके लिए रुपया माँगा गया है लेकिन घोषणा कोई नहीं है इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तक इसका स्पष्टीकरण न हो जाये, यह रुपया न दिया जाये।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

यह जो अनुपूरक अनुदान का स्मृति पत्र मिला, मैंने बहुत गौर से इसको पढ़ने की चेष्टा की। हमारे तिवारी जी ने जो भाषा शैली की बात की, उस पर विस्तार से प्रकाश डाला, लेकिन इसमें जो हमारे प्रदेश की ज्वलन्त समस्याएं हैं उसके सन्दर्भ में मैंने इसको देखा। मूल बजट और अनुपूरक में काफी अन्तर होता है। उस समय पूरे प्रदेश की समस्या सामने आती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, लेकिन अनुपूरक में कुछ ही समस्यायें आती हैं जिसमें यह समझा जाता है कि बहुत ही अनिवार्य आवश्यकता आ गयी और उसको पूरा करने के लिए यह जरूरत है। इसी दृष्टिकोण से मैंने इसे देखा। आज हमारे सामने जो समस्या है वह सूखा, बाढ़ और भू-स्खलन की है तथा बढ़ती हुई मंहगाई की है। शान्ति और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रदेश विस्फोट के कगार पर खड़ा है। मैं समझता हूं कि यह सब कुछ जल्दी में छप गया है। क्योंकि जब लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के लिए बात आयी तो मेरी समझ में आ गया कि अनुपूरक माँग की जा रही है। जिस समय यह समस्या हमारे सामने आयी उस समय सूखे की समस्या भी हमारे सामने थी। इसलिए यह इस बात का परिचायक है कि जो हमारा वर्तमान संकट है उसमें गम्भीरतापूर्वक नहीं देख रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में, सूखे के बारे में विस्तार से नहीं कहूंगा इसमें केवल एक मिनट लेना चाहूंगा। राजस्व मंत्री जी बैठे हुये हैं उन्होंने कहा था कि सभी जिलों में सूखे के बारे में निर्देश जारी कर दिये गये हैं। यह जो टेलीग्राम भेजा गया था उसकी एक प्रति-लिपि मेरे पास है। यह स्पष्ट है जो बात सदन में कही गयी थी उसके हिसाब से कोई आदेश नहीं दिये गये हैं। 3 1/8 एकड़ वालों से एग्रीकल्चरल ड्यूज नहीं लिये जायेंगे। 6 1/4 एकड़ वालों के लिये पालिसी मैटर डिसाइड किये जायेंगे। कुछ भी नहीं हो रहा है, मान्यवर। मेरी एक अमीन से बात हुई उसने कहा कि हमारा जो कोटा है उसमें कोई कमी नहीं की गयी है। हमें अपनी नौकरी बचानी है। हमें उसको पूरा करने के लिये वसूली करनी पड़ेगी। अभी मैंने देखा 10–15 लोग जेल में बन्द थे।

दूसरे मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कहूंगा। यह जो माँगा गया है, अनुदान संख्या 52 ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु अनुदान। मान्यवर, इसमें प्रत्येक जिले में 15–20 भण्डार खोलने की योजना इस सरकार ने घोषित की थी कि मंहगाई को रोकने के लिये हम बड़ी संख्या में भण्डार खोलेंगे। स्थिति यह है, मान्यवर, कि किसी भी जिले में भण्डार नहीं खोले गये। माननीय खाद्य मंत्री जी बैठे हुये हैं। इन्होंने कहा था कि 1 जुलाई से पहले पहले सभी जगह खाद्य समितियाँ बन जायेंगी। आदेश चले गये, मान्यवर, दुकानें कहीं भी नहीं खुली। जो खुली हैं मान्यवर, उनमें आदेश गये हैं कि बाजार से सामान खरीद कर बेंचे। यह सोचने की बात है कि अगर बाजार से खरीद कर सामान बेचेंगे तो किस तरह से सस्ते मूल्य पर हम सामान मुहैय्या कर सकेंगे। यह भी देखने की बात है कि अनुपूरक अनुदान को हम खर्च कहाँ कर रहे हैं। विलासिता में खर्च किया जा रहा है, मान्यवर। साज-सज्जा में खर्च किया जा रहा है। लखनऊ विकास भवन में कूलर लगवाने में, उच्च न्यायालय लखनऊ व इलाहाबाद में कूलर लगवाने में, कलकत्ता में गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है। क्या जरूरी है कलकत्ते में राज्य अतिथि गृह बनाना ? अगर कोई जायेगा तो किराये पर रुकेगा। आप देखिये, मान्यवर मंत्री लोग किस तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं। वहाँ भी मंत्री लोग जायेंगे और सरकारी पैसे का दुरुपयोग होगा। यू0पी0 निवास में जाते हैं दुरुपयोग होता है। यह बात अगर करनी थी तो मूल बजट में ले आते इस अनुपूरक बजट में इस प्रकार का खर्च करने की क्या आवश्यकता थी। मेरे पास स्वतंत्र भारत की एक कटिंग है जिसकी हेडिंग है कि जनता की गाढ़ी कमाई से गुलछर्रे उड़ाने वाले जन सेवकों के खिलाफ मुख्य मंत्री ने गम्भीर रुख अपनाया। मा0 मुख्य मंत्री जी का गम्भीर रुख इस अनुपूरक अनुदान में भी दिखाई पड़ता है। क्या मंत्रियों ने अशोका होटल में एक एक दिन में एक एक मंत्री पर एक एक हजार से भी अधिक खर्च किया गया। अखबारों में इसकी चर्चा हुई है। अनुपूरक अनुदान संख्या 12 में राज्य सरकार के विमान में लगे इन्जन को बदलने में 40 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। हवाई जहाज के इन्जन को बदल कर एक और इन्जन खरीदा जा रहा है। यह हवाई जहाज क्या होगा। क्या उस दल के लोगों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया है कि इनका उपभोग करने का। माननीय तिवारी जी ने उल्लेख किया है इस बात का। काम क्या हो रहे हैं। आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि लखनऊ मंडल के जिलों में क्या काम हो

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]
रहा है। इसे आपके सामने पढ़ना चाहूंगा लखनऊ मंडल के जनपदों को इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिये 4 करोड़, 15 लाख, 78 हजार 400 रुपये की राशि अब तक उपलब्ध करायी गयी है। परन्तु आवेदन के विपरीत 31-3-79 तक मण्डल को अन्त्योदय के कार्यक्रम में कुल 58,54,742 रुपये का व्यय हुआ है।

मान्यवर, आपके जिले के संबंध में कहना चाहता हूं। आप अध्यक्ष हैं शायद इसलिये वहाँ काम किया गया होगा।

"यह उल्लेखनीय है कि मंडल के बीरी जनपद को छोड़कर अन्य किसी भी जनपद में अब तक किसी स्वीकृत परियोजना पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसी प्रकार स्थानीय विकास की प्रगति मंडल के उन्नाव, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई व रायबरेली जनपदों में असंतोषजनक है।"

हमारे जिले के मंत्री आबिद जी हैं। हम सब लोगों के लिये लज्जा की बात है कि शासन के ऊपर दबाव के बावजूद वहाँ एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है। यह रिपोर्ट मान्यवर, लंबी है, यहाँ के जो मंडलायुक्त हैं यह उनकी रिपोर्ट है।

श्री उपाध्यक्ष--
अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--
अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह जो चुनाव हमारे सामने आ गये हैं उन चुनावों के लिये सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। तिवारी जी ने अभी ट्रांसफर्स की बात कही। सीतापुर जिले के जिलाधिकारी के संबंध में एक नेता जी पहुंचे कहने लगे कि हमने जिलाधिकारी को निकलवा दिया है। उनका ट्रांसफर हो गया है। अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के अरोप थे तो उनकी जांच होनी चाहिये और सेस्पेंन्ड किया जाना चाहिये, लेकिन मान्यवर, केवल सत्ता का दुरुपयोग चुनाव जीतने के लिये अपने मन से करने का अधिकार नहीं है। इस तरह सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--
आप समाप्त करें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--
मान्यवर, हम लोग उम्मीद करते थे कि आज प्रदेश के अन्दर जो स्थिति है शायद इस बजट के अन्दर उस संबंध में कुछ मिलेगा। सूखे के ऊपर चर्चा चल रही है, सूखे की भयंकर स्थिति सारे प्रदेश के अन्दर है। पहाड़ों के अन्दर दूसरी स्थिति है। पहले अतिवृष्टि और उसके बाद सूखा पड़ा। गाँव के गाँव बह गये हैं, ढह गये हैं। पचासों आदमियों की मृत्यु हो गयी है। सैकड़ों पशु मर चुके हैं। आने जाने के साधन ठप हो गये हैं। रास्ते टूट चुके हैं। दूरस्थ इलाकों में जहाँ सेबों के बगीचे हैं, जहाँ आलू पैदा होता है उसको शहरों में लाने का कोई साधन नहीं है। मकान टूट गये हैं और उनको बनाने के लिये सरकार साधन मुहैया नहीं करती है, सरकार का कहना है कि केवल 100 रु0 अनुदान के दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता था कि राजस्व मंत्री जी इस स्थिति से निपटने के लिये पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर जो विनाश हुआ है, उसके निपटने के लिय राहत पहुंचाने के लिये कुछ रखेंगे, लेकिन दुख की बात है, तमाम विभागों की माँगें इसमें है लेकिन अगर कोई विभाग रह गया है तो वह राजस्व विभाग रह गया है जिसने कोई माँग पेश नहीं की। तो मैं जानना चाहता हूं कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिये युद्धस्तर पर प्रयास करने की बात आप करते हैं लेकिन कोई प्रस्ताव इस बजट के अन्दर हमने नहीं देखा। पुलिस के लिये आप न बजट माँगा, ठीक है। उनके मकानों के लिये बजट माँगा,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ठीक है। लेकिन इस प्रदेश के अन्दर शाँति व्यवस्था की जो बिगड़ती स्थिति है उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं । आज आये दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि कहीं रेल में डकैती पड़ी, कहीं बस में डकैती पड़ रही है । आना जाना असंभव हो गया है । कोई कह नहीं सकता कि उसके जान माल की रक्षा है; कत्ल पर कत्ल हो रहे हैं, चोरियों पर चोरियाँ हो रही हैं। डकैतियाँ हो रही हैं और अराजकता का साम्राज्य कायम है।

मान्यवर, जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि हम भय विहीन समाज बना रहे हैं। आज तमाँम चोर भय विहीन हो गये हैं। तमाम डकैत भय विहीन हो गये हैं। किसी को कोई भय नहीं है। यह जो परिस्थिति है इससे निपटने के लिये आप कौन सा उपाय करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ भयंकर महंगाई बढ़ती जा रही है, चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। चीजें गायब हो गयी हैं, सीमेंट, तेल गायब हो गया है। बिजली के बारे में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह इस ज्वलन्त समस्या के बारे में क्या कर रहे हैं। सूखे की परिस्थिति, ला एन्ड आर्डर की परिस्थिति, महंगाई की परिस्थिति जिनके बारे में आपने बजट में क्या रखा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कहा गया था कि जिलों में समितियाँ बनायी जायेंगी जिनके संरक्षण में दुकानें चलेंगी, उनको सब्सीडाइज्ड किया जायेगा ताकि वस्तुयें दुकानों से सस्ते मूल्यों पर मिलेंगी लेकिन उनके बारे में आज बजट में कोई जिक्र नहीं है।

मान्यवर, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने अन्तोदय योजना के बारे में जिक्र किया था लेकिन अन्तोदय योजना का जो दुरुपयोग हो रहा है उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। गोंडा में एक दीन दयाल संस्थान है। अन्तोदय योजना के अन्तर्गत उसको अनुदान दिया गया लेकिन उसका क्या हुआ कि मोटर साइकिलें खरीदी गयी हैं। मंत्री जी कृपया उनको देखें। जनसंघ वाले आज नहीं है क्योंकि पहले उनका डर था, इसलिये आप जाकर उसकी जाँच करें। योजनागत ढंग से चला जाय तो कभी भी सप्लीमेन्टरी बजट की आवश्यकता नही होती है, यदि आपकी ठीक और योजनायें कुशल हों। सरप्लस सप्लीमेन्टरी बजट इसलिये लिया जाता है कि चूंकि डिफीसिट बजट बनाया जाता है लेकिन अंत में वह सरप्लस बजट बच जाता है क्योंकि उसका उपयोग आप नहीं करते हैं। इसका अनुभव पहाड़ों में मुझे है। यहाँ अनुदान स्वीकृत किया जाता है लेकिन वह पैसा लैप्स हो जाता है। इसलिये वित्त मंत्री महोदय 95 करोड़ रुपये जो माँग रहे हैं आप उसके लिये सुनिश्चित करें कि वह 31 मार्च तक अवश्य खर्च हो जाय।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जी अनुपूरक अनुदानों के संबंध में विनियोग विधेयक है उसमें मैं कहना चाहता हूं कि मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा कि क्या होना चाहिये था और क्या नहीं, चूंकि समय कम है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप याद करें दो माह पहले बजट पास हुआ है, जुलाई में और जून में प्रस्तुत हुआ था। 195 करोड़ रुपए जिसकी माँग की जा रही है उसमें लगभग 100 करोड़ के वह है जो वर्ष 1978–79 में खर्च हुआ यानि इस साल मार्च के पहले। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है यह मार्च के पहले जो खर्च हुआ जिसमें दिसम्बर के पहले खर्च हुआ होगा, तो क्या कारण है कि जो बजट इस साल 1979–80 का था उसमें उसका समावेश नहीं हुआ। क्या कारण है कि जब खर्च आकस्मिक निधि से लेने की जरूरत पड़ी है 195 करोड़ रुपये तो यह परिपाटी बंद होना चाहिये थी। जरूरत इस बात की थी कि जब इतना विलम्ब करके जून में आया तो कम से कम 6 महीने बाद यह बजट आये और दिसम्बर तक का खर्च उस बजट में पूरी तरह से समावेश हो जाता। लेकिन देखा यह जा रहा है कि वित्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामधर मिश्र]

विभाग द्वारा जितना खर्च मार्च तक वास्तविक हुआ है और बजट में नहीं था उसको लाकर अनुपूरक के रूप में ले रहे हैं। दूसरा एतराज यह है कि बहुत सी चीजें इसमें देखें, पेज एक से 100 तक, तो पता चलता है कि बहुत सी चीजें हैं जो सचमुच पिछले बजट में आनी चाहिये थीं या इस साल के बजट में आना चाहिये था, अनुपूरक का कोई स्थान नहीं है। मैं तो समझता हूं कि केवल वित्त विभाग एक परिपाटी को रक्षा कर रहा है और यह प्रथम अनुपूरक हैं, द्वितीय अनुपूरक लायेंगे, तृतीय अनुपूरक लायेंगे केवल परिपाटीवश। श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तो जुलाई की स्वीकृति निकली नहीं है और फिर अनुपूरक आ गया। मैं जानना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी से कि क्या सब स्वीकृतियाँ प्रदेश में चली गयीं।

इन शब्दों के साथ श्रीमन, मैं एक दो चीज और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

आप देखें 196 करोड़ में करीब 178 करोड़ तो दो मदों में है। एक मद है जैसा मा0 तिवारी जी ने कहा 88 करोड़ की श्रम खाद्यान्न योजना में और 20 करोड़ चीनी उद्योग में है। मान्यवर, ऐतराज बहुत बड़ा हो जाता है। आप पेज 64 देखें। तीन वर्ष का लेखा एक वर्ष में लिया जा रहा है और यह कह कर लिया जा रहा कि महालेखाकार ने एकाउन्ट नहीं दिया। श्रीमन, पेज 64 पर लिखा है कि 5 करोड़ 1977–78 में, 17 करोड़ 1978–79 में और 65 करोड़, यह तीनों को जोड़ कर 88 करोड़ रुपया इस बजट में किया जा रहा है।

मैं इस पर आपत्ति करता हूं और मैं समझता हूं कि यह न्यायोचित नहीं है। वित्त विभाग को यह नहीं करना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष –

अब काफी लोग बोल चुके हैं। अब इसे समाप्त करिये। सदन की यही इच्छा है कि इसे समाप्त करायें।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)––

मान्यवर, यह बड़ा अन्याय होगा। पाँच मिनट का समय मुझे दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

पाँच मिनट नहीं, आप दो मिनट बोल लीजिए।

श्री राधेश्याम शर्मा––

मैं दो ही मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, मुझे एक बात की बहुत तकलीफ है। मैं एक बात सरकार के मंत्रियों से कहना चाहता हूं। और मंत्रियों को छोड़ देता हूं कम से कम उन से जो बहुत अर्से तक डा0 राम मनोहर लोहिया के साथ रहे, मा0 राम नरेश यादव जी, मधुकर दिघे जी, मुलायम सिंह जी, रमा शंकर कौशिक जी, जमुना प्रसाद बोस। कम से कम य लोग तो आदर्श प्रस्तुत करें। डा0 लोहिया कहते थे कि समाजवादी दल के लोग सरकार बनायेंगे तो कोई, सलामी नहीं लेंगे, पी0 आर0 ओ0 नहीं रखेंगे अपनी सुरक्षा के लिए रक्षक नहीं रखेंगे, फिजूलखर्ची समाप्त करेंगे। मैं जानता हूं कि कांग्रेस राज के ढर्रे में चलने से कांग्रेस की ही तरह की हालत होगी। जैसा अखबारों में छपा है चुनाव के लिए 85 लाख व 200 जीपों का बन्दोबस्त उत्तर प्रदेश सरकार करेगी अपने शासन को कायम रखने के लिए। मैं इसका जबरदस्त विरोध करता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से अपनी बात करें। विरोधी दल की तरफ से हम अपनी बात कहेंगे। यदि आप ने फिजूलखर्ची या भोग विलास जैसी बातें की या कोई तिकड़म-बाजी या साजिश की तो हमारी पार्टी आप की बड़ी आलोचना करेगी। अब लकवामार विरोधी दल तो है नहीं। बराबर का विरोधी दल है। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता

हूं कि सरकार से कि पहले ही सजग हो कर चले। नियमों और कानूनों का पालन करें नहीं तो हम जबरदस्त और बड़ी आलोचना करेंगे जो स्वस्थ और ईमानदारी पर आधारित होगी।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, माननीय राधेश्याम शर्मा हमारे इतने परम मित्र है और डा0 लोहिया की याद उनको इतना सता रही है कि ज्यादा देर वह वहाँ टिकने वाले नहीं हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

यह तो समय बतायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दोनों पुराने सोशलिस्ट है।

श्री मधुकर दिघे—

और चीजों का जवाब मैं दूं इससे पहले माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कुछ बातें बताना आवश्यक समझता हूं। यह जो अनुपूरक अनुदान पेश किया गया है इसमें 26.66 करोड़ का व्यय भार ही केवल पड़ने वाला है, बाकी सब एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीज हैं। चूंकि आदमी जब बजट पढ़ता हैं तो यह समझता है कि यह खर्चे दिये गये हैं, यह माँग की गयी है। ऐसा नहीं है। 40 करोड़ तो हम पिछले वर्षों में ही कंटिजेन्सी से खर्च करके उसकी बुक एंट्रीज कर दी है तब वह रिलीज होगा। यह एकाउन्टिंग का काम भी अनुपूरक अनुदानों के जरिये करना पड़ता है। हमारे तिवारी जी जानकार हैं इसलिए कुछ प्रमुख आलोचना उन्होंने की। माननीय श्यामधर जी, नेगी जी ने भी कुछ प्रश्न उठाये हैं। जो प्रश्न इन्होंने उठाय हैं अगर उनका उत्तर मैं देदूं तो मैं समझता हूं फिर बाकी सब प्रश्नों का जवाब देना आवश्यक नहीं है। पहले तो एक सुधार करना आवश्यक समझता हूं। उन्होंने पृष्ठ 17 पर गल्ती निकाली वह मिस प्रिन्ट है। बैंक लाग नहीं शब्द बैक लाग है। माननीय सदस्य इसका सुधार कर लेंगे। मैं तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसकी ओर उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया। एक प्रश्न यह उठाया कि 2 करोड़ 20 लाख रुपया आगामी लोकसभा के चुनावों के लिए रखा और ज्यादा रुपया क्यों नहीं रखा। हम चाहते हैं कि जितना जरूरी है उतने खर्च की माँग ही हम रखें इसके अतिरिक्त चुनाव के लिए बजट में पहले से ही प्राविधान है। यह अतिरिक्त माँग की गयी है। माननीय तिवारी जी को याद नहीं है पुराना बजट। हाँ अगर कमी पड़ी तो फिर अनुपूरक अनुदान द्वारा पैसा माँग लेंगे। लेकिन पहले से ही ज्यादा रुपया का प्राविधान करना सदन की इच्छा के अनुकूल नहीं होगा। माननीय नेगी जी और गुप्ता जी ने एक प्रश्न उठाया कि जब इतना भयंकर सूखा पड़ा है तो एक पैसे का भी इसमें प्राविधान नहीं किया है। माननीय सदस्य एक बात जान लें कि जो कंटिनजेन्सी रिलीज करवा रहे हैं और विशेष रूप से माननीय सदन का समय ले रहे हैं वह इसलिए कि उसका उपयोग कर सकें। बजट में भी पहले से ही अब की बार कई गुना ज्यादा व्यवस्था कर रखी है। पहले दो करोड़ से ज्यादा कभी व्यवस्था नहीं हुई है। पहली बार हमने दस करोड़ से ज्यादा की व्यवस्था बजट में की है। माननीय सदस्यों को याद नहीं है इसलिए उनको लगता है कि हमने कोई व्यवस्था नहीं की है। यदि जरूरत पड़ी तो पैसे की कमी के कारण जनता को सूखे से राहत देने के कार्य में हमें जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा उससे कोई रोक नहीं सकता। सूखे के मामले में चाहे इधर के या उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों जो भी हमें सुझाव देंगे हम पूर्ण विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम पूरी सहायता करेंगे। चुनाव के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया कि निष्पक्ष चुनाव होने वाला नहीं हमसे यह पूछना जरूरी नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव हों। हम तो लगातार यह माँग करते आ रहे हैं और तिवारी जी की यह आशंका निर्मूल है और उनको अगर कोई शुबहा है तो उसे वह निकाल दें। जनता को पूरा-पूरा अधिकार है कि वह किस प्रकार का शासन

[श्री मधकर दिघे]

चाहती हैं, किसके हाथ में सत्ता देना चाहती है। इसीलिये हमने मध्यावधि चुनाव कराने का फैसला लिया है ताकि जनता फैसला कर सके कि दिल्ली का शासन वह किसके हाथ में देना चाहती है। (व्यवधान) उत्तर प्रदेश ने पहले भी रास्ता दिखाया था और इस बार भी वही निर्णय करेगा। एक बात तिवारी जी ने उठाई कि 88 करोड़ का मामला आयोजनागत पक्ष में क्यों लिया। हमारे लिये बंधन था कि जिस मद में केन्द्रीय सरकार यह काम करेगी उसी मद में हमें करना पड़ेगा। यह 88 करोड़ रुपया लिहाजा केवल समायोजित हुआ है। जो हमने काम किया है उसका यह लेखा जोखा है। माननीय सदन ने पहले जो स्वीकृतियाँ दी है या खर्चे हुए हैं उन्हीं को समायोजित किया गया है। कंटिजेन्सी से रिलीज करने के लिये जो वायदे किये गये थे गन्ने के दाम में कमी होने पर उसकी पूर्ति करने हेतु तो किसानों के हित में वह रुपया दिया गया है। यह जितना बजट में रुपया आता है 80 प्रतिशत किसानों से ही आता है और किसानों के हित में उस रुपये को खर्च करने का हमने वायदा किया था उसी वायदे को पूरा किया गया है। 30 करोड़ रुपया हमको किसानों को देना था चूंकि गन्ना कम हुआ इसलिये लगभग साढ़े 24 करोड़ रुपया हमको देना पड़ेगा जिसमें से 19 करोड़ रुपया रिलीज करना है किसान निधि से और बाकी जो है वह आदेश से दिया जा सकता है जिसके लिये आपसे सैंक्शन लेनी है। 26 करोड़ में से ज्यादा पैसा वही है जो किसानों के हित के लिये है। मुझे आशा है कि इस अनुपूरक अनुदानों को सभी लोग सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1979

31 मार्च, 1980 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देन की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, 1979 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष के संबंध में देने पड़ेंगे, 1979–80 के लिए 1,95,08,15,000 रुपयो का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 1980 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 1,95,08,15,000 रु0 (रुपये एक अरब, पंचानवे करोड़, आठ लाख पन्द्रह हजार केवल) होता है, अधिक न हो।

विनियोग 3––इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1980 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो अनुसूची में दिए हुए हैं:

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखिये)

1	2	3		
अनुदान क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
4	न्याय विभाग	43,000	5,00,000	5,43,000
5	निर्वाचन विभाग	2,20,82,000	..	2,20,82,000
6	संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्री कर)	2,000	..	2,000
8	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	..	37,000	37,000
9	स्वायत्त शासन एवं नगर-पालिका विभाग	3,73,30,000	..	3,73,30,000
12	परिवहन विभाग	24,85,000	..	24,85,000
14	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय)	20,00,00,000	..	20,00,00,000
*16	ब्याज का भुगतान	..	8,36,000	8,36,000
18	सचिवालय	1,63,000	..	1,63,000
24	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	..	28,000	28,000
26	गृह विभाग (पुलिस)	6,48,25,000	..	6,48,25,000
27	गृह विभाग (कारागार)	53,92.000	..	53,92,000
28	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	4,82,000	..	4,82,000
29	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	7,19,000	..	7,19,000
34	शिक्षा विभाग	6,000	..	6,000
37	साँस्कृतिक कार्य विभाग	5,83,000	..	5,83,000
39	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	1,63,03,000	..	1,63,03,000

*भारित विनियोग से संबंधित क्रम-संख्या।

अनुसूची (क्रमश:)

(धारा 2 और 3 देखिए)

अनुदान क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	ले निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
40	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	13,65,000	..	13,65,000
41	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	21,54,000	..	21,54,000
43	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	1,79,000	..	1,79,000
45	सूचना विभाग	1,00,000	..	1,00,000
48	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग	2,68,82,000	..	2,68,82,000
52	सहकारिता विभाग	26,26,000	..	26,26,000
53	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र	1,72,25,000	..	1,72,25,000
54	नियोजन विभाग	6,21,000	..	6,21,000
55	कृषि विभाग (कृषि)	82,21,000	..	82,21,000
58	ग्राम्य विकास विभाग	88,61,53,000	..	88,61,53,000
59	पंचायती राज विभाग	15,44,000	..	15,40,000
61	क्षेत्रीय विकास विभाग	1,24,90,000	..	1,24,90,000
63	पशुधन विभाग	52,00,000	..	52,00,000
65	मत्स्य विभाग	7,45,000	..	7,45,000
66	वन विभाग	5,43,000	..	5,43,000
68	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)	19,20,53,000	..	19,20,53,000
69	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	2,37,30,000	..	2,37,30,000
70	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	..	4,000	4,000
72	सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य-राजस्व लेखा)	3,00,00,000	..	3,00,00,000
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	5,16,21,000	..	5,16,21,000
76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	3,00,000	..	3,00,000
78	सार्वजनिक निर्माण विभाग (सहायक अनुदान)	40,00,000	..	40,00,000

(क्रमशः)

अनुसूची

अनुदान क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
82	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	1,36,11,000	..	1,36,11,000
83	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	31,51,000	..	31,51,000
87	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	2,09,52,000	..	2,09,52,000
88	क-हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग-पूंजीगत परिव्यय	1,18,00,000	..	1,18,00,000
89	सहकारिता विभाग-पूंजीगत परिव्यय	1,27,01,000	..	1,27,01,000
90	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	12,58,000	..	12,58,000
91	उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय	1,50,00,000	..	1,50,00,000
97	कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय	28,70,000	..	28,70,000
98	ग्राम्य विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय	2,00,00,000	..	2,00,00,000
99	क्षेत्रीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय	3,05,000	..	3,05,000
103	मत्स्य विभाग-पूंजीगत परिव्यय	98,000	..	98,000
107	सार्वजनिक निर्माण विभाग-संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय	80,53,000	..	80,53,000
108	परिवहन विभाग-पूंजीगत परिव्यय	4,83,00,000	..	4,83,00,000

(अनुसूची) (समाप्त)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
*110	राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण	..	29,00,000	29,00,000
114	आवास विभाग–ऋण और अग्रिम	3,55,000	..	3,55,000
117	उद्योग विभाग–ऋण और अग्रिम	56,25,000	..	56,25,000
118	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र–ऋण और अग्रिम	14,95,000	..	14,95,000
121	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)–ऋण और अग्रिम	3,60,00,000	..	3,60,00 ,000
122	सहकारिता विभाग–ऋण और अग्रिम	9,27,39,000	..	9,27,39,000
123	कृषि विभाग–ऋण और अग्रिम	2,68,00,000	..	2,68,00,000
124	क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम	50,00,000	..	50,00,000
125	पशुधन विभाग–ऋण और अग्रिम	22,30,000	..	22,30,000
	योग	1,94,65,10,000	43,05,000	1,95,08,15,000

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1979 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक 1979 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष––

आज नियम 51 के अन्तर्गत मेरे पास आठ सूचनाएं प्राप्त हुयीं जिसमें से श्री डी0पी0 बोरा, राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री श्रीनारायण, श्री हुकुम चन्द्र तिवारी तथा श्री राजनाथ सिंह, श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री देव बहादुर सिंह तथा श्री रामकृष्ण उपाध्याय द्वारा दी गई लखनऊ में जहरीली शराब पीने से 48 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने से सम्बन्धित है, को मैंने स्वीकार किया है और इस सम्बन्ध में कल शासन की तरफ से वक्तव्य आ जायेगा। शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुयीं ।

(व्यवधान)

प्रदेश में सूखे तथा अन्य दैवी आपदाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष––

सूखे के बारे में सदन की क्या राय है ?

श्री राम प्रकाश (जिला लखनऊ)––

माननीय उपाध्यक्ष जी, अब समय बहुत हो गया है इसलिए सूखे पर कल चर्चा कर ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

क्या यह मुनासिब होगा कि कल हम नियम 301 की सूचनाएं न लें और प्रश्नोत्तर काल के बाद विधेयक लें लें और उसके बाद सूखे वाली चर्चा ले लें। एक विधेयक भी है उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979। उसके बाद श्री देव बहादुर सिंह जी द्वारा दी गयी सूखे तथा अन्य दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में सूचना पर चर्चा होगी ।

(किसी के आपत्ति न करने पर ।)

पहले बिल लिया जायेगा और उसके बाद यह सूखे वाली चर्चा ली जायेगी ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
3 सितम्बर, 1979

नत्थी 'क'

संलग्नक–1

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 229 पर)

कार्यक्रमों की सूची

1––व्यक्तिगत लघु सिंचाई ।

2––सामुदायिक लघु सिचाई जिसमें नालियाँ भी सम्मिलित हैं। सामुदायिक कार्यों के लिए अनुदान 50 प्रतिशत, व्यक्तिगत कार्यों के लिए लघु कृषक 25 प्रतिशत, सीमान्त कृषक मजदूर तथा ग्रामीण दस्तकारों व व्यवसाय कार्यों के लिए 33 1/3 प्रतिशत अनुमन्य है।

3––असफल कुआँ सब्सिडी ।

4––कृषि निवेश ।

5––कृषि प्रदर्शन ।

6––कृषि यन्त्र ।

7––बखारी ।

8––भूमि विकास/भूमि संरक्षण ।

9––भूमि सुधार ।

10––दुधारु पशुओं का वितरण ।

11––पशुपालन का विशेष कार्य-क्रम एवं वर्णशंकर बछियों की विशेष योजना ।

12––भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउन्डेशन, उरली काँचन पूना के माध्यम से वर्ण शंकर पशु विकास योजना ।

13––अन्य पशुओं तथा भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी, बत्तख का वितरण।

14––हल चलाने वाले बैल, बैल गाड़ियाँ, ऊंट व ऊंट गाड़ी ।

15––उद्यान ।

16––कस्टम सर्विस ।

17––मत्स्य पालन ।

18––सेरी कल्चर ।

19––फार्म फारेस्टरी ।

20––मधु मक्खी पालन ।

21––अवस्थापना सुविधाएं ।

22––नर्सरी ।

23––कृत्रिम गर्भाधान ।

24––दुग्ध संग्रह केन्द्र ।

25––परिवहन सुविधा ।

26––प्रशिक्षण ।

27––अवस्थापना के अन्य विकास कार्यक्रम ।

28––अंश पूंजी का ब्याज रहित ऋण ।

29––प्रबन्धकीय अनुदान ।

30––उद्योग एवं व्यवसाय ।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 231 पर)

जनवरी, 1978 से अब तक जनपद बहराइच में एक गोदाम से दूसरे गोदाम पर स्थानान्तरित किए गये सहायक कृषि निरीक्षकों से सम्बन्धित सूचना

क्रमांक	सहायक कृषि निरीक्षक का नाम	स्थानान्तरण आदेश की तिथि	कहाँ से	कहाँ को	स्थानान्तरण करने का आधार/कारण
1	2	3	4	5	6
1	सर्वश्री सोबरन सिंह	12-4-1978	लालपुर	पयागपुर	एक ही स्थान पर लगभग 4 वर्ष 8 माह का कार्यकाल हो जाने के कारण जनहित में स्थानान्तरण किया गया।
2	,, अमीरुल्लाह सिद्दीकी	9-1-1979	अट्ठैसा	कैसरगंज	एक ही स्थान पर लगभग 4 वर्ष 4 माह का कार्यकाल हो जाने के कारण जनहित में स्थानान्तरण किया गया।
3	,, राम अवध कुशवाहा	9-2-1979	गण्डारा	अट्ठैसा	श्री अमीरुल्लाह सिद्दीकी के स्थान पर जनहित में प्रति-स्थानी के रूप में स्थानान्तरण किया गया।
4	,, विजय प्रकाश शर्मा	9-2-1979	भिन्गा	बहराइच (केन्द्रीय बीज भण्डार)	जनपद के बाहर श्री बाबू राम चौधरी के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त स्थान पर प्रतिस्थानी के रूप में जनहित में स्थानान्तरण किया गया।
5	,, वीरेन्द्र सिंह	9-2-1979	पड़वलिया	भिन्गा	श्री विजय प्रकाश शर्मा के स्थान पर जनहित में प्रति-स्थानी के रूप में स्थानान्तरण किया गया।
6	,, खुशी राम	12-12-1978	सीतादोहार	इकधरवा	जनपद के बाहर श्री राम फेर त्रिपाठी के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त स्थान पर प्रतिस्थानी के रूप में जनहित में स्थानान्तरण किया गया।

1	2	3	4	5	6
7	सुरेश चन्द्र शर्मा	28-9-78	रत्नापुर	बड़नापुर	जनपद के बाहर श्री राजेन्द्र सिंह के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त स्थान पर प्रतिस्थानी के रूप में जनहित में स्थानान्तरण किया गया ।
8	भगवती प्रसाद शर्मा	1-5-1979	बेलवाबाजखां	मिहीपुरवा	जनपद के बाहर श्री लाल बहादुर सिंह के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त स्थान पर प्रतिस्थानी के रूप में जनहित में स्थानान्तरण किया गया ।
9	राम निवास सहरावत	16-9-78	ललुही	इकौना	जनपद के बाहर श्री प्रेमपाल सिंह के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त स्थान पर प्रतिस्थानी के रूप में जनहित में स्थानान्तरण किया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 237 पर ।)

तालिका

विभाग का नाम	वर्ष 1977-78 तथा 1978 79 में आवंटित गेहूं की मात्रा	गेहूं की वितरित मात्रा	अवशेष मात्रा	निर्मित मार्गों की लम्बाई (कि0मी0 में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1—मण्डी समिति ..	4254-08-208 कुन्तल	4253-58-208 कुन्तल	50 कि0ग्राम	72.339	..
2—पंचायत राज वि0 (विकास खण्डों के माध्यम से)	20,810 कुन्तल (वर्ष 1978–79 में)	18,120 कुन्तल (वर्ष 1978–79 में)	2690 कुन्तल	188.300	विभिन्न ब्लाकों के पास 1-4-79 को 2,690 कुन्तल गेहूं शेष रहा ।
3—सार्वजनिक निर्माण विभाग	10,780 कुन्तल	8,100 कुन्तल	2,680 कुन्तल	73.50	जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास 1-4-79 को 2,680 कुन्तल गेहूं शेष था ।

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 238 पर।)

पेयजल योजना 1978–79 के अन्तर्गत पूर्ण हुए कूपों की सूची, जनपद बहराइच

नाम विकास खण्ड	ग्राम/हरिजन बस्ती जहाँ कूप निर्मित हुआ	अन्य विवरण
1	2	3
1—मिहींपुरवा	1—नवीना	
	2—ऊर्रा	
	3—सेमरी घटही	
	4—घमापुर	
2—सिरसिया	5—दूर्गपुर	
	6—भगजानपुर	
	7—जुड़पूनियाँ	
	8—सरा	
	9—बकही	
	10—जुगुन भरिया	
3—हरिहरपुर रानी	11—परसरामपुर	
	12—मऊखेनवा	
4—जरवल	13—बरोलिया	
	14—उपधी	
	15—नासिरगंज	
	16—अमीरा	
	17—खसुवा	
	18—आपमपुर	
	19—घटवा	
5—केसरगंज	20—डिहवाशेर बहादुर	
	21—कन्दैला	
	22—नत्थनपुर	
	23—पचम्पा	
	24—रामगढ़ बेहड़ा (1)	
	25—रामगढ़ बेहड़ा (2)	
	26—खेजुहा	
	27—परसेघडी	
	28—कडसर धिटोरा	
	29—बुड़ानपुर	
	30—घरायकहर	
	31—कहाई	
	32—रेवली	
	33—केन्द्रेला	

1	2	3
6—हुजूरपुर	34—हमलिया (नैपुरा)	
	35—जगदीशपुर	
	36—जिनिनियाँ महिपाल	
	37—मिड़ियारी	
	38—सरखना	
	39—रानीपुर	
	40—जिगिनियाँ क्षत्रपाल	
	41—ताजपुर	
	42—रमवापुर सपहा	
	43—पादूपुर	
	44—बसन्तपुर (लालपुरवा)	
7—बलहा	45—बलहा मगवापुरवा	
	46—बेहनन पुरवा	
8—पयागपुर	47—लालपुर	
	48—बनबटी	
	49—यमदापुर	
	50—अमनियावाँ	
	51—हटवाहरवारा	
	52—घरकापुर	
	53—पहलवा	
	54—मुन्डेरवा	
	55—मुहेलवा	
	56—ताला धवधेल (पीलखाना)	
	57—भगतपुरवा (गंगापुर)	
	58—मलवाँ	
	59—सेवटा	
	60—खजुरी	
9—इकौना	61—थनारेयरिया	
	62—इटवरिया	
	63—चिचड़ी	
	64—मत्वापुरवा	
	65—मनोहरापुर	
10—शिवपुर	66—बरदहा (चमरन टोला)	
	67—सेमरिया	
	68—बरुही	
	69—शिवपुर (लोधनपुरवा)	
	70—टियुवापारा	
	71—सोहवलिया (छीटन पुरवा)	
	72—जूड़ा	
	73—इन्टहा (टेपरा)	
	74—अरनवा (चमारन टोला)	

1	2	3
		75—नेवादा
		76—अरनवा (गोवियन पुरवा)
		77—बरहूपुरवा गड़रिया पुरवा
		78—बीण्डो
		79—रायगंज (चमारन पुरवा)
11—फतरपुर	..	80—सरदपारा
		81—सरदपारा (2)
		82—मिलौरा बसन्ती
		83—समदा
		84—बभनडीहा
		85—मझारा राडीनगर
		86—टेड़वा थरथीमित्र
12—मिलोला	..	87—काशीपुर बूसा
13—जमुहा		88—फतेपुर धागई
		89—बरगदहा
		90—महरपुतिहा
		91—शिकारी
		92—लालपुर हरीडीह
14—चिदौरा	..	93—बघोड़ा
		94—गरसोरा
		95—चलिया जगदीशपुर कमाली
		96—समसा तरहर
		97—खेरा हसन
		98—कटरा बहादुरगंज
		99—सोहरवाँ
		100—राजापुर माफी
		101—डीहा सारानगर
		102—इंटौजा धसरौरा
		103—धरमनपुर
		104—मोयाबोस
		105—बिछला
15—रिमिया		106—अमवा जोहर सिसर्द (जोहर सिसई)
		107—शंकरपुर
		108—लाकी
		109—विशुनपुर
		110—भगतापुर
16—तजनापुर	..	111—भटेरिया
		112—लालापुरवा (मरोचा)
		113—मिर्जापुर चमारनपुरवा
		114—बुलासिह पुरवा (मरोचा)
		115—जमलापम्ले
		116—चमारनुपुरवा (सरपतहा)

1	2	3
17—महसी	..	117—थैलिया 118—रायपुर 119—मेयोरम 120—बदुवापुर 121—राजापुर 122—गरियापिपरी 123—गदामार खुर्द 124—गदामार कलाँ 125—चकया टेपरा 126—बकेना 127—मुरावाडीह 128—मिलौरा 129—हैदी चमारनपुरवा 130—गरेठी गुरुदत्त 131—महसी टेपरा 132—बनजरिया

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 244 पर)

बहराइच जिले के विधायकों द्वारा दिए गये सुझाव एवं उनके सन्दर्भ में की गयी कार्यवाही का विवरण ।

विधायक का नाम	सुझाव	कृत कार्यवाही का विवरण
श्री कमला प्रसाद वर्मा	(1) बहराइच जिले में डिपो खोलने एवं भूमि अधिग्रहण में शीघ्रता कराई जाय ।	1—बहराइच में डिपो खोलने के लिए जमीन के अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है। इस पर स्वामित्व प्राप्त होने के उपरान्त डिपो के निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही पर विचार किया जायगा ।
	(2) भिनगा से लखनऊ-कानपुर बसें चलती थीं जो दो वर्षों से बन्द हैं, उन्हें पुनः चालू कराया जाय ।	2—भिनगा से बहराइच तक का मार्ग अराष्ट्रीयकृत है । इसलिए इस मार्ग को जोड़ते हुए भिनगा–लखनऊ कानपुर तक गाड़ियों का संचालन सम्भव नहीं है । इस समय बहराइच से लखनऊ कानपुर को 10 सेवाओं से जोड़ दिया गया है ।
	(3) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी जहाँ रोडवेज बसें चल रही हैं उन पर व्यक्तिगत गड़ियाँ चलाने के लिए छूट दी जाय ।	3—यह नीति का प्रश्न है । शासन के विचाराधीन अभी नहीं है ।
	(4) डिपो में मेकेनिकल खंड में पुर्जों की चोरी रोकने हेतु कड़ी व्यवस्था की जाय तथा नया पुर्जा के स्थान पर पुराना पुर्जा न लगने दें ।	4—चोरी आदि रोकने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि नए के स्थान पर पुराने सामान को गाड़ियों में न लगाया जा सके चोरी की सूचना प्राप्त होने पर संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में कोई शिथिलता नहीं बरती जाती।
2—श्री सुखद राज सिंह	बहराइच से रिसिया बाजार तक बस सेवा चलायी जाय ।	बहराइच सिरसिया बाजार मार्ग अराष्ट्रीयकृत है । उसके सर्वेक्षण के आदेश दिए जा चुके हैं । सर्वेक्षणोपरान्त तुरन्त आवश्य कार्यवाही की जायगी ।

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 60 का उत्तर पीछे पृष्ठ 247 पर)

कृषि उत्पादन मण्डी समितियो की सूची जिसमें अभी नामाँकन होना है

क्रमाँक	जिले का नाम	मण्डी समिति का नाम
1	2	3
1	देहरादून ..	1—देहरादून
		2—चीहडपुर
		3—चकराता
		4—ऋषिकेश
2	मुजफ्फरनगर	1—मुजफ्फरनगर
		2—शामली
3	सहारनपुर	1—रामपुर मनिहारन
4	मेरठ	1—मेरठ
		2—मवाना
		3—सरधना
		4—बड़ौत
		5—खेकड़ा
5	गाजियाबाद	1—हापुड़
		2—मुरादनगर
6	बुलन्दशहर	1—जहाँगीराबाद
		2—सियाना
		3—डिबाई
		4—अनूपशहर
		5—शिकारपुर
7	अलीगढ़	1—अलीगढ़
		2—हाथरस
		3—खैर
		4—छर्रा
		5—अतरौली
		6—सिकन्दराराऊ
8	मथुरा	1—सादाबाद
9	आगरा	1—आगरा
		2—अछनैरा
		3—फतेहपुर सीकरी
10	मैनपुरी	1—सिरसाँगंज
		2—शिकोहाबाद
		3—बेबर
11	एटा	1—आवागढ़
12	बरेली	1—बरेली
13	बिजनौर	1—कीरतपुर
		2—नजीबाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
14	बदायूं	1—बदायूं 2—उझानी 3—बिसौली 4—वजीरगंज 5—बबराला 6—बिलसी 7—सहसवान 8—दातागंज
15	मुरादाबाद	1—चन्दौसी
16	शाहजहाँपुर	1—तिलहर 2—शाहजहाँपुर 3—जलालाबाद 4—पोवाया
17	पीलीभीत	1—बीसलपुर 2—पूरनपुर
18	नैनीताल	1—हल्द्वानी
19	कानपुर	1—झींझक
20	फतेहपुर	1—बिन्दकी 2—फतेहपुर 3—खागा 4—जहांनाबाद
21	इलाहाबाद	1—इलाहाबाद 2—भरवारी 3—सिरसा 4—अजुहा 5—जसरा
22	झांसी	1—बरुआसागर
23	ललितपुर	1—महरौनी 2—ललितपुर
24	जालौन	1—एट 2—कदौरा
25	हमीरपुर	1—पनवाडी
26	वाराणसी	1—वाराणसी 2—चन्दौली 3—गोपीगंज
27	मिर्जापुर	1—मिर्जापुर 2—अहिरौरा 3—राबर्ट्सगंज 4—दुद्धी
28	जौनपुर	1—मुगराबादशाहपुर
29	गाजीपुर	1—जंगीपुर 2—जमनिया

1	2	3
30	बलिया	1—बलिया
		2—बिल्थरारोड
		3—चितबड़ागाँव
		4—रसड़ा
31	गोरखपुर	1—परतावल
		2—आनन्दनगर
32	बस्ती	1—नौगढ़
33	आजमगढ़	1—कोपागंज
		2—आजमगढ़
34	लखनऊ	1—लखनऊ
		2—बंथरा
35	उन्नाव	1—उन्नाव
		2—बाँगरमऊ
		3—पुरवा
36	सीतापुर	1—सीतापुर
		2—हरगाँव
		3—मिश्रिख
		4—महोली
37	हरदोई	1—हरदोई
		2—संडीला
		3—माधोगंज
		4—शाहाबाद
		5—साँडी
38	फैजाबाद	1—फैजाबाद
39	गोंडा	1—बलरामपुर
		2—पचपेड़वा
		3—उतरौला
40	बहराइच	1—बहराइच
		2—नानपारा
		3—पयागपुर
		4—रिसिया
		5—मिहीपुरवा
		6—रुपइडिहा
41	प्रतापगढ़	1—प्रतापगढ़

नत्थी "छ"

(देखिये पीछे पृष्ठ 298 पर)

प्रथम सत्र 1979 के लिए निर्धारित श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा पूछे गये अल्पसूचित

तारांकित प्रश्न का उत्तर

मूल प्रश्न	मूल उत्तर
1--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज कल लखनऊ राजकीय कोषागार के कर्मचारी गत 15 दिनों से किन माँगों को लेकर नियमानुसार काम करें आन्दोलन कर रहे हैं ? उनको पूरा करने हेतु शासन द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि प्रश्न (1) में उल्लिखित आन्दोलन के कारण 1 मार्च को फरवरी मास का वेतन काफी कर्मचारियों में वितरित नहीं किया जा सका ?	1--जी हाँ, लखनऊ कोषागार के कर्मचारी 15 फरवरी, 1979 से अपनी माँगों को लेकर "नियमानुसार काम करें" आन्दोलन कर रहे हैं । कर्मचारियों की न्यायोचित माँगों तथा उन पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है । यह सही है कि उक्त आन्दोलन के कारण 1 मार्च, 1979 को फरवरी, 1979 मास का वेतन काफी कर्मचारियो को वितरित नहीं किया जा सका ।

कर्मचारियों की माँगें	शासन द्वारा कृत कार्यवाही
(1) कोषागार के वर्तमान वेतनमानों का पुनरीक्षण ।	वर्तमान वेतनमान पूर्व गठित वेतन आयोग की संस्तुति पर निर्धारित है तथा किसी एक वर्ग के लिये स्वीकृत वेतनमानों के पुनरीक्षण पर अलग से विचार करना सम्भव नहीं पाया गया है ।
(2) कोषाधिकारियों के पदों पर होने वाली सम्पूर्ण रिक्तियाँ सीधी भर्ती द्वारा न करके प्रधान लिपिकों को पदोन्नति द्वारा सारे पदों को भरा जाय । यदि वर्तमान में यह संम्भव न हो तो 50 प्रतिशत पदों का आरक्षण मुख्य लिपिकों के लिये किया जाय ।	कोषागारों के 67 प्रधान लिपिकों के वित्त एवं लेखा सेवा में रु0 550-1200 के वेतन, मान में 12-1/2 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान किया जा रहा है । इस प्रकार वर्तमान में 15 पदों के स्थान पर 24 पद उपलब्ध हो जायेंगे जो प्रधान लिपिकों के संवर्ग का 35 प्रतिशत है जबकि सामान्यतया यह प्रतिशत 25 होता है । उपर्युक्त वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारियों से भी पदोन्नति की जाती है । अतः होने वाली सम्पूर्ण रिक्तियों अथवा 50 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखने की माँग स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है ।
(3) उपकोषागारों में उपकोषाधिकारी की नियुक्ति की जाय तथा यह पद प्रधान लिपिकों की पदोन्नति द्वारा भरे जायें ।	उपकोषाधिकारी के 14 पद प्रधान लिपिकों की पदोन्नति द्वारा भरे गये हैं । वर्ष 1979-80 में कुछ अतिरिक्त पदों का सृजन विचाराधीन है जिसके फलस्वरूप प्रधान लिपिकों के संवर्ग के 50 प्रतिशत

कर्मचारियों की मांगें	शासन द्वारा कृत कार्यवाही
(4) प्रति 6 कर्मचारी के अनुपात पर एक अतिरिक्त मुख्य लिपिक की नियुक्ति की जाय।	कर्मचारियों को प्रोन्नति के पद उपलब्ध हो जायेंगे। प्रधान लिपिक के पदों की आवश्यकत निर्धारित करने के हेतु नियंत्रण की आवश्यकता, कार्यभार इत्यादि के आधार पर विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है। वर्तमान में 18 लिपिक के अनुपात में प्रधान लिपिक का अतिरिक्त पद स्वीकृत किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।
(5) प्रशिक्षण में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को 25 रुपया प्रतिमास विशेष वेतन के रूप में दिये जायं तथा हानिप्रद अनुच्छेदों को समाप्त किया जाय।	कोषागार लिपिकों को तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उत्तीर्ण होने पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि देने की व्यवस्था है। प्रशिक्षण में रुचि उत्पन्न करने के लिये यह प्राविधान है कि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी का स्थायीकरण अथवा पदोन्नति परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना नहीं किया जायगा। चूंकि उपर्युक्त अग्रिम वृद्धि का लाभ वेतनमान के अन्तिम सोपान पर पहुंचने पर कर्मचारियों को नहीं मिल पाता है, इसलिये ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण से अवमुक्त करने के आदेश दिये गये हैं।
(6) कोषागार कर्मचारियों के लिये गृह निर्माण अग्रिम, सवारी साधन अग्रिम की व्यवस्था अलग से की जाय।	समस्त मंडलायुक्तों को अग्रिम के प्रयोजन हेतु आवंटित धनराशि में से कोषागार कर्मचारियों को अग्रिम की स्वीकृति हेतु उचित व्यवस्था करने के आदेश दे दिये गये हैं।
(7) कोषाधिकारियों की सीधी भर्ती में कोषागारों में कार्यरत स्नातकों को आयु सीमा में छूट देकर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाय।	माँग में प्रस्तावित आधार पर यह सुविधा किसी भी सेवा संवर्ग को उपलब्ध नहीं ह। यह प्रश्न व्यापक नीति से संबंधित है तथा इसके लिये लोक सेवा आयोग की प्रतिक्रिया प्राप्त करना आवश्यक है।
(8) वास्तविकता के आधार पर कोषागारों में कार्य के नार्म्स निर्धारित किये जायं।	प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से इस संबंध में विस्तारपूर्वक अध्ययन करके कार्य के नार्म्स निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

पी0 एस0 यू0 पी0—एल 327 वि0 सभा (570)—1980—835।